



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए**



**संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2015 का प्रतिवेदन संख्या 30
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2015 का प्रतिवेदन संख्या 30
(अनुपालन लेखापरीक्षा)



विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I - प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा	1.2	2
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.3	4
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.4	5
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.5	6
बजट और व्यय नियंत्रण	1.6	8
स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा	1.7	10
बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	1.8	16
विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति	1.9	17
हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना	1.10	17
प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर	1.11	17
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.12	18
अध्याय II - परमाणु ऊर्जा विभाग		
प्रदर्शन संबंधित प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन समूह	2.1	19
अध्याय III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
औषध एवं औषधि अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन	3.1	35
भूमि के खराब प्रबंधन के कारण परिहार्य व्यय और कार्यालय परिसर का विलम्बित निर्माण	3.2	51
अध्याय IV - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना	4.1	55
पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नतियों की अनियमित मंजूरी	4.2	85

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
अध्याय V - अंतरिक्ष विभाग		
प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन	5.1	89
सेवा कर का अनियमित भुगतान	5.2	100
विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान	5.3	102
अध्याय VI - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		
निष्क्रिय वेबसाइट के कारण निष्फल व्यय	6.1	105
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा मौसम विज्ञान-संबंधी वेधशालाओं की स्थापना एवं रखरखाव	6.2	108
अध्याय VII - वन एवं पर्यावरण मंत्रालय		
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 का कार्यान्वयन	7.1	127
सीवेज उपचार की पायलट परियोजनाओं के समापन में असामान्य विलम्ब	7.2	139
परिशिष्ट		
I	वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का संक्षिप्त परिचय	151
II	पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई अनुपालन लेखापरीक्षा से लेखापरीक्षा निष्कर्ष	155
III	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान	157
IV	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	160
V	विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	165
VI	वर्ष 2013-14 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण	166
VII	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2014 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की मार्च 2015 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जो मंत्रालयों/विभागों से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।	167
VIII	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2014 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी की मार्च 2015 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जिन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दे चुका हैं, परन्तु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।	169
IX	खरीदी मामले जिनमें पूर्ति हेतु उच्च पूर्वकाल लिया गया	172

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
X	प्रदर्शन संबंधित प्रोत्साहन योजना - समूह हेतु भारी जल बोर्ड के आकलन रिपोर्ट में विलम्बित परियोजनाओं को पुरस्कृत अंक का विवरण	174
XI	निर्माण एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय में 2010-11 के दौरान प्रदर्शन के गलत आकलन के मामले	177
XII	लेखापरीक्षा में जाँच की गई औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत 19 परियोजनाओं के ब्यौरे	183
XIII	औषध एवं औषधि अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजनाओं में बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के ब्यौरे	188
XIV	औषध एवं औषधि अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजनाओं की निगरानी समिति की बैठकों के ब्यौरे	190
XV	नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना के अंतर्गत वर्षवार निर्गमों के ब्यौरे	195
XVI	नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना के अंतर्गत निगरानी/संचालन समितियों की बैठकों की बारम्बारता में कमी	196
XVII	नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना के अंतर्गत परियोजनाओं में समय अधिधान के ब्यौरे	200
XVIII	मास्टर कंट्रोल फेसिलिटि, हासन द्वारा सेवा कर भुगतान का विवरण	203
XIX	मई 2015 को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान, कोलकाता में 'विभागीय' एवं 'अंशकालिक' वेधशालाओं की स्थिति	205



प्राक्कथन

यह रिपोर्ट मार्च 2014 को समाप्त हुई अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 2013-14 में अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती हैं।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2013-14 की अवधि में देखे गए थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं की जा सके, 2013-14 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग को लेखापरीक्षा संसूचित करता है।

विहंगावलोकन

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट भारत सरकार के नौ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के लेन-देन का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में सात अध्याय हैं। अध्याय I इस रिपोर्ट को तैयार करने के उद्देश्य को स्पष्ट करने के अलावा लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष और टिप्पणियों का भी एक सारांश प्रदान करता है। अध्याय II से VII वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न विस्तृत निष्कर्ष/टिप्पणियों प्रस्तुत करते हैं।

वर्तमान रिपोर्ट में उभारे गए चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत डाला गया है:

- अक्षम परियोजना प्रबंधन;
- खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियाँ;
- कर्मचारियों को अनियमित वित्तीय लाभ पहुँचाना; तथा
- कमजोर आंतरिक नियंत्रण

इस रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अवलोकन नीचे दिया गया है:

अक्षम परियोजना प्रबंधन

औषध एवं औषधी अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं के चयन, वित्तीय प्रबंधन और मॉनीटरिंग में कमियों के कारण ₹ 73.68 करोड़ बकाया ऋणों और ब्याज की वसूली न होना, अन्तिम परियोजना समापन रिपोर्टों का प्राप्त न होना और परियोजनाओं से उत्पन्न परिणामों पर सूचना की कमी की परिणामी हुई। भारतीय

औषधीय उद्योग की क्षमताएं बढ़ाने और कम लागतों पर नई औषधियां विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का उद्देश्य हासिल नहीं था।

(पैराग्राफ 3.1)

नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभागों के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में भारत की विश्व नेतृत्व स्थिति बनाने, पाने और बनाए रखने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा कार्यान्वित नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना ने प्रत्याशित परिणाम नहीं दिया था। लेखापरीक्षा में देखी गई परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाओं में से प्रौद्योगिकियाँ वाणिज्यीकृत की गई थीं। नौ औद्योगिक भागीदारों ने ₹ 64.92 करोड़ के ऋणों की चुकौती चूक की थी। अपर्याप्त मॉनीटरिंग, योजना मार्गनिर्देशों के अनुपालन, और समय तथा लागत अधिधान के उदाहरण हुए थे।

(पैराग्राफ 4.1)

निष्क्रिय वेबसाइट के कारण निष्फल व्यय

₹ 2.27 करोड़ की लागत पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विकसित कन्टेंट मैनेज्ड वेबसाइट फरवरी 2012 से निष्क्रिय रही, परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 6.1)

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा मौसम विज्ञान-संबंधी वेधशालाओं की स्थापना एवं रखरखाव

मौसम संबंधी विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के संग्रह के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा स्थापित वेधशालाओं का रखरखाव अपर्याप्त था। जनशक्ति की कमी के साथ-साथ इसका परिणाम वेधशालाओं के निष्क्रिय रहने, वेधशालाओं की निर्धारित निरीक्षणों में खामियां दोषपूर्ण उपकरणों की गैर-सुधार, केंद्र के अधीन क्षेत्रों का अपर्याप्त भौगोलिक कवरेज और मौसम संबंधी आंकड़ों के संग्रह में कमी के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 6.2)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 का कार्यान्वयन

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में उत्पन्न/संसाधित किए जा रहे ई-अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण और ऐसे आंकड़ों के संग्रहण और संकलन के लिए राज्य एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप

से समन्वय नहीं किया। बोर्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्मित और देश में आयतित खतरनाक पदार्थों के उपयोग की कमी के लिए तंत्र लागू करने में भी विफल रहा।

(पैराग्राफ 7.1)

सीवेज उपचार की पायलट परियोजनाओं के समापन में असामान्य विलम्ब

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चार स्थानों पर सीवेज के उपचार हेतु प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक योजना आरम्भ की। स्वीकृति के चार वर्षों से अधिक के बाद और ₹ 8.22 करोड़ का व्यय करने के बावजूद योजना, समन्वय और निगरानी की कमी के कारण चार स्थानों में से किसी पर भी सीवेज उपचार आरम्भ नहीं हो सका।

(पैराग्राफ 7.2)

खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां

भूमि के खराब प्रबंधन के कारण परिहार्य व्यय और कार्यालय परिसर का विलम्बित निर्माण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से भूमि प्राप्त करने के संबंध में पट्टा पत्रक निष्पादित करने में 21 वर्ष का विलम्ब किया और स्वीकार्य समयावधि के अंदर कार्यालय परिसर का निर्माण पूरा करने में विफल हो गया। फलस्वरूप इसने निर्माण के समापन तक शास्तियों के प्रति आवर्ती देयताओं के अतिरिक्त ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 3.2)

कर्मचारियों को दिया गया अनियमित वित्तीय लाभ

समूह प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रदर्शन का कार्यान्वयन

परमाणु ऊर्जा विभाग ने मई 2009 में प्रदर्शन संबंधित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत समूह प्रोत्साहन शुरू किया। योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण परमाणु ऊर्जा विभाग की तीन इकाईयों, जिसमें 2010-14 के दौरान ₹ 32.19 करोड़ के समूह प्रोत्साहन का भुगतान हुआ, किया गया। यह पाया गया कि लक्ष्यों में छूट, उपलब्धियों का अतिशयोक्ति तथा प्रदर्शन का अनुपयुक्त आकलन जैसे उदाहरण उजागर हुए जिसने न केवल उच्च प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार के उद्देश्य को नष्ट किया अपितु परिणामस्वरूप प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान होना भी परिणाम हुआ।

(पैराग्राफ 2.1)

पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नतियों की अनियमित मंजूरी

भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् वैज्ञानिक भर्ती एवं पदोन्नति निर्धारण नियम 2001 में पूर्व प्रभावी पदोन्नति के प्रावधान शामिल थे। परिणामस्वरूप इसकी चार प्रयोगशालाओं, जिनकी नमूना जांच की गई, ने लचीली प्रतिपूरक योजना के अंतर्गत पूर्वव्यापी प्रभाव से 256 वैज्ञानिक पदोन्नत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ का अनियमित लाभ हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन

भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के नीति ढाँचे में अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और उसके केन्द्रों के कर्मचारियों को विभिन्न पुरस्कार और प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। भारत सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर व्यक्तिगत/समूह निष्पादन के लिए निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रिस) अनुमोदित की। डी.ओ.एस. ने सभी कर्मचारियों के लिए प्रिस लागू की और अन्य विशेष भत्तों को अतिरिक्त रूप से देना जारी रखा परिणामस्वरूप इसके कर्मचारियों को बहुविध लाभ हुए। प्रिस के लिए एक संरचनाबद्ध निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित नहीं किया गया। प्रिस देने में डी.ओ.एस. मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के उदाहरण थे।

(पैराग्राफ 5.1)

कमजोर आंतरिक नियंत्रण

सेवा कर का अनियमित भुगतान

मास्टर कंट्रोल फेसिलिटी, हासन ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं की लागत पर सेवा कर के प्रति जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.33 करोड़ का भुगतान किया, जो नियमों के अंतर्गत अपेक्षित नहीं था। इसमें से ₹ 44.68 लाख का प्रतिदाय लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद निश्चित किया गया। शेष ₹ 88.05 लाख की राशि जब्त हो गई क्योंकि यह कालबाधित हो गई।

(पैराग्राफ 5.2)

विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र-पूर्व, कोलकाता ने विद्युत प्रभारों के भुगतान के प्रति ₹ 55.37 लाख का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 5.3)

अध्याय - I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी. & ए.जी.) का यह प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 के लिए, भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान तथा लागू विधि, नियमों-विनियमों के प्रावधानों, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, का उल्लेख करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में अपनी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा इच्छित लक्ष्यों को पाने के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की जांच भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को संसद के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों की आवश्यकता है कि रिपोर्टिंग की अहमियत का स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और आकार के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से आशा की जाती है कि वह कार्यकारिणी को सुधार कार्यों को लागू करने के साथ-साथ ऐसी नीतियों और निर्देशों को बनाने में सक्षम करे जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन सुधरे और इस प्रकार अच्छे शासन में योगदान दें।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति, विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति, हानियाँ व न वसूल होने वाली देयताएं जो अपलिखित/माफ किए गए तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की एक रूपरेखा है। अध्याय - II से VII, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं

स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्षों/टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संस्थानों में परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रणों इत्यादि की प्रणाली में निहित कमियों को भी इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा संस्थाओं की रूपरेखा

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग भारत सरकार के निम्नलिखित नौ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अंतर्गत इकाइयों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है।

- परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)
- अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)
- पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.)¹
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसमें शामिल है:
 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.);
 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); तथा
 - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
- जल संसाधन मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.)²

यह प्रतिवेदन उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

इन मंत्रालयों/विभागों की एक संक्षिप्त रूपरेखा **परिशिष्ट-1** में दी गई हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय की तुलनात्मक स्थिति तालिका 1 में दी गई है।

¹ मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है (2014-15)।

² मंत्रालय का नाम बदलकर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय कर दिया गया है (2014-15)।

तालिका 1: वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2011-12	2012-13	2013-14
1.	डी.ए.ई.	17,516.60	11,981.76	13,437.26
2.	डी.बी.टी.	1,208.43	1,282.84	1,291.32
3.	डी.एस.टी.	2,521.47	2,524.22	2,610.22
4.	डी.एस.आई.आर.	3,214.70	2,945.66	3,159.54
5.	डी.ओ.एस.	3,790.79	4,856.28	5,168.95
6.	एम.ओ.ई.एस.	1,174.60	1,177.14	1,248.15
7.	एम.ओ.ई.एफ.	2,270.00	1,996.69	2,158.80
8.	एम.एन.आर.ई.	1,365.22	1,243.72	1,633.52
9.	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	1,066.03	1,055.59	1,094.71
कुल		34,127.84	29,063.90	31,802.47
प्रतिशत बढ़त(+)/घटत(-)		(+)28.10 ³	(-)14.84	(+)9.42


स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

2013-14 के दौरान भारत सरकार के ऊपर दिए गए मंत्रालयों/विभागों पर कुल व्यय ₹ 31,802.47 करोड़ था। इसमें से, कुल व्यय का 42 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा विभाग ने किया, उसके बाद अंतरिक्ष विभाग (16 प्रतिशत) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (10 प्रतिशत) आते हैं।

जहाँ वर्ष 2010-11 के मुकाबले 2011-12 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के कुल व्यय में 28 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, 2011-12 के मुकाबले 2012-13 के दौरान 15 प्रतिशत की कमी हुई थी। 2013-14 के दौरान तथापि, कुल व्यय में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

³ 2010-11 में किए गए ₹ 26,642.37 करोड़ के व्यय के आधार की गई गणना।

चार्ट 1 : वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय



1.3 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सी&ए.जी. को लेखापरीक्षा करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त हुआ है। सी.&ए.जी. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी.&ए.जी. (डी.पी.सी.)⁴ अधिनियम की धारा 13⁵ के अंतर्गत करता है। सी.&ए.जी. वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा सी&ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 19(2)⁶ एवं 20(1)⁷ के अंतर्गत की जाती है, के संबंध में एकमात्र लेखापरीक्षक है। इसके अतिरिक्त, सी&ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14⁸ एवं 15⁹ के अंतर्गत ऐसे

⁴ नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971।

⁵ (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) सार्वजनिक लेखे तथा आकस्मिक निधि से संबंधित लेन-दान तथा

(iii) सभी व्यापारिक, विनिर्माण, लाभ-हानि लेखे, बैलेंस शीट तथा अन्य सहायक लेखों का लेखापरीक्षण।

⁶ संसद द्वारा संबंधित अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार बनाई गई विधि से स्थापित निगमों (जो कम्पनी नहीं हैं) के लेखों का लेखापरीक्षण।

⁷ राष्ट्रपति के अनुरोध पर ऐसे किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा उन शर्तों पर करना जिसकी सहमति सरकार तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बीच हुई हो।

⁸ (i) भारत की संचित निधि से अनुदान प्राप्त या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियां एवं व्यय तथा (ii) भारत की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में किसी निकाय/प्राधिकरण को जारी किए गए एक करोड़ से अधिक राशि के कर्ज अथवा सहायता राशि के लेखों की प्राप्ति एवं खर्च की लेखापरीक्षा करना।

स्वायत्त निकायों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी सी&ए.जी. करते हैं जो भारत सरकार द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित हैं और जिनकी प्रारंभिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धांत और विधि-तंत्र सी&ए.जी. द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 में नियत हैं।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सी.&ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में शामिल सिद्धांतों एवं प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग/संगठन और प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, कार्रवाईयों की महत्व/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा हित धारकों की चिंताओं पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर उपलब्ध करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

2013-14 के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 402 इकाइयों में से 194 का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। हमारी लेखापरीक्षा योजना ने उन इकाइयों/संस्थाओं, जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार प्रमुख जोखिम वाले थे, को शामिल किया।

⁹ भारत की समेकित निधि से किसी विशेष उद्देश्य से किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय को दिए गए अनुदान या ऋण की लेखापरीक्षा, उन प्रक्रियाओं की जांच हेतु, जिनके द्वारा दिए गए अनुदान या ऋण की शर्तों को पूरा होने का स्वीकृति अधिकारी अपने आप को संतुष्ट करता है।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने समीक्षात्मक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जो कि वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यों की प्रभावकारिता पर असर डालती है। इन मंत्रालयों/विभागों की पिछले पाँच वर्षों के दौरान हुई लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष **परिशिष्ट-II** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियों उजागर की गई हैं जो कि वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के कार्यों की प्रभावकारिता पर असर डालती है। सुधार कार्यों की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्न शामिल हैं:

- अक्षम परियोजना प्रबंधन;
- खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियाँ;
- कर्मचारियों को अनियमित वित्तीय लाभ पहुँचाना; तथा
- कमजोर आंतरिक नियंत्रण

1.5.1 अक्षम परियोजना प्रबंधन

सबसे महत्वपूर्ण कमियों में से एक, जिसे लेखापरीक्षा बताती आ रही है, वैज्ञानिक संगठनों के द्वारा परियोजना प्रस्तावों में स्वयं निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होना है। यह मुद्दा विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि परियोजनाएं आपूर्तियोग्य लक्ष्य के साथ ली जाती हैं। जबकि हम इस तथ्य को मानते हैं कि वैज्ञानिक प्रयास की सफलता का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, बताई गई कमियां ज्यादातर कमजोर परियोजना प्रबंधन के कारण हैं जो इन संगठनों के नियंत्रण के भीतर है।

वर्तमान प्रतिवेदन में पाँच विस्तृत पैराग्राफ शामिल किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल है:

- (i) औषध एवं औषधि अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत डी.एस.टी. द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में चयन, वित्तीय प्रबंधन तथा निगरानी में कमियां (प्रतिवेदन का पैरा 3.1);
- (ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा कार्यान्वित नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना (प्रतिवेदन का पैरा 4.1);
- (iii) क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, कोलकाता द्वारा वेधशालाओं की स्थापना एवं रखरखाव (प्रतिवेदन का पैरा 6.2);

- (iv) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 के कार्यान्वयन (प्रतिवेदन का पैरा 7.1); और
- (v) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिए गए सीवेज के उपचार के लिए चार प्रदर्शन परियोजनाओं के प्रारंभ में अत्यधिक विलम्ब (प्रतिवेदन का पैरा 7.2)

इस प्रतिवेदन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक वेबसाइट, जो फरवरी 2012 से बेकार है, पर भी एक पैराग्राफ शामिल है। (प्रतिवेदन का पैरा 6.1)

1.5.2 खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालय/विभाग अपने बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सामग्री, उपकरण एवं सेवाओं की खरीद पर करते हैं। इनमें से कुछ विभाग जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों/विभागों की तुलना में बढ़े हुए वित्तीय अधिकारों का प्रयोग सामग्री एवं उपकरण खरीद पर करते हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में डी.एस.टी. द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में पट्टा अनुबंध करने में 21 वर्षों की देरी तथा अनुमत्य समय में निर्माण कार्य पूरा करने में विफलता के कारण परिहार्य व्यय पर अवलोकन शामिल है। (प्रतिवेदन का पैरा 3.2)

1.5.3 कर्मचारियों को दिया गया अनियमित वित्तीय लाभ

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अधीन स्वायत्त निकायों में से अधिकांश भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले अनुदान से बड़े पैमाने पर वित्त पोषित हैं। आंतरिक राजस्व उत्पन्न करने के उनके प्रयासों का वांछित परिणाम नहीं निकला है और कई मामलों में सरकारी धन पर उनकी निर्भरता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। वित्तीय सहायता के लिए सरकार पर ऐसी निर्भरता के बावजूद, अपने कर्मचारियों को काफी अधिक लाभ देने के इन संस्थाओं के मामले बढ़ रहे हैं। इस प्रकार केंद्रीय खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालते हुए ये लाभ वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना अनुचित रूप से दिए जाते हैं। ऐसे मामले भी देखे गए हैं जिनमें जरूरी अनुमोदन या आवश्यक आकलन के बिना सरकारी विभागों ने कई लाभ अपने कर्मचारियों को दिए हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में डी.ए.ई. (प्रतिवेदन का पैरा 2.1) तथा डी.ओ.एस. (प्रतिवेदन का पैरा 5.1) द्वारा कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने पर दो विस्तृत पैरों के साथ-साथ

सी.एस.आई.आर. द्वारा अनियमित रूप से पदोन्नति देने (प्रतिवेदन का पैरा 4.2) पर पैरे भी शामिल हैं।

1.5.4 कमजोर आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण उन साधनों को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं जिसके द्वारा संगठन के संसाधन जुटाए और मितव्ययता एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाते हैं। सरकारी संगठनों को कठोर आंतरिक नियंत्रण के उपायों को लागू करने और खर्च में वित्तीय विवेक को इस्तेमाल करने की जरूरत यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सार्वजनिक धन नियमों एवं विनियमों के अनुसार खर्च किए जा रहे हैं और नुकसान तथा बर्बादी न्यूनतम है।

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन डी.ओ.एस. में कमजोर आंतरिक नियंत्रण के उदाहरण बताता है जिसमें डी.ओ.एस. के दो संगठनों, मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन तथा क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र-पूर्व, कोलकाता ने क्रमशः सेवा कर (प्रतिवेदन का पैरा 5.2) तथा विद्युत शुल्क (प्रतिवेदन का पैरा 5.3) का अनियमित/परिहार्य भुगतान किया।

1.6 बजट और व्यय नियंत्रण

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखों का सारांश तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2 - वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त अनुदान और किए गए व्यय का विवरण


क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/ विनियोग (अनुपूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-)बचत/ (+)अतिरिक्त	अव्ययित प्रावधान का प्रतिशत
1.	डी.ए.ई.	15,124.70	13,437.26	(-)1,687.44	11
2.	डी.बी.टी.	1,502.07	1,291.32	(-)210.75	14
3.	डी.एस.टी.	3,395.39	2,610.22	(-)785.17	23
4.	डी.एस.आई.आर.	3,571.01	3,159.54	(-)411.47	12
5.	डी.ओ.एस.	6,792.07	5,168.95	(-)1,623.12	24
6.	एम.ओ.ई.एस.	1,693.77	1,248.15	(-)445.62	26
7.	एम.ओ.ई.एफ.	2,884.74	2,158.80	(-)725.94	25
8.	एम.एन.आर.ई.	2,847.71	1,633.52	(-)1,214.19	43
9.	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	2,102.68	1,094.71	(-)1,007.97	48
	कुल	39,914.14	31,802.47	(-)8,111.67	20

स्रोत: वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखे

तालिका 2 से देखा जा सकता है कि ₹ 39,914.14 करोड़ के कुल बजट आबंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की कुल बचत ₹ 8,111.67 करोड़ थी जो कि कुल अनुदान/विनियोग का 20 प्रतिशत थी। डी.ए.ई., डी.ओ.एस., एम.एन.आर.ई. और एम.ओ.डब्ल्यू.आर. के पास वर्ष के दौरान ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण बचत थी।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों को निर्गत अनुदान के एक भाग के रूप में, एम.ओ.डब्ल्यू.आर. की बचत सबसे अधिक (48 प्रतिशत) थी, इसके बाद एम.एन.आर.ई. (43 प्रतिशत) थी। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की कुल बचत का, डी.ए.ई. द्वारा की गई बचत का भाग सबसे अधिक था, इसके बाद डी.ओ.एस. था।


चार्ट 2 - मंत्रालय वार बचत का प्रतिशत



योजनागत व्यय के मुख्य घटक

24 नवम्बर 2014 को ई-लेखा पोर्टल से लिए गए आंकड़ों के अनुसार वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए ₹ 31,802.47 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 16,479.72 करोड़ अर्थात् लगभग 53 प्रतिशत योजनागत व्यय पर किए गए थे। योजनागत व्यय का एक मुख्य भाग, 33 प्रतिशत अनुदान-साधारण निर्गत करने में किया गया था, इसके बाद 21 प्रतिशत है जिसे पूँजीगत संपत्ति बनाने में इस्तेमाल किया गया। शेष में शामिल है, अनुदान-वेतन, सब्सिडी, वृहत कार्य, निवेश इत्यादि घटकों पर व्यय।

चार्ट 3: योजनागत व्यय का मुख्य घटकों में बंटवारा



1.7 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग 14 स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है जिनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) सी&ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत तैयार की जाती है। इन 14 स्वायत्त निकायों को 2013-14 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान, पिछले वर्ष की अव्ययित राशि सहित ₹ 4,246.75 करोड़ था, जैसा कि विस्तार से तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3 - केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय के नाम	मंत्रालय/विभाग	2013-14 के दौरान जारी की गई अनुदान की राशि
1.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	530.00
2.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	91.07
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	13.50
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	3,126.97
5.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	15.48
6.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	26.47
7.	राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	46.83
8.	स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	166.53
9.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	16.76
10.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.	21.31
11.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	38.32
12.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	85.00
13.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	14.74
14.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	53.77
कुल			4,246.75

स्रोत: स्वायत्त निकायों के 2013-14 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इसके अतिरिक्त, सी.&ए.जी.के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत 68 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक/अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी की जाती है। 64¹⁰ स्वायत्त निकायों को 2013-14 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 4,163.27 करोड़ था, जिसका विवरण **परिशिष्ट III** में दिया गया है।

1.7.1 लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधित समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (पाँचवीं लोकसभा) 1975-76 में सिफारिशें दी कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक

¹⁰ चार स्वायत्त निकायों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

स्वायत्त निकाय को अपने लेखों को तीन महीने की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए और उनको लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए और प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा किए गए लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

वर्ष 2013-14 के लिए लेखों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

तालिका 4: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा की प्रस्तुति की स्थिति

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय के नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा के लिए लेखों की प्रस्तुति की तिथि	लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
1.	विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	07.08.2014	1
2.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	11.06.2014	-
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	29.12.2014	5
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	09.07.2014	-
5.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	26.06.2014	-
6.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	12.08.2014	1
7.	राष्ट्रीय जैवविवधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	17.06.2014	-
8.	स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	14.08.2014	1
9.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.	04.08.2014	1
10.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	एम.ओ.ई.एफ.	30.06.2014	-
11.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	22.07.2014	0.5
12.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	10.07.2014	-
13.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	07.08.2014	1
14.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	01.07.2014	-

तालिका 4 से देखा जा सकता है कि सात स्वायत्त निकायों ने लगभग 15 दिनों से पाँच महीनों के विलम्ब के बाद अपने लेखों को प्रस्तुत किया।

1.7.2 लेखों में महत्वपूर्ण कमियाँ

वर्ष 2013-14 के लिए लेखों पर एस.ए.आर. में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे दिए गए हैं।

1.7.2.1 ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों के प्रावधान

- बेतवा नदी बोर्ड, झांसी ने सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, आदि के लिए प्रावधान बीमांकिक आधार पर शामिल नहीं किया था जो लेखांकन नीतियों का उल्लंघन था ।
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के सेवानिवृत्ति लाभों के गैर प्रावधान के बारे में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 7 आई.सी.ए.आई.¹¹ द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों 12 और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों की एकसमान प्रारूप का उल्लंघन था ।

1.7.2.2 अचल संपत्तियों पर उपलब्ध कराई मूल्यहास

- ₹ 133.65 करोड़ के अंश-भुगतान/अग्रिमों की अंतिम व्यय के रूप में गलत बुकिंग की वजह से राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा (सी.एस.आई.आर.) ने अनुसंधान पोत, जो 31 मार्च 2013 को उनके कब्जे में नहीं था, पर ₹ 34.75 करोड़ का अवमूल्यन प्रभारित किया । नतीजतन, पूँजी निधि और अचल संपत्ति प्रत्येक ₹ 34.75 करोड़ से अल्पकथित थे।

1.7.2.3 अन्य टिप्पणियाँ

- विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली ने उचित प्राधिकरण प्राप्त किए बिना पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 'अनुदान-साधारण' के तहत प्राप्त ₹ 207.66 करोड़ का अनुदान परिवर्तित कर दिया।
- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली ने अपने निवेश यानी इक्विटी / उद्यम पूँजी कोष का मूल्य उचित बाजार मूल्य पर रिपोर्ट नहीं किया।

¹¹ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान।

- सी.एस.आई.आर. मुख्यालय और उसके नमूने में लिए गए प्रयोगशालाओं के बैंकरों से प्राप्त तीसरे पक्ष पुष्टि ने उनके वार्षिक खातों में 'मार्जिन मनी के खिलाफ टीडीआर' के आंकड़े और उनके बैंकरों द्वारा दी सूचना में ₹ 103.53 करोड़ का अंतर दर्शाया। इसलिए, परिस्थितियों और तथ्यों के तहत, लेखापरीक्षा यह आश्वस्त करने में असमर्थ था की चालू आस्तियों, ऋण और अग्रिम के तहत क्रेडिट-पत्र हेतु मार्जिन मनी के लिए जमा के रूप में उनके द्वारा दिखाए गए ₹ 134.93 करोड़ की राशि सही ढंग से सूचित की गई थी और उनके द्वारा लेखों की दूसरे शीर्षों में किए गए तदनुरूपी समायोजन भी सही थे।
- सी.एस.आई.आर. मुख्यालय और उसके नमूने में लिए गए प्रयोगशालाओं ने अव्ययित अनुदान और अनुदान पर अर्जित/ उपार्जित ब्याज उनकी 'आय' के रूप में दिखाया और इसके परिणामस्वरूप उनकी आय ₹ 45.71 करोड़ से अधिकथित और 'सरकार को वापस कर दी अव्ययित अनुदान' की चालू देनदारियां ₹ 45.71 करोड़ से अल्पकथित थी।
- सी.एस.आई.आर. और इसकी प्रयोगशालाओं द्वारा बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं से किए गए ₹ 52.85 करोड़ के भुगतान को अपने अंतिम व्यय के रूप में बुक किया गया था। इसके अलावा, बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की धनराशि के सावधि जमा¹² पर उनके द्वारा अर्जित किए गए ₹ 13.10 करोड़ के ब्याज को लेखों में नहीं में नहीं लिया गया। इस प्रकार, सी.एस.आई.आर. की नमूने में लिए गए प्रयोगशालाओं ने बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए जमा धन के चालू देनदारियों के साथ ही चालू परिसंपत्तियों (अग्रिम) प्रत्येक को ₹ 65.95 करोड़ से अल्पकथित किया।
- इस तथ्य को जानने के बावजूद की दोषी उद्योगों से ब्याज की बकाया राशि का उगाही के बारे में अनिश्चितता थी, सी.एस.आई.आर. ने लगातार चूक करने वाले उद्योग, जिनके खिलाफ मामले अदालतों/पंचाट के पास लंबित थे, से उपार्जित ब्याज को मान्यता दी। इसके अलावा, सी.एस.आई.आर. (मुख्यालय) के वित्तीय विवरण में एन.एम.आई.टी.एल.आई.¹³ के अंतर्गत देय पर प्राप्त नहीं ब्याज में एन.एम.आई.टी.एल.आई. का आंकड़ा गलत था। परिणामस्वरूप, चालू सम्पत्ति (उद्योग को दिए गए कर्ज पर उपार्जित ब्याज) के साथ साथ चालू देनदारियां (एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत देय पर प्राप्त नहीं ब्याज) प्रत्येक को ₹ 5.71 करोड़ से अधिक बताया गया था।

¹² क्रेडिट-पत्र के लिए मार्जिन मनी के रूप में जमा भी शामिल है।

¹³ नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात।

- भविष्य निधि के भुगतान के लिए एफ.डी.आर./बचत खातों में स्थिति ₹ 24.90 करोड़ की धनराशि को बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वार्षिक खातों में नहीं दिखाया गया था।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने ₹ 34.38 लाख और ₹ 24.33 लाख की राशि क्रमशः 'एवेन्यू वृक्षारोपण' और 'पेड़', जो दोनों परिसर के बाहर स्थित थे और इसलिए संस्थान के स्वामित्व में नहीं थे, अचल संपत्ति के तहत बुक किया। इसके परिणामस्वरूप तुलन पत्र में अचल संपत्ति और पूंजी निधि का ₹58.71 लाख से अधिकथन हुआ।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने बांदीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन के लिए मड्डूर, हैंडपोस्ट और थिथिमाथि में तैनात विशेष बाघ सुरक्षा बल के कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए पूंजी अनुदान से ₹ 3.21 करोड़ जारी किया। इस राशि को अनुसूची -11 बी 'ऋण अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियों' में बांदीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन को अनुदान के रूप में दिखाने के बजाय अनुसूची-22 अनुदान में व्यय के रूप में दिखाया गया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.21 करोड़ से व्यय का अधिकथन तथा परिसम्पत्तियों का अल्प-कथन हुआ।
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.जैड.ए.), नई दिल्ली के खातों में वर्ष के दौरान ₹ 26.47 करोड़ की राशि अनुसूची-13 अनुदान/सब्सिडी में प्राप्त दिखाई गई तथा आय के रूप में आय और व्यय लेखों में ली गई। तथापि, इस राशि में पिछले सालों से संबंधित ₹ 97.12 लाख शामिल थे जो कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान चिड़ियाघरों द्वारा वापस किया गया अव्यवित अनुदान था। ₹ 97.12 लाख में से, ₹ 56.19 लाख की राशि 2013-14 के दौरान उपयोग के लिए मंत्रालय द्वारा दोबारा सत्यापित कर दी गई थी, लेकिन शेष ₹ 40.93 लाख दोबारा सत्यापित नहीं की गई और सी.जैड.ए. के पास थी। यह ₹ 97.12 लाख से आय के अधिकथन के अलावा ₹ 40.93 लाख से देनदारियों और ₹ 56.19 लाख के पूर्व अवधि आय के अल्प-कथन के रूप में हुई।
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई द्वारा जारी की गई राशि से संबंधित 687 संगठनों से ₹ 7.05 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे, हालांकि इन्हें मार्च 2014 तक प्राप्त किया जाना था। इसमें से ₹ 3.05 लाख की राशि के नौ उपयोगिता प्रमाण-पत्र 15 से अधिक वर्षों से बकाया थे, ₹ 20.77 लाख राशि के 105 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 10 से अधिक वर्षों से बकाया थे और ₹ 84.92 लाख की राशि के 139 उपयोगिता प्रमाण-पत्र पांच वर्ष से अधिक से बकाया थे।

1.8 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी है, जो इंगित करे कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था, उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया गया था और जहां अनुदान सशर्त थे, वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई। सात¹⁴ मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल ₹ 1,421.64 करोड़ के अनुदान के लिए 9,117 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) जो कि मार्च 2014 तक देय थे, प्राप्त नहीं हुए थे, जिन्हें **परिशिष्ट IV** में दर्शाया गया है। डी.एस.टी. और डी.एस.आई.आर. ने बकाया यू.सी. के बारे में सूचना नहीं दी।

सात मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, प्रतीक्षित 9,117 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 422.64 करोड़ की राशि के 7,390 प्रमाण-पत्र दो वर्ष से अधिक से लंबित थे। ₹ 289.20 करोड़ के कुल 6,194 यू.सी. पाँच सालों से अधिक से बकाया थे।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मंत्रालय/विभागवार स्थिति तालिका 5 में दी गई है।

तालिका 5 - बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	दो वर्षों से ज्यादा लंबित यू.सी.		पाँच वर्षों से ज्यादा लंबित यू.सी.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	डी.ए.ई.	242	16.47	139	5.50
2.	डी.बी.टी.	शून्य			
3.	डी.एस.टी.	उपलब्ध नहीं			
4.	डी.एस.आई.आर.	उपलब्ध नहीं			
5.	डी.ओ.एस.	199	12.17	126	8.54
6.	एम.ओ.ई.एस.	622	44.96	488	27.95
7.	एम.ओ.ई.एफ.	5,977	293.84	5,398	244.92
8.	एम.एन.आर.ई.	156	36.40	10	0.33
9.	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.	194	18.80	33	1.96
कुल		7,390	422.64	6,194	289.20

¹⁴ डी.ए.ई., डी.बी.टी., डी.ओ.एस. एम.ओ.ई.एस., एम.ओ.ई.एफ., एम.एन.आर.ई. तथा एम.ओ.डब्ल्यू.आर.।

1.9 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 84 में निर्धारित है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे और प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा भारत के सी&ए.जी. की सलाह से निर्धारित किए गए हों।

31 मार्च 2014 तक वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के दो विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम अर्थात् डी.ए.ई. के तहत परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद तथा भारी पानी बोर्ड, मुंबई थे, जो इस कार्यालय की लेखापरीक्षा के नियंत्रणाधीन थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रोफॉर्मा लेखे जिसमें ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि लेखे और तुलन पत्र शामिल है, वार्षिक रूप से बनाए जाते हैं। भारी पानी बोर्ड के वर्ष 2013-14 के प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट V** में दी गई है। परमाणु ईंधन परिसर के प्रोफॉर्मा लेखा लेखापरीक्षा हेतु एक वर्ष के विलम्ब के बाद भी प्राप्त नहीं हुए थे।

1.10 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

नौ मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत 2013-14 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल हो सकने वाली देयताओं को इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट VI** में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि 2013-14 के दौरान ₹ 13.21 लाख के 63 मामलों की राशियों को 'अन्य कारणों' के लिए अपलिखित किया गया और ₹ 4.65 करोड़ के 20 मामले वसूली की माफी के कारण अपलिखित किए गए।

1.11 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सी&ए.जी. के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में निर्गमित किए थे।

प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए प्रेषित किया जाता है और उनसे निवेदन किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे पैराग्राफों को सी.&ए.जी. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, सम्मिलित किए जाने की संभावना में, उनकी टिप्पणियाँ सम्मिलित करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को जनवरी 2015 और मई 2015 के बीच उनको व्यक्तिगत रूप से संबोधित पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था।


संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय II से VII में दर्शाए गए 12 पैराग्राफों में से तीन के उत्तर नहीं भेजे। नौ पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (ग्याहरवीं लोकसभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के उपरांत की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित अनुवर्ती कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत की जाए।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी.&ए.जी. के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. (विवरण **परिशिष्ट VII** में) की समीक्षा से पाया गया कि मार्च 2015 तक छः मंत्रालयों/विभागों से कुल 14 ए.टी.एन. पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि प्रस्तुत करने में एक से 28 महीनों की देरी को दर्शाते हैं। सात मंत्रालयों/विभागों से 33 पैरा से संबंधित पुनरीक्षित ए.टी.एन. एक से 136 महीनों से लंबित थे। (**परिशिष्ट VIII**)

चार्ट 4 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर बकाया ए.टी.एन. की संख्या



अध्याय - II

परमाणु ऊर्जा विभाग

2.1 निष्पादन से जुड़ी समूह प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन

परमाणु ऊर्जा विभाग ने मई 2009 में निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत समूह प्रोत्साहन शुरू किया। योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण डी.ए.ई. की तीन इकाईयों, जिसमें 2010-14 के दौरान ₹ 32.19 करोड़ के समूह प्रोत्साहन का भुगतान हुआ, किया गया तथा जिसमें लक्ष्यों में छूट, उपलब्धियों का अतिशयोक्ति तथा निष्पादन का अनुपयुक्त आकलन जैसे उदाहरण उजागर हुए जिसने न केवल उच्च निष्पादन हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार के उद्देश्य को नष्ट किया अपितु परिणामस्वरूप प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान भी हुआ।

2.1.1 भूमिका

राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा प्रधानमंत्री के प्रभार के अंतर्गत अगस्त 3, 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की स्थापना की गई। यह एक व्यापक बहुअनुशासनिक संस्था है, जो नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास में तथा कृषि उद्योग, दवा के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में एवं मूल अनुसंधान में व्यस्त है। डी.ए.ई. के अंतर्गत पाँच अनुसंधान केन्द्र, तीन औद्योगिक संस्थाएँ, पाँच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा तीन सेवा संस्थाएँ आती हैं। यह आठ स्वायत्त संस्थानों को सहयोग देता है जो बुनियादी विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान तथा शिक्षा के अनुसंधान में लगे हुए हैं।

निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (एस.सी.पी.सी.) ने सरकारी कर्मचारियों हेतु निष्पादन आधारित वित्तीय लाभ, नियमित वेतन के ऊपर प्रस्तावित किया जिसे निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रिस) के रूप में जाना जाता है। प्रिस विचाराधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों के निष्पादन को ध्यान में रखकर देय था तथा निष्पादन के अंतर के अनुसार अलग-अलग ईनाम के सिद्धांत पर आधारित था। सरकार द्वारा

एस.सी.पी.सी. अनुशंसा की स्वीकृति के पश्चात् प्रधानमंत्री कार्यालय तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुमोदन से, डी.ए.ई. ने (मई 2009) डी.ए.ई. तथा इसके सहायता प्राप्त संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रिस के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया। प्रिस के अंतर्गत डी.ए.ई. ने तीन तरह के प्रोत्साहन प्रस्तावित किए, जिनके नाम हैं-

- (i) **संगठनात्मक प्रोत्साहन (प्रिस-ओ.)** - संगठनात्मक प्रोत्साहन, जो ए.ई.सी. द्वारा पाँच वर्षों में एक बार तय मिशन लक्ष्यों तथा सम्पूर्ण निष्पादन के पुनरीक्षण के आधार पर सितम्बर 2008 से मासिक आधार पर डी.ए.ई. के सभी कर्मिको को पुरस्कृत किया जाता था।
- (ii) **समूह प्रोत्साहन (प्रिस-जी.)** - वार्षिक आधार पर विशेष समूहों को वेतन तथा ग्रेड वेतन का 10 प्रतिशत समूह प्रोत्साहन दिया जाना था जो विशेष वर्ष में उनके द्वारा उच्च कोटि अनुसंधान तथा विकास क्षेत्रों/नवीन तकनीकों/कार्यक्रम लक्ष्यों के तय लक्ष्यों की उपलब्धियों की प्राप्ति पर आधारित था। लक्ष्य की उपलब्धि का 75 प्रतिशत से कम न होना ही प्रोत्साहन की अर्हता होगी, जिनका निम्नलिखित अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाना था:
 - लक्ष्य की उपलब्धि का 75 प्रतिशत से कम न होना: प्रोत्साहन का 60 प्रतिशत (वेतन तथा ग्रेड वेतन का छह प्रतिशत);
 - 85 प्रतिशत तथा उससे अधिक की उपलब्धि: प्रोत्साहन का 80 प्रतिशत (वेतन तथा ग्रेड वेतन का आठ प्रतिशत); और
 - 95 प्रतिशत या उससे अधिक उपलब्धि: 100 प्रतिशत समूह प्रोत्साहन (वेतन तथा ग्रेड वेतन का 10 प्रतिशत)।
- (iii) **व्यक्तिगत प्रोत्साहन (प्रिस-आई.)** - व्यक्तिगत सराहनीय निष्पादन के अभिज्ञान में पदोन्नति के समय पर योग्य वैज्ञानिक व तकनीकी कर्मियों को परिवर्तनीय अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में जनवरी 2009 से प्रोत्साहन का अनुदान।

2.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डी.ए.ई. की तीन इकाइयाँ उदाहरणतया खरीद तथा भंडार निदेशालय (डी.पी.एस.)¹⁵, भारी जल बोर्ड (एच.डब्ल्यू.बी.)¹⁶ तथा निर्माण एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय

¹⁵ खरीद तथा भंडार निदेशालय, मुम्बई एक केन्द्रीयकृत एजेंसी है जो डी.ए.ई. की विभिन्न इकाइयों की सामग्री प्रबंधन कार्य हेतु जिम्मेदार है।

¹⁶ भारी जल बोर्ड, मुम्बई डी.ए.ई. की संघटक इकाई है जो भारी जल के उत्पादन में व्यस्त है।

(डी.सी.एस.ई.एम.)¹⁷ को समूह प्रोत्साहन (प्रिस-जी.) कार्यान्वयन के पुनरीक्षण के लिए चुना गया। तालिका 6 में दिए अनुसार तीन संस्थानों के कर्मचारियों को प्रिस-जी. के भुगतान में डी.ए.ई. ने ₹32.19 करोड़ का व्यय किया।

तालिका 6 : प्रिस-जी. के भुगतान में डी.पी.एस., एच.डब्ल्यू.बी. तथा डी.सी.एस.ई.एम. द्वारा किया गया खर्च

इकाई का नाम	प्रिस-जी के भुगतान में किया गया खर्च (₹करोड़ में)			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
डी.पी.एस.	0.50	0.83	1.54	1.51
एच.डब्ल्यू.बी.	3.98	3.51	6.89	6.94
डी.सी.एस.ई.एम.	1.37	1.79	1.45	1.88
कुल	5.85	6.13	9.88	10.33

नमूना जाँच के आधार पर, लेखापरीक्षा ने 2010-11 तथा 2011-12 (2009-10 तथा 2010-11 के निष्पादन हेतु) के दौरान उपरोक्त तीनों संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रिस-जी. के भुगतान हेतु भिन्न मापदंडों के आंकलन का मूल्यांकन किया। डी.ए.ई. ने 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान इन्हीं मापदंडों के आधार पर आंकलन किया।

विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1.2.1 वर्ष के अंत में निष्पादन मूल्यांकन हेतु लक्ष्यों को तय करना

डी.ए.ई द्वारा जारी आदेश (मई 2009) के अनुसार प्रिस के कार्यान्वयन हेतु, प्रत्येक समूह को एक विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन से वर्ष के शुरुआत में लक्ष्य सौंपे जाने थे। डी.ए.ई. ने छः महीने के उपरांत लक्ष्यों को चिन्हित करने व पक्का करने तथा उपलब्धियों/निष्पादन के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन (नवम्बर 2009) किया। तत्पश्चात, डी.पी.एस., एच.डब्ल्यू.बी. तथा डी.सी.एस.ई.एम. ने चिन्हित पैरामीटर/लक्ष्यों समूह प्रोत्साहन देने के लिए सभी को आबंटित किए जाने वाले पाइंट हेतु उनके प्रस्तावों को समिति के विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। विशेषज्ञ समिति ने केवल मार्च 2010 में इन इकाईयों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया, जो वर्ष के अंत में था। वर्ष के अंत में लक्ष्यों को तय करने तथा उन लक्ष्यों के निष्पादन के मूल्यांकन ने प्रिस के उद्देश्य को नष्ट कर दिया, क्योंकि प्रभावी रूप से ये पूर्वप्रभावी हो गया।

¹⁷ निर्माण, सेवा तथा संपदा प्रबंधन निदेशालय, मुम्बई डी.ए.ई. के अंतर्गत संघटक इकाई है जो डी.ए.ई. की विभिन्न प्रतिष्ठानों हेतु निर्माण कार्य, सेवा तथा संपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

2.1.2.2 डी.पी.एस. मे प्रिस-जी. देने में अनियमितताएँ

डी.पी.एस., डी.ए.ई. की एक केन्द्रीकृत एजेंसी है, जो डी.ए.ई. की विभिन्न इकाईयों के सामग्री प्रबंधन कार्य हेतु जिम्मेदार है। डी.पी.एस. का मुख्यालय मुंबई है तथा क्षेत्रीय खरीदी इकाईयाँ चेन्नई, हैदराबाद तथा इंदौर हैं। डी.पी.एस. को निविदा, करार तथा अन्य संबद्ध खरीदी कार्य सौंपा गया है। डी.पी.एस. के पास भंडार प्रबंधन कार्य भी हैं जैसे, सामग्री की प्राप्ति, लेखा, उपयोगकर्ताओं को जारी करना, भंडारण एवं भंडार सत्यापन, इत्यादि तथा वस्तुओं का निपटान जो अतिरिक्त, अप्रचलित या बेकार हो चुका है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, डी.पी.एस. को प्रिस-जी. के अनुदान के उद्देश्य हेतु एक पृथक समूह माना गया था। 2009-10 में डी.पी.एस. के निष्पादन आंकलन पर आधारित 60 प्रतिशत का प्रिस-जी. डी.पी.एस. के सभी कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान, प्रिस-जी. हेतु डी.पी.एस. में 14 समूह बनाए गए। समूहों को 77.58 से 100 प्रतिशत तक अंक दिए गए, जो 60 से 100 प्रतिशत प्रोत्साहन के भुगतान में बदल गया। लेखापरीक्षा में लक्ष्यों को तय करने, उपलब्धियों के मूल्यांकन तथा प्रिस-जी. अनुदान में निम्नलिखित अनियमितताएँ देखी:

(i) लक्ष्य की अवधि के पूरा होने के पश्चात लक्ष्यों में छूट

डी.पी.एस. ने उत्पादकता पैरामीटर नाम, 'जारी खरीदी आदेश की कुल कीमत' के अंतर्गत तय लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। प्रिस के अंतिम मूल्यांकन में, डी.पी.एस. ने कुल पैरामीटर से इस पैरामीटर को यह कहते हुए हटा दिया कि उत्पादकता पैरामीटर को, उत्पादकता पैरामीटर से संबंधित कार्यभार को परिकल्पित करते हुए परिभाषित किए गए थे। इस प्रकार, डी.पी.एस. ने कुल स्कोर को 100 से 90 तक घटाते हुए उपलब्धियों को 72 प्रतिशत से 80¹⁸ प्रतिशत तक बढ़ाया, परिणामस्वरूप डी.पी.एस. के वे स्टाफ सदस्य जो पात्र नहीं थे, वे भी प्रिस-जी. के भुगतान हेतु योग्य हो गए।

डी.पी.एस. ने कहा (जून 2013) कि ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, श्रमशक्ति में कोई बदलाव के बिना कार्य की मात्रा कई गुना बढ़ गई। अचानक कार्यभार में वृद्धि होने से डी.पी.एस. को परिभाषित लक्ष्य को फिर से तय करना पड़ा।

उत्तर स्वाकार्य नहीं था क्योंकि लक्ष्यों को वर्ष के अंत में तय किया गया था जब डी.पी.एस. को कार्यभार में बदलाव का पता होना था।

¹⁸ $72/90 \times 100 = 80$ प्रतिशत

(ii) निष्पादन मूल्यांकन हेतु गलत आंकड़ों पर विचार किया गया

2009-10 के दौरान, डी.पी.एस. ने कुल 14,914 खरीदी मामलों को संसाधित किया, लेकिन समूह के निष्पादन मूल्यांकन हेतु, इसने केवल 4,150 मामलों के आंकड़े को ही लिया, जो गलत था। आगे, तीन जोनल स्टोर, नाम मोड लैब जोनल स्टोर, आर.ई. जोनल स्टोर तथा रिसिप्ट जोनल स्टोर के जाँच में यह उजागर हुआ कि 2010-11 के दौरान, खरीदी के 40 मामले, जिन्होंने पूर्ति हेतु उच्च पूर्वकाल लिया, इन समूहों की उपलब्धि रिपोर्ट तैयार करने दौरान नहीं लिया गया था, जो अनियमित था। इन 40 मामलों में लिया गया पूर्वकाल 40 से 1,918 दिनों के बीच था। ऐसे मामलों का विवरण **परिशिष्ट-IX** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 2010-11 के दौरान, डी.पी.एस. का लेखा समूह (समूह XIV) ने 67,621 दिनों में 27,537 चेक जारी होने पर विचार करके, भुगतान प्रक्रिया हेतु 2.45 दिनों की उपलब्धि को चिन्हित किया। तथापि, लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि समूह ने वास्तव में केवल 7,329 चेक जारी किए। इस प्रकार 2.45 दिनों की प्रतिवेदित उपलब्धि गलत थी। निष्पादन/उपलब्धि करने हेतु लिया गया आंकड़ा गलत था, अतः उसके लिए पुरस्कृत 10 अंक अनियमित थे। इस प्रकार, समूह 100 अंको के कुल स्कोर के मुकाबले 100 प्रतिशत प्रोत्साहन प्राप्त करने के योग्य हो गया, अन्यथा यह वास्तव में कमाए गए 90 अंक पर आधारित केवल 80 प्रतिशत प्राप्त करने के योग्य था।

डी.पी.एस. ने कहा (जून 2013) कि वर्ष के दौरान प्राप्त इंडेंटों के आधार पर उपलब्धि की गणना की गई तथा वित्तीय वर्ष के दौरान सभी इंडेंटों का परिणाम उसी वित्तीय वर्ष में टेंडर जारी होने के रूप में नहीं होता। अतः 4,150 मामलों के औसत को बाकी इंडेंटों में विस्तृत किया गया। डी.पी.एस. ने आगे कहा कि उच्च पूर्वकाल असाधारण मामले थे तथा विभिन्न कारणों से पेडिंग थे व स्टोर इकाईयों का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। अतः इन मामलों को गणना में नहीं लिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निष्पादन वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तय किए जाने चाहिए न कि काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर।

(iii) प्रिस के दावा हेतु उपलब्धियों को बढ़ा कर बताना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.पी.एस. ने 2010-11 के दौरान प्रिस के लाभ का दावा करने के लिए उपलब्धियों को बढ़ाकर बताया, जैसा कि तालिका 7 में दर्शाया गया है।

तालिका 7 : 2010-11 के दौरान बढ़ाई गई उपलब्धियों का विवरण

क्र.सं.	पैरामीटर	समूह	लक्ष्य		अंतिम आकलन में दर्शाया गया आकलन	परस्कृत अंक	रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविक उपलब्धि
			टेंडर का प्रकार	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या		दिनों की संख्या
क्रय समूह							
1.	इंडेंट प्राप्ति के पश्चात पूछताछ जारी करने हेतु लिया गया समय	I	एल.टी*	17.65	17.53	7	17.81
			पी.टी.**	25.50	24.18	7	25.98
			टी.पी.टी.***	33.93	30.88	7	47.24
		II	एल.टी.	27.39	25.00	10	25.13
			पी.टी.	34.40	28.36	10	37.69
			टी.पी.टी.	25.95	24.98	10	36.25
		III	पी.टी.	31.75	28.20	10	31.42
			टी.पी.टी.	34.27	33.06	10	49.12
2.	निविदा खुलने की तिथि के बाद नोट/तुलनात्मक बयान तैयार करने हेतु तथा इंडेंटिंग अधिकारी को फाइल अग्रेषित करने हेतु लिया गया समय	I	एल.टी	8.70	6.71	8	6.92
			पी.टी.	15.75	9.37	8	11.37
			टी.पी.टी.	15.39	10.62	8	57.38
		II	एल.टी.	15.67	11.68	10	13.65
			पी.टी.	16.29	10.34	10	10.76
भंडार समूह							
3.	क्रय आदेश के मुकाबले पावती को नियमित करने में समय अंतराल (दिनों में)	VII	20.76	20.11	10	28.01	
			VIII	17.89	11.07	10	17.49
			IX	17.26	17.16	10	18.40
			X	16.50	15.65	10	18.07
4.	स्थानीय क्रय प्रणाली (एल.पी.एस.) आदेशों के मुकाबले पावती को नियमित करने में समय अंतराल (दिनों में)	VII	16.21	16.20	10	24.09	
			VIII	14.67	9.62	10	14.33
			IX	13.42	11.01	10	13.80
			X	11.27	8.56	10	12.14

क्र.सं.	पैरामीटर	समूह	लक्ष्य		अंतिम आकलन में दर्शाया गया आकलन	परस्कृत अंक	रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविक उपलब्धि
			टेंडर का प्रकार	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या		दिनों की संख्या
5.	एल.पी.एस. के मुकाबले चिकित्सा संबंधी मर्दों तथा दवा प्राप्ति को नियमित करने में लगा समय	VII	18.68		17.71	10	19.41
6.	क्रय आदेश के संबंध में प्राप्ति रसीद के लेखा निराकरण तथा सामग्री प्राप्ति के बीच का समय	X	26.46		26.34	10	27.74

* सीमित निविदा ** लोक निविदा *** दो भाग निविदा

डी.ए.ई. प्रक्रिया के अनुसार, निरीक्षण तथा स्वीकृति हेतु वस्तुओं को पहले केन्द्रीय भंडार में प्राप्त किया गया तथा बाद में जोनल भंडार को जाँच तथा स्वीकार हेतु भेजा गया। जोनल भंडार द्वारा मंजूर पावती वाउचर अंतिम निराकरण हेतु केन्द्रीय भंडार को लौटा दिए गए तथा भुगतान करने हेतु लेखा विभाग को अग्रेषित किए गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि उपलब्धि आंकलन तथा लक्ष्य तय करने हेतु 'प्राप्त सामग्री को नियमित करने का समय अंतर' जोनल भंडार में वस्तुओं की प्राप्ति की तिथि से लिया गया। परिणामस्वरूप, केन्द्रीय स्टोर से जोनल स्टोर को भेजने के बीच के लीड समय को उपलब्धि आंकलन में नहीं गिना गया। उपरोक्त क्रिया से प्रिस-जी. हेतु योग्यता आकलन के उद्देश्य के लिए उपलब्धि को बढ़ावा मिला, जो अनियमित था।

इस प्रकार, डी.पी.एस. ने वास्तविक समय की तुलना में कम प्रक्रिया समय को रिकॉर्ड करके उच्च उपलब्धि को प्रतिवेदित किया। 2010-11 के दौरान विभिन्न समूहों द्वारा उपलब्धि को बढ़ाने से प्रिस-जी. के लाभ हेतु समूह को योग्य बनाया, जो अन्यथा लाभ प्राप्त करने में अयोग्य थे, जैसा कि तालिका 8 में दिखाया गया है।

तालिका 8 : कुल देय प्रोत्साहन पर उपलब्धियाँ बढ़ाने के बाद पुरस्कृत अंको का प्रभाव

समूह	कुल पुरस्कृत अंक	स्वीकृत प्रोत्साहन प्रतिशत	देरी से हुई परियोजनाओं हेतु दिए गए अंको को कुल अंको से घटाना	कुल प्राप्त अंक	देय प्रोत्साहन प्रतिशत
I	88.94	80	29	59.94	शून्य
II	88	80	30	58	शून्य
III	77.58	60	10	67.58	शून्य
VII	80	60	30	50	शून्य
VIII	100	100	0	100	100
IX	100	100	20	80	60
X	100	100	30	70	शून्य

डी.पी.एस. ने कहा (जून 2013) कि जब बड़ी संख्या में फाइलों को संभाला व कार्रवाई की जाती है, प्रत्येक फाइल की कार्रवाई तथा डाटा का भौतिक सत्यापन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, जो डाटा में कुछ गलती की ओर ले जाता है। स्टोर गतिविधियों के संबंध में डी.पी.एस. ने कहा कि केन्द्रीय स्टोर द्वारा सामग्री प्राप्ति तथा उसे जोनल स्टोर तक परिवहन तथा वापसी की अवधि को गणना में नहीं लिया जाता क्योंकि जोनल स्टोर का इन दो कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं था।

उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है कि विशेषज्ञ समिति को गलत डाटा उपलब्ध कराए गए।

(iv) स्थापित मानदंडों से नीचे लक्ष्य तय करना

सामान्य वित्तीय नियमों¹⁹ के अंतर्गत शर्त है कि सभी मदों का कम से कम वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन होना चाहिए तथा विसंगतियाँ जैसे कमी, अधिशेष, धीमी गति, अप्रचलित, असेवायोग्य मद को सक्षम प्राधिकारी को उचित कार्यवाही जैसे अधिशेष, अप्रचलित तथा असेवायोग्य स्टोर का निपटान, इत्यादि हेतु ध्यान में लाया जाना चाहिए। तथापि, 2010-11 के दौरान, डी.पी.एस. ने भंडार के भौतिक सत्यापन हेतु विभिन्न समूहों के लिए मदों की संख्या के आंतरिक सत्यापन (कुल

¹⁹ नियम 192(1) तथा (2)

वस्तुसूची/इन्वेंट्री के प्रतिशत के रूप में) को 10.86 प्रतिशत और 68.10 प्रतिशत के बीच कुशलता पैरामीटर तय किया। यह अनियमित था क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार स्टोर का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाना अपेक्षित है। स्थापित मानदंडों के नीचे लक्ष्यों को तय करना सरकार नियमों की छूट के समान है।

डी.पी.एस. ने कहा (जून 2013) कि डी.पी.एस. भंडार, विभागीय भंडार प्रक्रिया द्वारा शासित है तथा विभागीय भंडार प्रक्रिया के अनुसार लक्ष्य तय किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डी.पी.एस. द्वारा सरकारी नियमों का पालन करना अपेक्षित था तथा तय लक्ष्य सरकारी नियमों के प्रावधान के विरुद्धाभासी थे।

2.1.2.3 एच.डब्ल्यू.बी. में प्रिस-जी. के पुरस्कार में अनियमितताएँ

एच.डब्ल्यू.बी., डी.ए.ई. के अंतर्गत औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्र की निहित इकाई है जो भारी जल उत्पादन के लिए जिम्मेवार है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा तथा अनुसंधान रिएक्टरों में मंदक तथा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एच.डब्ल्यू.बी. ने सात स्थानों पर उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं जैसे हजीरा, थाल, तालचेर, कोटा, बड़ौदा, मनुगुरु और तूतीकोरिन। तालचेर स्थित भारी जल संयंत्र (एच.डब्ल्यू.पी.) डी.ए.ई. की जरूरतों को पूरा करने हेतु विभिन्न ऑर्गन-फास्फोरस विलयन का उत्पादन करता है।

2009-10 के दौरान, सम्पूर्ण एच.डब्ल्यू.बी. को प्रिस-जी. अनुदान के उद्देश्य हेतु एक अकेली इकाई माना गया था। निष्पादन के आकलन के आधार पर, प्रिस-जी. के रूप में सभी कर्मियों को 100 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वीकृत किया गया। विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के आधार पर 2010-11 के दौरान प्रिस-जी. के उद्देश्य हेतु एच.डब्ल्यू.बी. में छः समूह बनाए गए। समूहों को 87.94 तथा 98.86 प्रतिशत के बीच के अंक पुरस्कृत किए गए, जो देय प्रोत्साहन 80 से 100 प्रतिशत के समतुल्य थे। लेखापरीक्षा में लक्ष्य तय करने, उपलब्धियों के आकलन तथा प्रिस-जी. के अनुदान में निम्नलिखित अनियमितताओं का अवलोकन किया गया।

(i) अप्रासंगिक पैरामीटर पर तय लक्ष्य

(क) 2009-10 के दौरान, प्रिस के अंतर्गत निष्पादन हेतु एच.डब्ल्यू.बी. द्वारा तय एक पैरामीटर मनुगुरु, कोटा, हजीरा, थाल तथा बड़ौदा पर भारी जल संयंत्र (एच.डब्ल्यू.पी.) द्वारा भारी जल उत्पादन पर था। इसी प्रकार, 2010-11 के दौरान, एच.डब्ल्यू.पी., थाल तथा हाजिरा को सुरक्षा निष्पादन, विशिष्ट ऊर्जा खपत तथा भारी जल उत्पादन हेतु लक्ष्य सौंपे गए।

लेखापरीक्षा में नोटिस किया गया कि थाल तथा हजीरा के एच.डब्ल्यू.पी. संबंधित उर्वरक कंपनियों के प्रबंधन तथा संचालन कर्मचारी द्वारा संचालित किया जा रहा था न कि एच.डब्ल्यू.बी. के स्टाफ द्वारा। इसीलिए, इन संयंत्रों पर भारी जल के उत्पादन को एच.डब्ल्यू.बी./एच.डब्ल्यू.पी. के कर्मचारियों की एक उपलब्धि के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए था।

एच.डब्ल्यू.बी. ने कहा (जून 2013) कि यद्यपि एच.डब्ल्यू.पी., थाल व हजीरा को संबंधित उर्वरक कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है, परंतु प्रबंधन व उत्पादन नियंत्रण एच.डब्ल्यू.बी. के पास है तथा इन संयंत्रों पर पदस्थापित अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लक्ष्य, कार्य की प्रकृति के अनुसार तय किए जाने थे अर्थात् प्रबंधन नियंत्रण जबकि लक्ष्य, सामग्री के उत्पादन पर तय किए गए।

(ख) प्रिस के कार्यान्वयन पर डी.ए.ई. के आदेशानुसार, दिए गए अवधि हेतु तय लक्ष्य के मुकाबले समूह के निष्पादन के आकलन के बाद समूह प्रोत्साहन दिए जाने थे। कार्य की प्रकृति तथा जिम्मेदारियों हेतु निश्चित रैंक/पद हेतु समूह प्रोत्साहन एक स्वचालित देय वेतन नहीं था।

लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि 2010-11 के दौरान एच.डब्ल्यू.बी. को अपने अंतर्गत कार्यरत एच.डब्ल्यू.पी. के निष्पादन के आधार पर 18.943 अंक पुरस्कृत किए गए। चूँकि एच.डब्ल्यू.बी. के कार्य एच.डब्ल्यू.पी. से भिन्न थे, इसीलिए एच.डब्ल्यू.बी. का निष्पादन एच.डब्ल्यू.पी. के निष्पादन के समान पैरामीटर पर मापना गलत था।

एच.डब्ल्यू.पी. ने स्थिति को यह कहते हुए (फरवरी 2013) न्यायसंगत ठहराया किया कि एच.डब्ल्यू.बी. ने एच.डब्ल्यू.पी. को सम्पूर्ण तकनीकी दिशानिर्देश, संयंत्र संचालन को समर्थन तथा संयंत्र का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण प्रदान किया, इस प्रकार एच.डब्ल्यू.बी. हेतु 10 प्रतिशत योगदान के आधार पर विचार किया गया।

एच.डब्ल्यू.बी. का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियंत्रक कार्यालय होने के कारण, बोर्ड के कर्तव्यों के अनुसार ही पैरामीटर तय होने चाहिए थे, न कि इसके अंतर्गत कार्य कर रहे संयंत्रों के आधार पर। अन्य इकाईयों द्वारा कि जाने वाली गतिविधियों के आधार पर लक्ष्य तय करना अवास्तविक था।

(ii) विलम्बित परियोजनाओं हेतु पुरस्कृत अंक

2009-10 हेतु एच.डब्ल्यू.बी. की आकलन रिपोर्ट की समीक्षा से उजागर हुआ कि एच.डब्ल्यू.बी. को पाँच परियोजनाओं के अंतर्गत 24 अंको से पुरस्कृत किया गया जो छः माह से तीन वर्ष से भी ज्यादा विलम्बित थे। इसी प्रकार 2010-11 के दौरान, एच.डब्ल्यू.बी. को आठ माह से चार वर्ष से अधिक की अवधि से देरी से चल रही परियोजनाओं के संबंध में 73 अंक दिए गए। विलम्बित परियोजनाओं हेतु अंको के अनियमित पुरस्कार ने कुछ समूहों को प्रिस-जी. के उच्च दर हेतु योग्य बना दिया, जो अन्यथा भुगतान के योग्य नहीं थे जैसा कि तालिका 9 में दिया गया है:

तालिका 9 : कुल देय प्रोत्साहन पर विलम्बित परियोजनाओं के लिए दिए गए अंको का प्रभाव

वर्ष	समूह	कुल पुरस्कृत अंक	स्वीकृत प्रोत्साहन प्रतिशत	विलम्बित परियोजनाओं पर पुरस्कृत अंक जो कुल अंक से घटाए जाने हैं	प्राप्त होने वाले निवल अंक	देय प्रोत्साहन प्रतिशत
2009-10	एच.डब्ल्यू.बी., मुम्बई	97.00	100	24	73.00	शून्य
2010-11	एच.डब्ल्यू.पी., बड़ौदा	92.92	80	34	58.92	शून्य
	एच.डब्ल्यू.पी., तालचेर	93.62	80	17	76.62	60
	एच.डब्ल्यू.पी., मुम्बई	87.94	80	16	71.94	शून्य

परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट X** में दिया गया है।

एच.डब्ल्यू.बी ने कहा (जून 2013) कि उपरोक्त सभी परियोजनाएं/संयंत्र प्रकृति में अनन्य हैं तथा देश में अपने प्रकार के पहले हैं। बाधाओं के आकलन तथा उपचारात्मक उपाय चिह्नित करने के लिए इन परियोजनाओं/संयंत्रों की प्रगति को विभिन्न चरणों पर लगातार निगरानी तथा समीक्षा की गई। इस समीक्षा के आधार पर, उपयुक्त अनुसूची तैयार की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समूह दिए गए समय सीमा के अंदर इन परियोजनाओं को पूरा करने में असफल रहे।

2.1.2.4 डी.सी.एस.ई.एम. में प्रिस-जी. देने में अनियमितताएं

डी.सी.एस.ई.एम., डी.ए.ई. की इकाईयों हेतु आवासों, हॉस्टलों, विद्यालयों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं तथा विभिन्न लोक भवनों हेतु सिविल, लोक स्वास्थ्य, विद्युतीय, यांत्रिक, वातानुकूलन तथा वायुसंचरण कार्यों की योजना, डिजाइनिंग, अभियांत्रिकी, क्रियान्वयन, परीक्षण तथा प्रवर्तन हेतु जिम्मेदार है। डी.सी.एस.ई.एम, मुम्बई में डी.ए.ई. के विभिन्न सेवाओं के संचालन तथा रखरखाव, संपदा प्रबंधन तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु भी जिम्मेदार है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, डी.सी.एस.ई.एम. को प्रिस-जी. के लिए दो समूहों में बाँटा गया था। निष्पादन के आंकलन के आधार पर, निर्माण एवं संपदा प्रबंधन समूह को क्रमशः 91.50 अंक तथा 92.30 अंक दिए गए तथा दोनों समूहों को 80 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान, प्रिस के अंतर्गत निष्पादन आकलन के लिए चार समूह बनाए गए। समूहों को 95.25 और 96.75 प्रतिशत के बीच अंक दिए गए, जिसके लिए 100 प्रतिशत प्रोत्साहन देय हुआ। लेखापरीक्षा में लक्ष्य तय करने में, उपलब्धियों के आकलन तथा प्रिस-जी देने में आगे वर्णित अनियमितताएँ पाई गईं

- (i) वर्ष 2009-10 के दौरान, निर्माण समूह ने प्रिस-जी के अंतर्गत लक्ष्य तय करने के लिए 13 परियोजनाएं/कार्यों को चिन्हित किया। इन 13 परियोजनाओं में से, चार परियोजनाएं, जिन्हें 2009-10 के पहले/दौरान पूरा करना था, समय पर समाप्त नहीं की गईं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-10 के लिए लक्ष्य तय करने के लिए, इन विलम्बित कार्यों का कार्यक्षेत्र घटा दिया गया तथा इसके लिए लक्ष्य प्राप्ति प्रतिवेदित कर अंक प्रदान किए गए। यह अनियमित था, क्योंकि लक्ष्य कार्य समाप्ति के अनुसूचित दिनांक के विरोधाभास में तय किया गया और विलम्बित परियोजनाओं के लिए अंक प्रदान किए गए। विवरण तालिका 10 में दिए गए हैं।

तालिका 10 : कार्यों का विवरण जिनमें लक्ष्यों में कमी की गई

क्रमांक	कार्य का नाम	पूर्ण होने की अनुसूचित तिथि	तय लक्ष्य	उपलब्धि	पुरस्कृत अंक
1.	अणुशक्ति नगर में जलीय तथा एथलीट सुविधाएँ				
	इमारत तथा मुख्य क्षेत्र का निर्माण	फरवरी 2009	90%	100%	8.0
	निस्पंदन संयंत्र			मार्च 2010 तक जारी	
	विकास कार्य			मार्च 2010 तक जारी	
विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, वाशी में विकिरण तकनीकी परियोजना हेतु एकीकृत सुविधा					
2.	सिविल कार्य	अप्रैल 2009	90%	92%	6.0
	ई. व एम. कार्य		90%	50%	
3.	अन्वेषण तथा अनुसंधान हेतु परमाणु खनिज निदेशालय				
	जयपुर (आवास इत्यादि)	मार्च 2008	100%	75%	3.5
	हैदराबाद (सभागार, अग्निशमन, इत्यादि)	नवम्बर 2007	95%	मार्च 2010 तक जारी	
4.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे				
	सिविल कार्य	अक्टूबर 2009	40%	45%	6.0
	ई. व एम. कार्य		60%	60%	
कुल					23.5

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि लक्ष्यों को कम करके 23.5 अंक पुरस्कृत किए गए और इस प्रकार उपलब्धियों बढ़ाकर दिखाया गया। परिणामस्वरूप, समूह ने 91.50 अंक हासिल किए तथा प्रोत्साहन के भुगतान हेतु अर्हता प्राप्त की, जो अन्यथा वास्तविक हासिल अंक 68 के आधार पर प्राप्ति के अयोग्य था।

(i) निष्पादन की गलत मूल्यांकन

2009-10 के दौरान, निर्माण-समूह डी.सी.एस.ई.एम. ने 26 कार्य आदेश निष्पादित किए, परंतु केवल 13 कार्य (दस विभागीय कार्य तथा तीन जमा कार्य) ही प्रिस-जी. के अंतर्गत लक्ष्य तय करने हेतु लिए गए। इसी प्रकार, अभियंत्रिकी सेवा खंड (ई.एस.डी.) ने 296 रखरखाव कार्यों को चलाया लेकिन केवल 59 कार्यों को ही लक्ष्य तय करने हेतु माना गया। आगे, यद्यपि 24 मामलों में 'रिसाव रोकने' के अंतर्गत ई.एस.डी. को लक्ष्य दिए गए, लेकिन केवल 16 मामलों में ही मूल्यांकन किया गया।

लेखापरीक्षा में यह भी अवलोकन किया गया कि वर्ष 2009-10 के दौरान डी.सी.एस.ई.एम. के लेखा अनुभाग को कोई भी लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया,

लेकिन लेखा विभाग के कार्मिकों को 100 प्रतिशत प्रोत्साहन का भुगतान किया गया, जो अनियमित था।

डी.सी.एस.ई.एम. ने कहा (फरवरी 2014) कि लेखा विभाग परियोजनाओं के प्राथमिक चरण से वित्तीय भुगतान जारी करने तक पूरी तरह शामिल था तथा उसे निर्माण समूह का भाग माना गया व प्रोत्साहन का भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निष्पादन के मूल्यांकन हेतु विभाग को कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य सौंपे नहीं गए थे।

(ii) निष्पादन का गलत मूल्यांकन

2010-11 के दौरान, चार समूहों में से प्रत्येक हेतु लक्ष्य तय किए गए तथा प्रतिवेदित उपलब्धि के आधार पर प्रत्येक समूह को 100 में से अंक दिए गए। चार समूहों में से तीन अर्थात् योजना तथा डिजाइन समूह, निष्पादन समूह तथा अभियांत्रिकी सेवा समूह के बारे में लेखापरीक्षा में अनियमितताएँ देखी गईं जैसे अविशिष्ट लक्ष्य, पहले ही पूरा हो चुके कार्य के लिए लक्ष्य तय करना, लक्ष्य प्राप्ति न करने के बावजूद अंक पुरस्कृत करना, इत्यादि। इन समूहों को पुरस्कृत अंकों का सार तालिका 11 में दिया गया है।

तालिका 11: 2010-11 में अंकों का अनियमित पुरस्कार

समूह का नाम	पुरस्कृत अंक	लेखापरीक्षा अवलोकन का सार
योजना तथा डिजाइन समूह	27.25	लक्ष्य अवधि की समाप्ति के पश्चात ही वास्तव में लक्ष्यों को प्राप्त किया गया। लक्ष्यों को वास्तव में आंशिक रूप से प्राप्त किया गया परंतु रिपोर्ट में पूर्ण उपलब्धि दिखाई गई। ऐसे कार्य हेतु लक्ष्य तय किया गया जो पिछले वर्ष ही पूर्ण हो चुका था।
निष्पादन समूह	58.25	लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए। कार्य हेतु छोटे लक्ष्य तय किए गए जो पहले ही देरी से चल रहे थे। उस गतिविधि के लिए लक्ष्य तय किए गए जो समूह से संबंधित नहीं थी।
अभियांत्रिकी सेवा खंड	66.00	लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए।

मामलों का विवरण **परिशिष्ट XI** में दिया गया है। निष्पादन के गलत आंकलन ने तीन समूहों को प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु योग्य बना दिया, जैसा कि तालिका 12 में दिखाया गया है।

तालिका 12: कुल देय प्रोत्साहन पर अनियमित पुरस्कृत अंको का प्रभाव

समूह	कुल पुरस्कृत अंक	स्वीकृत प्रोत्साहन प्रतिशत	कुल में से कम किए जाने वाले अनियमित पुरस्कृत अंक	प्राप्त होने वाले निवल अंक	देय प्रोत्साहन प्रतिशत
योजना तथा डिजाइन ग्रुप	96.75	100	27.25	69.50	शून्य
निष्पादन समूह	95.25	100	58.25	37.00	शून्य
अभियांत्रिकी सेवा खंड	95.50	100	66.00	29.50	शून्य

इस प्रकार, निष्पादन के गलत आकलन ने उपरोक्त समूहों को 100 प्रतिशत भुगतान हेतु योग्य बना दिया, जो अन्यथा इसे प्राप्त करने के योग्य नहीं थे।

2.1.3 निष्कर्ष

निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य समाज को प्रदेय सेवाओं में सुधार करना तथा सरकारी विभागों में उत्पादकता को बढ़ाना था। इसलिए, लक्ष्यों को इस तरह से सौंपे जाने की आवश्यकता थी ताकि इन सेवाओं में सुधार हेतु संभावना प्रदान किया जा सके। तथापि, समूह प्रोत्साहन के ढाँचे जिसे परमाणु ऊर्जा आयोग की तीन इकाईयों में कार्यान्वित किया गया, जिसके अंतर्गत 2010-14 के दौरान ₹ 32.19 करोड़ का भुगतान किया गया, लेखापरीक्षा में कई उदाहरण देखे गए जहाँ लक्ष्य कम करके आँके गए थे तथा उपलब्धियाँ अतिरिंजित थी। लक्ष्यों में छूट, स्थापित सरकारी मानदंडों के नीचे लक्ष्य तय करना तथा असंगत पैरामीटर हेतु लक्ष्य तय करना इत्यादि ने उच्च निष्पादन हेतु प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन के उद्देश्य को नष्ट कर दिया। लेखापरीक्षा में उपलब्धियों के आंकलन में कई अनियमितताओं का भी अवलोकन किया गया, जैसे आंकलन हेतु गलत आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, उपलब्धियों को बढ़ाकर दिखाना, बुरी तरह से देरी से चल रही परियोजनाओं हेतु अंक पुरस्कृत करना, इत्यादि जिसने न केवल विभेदक उद्देश्यों हेतु विभेदक पुरस्कारों के प्रयोजन को नष्ट कर दिया अपितु जिसका परिणाम प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान भी हुआ।

मई 2015 में मामला डी.ए.ई. को भेजा गया था, जून 2015 तक इसका उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय – III


विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 औषध एवं औषधी अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं के चयन, वित्तीय प्रबन्धन और मॉनीटरिंग में कमियों के कारण ₹ 73.68 करोड़ बकाया ऋणों और ब्याज की वसूली न होना, अन्तिम परियोजना समापन रिपोर्टों का प्राप्त न होना और परियोजनाओं से उत्पन्न परिणामों पर सूचना की कमी हुई। भारतीय औषधीय उद्योग की क्षमताएं बढ़ाने और कम लागतों पर नई औषधियां विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का उद्देश्य हासिल नहीं था।

3.1.1 प्रस्तावना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) ने औषध एवं औषधीय क्षेत्र में सहभागिता अनुसंधान तथा विकास (आर.एण्ड.डी.) प्रोत्साहित करने के लिए योजना कार्यक्रम के रूप में 1994-95 के दौरान औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम (डी.पी.आर.पी.) आरम्भ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य औषध एवं औषधीय क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नए औषध विकास के लिए अवसरचना और तंत्र में समर्थ होने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों और भारतीय औषधीय उद्योग की सामर्थ्य को शक्ति देना था। अनुसंधान का केन्द्र बिन्दु विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों के बीच प्रचालित सामान्य बीमारियों जैसे क्षय रोग, कुष्ठ रोग, काला ज्वर, मलेरिया, डायरिया, अतिसार, तनाव सम्बन्धी अवस्था, वक्ष से सम्बन्धित गड़बडियां, हैजा आदि से लड़ने के लिए तथा न्यूनतम कीमत पर औषधियां प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यतया औषधियां विकसित करना था।



औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम

जनवरी 2004 के दौरान भारत सरकार ने उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थाओं/प्रयोगशालाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित आर.एण्ड.डी. परियोजनाओं की सहायता करने के लिए तथा औषध उद्योगों द्वारा आर.एण्ड.डी. परियोजनाओं के लिए आसान ऋण प्रस्तुत करने के लिए डी.एस.टी. के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन औषध विकास प्रोत्साहन बोर्ड (डी.डी.पी.बी.) स्थापित किया।

वित्तपोषण हेतु प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की डी.एस.टी. और बाह्य विशेषज्ञों द्वारा संवीक्षा की गई थी। विशेषज्ञों की टिपणियों के साथ प्रस्तावों को विशेषज्ञ समिति के समस्त प्रस्तुत किए गए थे। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर परियोजनाएं वित्तपोषण हेतु अनुमोदित कर दी गई थी। फार्मा उद्योग को वित्तपोषण कुल परियोजना लागत के 70 प्रतिशत की सीमा तक आसान ऋण के रूप में था। संस्वीकृत ऋण अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर अधिकतम तीन किश्तों में जारी किया जाना था। तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज ऋण की बकाया राशी और औद्योगिक भागीदार की निधियां जारी करने की तारीख से देय राशी पर प्रभारित किया जाना था।

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14 तक की अवधि के दौरान डी.एस.टी. ने 73 परियोजनाएं संस्वीकृत की और 73 फर्मों को ₹ 347.34 करोड़ की कुल राशि वितरित की।

3.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में संवीक्षा हेतु उनकी लागत और समापन की अनुसूचित तारीख के आधार पर ₹ 95.27 करोड़ की ऋण राशि वाली 19 परियोजनाओं का चयन किया गया। 19 प्रतिदर्श परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं बीच में समाप्त/बन्द कर दी गई थीं। शेष 15 परियोजनाओं में लेखापरीक्षा में औद्योगिक भागीदारों के चयन, कार्यान्वयन के दौरान और समापन के बाद परियोजनाओं की मॉनीटरिंग आदि में कमियां देखी गई थी। 31 मार्च 2014 तक नौ परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋणों की मूल राशि (₹ 56.42 करोड़) और ब्याज (₹ 6.92 करोड़) ₹ 63.34 करोड़ की राशि देय थी। इसके अतिरिक्त 12 परियोजनाओं के अन्तर्गत ₹ 10.34 करोड़ का दण्डात्मक ब्याज भी देय था। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है। सभी 19 परियोजनाओं के ब्यौरे *परिशिष्ट XII* में दिए गए हैं।

3.1.2.1 परियोजनाओं से कोई मूर्त परिणाम नहीं

डी.एस.टी. ने प्रत्येक ऋण धारी की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, परियोजना के उद्देश्य, अवधि, वित्तीय प्रबन्ध, मॉनीटरिंग, प्रबन्ध आदि स्पष्ट कर सभी 19 परियोजनाओं के उद्योग भागीदारों के साथ अनुबन्ध किए। अनुबन्ध के अनुसार, परियोजना, सचिव डी.एस.टी. द्वारा परियोजनाओं की मॉनीटरिंग समिति से सिफारिश की स्वीकृति पर पूर्ण मानी जाएगी। औद्योगिक भागीदार को डी.एस.टी. को छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना और परियोजना मॉनीटरिंग समिति को अवधिक इनपुट और सूचना जैसी मांगी जाय, प्रदान करना अपेक्षित था। औद्योगिक भागीदार को परियोजना से उत्पन्न बौद्धिक सम्पदा उपयोग करने का पहला अधिकार होगा और 10 वर्षों की अवधि के लिए निवल विक्रय मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर रायल्टी भुगतान करना था। परियोजना के अन्तर्गत उत्पन्न प्रौद्योगिकी के तीसरी पार्टी को लाइसेंसिंग और उद्योग भागीदार द्वारा प्रौद्योगिकी के आगे किसी विकास की दशा में देय और भुगतान योग्य ऐसी रायल्टी विभाजित की जाएगी। परियोजना के संबंध में पत्रिकाओं में प्रकाशन, परियोजना मॉनीटरन समिति द्वारा ऐसे प्रकाशनों के निर्वाधन के बाद ही किए जाने थे।

लेखापरीक्षा में देखा कि डी.एस.टी. के पास 19 परियोजनाओं में से किसी के परिणाम की कोई सूचना नहीं थी। औद्योगिक भागीदारों से परियोजना समापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। परिणाम स्वरूप परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों अथवा बौद्धिक सम्पदा विकास के अन्तर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति की मात्रा का कोई अभिलेख नहीं था। औद्योगिक भागीदार द्वारा परियोजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न प्रौद्योगिकियों को उपयोग, यदि कोई हो, पर डी.एस.टी. द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई।

डी.एस.टी. ने स्वीकार किया (जून 2015) कि कुछ उद्योगों ने अन्तिम परियोजना समापन रिपोर्ट नहीं दी थी। डी.एस.टी. ने आगे बताया कि कार्यक्रम ने देश को अनेक उत्पाद दिए, कुछ पेटेंट किए गए, और अनेक चिकित्सीय परीक्षणों के विभिन्न चरणों में थे। तथापि ऐसी उपलब्धियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा डी.एस.टी. ने डी.पी.आर.पी. के अन्तर्गत विकसित, पेटेंट की गई, हस्तान्तरित और वाणिज्यिकीकृत प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कोई डाटाबेस नहीं बनाया था। इसलिए इसके अभाव में इन परियोजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न किसी परिणाम को लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार 19 परियोजनाओं में ₹ 95.27 करोड़ (आसान ऋण के रूप में) का निवेश करने के बाद भी डी.एस.टी. ने परियोजनाओं से कोई मूर्त परिणाम दर्ज नहीं किया।

अतः क्षमताएं निर्मित करने, औषधियों का विकास करने और कम कीमत पर उन्हें प्रदान करने के कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति दृष्टिगोचर नहीं हो सकी।

3.1.2.2 अपात्र उद्योग भागीदारों को परियोजनाओं की संस्वीकृति

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 220(3) के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासनों के अतिरिक्त पार्टियों से ऋण आवेदन पर विचार करने से पूर्व यह देखा जाना चाहिए कि, पर्याप्त बजट प्रावधान है तथा ऋण की मंजूरी अनुमोदित सरकारी नीति और सहायता के स्वीकृति प्रतिमानों के अनुरूप होगी। ऋण अनुमोदन करने से पूर्व आवेदक से (i) गत तीन वर्षों के लाभ एवं हानि (अथवा आय और व्यय) लेखे और तुलन पत्रों की प्रतियां; (ii) आय के मुख्य स्रोत और निर्धारित अवधि के अन्दर ऋण चुकाया जाना कैसे प्रस्तावित था; (iii) पूर्व में लिए गए केन्द्रीय/राज्य सरकार से लिए गए लोन का विवरण, जिसमें आवेदन की तारीख को राशि, प्रयोजन, ब्याज की दर, चुकोती की निर्धारित अवधि, मूल ऋण की तारीख और ऋण (जौ) के प्रति बकाया राशि और प्रतिमूर्ति के रूप में प्रदत्त परिसम्पत्ति, यदि कोई हो, इंगित किए गए हो; (iv) आवेदन की तारीख को बकाया सभी अन्य ऋणों और उनके गारंटी के रूप में प्रदत्त परिसम्पत्तियों की पूर्ण सूची; (v) प्रयोजन जिसके लिए ऋण का उपयोग किए जाना प्रस्तावित है और योजना की अर्थ व्यवस्था।

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 220 आगे स्पष्ट करता है कि पूर्व ऋणों के संबंध में निष्पादन का निर्णय करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों, जिससे पार्टी ने ऋण लिया है, को अन्य विभागों से गोपनीय पूछताछ की जानी चाहिए और प्रस्तावित की जाने वाली ऋण राशि के प्रति लाभार्थी फर्म से आनुषंगिक/गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए और उसका मूल्यांकन स्वतंत्र प्राधिकरण से कराया जाना चाहिए।

इसके अलावा अनुबन्ध से संलग्न शर्तें और निबन्धन भी अपेक्षा करते हैं कि औद्योगिक भागीदार के पास वैध मान्यता²⁰ के साथ आर.एण्ड.डी. केन्द्र होना चाहिए और यदि पंजीकृत नहीं है तो फर्म को 12 माह के अन्दर आर.एण्ड.डी. केन्द्र को मान्यता दिलानी थी। इसमें विफल रहने में फर्म को ऋण राशि वापस करने के लिए कहा जा सकता था यदि समय वृद्धि नहीं दी गई हो।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डी.एस.टी. ने आठ उद्योग भागीदारों जिन्होंने आवश्यक अपेक्षाएं पूरी नहीं की थी, को परियोजनाएं संस्वीकृत की और ₹ 46.38 करोड़ के ऋण जारी किए जिसकी नीचे चर्चा की गई है।

²⁰ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत।

- (i) चार फर्मों को, जो वित्तीय रूप से मजबूत नहीं थी, अल्प शेयर पूंजी, पर्याप्त ऋण देयता, सीमित स्थाई परिसम्पतियां, न्यूनतम कार्य पालन पूंजी के अतिरिक्त बड़ी संचित हानियां रखती थीं, ऋण स्वीकृत किए गए थे जैसा कि तालिका 13 में दर्शाया गया है।

तालिका 13 : वित्तीय रूप से अशक्त फर्मों के ब्यौरे जिन्हें ऋण संस्वीकृत किए गए थे

क्रम सं.	फर्म का नाम	परियोजना का नाम	औद्योगिक भागीदारों की वित्तीय स्थिति	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
				संस्वीकृत जारी
1.	थर्टीन हर्बस एण्ड क्योर, नई दिल्ली	एचआईवी/एडस के लिए देशी प्रतिरक्षक हर्बल फार्मूलेशन पी-ज्योति अमृतम का विकास	शेयर पूंजी: ₹ एक लाख अरक्षित ऋण: ₹ 14 लाख स्थाई परिसम्पतिया: ₹ 2 लाख	1.70 (1.11)
2.	सेलमैक्स फार्मा प्रा.लि., अलीगढ़	वाणिज्यिक रूप से क्षम रीकम्बीनेंट उत्पादों एवं नैदानिक किटों का विकास	<ul style="list-style-type: none"> • औद्योगिक भागीदार एक आरम्भिक कम्पनी था इसलिए परियोजना प्रस्ताव की संस्वीकृति के समय पर पूर्व वर्ष का वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं था। • औद्योगिक भागीदार की प्राधिकृत शेयर पूंजी केवल ₹ एक लाख थी। • परियोजना की अन्तर्गत अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी के पास राजस्व उत्पादन/आय का कोई स्रोत नहीं था। 	4.34 (2.00)
3.	बिगटेक प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु	उच्च उत्पादक रीकम्बीनेंट मानव इन्सूलिन स्ट्रेन और प्रक्रिया का विकास जिसके कारण सफल व्यापारीकरण हो	<ul style="list-style-type: none"> • औद्योगिक भागीदार का ऋण 2003-04 में ₹ 63.84 लाख से बढ़कर 2004-05 में ₹ 1.37 करोड़ और 2005-06 में ₹ 3.03 करोड़ हो गया जबकि शेयर पूंजी उस सीमा तक नहीं बढ़ी। परिणामस्वरूप औद्योगिक भागीदार का ऋण इक्विटी अनुपात जो 2003-04 में 0.88 प्रतिशत था वर्ष 2004-05 और 2005-06 में क्रमशः 1.18 प्रतिशत और 2.40 प्रतिशत तक बढ़ गया जो इसकी घटती 	1.92 (1.92)

क्रम सं.	फर्म का नाम	परियोजना का नाम	औद्योगिक भागीदारों की वित्तीय स्थिति	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
				संस्वीकृत जारी
			वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा ₹ 52.16 लाख (2003-04), ₹ 42.48 लाख (2004-05) और ₹ 37.02 लाख (2006-07) के असमायोजित विविध व्यय को हिसाब में लेकर यह अनुपात आगे और बढ़ सकता है।	
4.	मेडीक्लोन बायोटेक प्राइ.लि.मि., चेन्नई	रेबीज रोधी मोनोक्लोनल एंटीबाडी (एम.ए.बी.) काकटेल और रेबीज वायरस खोज के लिए इम्यूनोडाइग्नोस्टिक एम.ए.बी. का विकास और विनिर्माण	<ul style="list-style-type: none"> • औद्योगिक भागीदार की 31 मार्च 2007 को ₹ 44.76 लाख की संचित हानि थी। • ₹ 14.15 लाख के रक्षित/अरक्षित ऋणों के अतिरिक्त इसकी ₹42.50 लाख²¹ की छोटी शेयर पूंजी थी और औद्योगिक भागीदार द्वारा 2006-07 के दौरान भारत सरकार से ₹ 5.91 करोड़ का ऋण भी लिया गया था। • कार्यचालन पूंजी के रूप में इसके पास मात्र ₹ 7.56 लाख की अल्प राशि थी। 	11.27 (10.22)

(ii) तालिका 14 में उल्लिखित छः मामलों में औद्योगिक भागीदारों के पास आर.एण्ड.डी. केन्द्र अथवा डी.एस.आई.आर. से वैध मान्यता नहीं थी। इसके अलावा ये फर्में आर.एण्ड.डी. केन्द्र स्थापित करने और परियोजना के अनुमोदन के 12 माह के अन्दर उनकी मान्यता प्राप्त करने में भी विफल रही।

21 ₹ 6.06 करोड़ की शेयर आवेदन की राशि को छोड़कर। हालांकि, इस आवेदन की राशि के समायोजन और शेयर के आवंटन के बारे में (लेखापरीक्षा में प्रदान की गई) लेखापरीक्षाक प्रतिवेदनों में कुछ प्रतिवेदित नहीं था।

तालिका 14 : फर्मों के ब्यारे जिन्होंने आर.एण्ड.डी. केन्द्रों की स्थापना नहीं की थी

क्रम सं.	फर्म का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख (जारी)	ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
				संस्वीकृत
1.	प्रोम्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	वयवसायीकरण स्तर तक औषध लाने एवं मोतियाबिंद के प्रभावी निवारण और निदान में प्रौद्योगिक और नवपरिवर्तन लागू करने के लिए मोतियाबिंद रोधी आईड्रॉप के निरूपण विकास, स्थायित्व अध्ययन पूर्व नैदानिक और नैदानिक अध्ययन।	मार्च 2005	5.00 (4.00)
2.	माइक्रोटेस्ट इन्नोवेशन्स प्रा. लिमिटेड, बंगलुरु	एच.आई.वी./एडस में औषध प्रभावोत्पादकता मॉनिटरिंग में लागत प्रभावी वायरल लोड एसाय और इसके वाणिज्यिक अनुप्रयोग का विकास	दिसम्बर 2005	1.18 (1.18)
3.	कैम्बायोटेक रिसर्च इण्टरनेशनल प्रा. लि.	अण्डरकैप्पीनिल पायरोफास्फेट सिन्थेस के श्रेष्ठ अवरोधकों की खोज तथा विकास	मई 2007	11.00 (11.00)
4.	इण्डीजीन फार्मास्युटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	चिकित्सा और बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौधों से प्राप्त प्राकृतिक आणुविक संवीजनो (एन.एम.सी.) आधारित नवपरिवर्तनकारी, सुरक्षित और प्रभावी औषधियों के विकास और प्रसार के लिए चरण सी के माध्यम से प्राथमिकीकृत औषध अभ्यर्थियों का चिकित्सीय विकास	अक्टूबर 2007	14.95 (14.95)
5.	सेलमैक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़	वाणिज्यिक रूप से क्षम रीकम्बीनेंट उत्पाद और नैदानिक किटों का विकास	जनवरी 2008	4.34 (2.00)
6.	थर्टीन हर्ब्स एण्ड क्योर, नई दिल्ली	एच.आई.वी./एडस के लिए देशी प्रतिरक्षक हर्बल फार्मूलेशन पी ज्योति अमृतम का विकास	मार्च 2008	1.70 (1.11)

(iii) ऋण स्वीकृत करने से पूर्व डी.एस.टी. ने पूर्व ऋणों की अदायगी के संबंध में फर्मों का निष्पादन पता करने के लिए केन्द्र सरकार के अन्य विभागों से और राज्य सरकारों से भी पूछताछ नहीं की थी। इस प्रकार डी.एस.टी. ने सरकार के

हित की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ये उद्योग भागीदार डी.एस.टी. को ऋण/ब्याज की समय पर अदायगी में विफल हो गए जिस पर पैरा 3.1.2.4 (iii) में विस्तार से चर्चा की गई है।

डी.एस.टी. ने तथ्य स्वीकार कर लिए (जून 2015) और बताया कि ऋणाधार बन्धक, बैंक गारंटी और अन्य सम्बन्धित विषयों के माध्यम से ऋण सुरक्षित करने के कार्यक्रम में कोई तथ्य विद्यमान नहीं था। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि भविष्य में केवल उन्हीं परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास डी.एस.आई.आर. द्वारा मान्यता प्राप्त आर.एण्ड.डी. केन्द्र होंगे और अच्छी वित्तीय स्थिति/टर्नओवर होगी।

3.1.2.3 अनुबन्ध हस्ताक्षर करने से पूर्व जारी ऋण किश्त

परियोजनाओं के लिए जारी स्वीकृति की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार पहले वर्ष कि ऋण किश्त केवल अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के बाद जारी की जानी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि डी.एस.टी. ने तालिका 15 में उल्लिखित नौ मामलों में प्रावधान का उल्लंघन किया, जिसमें इसने पहली किश्त जारी करने के 28 दिनों से तीन महीने बाद अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए।

तालिका 15 : मामले जिनमें डी.एस.टी. ने ऋण की पहली किश्त जारी करने के बाद अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	पहली किश्त जारी करने की तारीख	अनुबन्ध हस्ताक्षर करने की तारीख	जारी की गई पहली किश्त की राशि (₹ करोड़ में)	पहली किश्त जारी करने के बाद अनुबन्ध हस्ताक्षर में विलम्ब
1.	भारत सीरम एण्ड वैक्सीन लि.	रीकम्बीनेंट चाइनीज हैमस्टर ओवरी (सी.एच.ओ.) सेल लाइन में व्यक्त मोनोक्लोनल टिटेनस इम्यूनोग्लोबलिन (एम.टी.आई.जी.) की वाणिज्यिक रूप से क्षम विनिर्माण प्रक्रिया का चिकित्सीय रूप से विकास और प्रक्रिया विकास	20 मार्च 2006	08 जून 2006	7.07	दो माह
2.	बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद	डेंगू वायरस संक्रमण के विरुद्ध डेन1, डेन2, डेन3 और डेन4 के 30 डिलीसन म्यूटेंट और केमरिक निर्माण के उपयोग द्वारा टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन का विकास	31 मार्च 2005	05 मई 2005	2.75	एक माह

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	पहली किश्त जारी करने की तारीख	अनुबन्ध हस्ताक्षर करने की तारीख	जारी की गई पहली किश्त की राशि (₹ करोड़ में)	पहली किश्त जारी करने के बाद अनुबन्ध हस्ताक्षर में विलम्ब
3.	केडिला फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद	नई पीढ़ी रोगोपचारक और रोगानिरोधी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का विकास	20 मार्च 2006	16 मई 2006	1.00	एक माह
4.	इंस्टीट्यूट आफ मोलीकुलर मेडिसिन, कोलकाता	एच.आई.वी. (सिनर्जी परियोजना) के जीन साइलेसिंग के लिए आर.एन.एआई. पहुंच	31 मार्च 2006	13 जून 2006	3.50	दो माह
5.	प्रोमड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली	काला मोतिया रोधी हर्बल आईड्रॉप का निरूपण, विकास, स्थिरता अध्ययन पूर्व नैदानिक और नैदानिक अध्ययन	29 मार्च 2007	26 अप्रैल 2007	0.80	अठ्ठाईस दिन
6.	रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, गुडगावां	चिरकालिक फेफड़ों अवरोधक सम्बन्धित बीमारी के लिए श्रेष्ठ मस्कारिनिक रीसेप्टर एंटागोनिस्ट	29 अगस्त 2006	30 नवम्बर 2006	1.95	तीन माह
7.	स्ट्राइडस आर्कोलेब लिमिटेड (एस.ए.एल.) बंगलुरु (मै.मेडीजीन फार्मा स्युटीकल्स प्राइ. लि.मि.)	हृदय वाहिका के निदान के लिए श्रेष्ठ रीकम्बीनेंट स्टाफिलोकिनास का विकास में. स्ट्राइडस आर्कोलेब लिमिटेड (एस.ए.एल.), बंगलुरु	06 दिसम्बर 2006	मार्च 2007	0.89	तीन माह
8.	सुदर्शन बायटेक लि.मि. (एस.बी.एल.) हैदराबाद	हाइड्रान्टोनस और कार्बामोयल्स एंजाइम्स ई. कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रक्सीफिनाइल ग्लाइसिन (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन	20 मार्च 2006	12 जून 2006	1.18	दो माह
9.	ए.बी.एल. बायोटेक्नालाजी लि.मि. चेन्नई	सी.ओ.एक्स. 2 अवरोधन और नैदानिक में सी-फाइकोसियाविन	14 फरवरी 2006	27 मई 2006	2.00	तीन माह

आपति स्वीकार करते हुए (जून 2015) डी.एस.टी. ने बताया कि संस्वीकृति/निर्गम आदेश में एक शर्त शामिल की गई थी कि जारी राशि द्विपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षर किए जाने तक खर्च नहीं की जा सकेगी।

डी.एस.टी. के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय कि डी.एस.टी. के पास यह सुनिश्चित करने का कोई साक्ष्य नहीं था कि क्या लाभार्थी उद्योगों द्वारा इस प्रावधान का अनुपालन किया गया था और किश्त को पुनः जारी करने में शीघ्रता असपष्ट और निष्फल रही।

3.1.2.4 अनुचित वित्तीय प्रबन्धन

(i) अलग परियोजना लेखा न बनना

योजना मार्गनिर्देशो के अनुसार, उद्योग भागीदारों को परियोजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण से खर्च पूरा करने के लिए अलग लेखा बनाना अपेक्षित था। ऋण राशि पर उनके द्वारा अर्जित कोई ब्याज उसी रूप में दर्शाई जानी थी और बाद की किश्तों के निर्गम के प्रति समायोजन हेतु परियोजना लेखा में क्रेडिट की जानी थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उद्योग भागीदारों के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर करते समय, डी.एस.टी. ने बाद की किश्तों के निर्गम के प्रति समायोजन हेतु परियोजना लेखा का ऋण पर अर्जित ब्याज क्रेडिट करने का खण्ड शामिल नहीं किया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में संवीक्षित 19 परियोजनाओं में से किसी में अलग लेखे नहीं बनाए गए थे, जिसके कारण इन फर्मों को ऋणों के रूप में ₹ 95.27 करोड़ के निर्गम पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, असमायोजित छोड़ दी गई थी।

डी.एस.टी. ने अनुमान लगाया (जून 2015) कि उद्योग प्रत्येक परियोजना के लिए अनुरक्षित अलग लेखे के आधार पर व्यय विवरण के साथ उपयोग प्रमाणपत्र अवश्य भेज रहे होंगे।

डी.एस.टी. का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति का समर्थन करता है कि उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया कि क्या उद्योग भागीदारों द्वारा अलग लेखे वास्तव में बनाए गए थे।

(ii) उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 226²² के अनुसार डी.एस.टी. को प्रत्येक वर्ष उद्योग भागीदारों द्वारा प्रयुक्त ऋणों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित था। 19 परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छः परियोजनाओं में ₹ 11.09 करोड़ के ऋणों के उपयोग पत्र तीन से नौ वर्षों तक की अवधियों के लिए अप्रैल 2006 से बकाया थे। ब्यौरे **परिशिष्ट 11** में दिए गए हैं।

²² विशेष प्रयोजन हेतु जारी प्रत्येक ऋण के मामले में ऋण के उपयोग का एक प्रमाणपत्र भेजा जाना चाहिए।

डी.एस.टी. ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जून 2015)

(iii) ऋणों तथा ब्याज की चुकौती में चूक

ऋण अनुबंधों के खण्ड 3.2 के अनुसार, ऋणों की अदायगी 10 वार्षिक बराबर किश्तों में की जानी थी और उद्योग भागीदारों को अधिसूचित अनुसूची के अनुसार ब्याज के साथ ऋणों की चुकौती सुनिश्चित करनी थी। चुकौती में किसी विलम्ब के लिए विलम्ब की अवधि में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष मिश्रित मासिक की दर पर दण्डात्मक ब्याज का भुगतान होना था। इसके अलावा बकाया ऋण राशि की अदायगी में दो अनुवर्ती चूकों का परिणाम कुल बकाया ऋण राशि का शीघ्र ही वापसी करना होगा। अनुबन्ध में यह भी अनुबन्ध किया गया कि कोई विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थम को भेजा जा सकेगा।

31 मार्च 2014 को ₹ 63.34 करोड़ की ऋणों की मूल राशि और ब्याज से सम्बन्धित राशि नवम्बर 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए नौ फर्मों से प्राप्य थी। इसके अलावा ऋणों में दो अनुवर्ती बार से अधिक के लिए चूक हुई थी फिर भी डी.एस.टी. ने बकाया ऋणों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, तालिका 16 में ब्यौरे के अनुसार, 12 फर्मों से ₹ 10.34 करोड़ की दण्डात्मक ब्याज की राशि देय थी।

तालिका 16 : ऋणों की चुकौती में चूक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	बकाया राशि		
			ऋण	ब्याज	दण्डात्मक ब्याज
1.	ए.बी.एल. बायोटेक्नोलॉजीज लिमिटेड, चेन्नई	सी.ओ.एक्स.-2 इनहिबिशन और नैदानिक सी- फिडकोसियानिन	4.00	0.63	0.93
2.	सेलमैक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़	वाणिज्यिक रूप से क्षम रीकम्बीनेंट उत्पाद और नैदानिक किटें	2.00	0.29	0.22
3.	केमबायोटेक रिसर्च इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	अण्डरकाप्रीनिल पाहरोफास्फेट सिन्थेस (यू.पी.पी.) के श्रेष्ठ इनहिबाटर्स का खोज और विकास	11.00	1.33	1.68
4.	इण्डीजिन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	चरण-सी के माध्यम से प्राथमिकीकृत औषध अभ्यर्थियों का चिकित्सीय विकास। पूरी न हुई चिकित्सा और बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों से प्राप्त प्राकृतिक आणविक	14.95	1.94	3.80

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	बकाया राशि		
			ऋण	ब्याज	दण्डात्मक ब्याज
		सयोजनों (एन.एम.सी.) आधारित नवपरिवर्तनकारी, सुरक्षित और प्रभावी औषधियों का विकास और सुपुर्दगी।			
5.	इंस्टीट्यूट आफ मोलीकुलर मेडिसिन, कोलकाता	एच.आई.वी. (सिनर्जी परियोजना) के जिन साइलेंसिंग के लिए आर.एन.ए.आई. की पहुंच।	10.00	1.27	1.55
6.	मेडिकलोन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई	रेबीज रोधी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (एम.ए.बी.) काकटेल और रेबीज वायरस खोज के लिए इम्यूनोडाइग्नोस्टिक एम.ए.बी. का विकास विनिर्माण	10.22	0.87	0.92
7.	माइक्रोटेस्ट इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु	एचआईवी/एड्स में औषध प्रभावोत्माकदता मॉनीटरिंग में लागत प्रभावी वायरल लोड और इसके वाणिज्यिक अनुप्रयोग का विकास	1.18	0.21	0.30
8.	सुर्दशन बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद	हाइडा-टोइनेस और कार्बामोलास एंजाइम क्लोन्ड ई-कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रोफिनाइल ग्लाइसिन (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन	1.96	0.25	0.30
9.	थर्टीन हर्ब्स एण्ड क्योर, नई दिल्ली	एचआईवी/एड्स के लिए देशी प्रतिरक्षक हर्बल फार्मलेशन जी-ज्योति अमृतम का विकास	1.11	0.13	0.17
10.	भारत सीरमस एण्ड वैकसीन्स लिमिटेड, मुम्बई	रीकम्बीनेंट चाइनीज हैमस्टर सेललाइन में व्यक्त मोनोक्लोनल टिटेनस इम्युनाग्लोबलिन (एम.टी.आई.जी.) की वाणिज्यिक रूप से विनिर्माण प्रक्रिया का विकास जिसके कारण वाणिज्यिकीकरण हुआ	-	-	0.18
11.	बिगटेक प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु	उच्च उत्पादक रीकम्बीनेंट मानव इन्सूलिन स्ट्रेन प्रक्रिया का विकास जिसके कारण व्यापारीकरण हो	-	-	0.21
12.	केडिला फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद	अग्नाशपी कैंसर के लिए रोगोपचारक वैकसीन का विकास	-	-	0.08
जोड़			56.42	6.92	10.34

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डी.एस.टी. ने न तो इन उद्योग भागीदारों से प्राप्य शास्तिक ब्याज की राशि संगणित की और न ही चूककर्ताओं से बकाया ऋण वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई की, यद्यपि चुकौतियां पाँच वर्षों से अधिक समय से प्राप्य थीं।

तथ्य स्वीकार करते समय डी.एस.टी. ने बताया (जून 2015) कि बकायों की वसूली के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई थी।

3.1.2.5 अपर्याप्त परियोजना मॉनीटरिंग

उद्योग भागीदारों के साथ किए अनुबन्धों के खण्ड 4 के अनुसार, इस क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों से बनी परियोजना मॉनीटरिंग समिति (पी.एम.सी.), अनुबन्ध में यथा निर्दिष्ट मील के पत्थरों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की समीक्षा और जांच करने के लिए और उनके आधार पर अतिरिक्त संस्थागत/उद्योग भागीदारों सहित निर्धारित करने और परियोजना के समय पूर्व बन्द करने अथवा संशोधन करने और कार्यान्वयक एजेंसी की वित्तपोषण सहायता संशोधित करने की सिफारिश करने के लिए डी.एस.टी. द्वारा नियुक्त की जानी थी। परियोजनाएं केवल पी.एम.सी. की सिफारिश पर ही पूर्ण घोषित की जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 19 परियोजनाओं में से किसी का भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना अवधि में पी.एम.सी. द्वारा मॉनीटरिंग नहीं किया गया था। इसके अलावा, ऋण की अंतिम/आखिरी किश्त जारी करने के बाद परियोजनाओं के कार्यकलाप अब भी चालू होने के बावजूद, पी.एम.सी. बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं। परिणामतः ये परियोजनाएं औपचारिक रूप से बन्द घोषित नहीं की गई थी। डी.एस.टी. भी निर्धारित करने में विफल हो गया कि क्या उद्योग भागीदारों ने पी.एम.सी. की सिफारिशों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की है, और इस अवधि के दौरान इसके द्वारा किए गए कार्यकलाप और उद्देश्य परिकल्पित अनुसार थे। ऐसी सूचना के अभाव में यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या परियोजना के बाद मॉनीटरिंग किया गया था। इसके समर्थन में भी कोई अभिलेख नहीं था कि प्रत्येक परियोजना के लिए गठित पी.सी.एम. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थी। तीन परियोजनाओं में पी.सी.एम. का गठन उसी परियोजना की भिन्न बैठकों के दौरान परिवर्तित किया गया था, तथापि ऐसे परिवर्तनों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अभिलेखों में नहीं था। इन सभी परियोजनाओं के ब्यौरे **परिशिष्ट XIV** में दिए गए हैं।

डी.एस.टी. ने बताया (जून 2015) कि प्रत्येक परियोजना का मॉनीटरिंग समिति द्वारा मॉनीटरिंग किया गया था और ऋण की अगली किश्त मॉनीटरिंग समिति की

सिफारिशों और यू.सी. प्रस्तुतिकरण के आधार पर जारी की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि कुछ परियोजनाओं की मॉनीटरिंग उनके समापन के बाद की गई थी और आगे बताया कि मॉनीटरिंग समिति के गठन में परिवर्तन विशेषज्ञों की अनुपलब्धता जैसे विभिन्न कारणों के कारण किया गया था।

डी.एस.टी. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजनाओं की मॉनीटरिंग निर्धारित बारम्बारता के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना अवधि के दौरान नहीं की गई थी और ऋण की अन्तिम आखिरी किश्त जारी करने के बाद कोई/पी.सी.एम. बैठकें आयोजित नहीं की गई थी। इसके अलावा मॉनीटरिंग समितियों के गठन में परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सचिव, डी.एस.टी. द्वारा अनुमोदित नहीं थे।

3.1.2.6. ऋण की चुकौती अनुसूची का अनियमित संशोधन

डी.पी.आर.पी. के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के मॉनीटरन हेतु गठित पी.एम.सी. की समझौता शर्तों के अनुसार, वित्तपोषण और परियोजना अनुसूची में संशोधनों सहित परियोजनाओं के संघटकों में परिवर्तन पी.एम.सी. की सिफारिशों के आधार पर और सचिव डी.एस.टी. के अनुमोदन से किए जाने थे। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि तालिका 17 में उल्लिखित तीन मामलों²³ में डी.एस.टी. ने मॉनीटरन समिति की सिफारिशों और सचिव डी.एस.टी. की सहमति बिना मन माने ढंग से परियोजना अवधि में वृद्धि की और ₹ 14.01 लाख की ऋण सहायता की अदायगी अनुसूची संशोधित थी जो अनियमित था।

23 इंस्टीट्यूट ऑफ मोलीकूलर मेडिसिन को आर.एन.ए. हस्तक्षेप (आर.एन.आई.) की विशाल संभावना को दोहन कर जीन विनियमन द्वारा मानव थेरेपी हेतु तर्कसंगत और चयनशील सिंथेटिक आर.एन.ए. अवरोदकों का विकास; (ii) सुदर्शन बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद को हाइड्रान्टोईस और कार्बामोलास एंजाइम क्लोन्ड ई-कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रोफिनाइल ग्लाइसिन (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन; और (iii) प्रोमेड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को काला मोतियारोधी हर्बल आई ड्रॉप का निरूपण विकास, स्थिरता अध्ययन, पूर्व नैदानिक, नैदानिक अध्ययन।

तालिका 17 : पी.सी.एम. की सिफारिश के बिना परियोजना घटकों में परिवर्तन

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ मोलीकूलर मेडीसिन, कोलकाता	आर.एन.ए. हस्तक्षेप (आर.एन.ए.आई.) की विशाल संभावना का दोहन कर जीन विनियमन द्वारा मानव थेरेपी हेतु तर्क संगत और चयनशील सिंथेटिक आर.एन.ए. अवरोधकों का विकास।	उद्योग भागीदारों द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण डी.एस.टी. के एकीकृत वित्त प्रभाग ने सिफारिश की कि निधियों के बचे शेष पर उपचित ब्याज विभिन्न किशतों में देय ब्याज/आस्थगित ब्याज में समायोजित किया जाय और तदनुसार चुकौती अनुसूची संशोधित की गई। इसके बजाय डी.एस.टी. ने परियोजना की अवधि मनमाने ढंग से एक वर्ष तक बढ़ा दी जिससे उद्योग भागीदार को एक वर्ष की ढील दी गई जिसके कारण 01 अप्रैल 2009 को देय पहली किशत 01 अप्रैल 2010 तक बढ़ाई गई।
2.	सुर्देशन बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद	हाइड्रान्टोइंस और कर्बामाइलसे एंजाइम क्लोन्ड ई-कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रोफिनाइल ग्लाइसनि (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन	परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते समय विशेषज्ञ समिति ने जुलाई 2009 में आयोजित अपनी बैठक में बिना लागत वृद्धि के आधार पर एक वर्ष तक अर्थात् मार्च 2010 तक परियोजना अवधि में वृद्धि की सिफारिश की। तथापि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का अनुपालन किए बिना परियोजना मनमाने ढंग से समय पूर्व बंद कर दी गई थी।
3.	प्रोमेड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	काला मोतियारोधी हर्बल आई ड्रॉप का निरूपण विकास, स्थिरता अध्ययन, पूर्व नैदानिक, नैदानिक अध्ययन	सितम्बर 2009 में परियोजना की समीक्षा करते समय पी.एम.सी. ने परियोजना प्रगति संतोषजनक पाई और मार्च 2010 की परियोजना अवधि से आगे वृद्धि की सिफारिश नहीं की थी। तथापि डी.एस.टी. ने चुकौती अनुसूची संशोधित की तथा ऋण/ब्याज की चुकौती 31 मार्च 2011 से आरम्भ हुई थी।

डी.एस.टी. ने बताया (जून 2015) कि इंस्टीट्यूट ऑफ मोलीकूलर मेडीसिन, कोलकाता की संस्वीकृत परियोजना अवधि उनके वित्त प्रभाग के सुझावों के अनुसार बढ़ाई गई थी। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.एम.सी. द्वारा ऐसी वृद्धि की कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

3.3.1 निष्कर्ष

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम भारतीय फार्मा उद्योग और अनुसंधान संस्थाओं की सामर्थ्य को शक्ति देने के द्वारा फार्मा आर.एण्ड.डी. क्षेत्र में क्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था ताकि खरीद शक्ति की कमी वाले समान गरीब वर्गों के लिए निम्नतर लागतों पर नई औषधीय विकसित की जा सके। लेखापरीक्षा में देखी गई 19 परियोजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने निजी फर्मों को ₹ 95.27 करोड़ का आसान ऋण जारी किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 19 परियोजनाओं में से किसी के भी परिणाम डी.एस.टी. को ज्ञात नहीं थे क्योंकि उद्योग भागीदारों द्वारा परियोजना समापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। परियोजनाओं के चयन में विधिवत वित्तीय सचेतना डी.एस.टी. द्वारा नहीं बरती गई थी और वित्तीय रूप से अशक्त कंपनियों को ऋण जारी किए गए थे जिन्होंने बाद में ऋणों की चुकौती में चूक की। ऋणों की मूल राशि और ब्याज से संबंधित ₹ 63.34 करोड़ की राशि 31 मार्च 2014 तक नौ परियोजनाओं के औद्योगिक भागीदारों से प्राप्त होनी थी। इसके अतिरिक्त 12 परियोजनाओं के औद्योगिक भागीदारों ₹ 10.34 करोड़ के शास्तिक ब्याज की राशि प्राप्त होनी थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित परियोजना मानीटरन तन्त्र के बावजूद परियोजना का कार्यान्वयन अवधि के दौरान और समापन के बाद मानीटरन शिथिल था। परिणामस्वरूप 19 परियोजनाओं में से किसी में अन्तिम समापन रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई थीं जिसके कारण डी.एस.टी. के पास परियोजनाओं से प्राप्त परिणामों पर कोई सूचना नहीं थी।

इस प्रकार, 19 परियोजनाओं में ₹ 95.27 करोड़ का निवेश करने के बाद, क्षमताएं बनाने, औषधियों का विकास और न्यूनतम लागत पर उन्हें प्रदान करने के कार्यक्रम का प्रयोजन देखा नहीं गया था।

3.2 भूमि के खराब प्रबंधन के कारण परिहार्य व्यय और कार्यालय परिसर का विलम्बित निर्माण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नोएडा से भूमि प्राप्त करने के संबंध में पट्टा पत्रक निष्पादित करने में 21 वर्ष का विलम्ब किया और स्वीकार्य समयावधि के अंदर कार्यालय परिसर का निर्माण पूरा करने में विफल हो गया। फलस्वरूप इसने निर्माण के समापन तक शास्तियों के प्रति आवर्ती देयताओं के अतिरिक्त ₹1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) ने अपने विभिन्न कार्यालयों/संस्थानों के निर्माण हेतु ₹ 13.05 करोड़ के भुगतान के प्रति न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से पट्टे पर 40 एकड़²⁴ भूमि प्राप्त की (मार्च 1992)। कार्य तीन चरणों में किया जाना था, यथा चरण I के अंतर्गत 10 एकड़ में मीडियम रेंज राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एम.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ)²⁵ का निर्माण, चरण II के अंतर्गत 10 एकड़ में विज्ञान प्रसार²⁶ का निर्माण और चरण III के अंतर्गत शेष 20 एकड़ भूमि पर डी.एस.टी. के संस्थानों/कार्यालयों का निर्माण। नोएडा द्वारा भूमि की आबंटन की शर्तों के अनुसार, डी.एस.टी. को स्वामित्व की तारीख से छः माह के अंदर निर्माण कार्य आरम्भ करना था और चार वर्षों की अवधि के अंदर उसे पूर्ण करना था। मार्च 2014 तक डी.एस.टी. ने केवल चरण I का निर्माण पूर्ण किया था। डी.एस.टी. को भूमि के संबंध में पट्टा पत्रक निष्पादित करना भी अपेक्षित था। तथापि भूमि का पट्टा पत्रक 21 वर्षों के विलम्ब के बाद अक्टूबर 2013 में पंजीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा में भूमि का खराब प्रबंधन और डी.एस.टी. द्वारा कार्य की त्रुटिपूर्ण योजना देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप पट्टा पत्रक के पंजीकरण में विलम्ब और निर्माण बाध्यताओं को पूरा करने में विफलता के कारण ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जैसे अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

पट्टा पत्रक के पंजीकरण में विलम्ब

यद्यपि डी.एस.टी. ने मार्च 1992 में भूमि प्राप्त की परन्तु उसने नौ वर्षों के विलम्ब के बाद सितम्बर 2011 में ही नोएडा से पट्टा अनुबंध किया। पट्टा अनुबंध के अनुसार,

²⁴ प्लॉट ए-50 पर 10 एकड़ और प्लॉट ए-33 पर 30 एकड़, सेक्टर 62 नोएडा।

²⁵ एक यूनिट जो पूर्व में डी.एस.टी. के अधीन थी और वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अधीन है।

²⁶ डी.एस.टी. के अधीन एक स्वायत्त निकाय।

डी.एस.टी. और नोएडा से पट्टा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अंतिम पट्टा पत्रक हस्ताक्षर करने और आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति से 30 दिनों की अवधि के अंदर उसे पंजीकृत करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने अपेक्षित थे। समय पर पट्टा पत्रक निष्पादित करने में विफलता पर भूमि की लागत के 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्ति लगेगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नोएडा से दोहराए अनुस्मारकों के बाद, डी.एस.टी./ एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. ने पट्टा पत्रक के निष्पादन हेतु नोएडा को अपेक्षित दस्तावेज भेजे (नवम्बर 2012)। तथापि, बकाया पट्टा किराया की राशि के संबंध में डी.एस.टी. और नोएडा के बीच असहमति के कारण पत्रक निष्पादित नहीं किया गया था, जो पत्राचार के अधीन रहा। बाद में डी.एस.टी. ने मार्च 2005 की अवधि तक पट्टा किराए का एक मुश्त भुगतान करने का अपना निर्णय नोएडा को सूचित किया और नोएडा द्वारा दी गई मांग के आधार पर डी.एस.टी. ने ₹ 6.04 करोड़ के पट्टा किराए का एक मुश्त भुगतान जमा किया (मार्च 2005)।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि पट्टा किराए का एक मुश्त भुगतान करने के बाद भी डी.एस.टी. ने पट्टा पत्रक निष्पादित नहीं किया था, क्योंकि नोएडा ने पट्टा पत्रक का निष्पादन न करने के लिए ₹ 32.63 लाख²⁷ प्रति वर्ष की दर पर मुश्त की अब भी माँग की थी। इसके अतिरिक्त डी.एस.टी. ने एक मुश्त पट्टा किराया के भुगतान में सात दिनों का विलम्ब किया था जिसके लिए नोएडा ने लगभग ₹ 90 लाख की शास्ति की भी माँग की। डी.एस.टी. ने शास्ति के अधित्याग के लिए नोएडा से लगातार पत्राचार किया और यह अंततः 1992 से 2010 तक की अवधि के लिए नोएडा से शास्ति के भुगतान का अधित्याग प्राप्त करने में समर्थ हो गया (सितम्बर 2013)। तथापि, नोएडा ने अगस्त 2010 से अक्टूबर 2013 तक की अवधि के लिए पट्टा पत्रक के निष्पादन में विलम्ब के लिए ₹ 1.03 करोड़ की शास्ति उदग्रहीत की (सितम्बर 2013)। तदनुसार, डी.एस.टी. ने उसे जमा किया और नोएडा के साथ पट्टा पत्रक निष्पादित किया (अक्टूबर 2013)।

चूँकि भूमि ज्ञात शर्तों तथा निबंधनों के अंतर्गत डी.एस.टी. को पट्टा की गई थी इसलिए पट्टा पत्रक के पंजीकरण का दायित्व पूर्णतया डी.एस.टी. पर था। तथापि समय पर ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

²⁷ ₹ 13.05 करोड़ का 2.5 प्रतिशत।

कार्यालय परिसर के निर्माण में विलम्ब

भूमि के आबंटन की शर्तों तथा नियमों के अनुसार, डी.एस.टी. को भवन योजना के लिए नोएडा की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त करना, प्लॉट के स्वामित्व की तारीख से छः माह के अंदर निर्माण कार्य आरम्भ करना, स्वामित्व की तारीख से चार वर्षों के अंदर अर्थात् मार्च 1997 तक उन्हें प्रचालन में लाना और नोएडा से समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित था जिसकी विफलता में भवन के निर्माण में विलम्ब के लिए भूमि की लागत के चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्ति भुगतान करने के लिए यह देय था। नोएडा ने निर्माण कार्य पूरा करने के लिए डी.एस.टी. को 2001 तक समय वृद्धि दी।

एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. का निर्माण राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (एन.आई.डी.सी.), भारी उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एच.आई.) के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सौंपा गया था (1998)। तथापि, जब भवन का निर्माण प्रगति पर था तब एन.आई.डी.सी. को प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से एम.ओ.एच.आई. द्वारा बंद कर दिया गया था (मई 2002) जिसके परिणामस्वरूप इसने कार्य छोड़ दिया। बाद में, अवशिष्ट कार्य मेकान लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को दिया गया था जिसने उसे मार्च 2004 में पूर्ण किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. के भवन का निर्माण करते समय डी.एस.टी. नोएडा के अनुमोदन हेतु ड्राइंग और फर्श योजनाएं प्रस्तुत करने में विफल हो गया, जिसके कारण उसने विनियमन प्रभारों के रूप में ₹ 25.80 लाख का भुगतान किया (जुलाई 2008)। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि अर्जित 40 एकड़ भूमि में से डी.एस.टी. ने 10 एकड़ भूमि पर केवल चरण I का निर्माण पूर्ण किया था। शेष 30 एकड़ भूमि पर निर्माण आरम्भ नहीं हुआ था, जिससे डी.एस.टी. मार्च 2001 के बाद ₹ 52.20 लाख²⁸ प्रतिवर्ष की शास्ति का देय हो गया।

डी.एस.टी. ने समय वृद्धि देने और निर्माण में विलम्ब के लिए शास्ति के अधित्याग के लिए आवधिक रूप से नोएडा को अनुरोध किया। यद्यपि डी.एस.टी. ने नोएडा को चरण II के निर्माण हेतु ड्राइंग और योजना पहले ही प्रस्तुत कर दी थीं (2007-2008) परन्तु पट्टा पत्रक निष्पादन में विलम्ब के लिए शास्ति के अधित्याग के मामले के समाधान रह जाने तक उनका अनुमोदन प्राप्त करने में यह असमर्थ था। बाद में नोएडा ने दिसम्बर 2013 तक समय वृद्धि दी, तथापि डी.एस.टी. निर्माण कार्य आरम्भ करने में असमर्थ था क्योंकि उसने विज्ञान प्रसार के निर्माण का चरण II कार्यान्वित

²⁸ ₹ 13.05 करोड़ का 4 प्रतिशत।

करने का कार्य केवल अप्रैल 2014 में दिया था। उसके बाद डी.एस.टी. ने दिसम्बर 2014 तक और समय वृद्धि के लिए नोएडा से अनुरोध किया (अप्रैल 2014) परंतु नोएडा ने मामले पर कोई निर्णय लेने से पूर्व दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2014 तक ₹ 52.20 लाख की वृद्धि फीस के भुगतान पर जोर दिया (जून 2014)। डी.एस.टी. ने नोएडा को ₹ 52.20 लाख की वृद्धि फीस जमा कर दी (जुलाई 2014)।

इस प्रकार भूमि के खराब प्रबंधन, दोषपूर्ण योजना और निर्माण बाध्याताएं पूरी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा शास्ति, यदि नोएडा द्वारा मांग की गई, के भुगतान के कारण आवर्ती देयताएँ निर्माण के समापन तक डी.एस.टी. द्वारा चुकानी होगी।

डी.एस.टी. ने बताया (फरवरी 2015) कि विभाग के संगठित प्रयासों के कारण ₹ 12.30 करोड़ के पट्टा किराए का अधित्याग हुआ था और विभाग केवल ₹ 1.03 करोड़ का भुगतान करने का दायी था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11 करोड़ की बचत हुई। निर्माण में विलम्ब के विषय में डी.एस.टी. ने बताया कि कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए प्राथमिक अनुमानों के प्रसतुतीकरण के लिए एन.बी.सी.सी.²⁹ पर विचार किया गया था।

डी.एस.टी. का उत्तर इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जाय कि विभाग ने पट्टा पत्रक निष्पादित करने और समय पर निर्माण पूरा करने में अपनी विफलता के लिए 2010 तक समय-समय पर उस पर उदग्रहीत शास्तियों का अधित्याग प्राप्त किया था। तथ्य यह शेष रहा कि डी.एस.टी. को समय पर पट्टा पत्रक निष्पादित न करने, निर्माण के लिए समय वृद्धि और अनुमोदित योजनाओं बिना निर्मित भवन के विनियमन के कारण ₹ 1.81 करोड़ की शास्ति का भुगतान करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त क्योंकि कार्य अभी फरवरी 2015 तक दिया जाना था, इसलिए आवर्ती देयताओं जो समय सूची का पालन न करने के कारण उठानी पड़ेगी, पर लेखापरीक्षा की चिंताएं प्रासांगिक रहती हैं।

²⁹ राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, शहरी विकास मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

अध्याय – IV

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

4.1 नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभागों के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में भारत की विश्व नेतृत्व स्थिति बनाने, पाने और बनाए रखने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा कार्यान्वित नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना ने प्रत्याशित परिणाम नहीं दिया था। लेखापरीक्षा में देखी गई 30 परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाओं में प्रौद्योगिकियाँ वाणिज्यिक की गई थीं। नौ अद्योगिक भागीदारों ने ₹ 64.92 करोड़ के ऋणों की चुकौती चूक की थी। अपर्याप्त मोनीटरन, योजना मार्गनिर्देशों के अननुपालन, और समय तथा लागत अधिधान के उदाहरण हुए थे।

4.1.1 प्रस्तावना

नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात (एन.एम.आई.टी.एल.आई.) योजना दसवीं योजना³⁰ कार्यक्रम के लिए मार्च 2003 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी.सी.ई.ए.) द्वारा अनुमोदित की गई थी। योजना वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद³¹ (सी.एस.आई.आर.) के माध्यम से वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) द्वारा लागू की जानी थी। योजना में शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं और उद्योगों दोनों की भागीदारी की परिकल्पना की गई। योजना का उद्देश्य भारतीय उद्योगों के लिए पोषणीय एवं पर्यावरणीय अनुकूल नई प्रौद्योगिकी/संकल्पनाओं का विकास करना था।


योजना के अंतर्गत परियोजनाएं शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं और उद्योग से व्यक्तियों को शामिल कर राष्ट्रीय परामर्श कवायद के बाद विकसित की जानी थी। परियोजनाओं के संप्रत्ययीकरण में दो मार्ग अर्थात् (I) राष्ट्रीय रूप से विकसित परियोजनाएं (एन.ई.पी.); और (II) उद्योग उद्भूत परियोजनाएं (आई.ओ.पी.) अपनाए गए। राष्ट्रीय रूप से विकसित परियोजनाओं के चयन की प्रक्रिया संचालन समिति द्वारा विचारों की सूची बनाने के साथ आरंभ हुई उसके बाद क्षेत्र विशेषज्ञ समूहों द्वारा क्षेत्रों का चयन किया गया।

³⁰ 2002 से 2007 तक की अवधि।

³¹ डी.एस.आई.आर. के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संगठन।

चयनित क्षेत्रों में परियोजना विकास उन्माद करने के बाद 'अधिकार क्षेत्र चैंपियनों'³² द्वारा किया गया था। तब पहचानी गई एजेंसियों (अनुसंधान संस्थानों/उद्योगों) को परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उद्योगों द्वारा उद्भूत परियोजनाओं (आई.ओ.पी.) के मामले में प्रक्रिया समाचारपत्र विज्ञापनों और महानिदेशक (डी.जी.) सी.एस.आई.आर. से व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव मांगने के द्वारा आरंभ हुई। इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों की छानबिन समिति द्वारा की गई थी उसके बाद क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा सूचीबद्ध विचारों का निर्धारण और वर्ग निर्धारण किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र के दो शीर्ष मूल्यांकित विचार एन.एम.आई.टी.एल.आई. नामित विशेषज्ञों की सहायता से परियोजनाओं में विकसित किए गए थे। अंतिमिकरण के बाद परियोजनाओं की उच्च अधिकार प्राप्त समिति³³ (एच.पी.सी.) द्वारा समीक्षा की गई थी। एच.पी.सी. की सिफारिश के आधार पर परियोजनाएं वित्तपोषण हेतु सी.एस.आई.आर. के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की गई थीं। परियोजना प्रतिपादन और निगरानी की प्रक्रिया चार्ट 5 में दी गई है।

चार्ट 5 परियोजना प्रतिपादन



एन.ई.पी. : राष्ट्रीय रूप से विकसित परियोजनाएं अथवा राष्ट्रीय हित की परियोजनाएं;
आई.ओ.पी. : उद्योग उद्भूत परियोजनाएं अथवा उद्योग द्वारा उत्पन्न परियोजनाएं

योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता (क) संस्थागत भागीदारों को अनुदान सहायता और (ख) औद्योगिक भागीदारों को तीन प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज के साथ आसान ऋण के रूप में थीं। परियोजनाएं दो से पाँच वर्षों के भीतर

³² क्षेत्र विशेषज्ञ।

³³ एन.एम.आई.टी.एल.आई. परियोजनाओं का निर्धारण और मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों से बनी महानिदेशक सी.एस.आई.आर. द्वारा गठित एक समिति।

कार्यान्वित की जानी थी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियां उद्योग के माध्यम से वाणिज्यीकृत की जानी थी।

सी.एस.आई.आर. ने एन.एम.आई.टी.एल.आई. योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देश बनाए। योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना³⁴ अवधि के दौरान जारी रही थी।

4.1.2 बजट एवं व्यय

सी.एस.आई.आर. ने 2000-01 से 2012-13 तक एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाएं सूचीबद्ध की जिनमें से 73 परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु आरंभ की गई थीं। योजना के आरंभ से ₹ 733.44 करोड़ के परियोजना व्यय के प्रति मार्च 2014 तक ₹ 630.50 करोड़ की निधियाँ जारी की गई थीं। इसमें विभिन्न संस्थाओं को ₹ 369.72 करोड़ के अनुदान और औद्योगिक भागीदारियों को ₹ 260.78 करोड़ के ऋण शामिल थे। वर्षवार निर्गमों के ब्योरे *परिशिष्ट XV* में दिये गए हैं।

4.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अधीन सी.एस.आई.आर. द्वारा समर्थित 73 परियोजनाओं में से 30 (19 एन.ई.पी.; 11 आई.ओ.पी.) ऐच्छिक रूप से चयनित परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में संवीक्षा की गई। जबकि 30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र और इन 30 परियोजनाओं में से प्रत्येक के लेखापरीक्षा निष्कर्ष *बॉक्स* में दिए गए हैं, वहीं विषयवार लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं।

4.1.3.1 उद्देश्यों की प्राप्ति

एन.एम.आई.टी.एल.आई. योजना उद्योग के लिए विश्वरूप से प्रतियोगी, पोषणीय और पर्यावरण अनुकूल नई प्रौद्योगिकियाँ उत्पन्न करने को प्रत्याशित थी। परियोजनाओं के प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं के विकास के सुपरिभाषित उद्देश्य थे। लेखापरीक्षा में परियोजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त न करने/आंशिक प्राप्ति के उदाहरण देखे गए।

(i) उद्देश्य प्राप्त न करना/आंशिक प्राप्ति

(क) लेखापरीक्षा में नमूना जांचित 30 परियोजनाओं में से ₹ 22.73 करोड़ का व्यय करने के बाद छह परियोजनाओं के अंतर्गत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के अनुसार परिकल्पित कोई भी उद्देश्य प्राप्त/विकसित नहीं किए गए थे। इन छह परियोजनाओं, जिनमें परिकल्पित उद्देश्य किंचित प्राप्त नहीं किए गए थे, तालिका 18 में दिये गए हैं।

³⁴ 2007 से 2012 तक की अवधि।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र

परियोजना का नाम: 1		अगली पीढ़ी प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल (पी.डी.पी.) प्रौद्योगिकी और 50" हाई डेफिनेशन (एच.डी.) टीवी प्रोटोटाइप का विकास			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
5 एल.एम./वाट ल्यूमीनस प्रभावोत्पादकता के साथ 50" प्रोटोटाइप का विकास।					
मूल लागत	₹ 24.31 करोड़	व्यय	₹ 27.72 करोड़	लागत अधिधाय	₹ 3.41 करोड़
परियोजना आरंभ	मार्च 2007	परियोजना समाप्त	मार्च 2010	मूल अवधि	30 महीने
				समय अधिधाय	6 महीने
पेटेंट	19	प्रौद्योगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	ला/न ³⁵
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: परियोजना एच.डी. अनुरूप डिजाइन के साथ 50" का प्रोटोटाइप विकसित करने में सक्षम था परंतु 5 एलएम/वाट, लागत कटौती और विद्युत खपत की कटौती की ल्यूमीनस प्रभावोत्पादकता प्राप्त नहीं की जा सकी थी। इसलिए प्रौद्योगिकी न तो हस्तांतरित की गई थी और न ही वाणिज्यिकृत की गई थी।					

परियोजना का नाम: 2		कुशन बॉण्डेड/रीजीड बॉण्डेड ऑर्गेनिक सिरेमेटलोक कुकी और एकल दोहरे सिंटीड बटनों (तांबा/लोहा आधारित), सिरेमिक कुकीज़ और एनुलर रिंग क्लच डिस्कस और सुमेल कवर संयोजनों का डिजाइन एवं विकास			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
ऑटोमोबाइल के लिए क्लच डिस्कस और सुमेल संयोजनों का डिजाइन और विकास।					
मूल लागत	₹ 21.64 करोड़	व्यय	₹ 20.40 करोड़	लागत अधिधाय	शून्य
परियोजना आरंभ	मार्च 2008	परियोजना समाप्त	सितंबर 2011	मूल अवधि	36 महीने
				समय अधिधाय	6 महीने
पेटेंट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: यद्यपि उत्पाद विकसित और आगे विकास तथा वाणिज्यिकरण के लिए पहचाने गए थे परंतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु अनुबंध हस्ताक्षर नहीं किया गया था। इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत दिये गए ऋण की चुकौती में कंपनी ने चूक की थी।					

परियोजना का नाम: 3		जैव सूचना विज्ञान के लिए बहुमुखी सुवाह्य पीसी आधारित सॉफ्टवेयर का विकास और बायोसुइट के लाइनक्स क्लस्टर वर्जन का विकास			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
सॉफ्टवेयर उपकरणों के सेट का विकास जो जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय शैक्षिक आर.एंड.डी. संस्थाओं और उद्योगों की सहायता करेगा।					
मूल लागत	₹ 17.02 करोड़	व्यय	₹ 16.20 करोड़	लागत अधिधाय	शून्य
परियोजना आरंभ	मार्च 2002	परियोजना समाप्त	मार्च 2005	मूल अवधि	24 महीने
				समय अधिधाय	12 महीने
पेटेंट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	शून्य
		वाणिज्यिकृत	हाँ	रॉयल्टी	₹ 1.21 लाख
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: एक संघटक 'मेटाबोलिक पाथवे इंजीनियरिंग' से किसी सॉफ्टवेयर का विकास नहीं हुआ था और परियोजना के अंतर्गत विकसित अन्य सॉफ्टवेयर 'बायोसुइट' और 'जेनोक्लस्टर' अल्प रॉयल्टी उत्पन्न कर सके थे।					

पृष्ठ 60 पर जारी

³⁵ लागू नहीं।

तालिका 18: परियोजना जिनमें परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त नहीं किए गए थे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अभियुक्तियाँ
1.	दुग्धाम्ल और दुग्धाम्ल आधारित पालीमर-दुग्धाम्ल उत्पादन हेतु 300 टी.पी.ए. संयंत्र की स्थापना	विकसित प्रक्रिया ने परिकल्पित मापदंड पूरा किया नहीं था। परियोजना गन्ने के रस और कुछ मुख्य रसायनों की कीमत वृद्धि के कारण, वाणिज्यिक रूप से इसे अव्यवहारिक मानकर अंततः बंद कर दी गई थी।
2.	इंसुलिन का मुख से दिया जाना	औद्योगिक भागीदार परियोजना से पीछे हट गया था क्योंकि विकसित सूत्र ने कार्य नहीं किया था।
3.	तार रहित सेंसर नेटवर्क चिप-सेट आधारित अल्ट्रा वाइड बैंड प्रौद्योगिकी	परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, औद्योगिक भागीदार ने परियोजना के कुछ समर्पणियों जैसे आर.एफ. चिपों का विकास करने में विशेषज्ञता की कमी व्यक्त की। इसके अलावा इस प्रौद्योगिकी से अन्य लागत प्रतियोगी प्रौद्योगिकियां आगे निकल गई थी।
4.	एवियन फ्लू के खतरे का सामना करने के लिए टामीफ्लू - एक धमाकेदार औषधि की प्रक्रिया	टामीफ्लू के विकास की प्रक्रिया पहले से ही पेटेंट थी। परियोजना भागीदार वैज्ञानिक बाधाओं और कार्य विभिन्न अवस्थाओं में ही ठप हो गया था, इसके कारण टामीफ्लू की गैर-उल्लंघन वाली प्रक्रिया का विकास करने में असफल हो गए। इसके अलावा किसी सरकारी एजेंसी ने औषधि विकसित करने के लिए कभी सी.एस.आई.आर. से अनुरोध नहीं किया था।
5.	इरिथ्रोमाइसिन का क्लेरिथ्रोमाइसिन और अन्य श्रेष्ठ जैविक रूप से सक्रिय अणुओं में सूक्ष्म जैविकीय परिवर्तन	परियोजना परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकी थी क्योंकि कोई सकारात्मक नेतृत्व प्रकट नहीं किए जा सके थे।
6.	एल्कीलेशन/एसीलेशन प्रतिक्रियाओं, हाइड्रोकार्बनों के पूर्व सुधार, पेट्रोलियम इंधनों और प्रकृतिक गैस दहन से सल्फर अलग करने के लिए सम्बद्ध प्रक्रिया प्रौद्योगिकी	व्यवहार्यता मामलों के कारण एल्कीलेशन और नाइट्रोजन संघटक रोके गए थे क्योंकि प्रौद्योगिकी विकास/वाणिज्यिक अनुप्रयोग की संभावना नहीं थी। डीजल संघटक के सल्फिकरण को हटाने के अंतर्गत विकसित उत्प्रेरक वाणिज्यिक डी.एच.डी.एस. प्रक्रियाओं की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका था।

सी.एस.आई.आर. ने उद्देश्य प्राप्त न करने संबन्धित लेखापरीक्षा आपति स्वीकार कर ली (मई 2015)।

(ख) शेष 24 परियोजनाओं में परियोजना के उद्देश्य पूर्णतया प्राप्त नहीं किए जा सके। उद्देश्य की आंशिक प्राप्ति के मुख्य कारण वैज्ञानिक तथा तकनीकी रुकावटें/तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, जिनका समाधान नहीं किया जा सका (पाँच³⁶ परियोजनाएं),

³⁶ (i) जैव सूचना विज्ञान के लिए बहुमुखी सुवाह्य पी.सी. आधारित सॉफ्टवेयर का विकास और बायोसुइट के लाइनक्स कलस्टर वर्जन का विकास; (ii) सीमेंट विनिर्माण में ऊर्जा दक्षता और संसाधन संरक्षण प्रति उन्नत दानेदार संसाधन; (iii) फ्लैट पैनेल प्रदर्शन साधनों के लिए परिमाण उन्नत द्रव्य क्रिस्टल के दो आदेश; (iv) श्रेष्ठ फुफूंदनाशी का विकास; और (v) 500 किवा निम्नलागत क्षैतिज धुरी पवन टर्बाइन का विकास।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र (जारी)

परियोजना का नाम: 4		साफ प्रसंस्करण के प्रति चमड़े के लिए जैव प्रौद्योगिकी चरण II			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
चमड़े के जैव संसाधन हेतु एकीकृत प्रौद्योगिकी पैकेजों, प्रक्रिया अवशिष्ट से उच्चमूल्य उत्पाद करने की प्रौद्योगिकी का विकास और पर्यावरण अनुकूल और जैव निम्नीकरणीय चमड़े की खोज करना/विकास करना।					
मूल लागत	₹ 14.21 करोड़	व्यय	₹ 9.87 करोड़	लागत अधिधाव	शून्य
परियोजना आरंभ	जनवरी 2006	परियोजना समाप्त	जनवरी 2012	मूल अवधि	36 महीने
				समय अधिधाव	36 महीने
पेटेंट	1	प्रौद्योगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यीकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: एंजीमेटिक, डी-हेयरिंग, डी-फ्लेशिंग/डी-ग्रीसिंग और फाइबर ओपनिंग प्रक्रियाएं विकसित की गई थीं परंतु सी.एस.आई.आर.-सी.एल.आर.आई. द्वारा निष्क्रियता और प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक रूप से अव्यवहारिक होने के कारण वाणिज्यीकृत नहीं की जा सकी थी। परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित/ एकीकृत प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित नहीं किए जा सके थे।					

परियोजना का नाम: 5		सार्वभौम रूप से प्रतियोगी 'ट्रिपल प्ले' ब्रॉड बैंड प्रौद्योगिकी का विकास			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
पुणे जैसे 'क' वर्ग शहर में 5,000 सक्रिय ग्राहकों के नेटवर्क में प्रदर्शित मूल टी.वी. और पी.सी. केंद्रीय सेवाओं के साथ वाणिज्यिकरण सिद्ध प्रौद्योगिकी का विकास।					
मूल लागत	₹ 11.89 करोड़	व्यय	₹ 11.78 करोड़	लागत अधिधाव	शून्य
परियोजना आरंभ	मार्च 2005	परियोजना समाप्त	सितंबर 2007	मूल अवधि	18 महीने
				समय अधिधाव	12 महीने
पेटेंट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	शून्य
		वाणिज्यीकृत	हाँ	रॉयल्टी	₹ 1.38 लाख
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: यद्यपि प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी परंतु लक्षित 5,000 सक्रिय कनेक्शनों के प्रति पुणे शहर में केवल 330 कनेक्शनों को ही कंपनी प्रदर्शन कर सकी।					

परियोजना का नाम: 6		दुग्धाम्ल और दुग्धाम्ल आधारित पालिमर-दुग्धाम्ल उत्पादन के लिए 3,000 टी.पी.ए. पायलट संयंत्र की स्थापना			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
प्रयोगशाला परिमाण डाटा के आधार पर दुग्धाम्ल के उत्पादन के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक स्थान पर 300 टन प्रतिवर्ष पायलट संयंत्र की स्थापना।					
मूल लागत	₹ 9.45 करोड़	व्यय	₹ 9.27 करोड़	लागत अधिधाव	शून्य
परियोजना आरंभ	मार्च 2007	परियोजना समाप्त	अगस्त 2012	मूल अवधि	36 महीने
				समय अधिधाव	29 महीने
पेटेंट	1	प्रौद्योगिकी विकसित	नहीं	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यीकृत	ला/न	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: परियोजना ने दुग्धाम्ल शुद्धिकरण और प्रक्रिया प्रचालन के क्षेत्र में इंजीनियरी समस्याओं का सामना किया। यह बताया गया था कि इन समस्याओं को सुधारने के लिए ₹ छह से आठ करोड़ के और निवेश की आवश्यकता थी जिस पर सहमति नहीं हुई थी। इसके अलावा गन्ने के रस और कुछ मुख्य रसायनों में मूल्य वृद्धि हुई थी। परियोजना बंद की गई थी क्योंकि यह अव्यवहारिक हो गई।					

पृष्ठ 62 पर जारी

अनिच्छुक उद्योग भागीदारों (10³⁷ परियोजनाएं), तकनीकी/वाणिज्यिक अव्यवहार्यता (सात³⁸ परियोजनाएं), बाजार में नई प्रौद्योगिकी का अभिर्भाव और अनुबंध का उलंघन (दो³⁹ परियोजनाएं) थे।

इस प्रकार लेखापरीक्षा में संवीक्षित 30 परियोजनाओं में से छह परियोजनाओं में उद्देश्य किंचित प्राप्त नहीं किए गए थे और 24 परियोजनाओं में उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त किए गए थे। कोई परियोजना अपने उद्देश्य को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकी।

4.1.3.2 योजना के अंतर्गत उत्पादित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों/प्रौद्योगिकियों का प्रबंध

एन.एम.आई.टी.एल.आई. मार्गनिर्देशों के अनुसार, सी.एस.आई.आर. को परियोजनाओं से उत्पादित प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) सुरक्षित करने तथा उनके वाणिज्यिक दोहन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया सुगम बनानी थी। 30 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 86 पेटेंट (डिजाइन पर एक सहित) दायर किए गए थे जिनमें से 43 पेटेंट दिए गए थे।

4.1.3.3 प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

एन.एम.आई.टी.एल.आई. मार्गनिर्देशों में प्रावधान किया गया कि सी.एस.आई.आर. द्वारा आई.पी.आर./प्रौद्योगिकियों के उपयोग करने का पहला अधिकार अग्रणी औद्योगिक भागीदार को दिया जाना चाहिए। अग्रणी औद्योगिक भागीदार (रों) से अन्य औद्योगिक भागीदार (रों) को भी परियोजना में से प्रौद्योगिकी/आई.पी.आर. का लाइसेंस प्राप्त करने का विकल्प है। तथापि औद्योगिक भागीदार के विकल्प प्राप्त करने के छह माह के अंदर आई.पी.आर./प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक रूप से शोषण करने के लिए

³⁷ (i) सूरजमुखी और खमीर में ए-लाइनेलेनिक अम्ल और डोकोसहेक्सानोइक अम्ल (डी.एच.ए.) उत्पाद करने के लिए रिकॉम्बिनेंट अभिगम; (ii) अगली पीढ़ी प्लाज्मा डिसप्ले प्रौद्योगिकी एवं 50" हाईडेफीनेशन (एच.डी.) टी.वी. प्रोटोटाइप का विकास; (iii) कृषि अपशिष्टों से जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक-खोई पर आधारित सेल्यूलोज ईस्टर; (iv) श्रेष्ठ अभिव्यक्ति प्रणाली; (v) पर्यावरण रूप से सुरक्षित दुर्लभ मिट्टी आधारित ऊपरी लेप (चरण-II) के लिए रंजक; (vi) लुग्दी तथा कागज के विशेष संदर्भ के साथ पेड़ प्रजातियों के सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकिए अभिगम; (vii) क्षारों का क्रियाशीलकरण; (viii) चयनित चिकित्सा रोपणों का विकास; (ix) कुशन बॉडेड ओर्गेनिक सिरेमिक क्लच डिस्क का डिजाइन एवं विकास; और (x) एस्ट्रोसाइटोमस के चिकित्सीय परिणाम के साथ जीन संकेतों का सह संबंध करने का प्रत्याशित अध्ययन और संभावित चिकित्सीय लक्ष्य (यों) की पहचान।

³⁸ (i) सार्वभौम रूप से प्रतियोगी 'ट्रिपल प्ले' ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी; (ii) 5 एवं 25 किवा विकेंद्रीकृत पावर पैक्स का विकास; (iii) सुअभिजात औद्योगिक रसायनों का विनिर्माण करने के लिए फीड स्टॉक के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का समासिकरण; (iv) आँखों की बीमारी के लिए नैदानिक श्रेष्ठ अनु और निम्न दृष्टि साधक; (v) पीसी बदलने के लिए लागत प्रभावी सामान्य कार्यालय परिकलन (सोफ़कोम्प) प्लेटफॉर्म; (vi) विशाल श्रेष्ठ अनुप्रयोगों का विकास तथा जानकारी बढ़ाने के लिए सोफ़कोम्प एवं मोमोबिलिस का बाजार बीजारोपण; और (vii) चमड़ा क्षेत्र में (चरण -II) रासायनिक प्रक्रिया बदलने के लिए जैव प्रौद्योगिकी।

³⁹ (i) ऑटोमोटिव उद्योग में ट्रिबोलोजिकल अनुप्रयोगों के लिए नैनो सामाग्री लेप और उन्नत मिश्रण; (ii) परिकलनीय जीव विज्ञान - दर्शी के लिए पी.सी. आधारित उच्च उन्नत मानस दर्शन प्लेटफॉर्म।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्थचित्र (जारी)

परियोजना का नाम: 7 एवं 8		पी.सी. बदलने के लिए लागत प्रभावी सामान्य कार्यालय परिचालन सोफ्कोम्प प्लेटफॉर्म, विशाल श्रेणी अनुप्रयोगों का विकास तथा जानकारी बढ़ाने के लिए सोफ्कोम्प एवं मोबिलिस का बाजार बीजारोपण			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
नवीनतम विशेषताओं वाले उन्नत मॉडल के साथ परंपरागत पी.सी. को बदलने के लिए निम्न लागत (आधार मॉडल के लिए लगभग ₹ 10,000 और उन्नत के लिए ₹ 26,000 से कम) सन्निधि कंप्यूटर का विकास; बाजार (रॉ) के उत्प्रेरण के प्रति उत्पाद (दों) की ग्राहकी और जानकारी बढ़ाने के लिए बाजार बीजारोपण के लिए 3 भिन्न सोफ्कोम्प, मोबिलिस एस.टी.एन. और मोबिलिस टी.एफ.टी. की कम से कम 3,000 यूनिटों का उत्पादन।					
मूल लागत	₹ 3.30 करोड़ ₹ 5.37 करोड़	व्यय	₹ 3.20 करोड़ ₹ 6.71 करोड़	लागत अधिधाव	शून्य ₹ 1.34 करोड़
परियोजना आरंभ	अप्रैल 2003 दिसंबर 2005	परियोजना समाप्त	मई 2005 दिसंबर 2007	मूल अवधि	21 महीने
				समय अधिधाव	29 महीने
पेटेंट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	शून्य
		वाणिज्यिकृत	हाँ	रॉयल्टी	शून्य
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: पूर्व एन.एम.आई.टी.एल.आई. कार्यकलाप जैसे बाजार बीजारोपण 10वीं योजना के दौरान अनुमोदित नहीं किए गए थे और बाद में केवल 11वीं योजना से, योजना में सम्मिलित किए गए थे। इसलिए इस कार्यकलाप का अनुमोदन सी.सी.ई.ए. अनुमोदित मार्गनिर्देशों का उल्लंघन था। इसके अलावा विकसित उत्पाद को कोई क्रेता नहीं मिला था। कंपनी प्लेटफार्मों के विकास और बाजार बीजारोपण दोनों के लिए दिये गए ऋणों को चुकाने में विफल हो गई।					

परियोजना का नाम: 9		ऑटोमोटिव उद्योग में ट्रिबोलोजिकल अनुप्रयोगों के लिए नैनो-सामग्री लेपन और उन्नत मिश्रण			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
ऑटोमोटिव और इंजीनियरी घटकों के लिए न्यूनीकृत रगड़ और उन्नत कटकट प्रतिरोध के साथ रगड़ सतह लेपन (कास्ट आयरन/ए.एल./ए.एल. एल्योस/हाइब्रिड) का विकास।					
मूल लागत	₹ 7.54 करोड़	व्यय	₹ 4.78 करोड़	लागत अधिधाव	शून्य
परियोजना आरंभ	अप्रैल 2003	परियोजना समाप्त	मार्च 2007	मूल अवधि	36 महीने
				समय अधिधाव	12 महीने
पेटेंट	1	प्रौद्योगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: विकसित प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदार द्वारा विनिर्मित/प्रयुक्त संघटकों की उपप्रणाली डिजाइन में परिवर्तन के अतिरिक्त उच्च पूंजीगत लागत के कारण व्यावसायीकरण नहीं थी। सी.एस.आई.आर. ने प्रौद्योगिकी को किसी भी अन्य उद्योग को व्यवसायीकरण/हस्तांतरण करने के प्रयास नहीं किए।					

परियोजना का नाम: 10		क्षारों का क्रियाशीलकरण			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
भारतीय पेट्रोलसायन उद्योग के लिए अम्लों के उत्पादन और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के लिए मितव्ययी प्रक्रिया विकसित करना।					
मूल लागत	₹ 6.75 करोड़	व्यय	₹ 5.00 करोड़	लागत अधिधाव	शून्य
परियोजना आरंभ	अप्रैल 2003	परियोजना समाप्त	नवंबर 2006	मूल अवधि	24 महीने
				समय अधिधाव	20 महीने
पेटेंट	8	प्रौद्योगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: परियोजना के तहत किया गया चार घटकों में से तीन आर्थिक रूप से अलाभकारी होना पाया गया और एक मामले में उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार नहीं था।					

पृष्ठ 64 पर जारी

प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने की स्थिति में, सी.एस.आई.आर. अन्य फ़र्मों को आई.पी.आर. प्रस्तुत करने को स्वतंत्र था।

(i) प्रौद्योगिकी का व्यावसायिकरण

यद्यपि 30 चयनित परियोजनाओं में से 24 प्रौद्योगिकियाँ और प्रक्रियाएँ⁴⁰ विकसित की गई थीं परंतु वे केवल आठ परियोजनाओं में हस्तांतरित की गई थीं। आठ परियोजनाओं जिनमें, प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की गई थी, में से केवल चार⁴¹ परियोजनाओं में वे व्यवसायीकृत की जा सकी थीं। शेष चार परियोजनाओं से प्रौद्योगिकियां उनके हस्तांतरण के चार से नौ वर्ष के बाद भी व्यवसायीकृत नहीं की गई थीं जैसा तालिका 19 में दर्शाया गया है।

तालिका 19: हस्तांतरण के बावजूद व्यवसायीकृत नहीं की गई प्रौद्योगिकियां

क्र. सं.	परियोजना का नाम	व्यय (₹ करोड़)	समापन/समाप्ति की तारीख	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की तारीख	मार्च 2014 तक व्यतीत समय
1.	सूरजमुखी तथा खमीर में ए-लेनोलेनिक अम्ल डोकोसाहेक्सानोइक अम्ल (डी.एच.ए.) उत्पादन के लिए रिकॉम्बिनेंट अभिगम	3.72	जुलाई 2007	जुलाई 2007	7 वर्ष
2.	पी.सी. बदलने के लिए लागत प्रभावी सामान्य कार्यालय परिकलन (सोफ़्टवेयर) प्लेटफॉर्म	3.20	मई 2005	मई 2005	9 वर्ष
3.	विशाल श्रेणी अनुप्रयोगों का विकास तथा जानकारी बढ़ाने के लिए सोफ़्टवेयर एवं मोबिलिस का बाजार बीजारोपण	6.71	दिसंबर 2007		
4.	कृषि अपशिष्टों से जैव निम्नीकरणीय पालीमेर, खोई व्युत्पन्न सेल्युलाज ईस्टर्स	2.87	दिसंबर 2004 / मार्च 2008	जुलाई 2008	6 वर्ष

उपर्युक्त परियोजनाओं में औद्योगिक भागीदार प्रौद्योगिकी/उत्पादों को व्यवसायीकृत करने में असमर्थ था। सी.एस.आई.आर. ने आपत्तियाँ स्वीकार कर लीं। सी.एस.आई.आर. ने

40 चमड़ा संसाधन हेतु जैव प्रक्रिया, गन्ना खोई का जैव निम्नीकरणीय सामाग्री में परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज, रासायनिक/ आनुवांशिक अग्रताओं और मिश्रण की पहचान, आँख संक्रमण के लिए नैदानिक कीटें, जैव सूचना सॉफ्टवेयर, डीएचए और निम्न लागत एम्बेडेड प्लेटफॉर्मों के उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी, सीमेंट ईटों के लिए जीयूआई आधारित सॉफ्टवेयर, दुर्लभ मिट्टी आधारित रंजक, प्रदर्शन उपकरण हेतु प्रौद्योगिकी, पी.सी. केन्द्रित सेवाओं के साथ आई.पी. टीवी, चिकित्सा रोपणों, पवन टर्बाइन की डिजाइन, एलपीजी आधारित पावर पैक, ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों हेतु सतही लेप।

41 (i) सार्वभौम रूप से प्रतियोगी 'ट्रिपल प्ले' ब्रांडबैंड प्रौद्योगिकी; (ii) जैव सूचना के लिए क्षैतिज सुवाह्य पीसी आधारित सॉफ्टवेयर और बायोसुइट के लिनुक्स क्लस्टर रूपांतर का विकास; (iii) आँखों की बीमारियों के लिए श्रेष्ठ अनु नैदानिक और निम्न दृष्टि वृद्धि साधन; और (iv) परिकलनीय जीव विज्ञान- दर्शी के लिए एक पीसी आधारित उच्च अंत 3 डी मानस दर्शन प्लेटफॉर्म।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र (जारी)

परियोजना का नाम: 11		चयनित चिकित्सा रोपणों का विकास			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
विशेष लक्षणों के साथ साधारण और औषध क्षालन हृदयवाहिका स्टेंट, मेंरुंडीय/नितंब/दंते रोपणों का विकास।					
मूल लागत	₹ 6.60 करोड़	व्यय	₹ 7.71 करोड़	लागत अधिधाव	₹ 1.11 करोड़
परियोजना आरंभ	अप्रैल 2005	परियोजना समाप्त	मई 2012	मूल अवधि	36 माह
				समय अधिधाव	48 माह
पेटेन्ट	0	प्रायोगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्ययीकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: मानीटरन सिमिति ने माना (मई 2010) कि रोपणों के विकास में 8-10 वर्ष लगते हैं, इसलिए वाणिज्यकरण के स्तर तक उत्पाद विकसित नहीं किया जा सका। इसलिए उत्पाद अपनी अवधि के अनुसार अल्प रूप में प्रतिपादित किया गया था। उद्देश्य कारको जैसे मेंरुंडीय रोपणों मामलों में चिकित्सक भागीदार द्वारा दिखाई गई अनिच्छा और सी.एस.आई.आर. की दोनों समितियों द्वारा परियोजना की प्रगति का अपर्याप्त मॉनिटरिंग के कारण प्राप्त नहीं किए जा सके थे। हालांकि, परीक्षण केवल दंत प्रत्यारोपण के संबंध में चल रहे थे।					

परियोजना का नाम: 12		5 एंव 25 किवा विकेंद्रीकृत पावर पैक			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
चीनी कारखानों से मेंथानोल, एल.पी.जी. तथा एथानोल के उपयोग द्वारा 200 वोल्ट पहुँचाने के लिए 5 किवा ईंधन सेल पावर पैक का विकास; ₹ 50,000 प्रति किवा की दर पर प्रोटोन एक्सचेंज मेंम्बरैन (पी.ई.एम.) ईंधन सेल का विकास और वाणिज्ययीक अनुप्रयोग हेतु 25 कीवा प्राणालियों का विकास।					
मूल लागत	₹ 6.10 करोड़	व्यय	₹ 6.21 करोड़	लागत अधिधाव	₹ 0.11 करोड़
परियोजना आरंभ	मार्च 2001	परियोजना समाप्त	जून 2004	मूल अवधि	24 माह
				समय अधिधाव	15 माह
पेटेन्ट	0	प्रायोगिकी विकसित	नहीं	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्ययीकृत	ला/न	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: परियोजना के अन्तर्गत प्रदर्शित प्रोटोटाइप केवल एल.पी.जी. पर आधारित था क्योंकि मेंथानोल और एथानोल आधारित प्रायोगिकी आरम्भ नहीं कि गयी थी। इसके अलावा 25 कीवा प्रणाली का विकास पी.ई.एम. ईंधन कक्ष के उत्पादन में लागत मितव्ययिता प्राप्त न करने के कारण आरम्भ नहीं किया गया था।					

परियोजना का नाम: 13		श्रेष्ठ फफूंदनाशकों का विकास।			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
वाणिज्यिक रूप से व्ययहार्य और पर्यावरण रूप से सुरक्षित फुंगीनाशकों का विकास करना।					
मूल लागत	₹ 5.54 करोड़	व्यय	₹ 4.59 करोड़	लागत अधिधाव	शून्य
परियोजना आरंभ	अक्टूबर 2004	परियोजना समाप्त	मार्च 2008	मूल अवधि	36 माह
				समय अधिधाव	6 माह
पेटेन्ट	0	प्रायोगिकी विकसित	हाँ	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्ययीकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: परियोजना में मिले सुरागों को वाणिज्यिक उत्पाद में विकसित नहीं किया जा सका क्योंकि देश में दक्षता नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि तकनीकी-आर्थिक एवं वित्तीय आंकलन के दौरान औद्योगिक भागीदार के पूर्व की परियोजनाओं में खराब प्रदर्शन पर शक किया गया था।					

अन्य सक्षम कम्पनियों द्वारा इन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण की संभावना का पता नहीं लगाया था।

शेष 16 परियोजनाओं में विकसित प्रौद्योगिकियां/प्रक्रियाएं/जानकारी औद्योगिक भागीदारों के अनिच्छा/समापन (आठ⁴² परियोजनाएं), व्यापारिक अव्यवहार्यता (तीन⁴³ परियोजनाएं), विशेषज्ञता की कमी (दो⁴⁴ परियोजनाएं) और तकनीकी बधाएं, नई प्रौद्योगिकी का आविर्भाव (तीन⁴⁵ परियोजनाएं) जैसे कारणों से व्यवसायीकरण हेतु उद्योग को हस्तांतरित नहीं की जा सकी थी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा में देखी गई 30 परियोजनाओं में से विकसित प्रौद्योगिकियाँ व्यापारिक कार्यकलाप/अन्त उपयोग में केवल चार परियोजनाओं में परिवर्तित की गयी थी।

4.1.3.4 एन.एम.आई.टी.एल.आई. मार्ग निर्देशों का अननुपालन

उनके परिकल्पित उद्देश्यों/प्रदेशों की प्राप्ति के लिए दक्ष और प्रभावी रीति में परियोजनाओं का निर्माण करने के उद्देश्य से सी.एस.आई.आर. ने निर्धारित समय के अंदर परियोजनाओं की संस्वीकृति, वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों का उल्लेख कर एन.एम.आई.टी.एल.आई. मार्गनिर्देश बनाए (जनवरी 2003)। लेखापरीक्षा में, अपात्र औद्योगिक भागीदारों को परियोजनाएं सौंपना, वित्तीय उल्लंघन जैसे गलत पुनर्विनियोजन, अर्जित व्याज का लेखाकरण न करना, अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए बिना परियोजना लागत का संशोधन आदि जैसे विषयों पर 12 परियोजनाओं में एन.एम.आई.टी.एल.आई. मार्गनिर्देशन का उल्लंघन देखा गया।

42 (i) अगली पीढ़ी प्लास्मा प्रदर्शन पैनल प्रौद्योगिकी और 50" हाईडिफिनेशन (एच.डी.) टीवी प्रोटो टाइप का विकास; (iii) श्रेष्ठ अभिव्यंजन प्रणाली; (iii) पर्यावरण रूप से सुरक्षित दुर्लभ मिट्टी आधारित सतह लेपन (चरण-II) के लिए रंजक; (iv) लुग्दी तथा कागज के विशेष संदर्भ में पौधा प्रजातियों के सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी अभिगम; (v) क्षारों का क्रियाशीलकरण; (vi) चयनित चिकत्सा रोपणों का विकास; (vii) कुसन बॉडेड ओर्गेनिक सिरेमिक क्लच डिस्क की डिजाइन और विकास; और (viii) एस्ट्रोसाइटोमास के चिकत्सीय परिणाम के साथ जीन संकेतों का सह संबंध करने का प्रत्याशित अध्ययन और संभावित चिकित्सय लक्ष्य (यों) की पहचान।

43 (i) 5 और 25 किवा विकेंद्रित पावर पैक; (ii) सुचिन्हित औद्योगिक रसायनों का विनिर्माण करने के लिए फीड स्टॉक के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का समासिकरण; और (iii) चमड़ा क्षेत्र में रासायनिक प्रक्रिया को बदलने के लिए जैव प्रौद्योगिकी - चरण III।

44 (i) समतल पैनल प्रदर्शन उपकरणों के लिए परिमाण उन्नत द्रव्य क्रिस्टलों के दो आदेश; और (ii) श्रेष्ठ फुफूंदनाशकों का विकास।

45 (i) सीमेंट विनिर्माण में ऊर्जा दक्षता और संसाधन संरक्षण के प्रति उन्नत दानेददार संसाधन; (ii) ऑटोमोटिव उद्योग में ट्रिबोलोजिकल अनुप्रयोगों के लिए नैनो सामाग्री लेपन और उन्नत मिश्रण; और (iii) 500 किवा निम्न लागत क्षैतिज धुरी पावर टर्बाइन का विकास।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र (जारी)

परियोजना का नाम: 14		क्षारीकरण/एसीलेशन प्रतिक्रियाओं के लिए नैनो सामग्री उत्प्रेरक और संबंधित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बनों का पूर्व सुधार, पेट्रोलियम ईंधनो और प्राकृतिक गैस दहन से सल्फर हटाना।			
संक्षिप्त उद्देश्य: व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य नैनो कण उत्प्रेरक प्रणालियों और परिष्कृत रसायन उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोगों से संबंधित प्रक्रियाओं का विकास।					
मूल लागत	₹ 5.52 करोड़	व्यय	₹ 5.61 करोड़	लागत अधिघाव	₹ 0.09 करोड़
परियोजना आरम्भ	मार्च 2001	परियोजना समाप्त	जून 2006	मूल अवधि	24 माह
				समय अधिघाव	39 माह
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	नहीं	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यिकृत	ला/न	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: परियोजना की अनुमानित लागत से अधिक व्यय करने के बावजूद विभिन्न तकनीकी कारणों से वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु कोई प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं हो सकी।					

परियोजना का नाम: 15		500 किवा निम्न लागत क्षैतिज धुरी पवन टर्बाइन का विकास			
संक्षिप्त उद्देश्य: विशेष रूप से भारतीय जलवायु स्थितियों के उपयुक्त 500 किवा निम्न लागत, क्षैतिज धुरी पवन टर्बाइन का डिजाइन और विकास।					
मूल लागत	₹ 5.27 करोड़	व्यय	₹ 8.99 करोड़	लागत अधिघाव	₹ 3.72 करोड़
परियोजना आरम्भ	मार्च 2004	परियोजना समाप्त	दिसम्बर 2010	मूल अवधि	24 माह
				समय अधिघाव	57 माह
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: पवन टर्बाइन नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली संयोजित और एक आयातित डैनिश 'कक्षीय' नियंत्रक के चारों ओर प्रतिष्ठापित की गयी थी जिसके लिए औद्योगिक भागीदार एक मात्र भारतीय एजेंट था। क्षेत्र परीक्षणों के दौरान उत्पादित परिणाम केवल 16 से 376 किवा तक सीमित था। 70 प्रतिशत से अधिक लागत अधिघाव तथा समय अधिघाव हुआ।					

परियोजना का नाम: 16		लुग्दी तथा कागज के विशेष संदर्भ में पौधा प्रजातियों के सुधार के लिए जैवतकनीक अभिगम			
संक्षिप्त उद्देश्य: लक्षित पेड़ों की आनुवांशिक विविधता के उपयोग द्वारा निम्न अथवा परिवर्तित लिगनिन में और उच्च सेल्यूलोज मात्रा वाली लुग्दी लकड़ी प्रजातियों का विकास।					
मूल लागत	₹ 4.97 करोड़	व्यय	₹ 7.17 करोड़	लागत अधिघाव	₹ 2.20 करोड़
परियोजना आरम्भ	अक्टूबर 2004	परियोजना समाप्त	मार्च 2008	मूल अवधि	24 माह
				समय अधिघाव	18 माह
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ: तीन जर्म द्रव्यों की पहचान के बावजूद कोई लुग्दी लकड़ी प्रजाति विकसित नहीं की जा सकी थी क्योंकि संबद्ध उद्योग ने आगे उनका अनुसरण नहीं किया था।					

पृष्ठ 68 पर जारी

(i) परियोजना प्रतिपादन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन

परियोजना प्रतिपादन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन छः परियोजनाओं में पाया गया था। पाँच⁴⁶ परियोजनाओं में यह देखा गया था कि परियोजना प्रस्ताव न तो संचालन समिति में लिया गया और न ही विशेषज्ञ समूह/उच्च अधिकार समिति में विचार किया गया था, तीन-चार अनिवार्य विशेषज्ञों की उपस्थिति की जगह चैंम्पियन समूह में केवल एक क्षेत्र विशेषज्ञ की अपर्याप्त उपस्थिति, पश्च एन.एम.आई.टी.एल.आई. कार्यकलापों के लिए बाज़ार बीजारोपण हेतु परियोजना की संस्वीकृति और तकनीकी आर्थिक तथा वित्तीय व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट पर नकरात्मक विचार के बाद भी परियोजना का अनुमोदन जैसे परियोजना प्रतिपादन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन हुआ था। एक⁴⁷ परियोजना में औद्योगिक भागीदार ने 12 माह की निर्धारित अवधि के अंदर डी.एस.आई.आर. मान्यता प्राप्त आर.एण्ड.डी. लैब होने वाली शर्त पूरी नहीं की थी।

(ii) प्रचालन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन

छह⁴⁸ परियोजनाओं में योजना के प्रचालन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन हुआ था जिसमें दो परियोजनाओं में निधियों का अननुमोदित पुनर्विनियोजन, एक परियोजना में संस्थागत भागीदार द्वारा अर्जित व्याज लेखांकित न करना और एक-एक परियोजना में परियोजना की समाप्ति के बाद व्यय, ऋण की चुकौती का अनुचित पुनः अनुसूचन तथा अनुबन्ध की समाप्ति के बाद ऋण चुकौती के लिए नया अनुबन्ध हस्ताक्षर न करना शामिल हैं।

इस प्रकार उद्देश्यों की पूर्ति और समयबद्ध तथा व्यवस्थित रीति में योजनाओं के समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार परियोजना निरूपण और प्रचालन मार्गनिर्देशों का सी.एस.आई.आर. स्तर पर कमजोर आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र के कारण उल्लंघन किया गया था।

46 (i) एवियन फ्लू संकट का सामना करने के लिए एक धमाकेदार औषधि टामिफ्लू की प्रक्रिया; (ii) समतल पैनल प्रदर्शन उपकरणों के लिए परिमाण उन्नत द्रव्य क्रिस्टलों के दो आदेश; (iii) विशाल श्रेणी अनुप्रयोगों का विकास करना तथा जानकारी बढ़ाने के लिए सोफ्कोम्प और मोबिलिस का बाजार बीजारोपण; (iv) श्रेष्ठ फुफूंदनाशकों का विकास; और (v) 500 किवा निम्न लागत क्षैतिज धुरी पवन टर्बाइन का विकास।

47 सूरजमुखी और खमीर में ए-लाइनोलेनिक अम्ल और डोकोसहेक्सानोइक अम्ल (डी.एच.ए.) उत्पाद करने के लिए रिकाबिनेंट अभिगम।

48 (i) अगली पीढ़ी के प्लाज्मा डिसप्ले प्रौद्योगिकी एवं 50" हाईडिफिनेशन (एच.डी.) टीवी प्रोटोटाइप का विकास; (ii) 5 एवं 25 कीवा विकेंद्रित पवार पैक; (iii) तार रहित सेंसर नेटवर्क चिपसेट आधारित अल्ट्रा वाइड बैंड (यू.डब्ल्यू.बी.) प्रौद्योगिकी; (iv) सतह लेपन अनुप्रयोगों हेतु पर्यावरण रूप से सुरक्षित मिट्टी आधारित रंजक (चरण- II); (v) लुगदी एवं कागज के विशेष संदर्भ में पौधा प्रजातियों के साधारण जैव तकनीकी अभिगम; और (vi) आँखों की बीमारी के लिए नया आप्तिक नैदानिक और निम्न दृष्टि वृद्धि उपकरण।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र (जारी)

परियोजना का नाम: 17		सीमेंट विनिर्माण में ऊर्जा दक्षता और संसाधन संरक्षण के प्रति उन्नत दानेदार प्रसंस्करण।			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
सीमेंट विनिर्माण प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता सुधारने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास।					
मूल लागत	₹ 4.87 करोड़	व्यय	₹ 3.22 करोड़	लागत अधिघाव	शून्य
परियोजना आरम्भ	मार्च 2002	परियोजना समाप्त	मार्च 2006	मूल अवधि	36 माह
				समय अधिघाव	12 माह
पेटेन्ट	3	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: अपर्याप्त अवधि, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सीमेंट उद्योग के साथ अनुसरण कार्य नहीं किया गया और संस्थागत भागीदार का कार्य उद्योग के साथ पायलट स्तर तक नहीं लिया गया, इसी के कारण परियोजना बीच में अपूर्ण छोड़ दी गई थी। परियोजना चित्रात्मक प्रयोक्ता इंटरफेस आधारित सॉफ्टवेयर नामतः रॉक्स (रोटरी सीमेंट कीलन अनुरूपक) और भट्टी, ऊष्मक, पूर्व ऊष्मक और खंगर के अलग गणितीय मॉडलों का आसान उपयोग करने का विकास कर सकी। तथापि सीमेंट उद्योग के लाभ के लिए यथा परिकल्पित नई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की जा सकी थी।					

परियोजना का नाम: 18		एस्टरोसाईटोमास के चिकित्सीय परिणाम और संभावित चिकित्सीय लक्ष्यों के साथ जीन हस्ताक्षर का सहसम्बंध स्थापित करने के लिए एक प्रत्याशित अध्ययन।			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
ग्लिओमा ⁴⁹ प्रगति के लिए चयनित जीनों का वैधीकरण और चरित्र चित्रण तथा वैज्ञानिक माइक्रोचिप और संभावित चिकित्सीय चिन्हकों का विकास					
मूल लागत	₹ 4.77 करोड़	व्यय	₹ 5.46 करोड़	लागत अधिघाव	₹ 0.69 करोड़
परियोजना आरम्भ	जनवरी 2006	परियोजना समाप्त	मार्च 2011	मूल अवधि	48 माह
				समय अधिघाव	15 माह
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: औद्योगिक भागीदार के समाप्तीकरण के कारण प्रौद्योगिकियों के विकास के बावजूद उत्पाद व्यवसायीकृत नहीं किए गए थे।					

परियोजना का नाम: 19		ताररहित सेन्सर नेटवर्क चिपसेट आधारित अल्ट्रा वाइड बैंड (यू.डब्ल्यू.बी.) प्रौद्योगिकी।			
संक्षिप्त उद्देश्य:					
गृह सुरक्षा और थोक बाजार क्षेत्र में बाजार अधिकार में लेने के लिए तार रहित संचार में नीतिगत प्रगति प्रदान करने के लिए ताररहित अल्ट्रा वाइड बैंड आरएफ सेन्सर चिपसेट का विकास।					
मूल लागत	₹ 4.60 करोड़	व्यय	₹ 4.02 करोड़	लागत अधिघाव	शून्य
परियोजना आरम्भ	मार्च 2007	परियोजना समाप्त	जून 2013	मूल अवधि	36 माह
				समय अधिघाव	39 माह
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	नहीं	प्रीमियम	ला/न
		वाणिज्यिकृत	ला/न	रॉयल्टी	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: यद्यपि कंपनी ने प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया, परंतु परियोजना/उत्पाद की व्यापारिक व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जा सकी थी क्योंकि अल्ट्रा वाइड प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कोई मानक नहीं थे। इसके कारण परियोजना के अंतर्गत विकसित उत्पाद का परीक्षण नहीं किया जा सका।					

पृष्ठ 70 पर जारी

49 ग्लिओमा के नाम के अंतर्गत अनेक ब्रेन ट्यूमर के प्रकार समूहित।

4.1.3 परियोजनाओं की मॉनीटरिंग

(i) नियमित रूप से आयोजित न की गयी आंतरिक संचालन समिति तथा मॉनीटरिंग समिति की बैठकें।

एन.एम.आई.टी.एल.आई. योजना में उद्देश्यों और प्रदेषों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए दो स्तरीय मॉनीटरिंग प्रणाली का प्रावधान किया गया। प्रथम स्तर पर परियोजना अन्वेषकों (पी.आई.) से बनी आंतरिक संचालन समिति (एस.सी.) थी जिनकी तीन माह में एक बैठक अपेक्षित थी। दूसरे स्तर पर तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से बनी बाह्य: स्वतंत्र मॉनीटरिंग समिति (एम.सी.) थी जिसकी छः माह में कम से कम एक बैठक होनी थी। एम.सी. निम्न सिफारिश करने को उत्तरदायी थी।

- (i) परियोजनाओं अथवा उप संघटकों का मोचन निषेध अथवा परिवर्तन;
- (ii) जहां कहीं आवश्यक हो, अतिरिक्त संस्थागत/औद्योगिक भागीदारों को शामिल करना; और
- (iii) कार्यन्वयक भागीदारों की वित्तपोषण सहायता संशोधित करना।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि एस.सी./एम.सी. की बैठकें निर्धारित अवधि के अनुसार नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई थी, जिसका परिणाम न केवल अपर्याप्त मॉनीटरिंग हुआ बल्कि परियोजना कार्यकलापों की प्रगति भी प्रभावित हुई। एस.सी. तथा एम.सी. बैठकों में कमी की स्थिति तालिका 20 में दी हुई हैं।

तालिका 20: अयोजित मॉनीटरिंग समिति तथा संचालन समिति की बैठकों की संख्या

कमी की प्रतिशतता	परियोजनाओं की संख्या	
	मॉनीटरिंग समिति	संचालन समिति
कोई कमी नहीं	12	2
1 से 25 प्रतिशत	10	7
26 से 50 प्रतिशत	7	13
51 से 75 प्रतिशत	शून्य	4
76 से 99 प्रतिशत	शून्य	शून्य
100 प्रतिशत	1	4
परियोजनाओं की कुल संख्या	30	30

उपयुक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि परियोजना कार्यकलापों के मूल्यांकन के लिए मॉनीटरिंग समिति को नियमित बैठकों के आयोजन में कमी हुई थी।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र (जारी)

परियोजना का नाम: 20		सतह लेपन अनुप्रयोगों के लिए पर्यावरण के लिए सुरक्षित दुर्लभ मिट्टी आधारित रंजकों की डिजाइन एवं विकास (चरण II)			
संक्षिप्त उद्देश्य: दुर्लभ मिट्टी मिश्रणों पर आधारित रंगों की श्रेणी यथा भूरा, हरा और नीला के लिए प्रौद्योगिकियों/प्रक्रिया का विकास और मानकीकरण।					
मूल लागत:	₹ 3.96 करोड़	व्यय:	₹ 2.12 करोड़	लागत अधिधाव	शून्य
परियोजना आरंभ	मार्च 2005	परियोजना समाप्त	दिसम्बर 2008	मूल अवधि	36 माह
				समय अधिधाव	9 माह
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम:	ला/न
		वाणिज्यीकृत	नहीं	रायल्टी:	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: परियोजना रंगों की लक्षित श्रेणी के विरुद्ध केवल दो रंग रंजक अर्थात् भूरा तथा पीला का विकास कर सकी। लेकिन औद्योगिक भागीदार द्वारा और बढ़ाने के लिए केवल भूरा रंग लिया गया था।					

परियोजना का नाम: 21		कृषि अपशिष्ट से जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक: खोई से प्राप्त सेल्यूलोज पर आधारित सेल्यूलोज ईस्टर			
संक्षिप्त उद्देश्य: उद्योग के साथ पायलट पैमाने के स्तर पर (100 किग्रा की सतत प्रक्रिया विधि में) वैधीकरण के साथ नवीकरणीय उप उत्पादों नामतः गन्ना खोई, खाद्य फसलों की पुआलों और डंठलों आदि से जैवनिम्नीकरणीय सामग्री का विकास					
मूल लागत:	₹ 2.00 करोड़ + ₹ 1.50 करोड़	व्यय:	₹ 2.87 करोड़ + ₹ 1.34 करोड़	लागत अधिधाव	₹ 0.87 करोड़
परियोजना आरंभ	मार्च 2002	परियोजना समाप्त	दिसम्बर 2004	मूल अवधि	48 माह
	मार्च 2005		मार्च 2008	समय अधिधाव	21 माह
पेटेन्ट	1	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम:	₹ 1.50 करोड़
		वाणिज्यीकृत	नहीं	रायल्टी:	शून्य
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: पायलट संयंत्र परिकल्पित 100 किग्रा सतत प्रक्रिया विधि के स्थान पर प्रत्येक 20 किग्रा के समूह प्रसंस्करण पर प्रचलित किया गया था और जुलाई 2008 में प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के बाद कोई जैवनिम्नीकरणीय सामग्री/उत्पाद विकसित और बाजार में वैधिकृत नहीं किया गया था।					

परियोजना का नाम: 22		आंखों की बीमारी के लिए श्रेष्ठ आणविक नैदानिक और निम्न दृष्टि बढ़ाने के उपकरण (चरण I एवं II)			
संक्षिप्त उद्देश्य: आंखों की बीमारी के लिए आणविक नैदानिक उपकरणों और दृष्टि बढ़ाने के साधनों का विकास।					
मूल लागत:	₹ 3.39 करोड़	व्यय:	₹ 4.96 करोड़	लागत अधिधाव	₹ 1.57 करोड़
परियोजना आरंभ	अप्रैल 2003	परियोजना समाप्त	अप्रैल 2007	मूल अवधि	24 माह
				समय अधिधाव	25 माह
पेटेन्ट	1	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम:	शून्य
		वाणिज्यीकृत	हां	रायल्टी:	₹ 6.84 लाख
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: मोतियाबिन्द और ग्लूकोमा पर अपर्याप्त आंकड़ों के कारण कार्य नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त परियोजना के अंतर्गत विकसित उत्पाद महंगे पाए गए थे जिससे व्यापारिक व्यवहार्यता प्रभावित हुई।					

पृष्ठ 72 पर जारी

17 परियोजनाओं में कमी एक से 50 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार एस.सी. की बैठकों के संबन्ध में 28 परियोजनाओं में बैठकों के आयोजन में कमी हुई थी। 24 परियोजनाओं में कमी एक से 75 प्रतिशत के बीच थी। एक परियोजना “एवियन फ्लू संकट का सामना करने के लिए एक धमाकेदार औषध तामीफ्लू की प्रक्रिया” में एम.सी. तथा एस.सी. गठित नहीं की गयी थी। तीन अन्य परियोजनाओं में एस.सी. की कोई बैठक नहीं की गयी थी। आयोजित बैठकों की संख्या के परियोजनावार ब्योरे **परिशिष्ट XVI** में दिये गए हैं।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (जनवरी 2014/मई 2015) कि विशेषज्ञों की अनुपलब्धता तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर अनुसूचित मील पत्थरो को प्राप्त न करने सहित अनेक कारणों के कारण कभी कभी मॉनीटरिंग अनुसूची का पालन नहीं किया जा सका था।

उत्तर इस संदर्भ में देखा जाना है कि अनुसूचित मील पत्थरों को प्राप्त न करने की दशा में परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण थी।

(ii) समय अधिधाव

लेखापरीक्षा में नमूना नामित 30 परियोजनाओं में से 28 परियोजनाओं में लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब देखे जिनमें छः माह से लगभग पाँच वर्ष के बीच समय अधिधाव हुए जैसा **परिशिष्ट XVII** में विवरण दिया गया है।

सी.एस.आई.आर. ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जनवरी 2014) और कहा कि जी.बी./डी.जी. सी.एस.आई.आर. के पास समय लंघन का अनुमोदन करने का अधिकार था। हालांकि लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना परियोजनाओं के 93 प्रतिशत से अधिक में समय लंघन था, जो परियोजना की संस्वीकृति के स्तर पर समय के अपर्याप्त आवंटन को दर्शाता है।

(iii) समितियों द्वारा दिए निर्देशों का अननुपालन

लेखापरीक्षा में देखा गया कि तीन परियोजनाओं में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान समितियों द्वारा दी गई विशेष सिफारिशों का परियोजना भागीदारों द्वारा पालन नहीं किया गया था। ब्योरे तालिका 21 में दिए गए हैं।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र (जारी)

परियोजना का नाम: 23		सूरजमुखी तथा खमीर में एंलेनोलेनिक अम्ल डोकोसहेक्सानीडक अम्ल (डी.एच.ए.) का उत्पादन करने के लिए रिकम्बीनेंट अभिगम			
संक्षिप्त उद्देश्य: किण्वन की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा डी.एच.ए. का उत्पादन।					
मूल लागत:	₹ 3.26 करोड़	व्यय:	₹ 3.72 करोड़	लागत अधिधाय	₹ 0.46 करोड़
परियोजना आरंभ	अप्रैल 2003	परियोजना समाप्त	जुलाई 2007	मूल अवधि	36 माह
				समय अधिधाय	16 माह
पेटेन्ट	1	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम:	₹ 50 लाख
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रायल्टी:	शून्य
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: यद्यपि किण्वन से डी.एच.ए. के उत्पादन का उद्देश्य प्राप्त किया गया था परंतु औद्योगिक भागीदार ने प्रौद्योगिकी व्यवसायीकृत नहीं की थी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक भागीदार ने ऋण के चुकौती में भी चूक की थी।					

परियोजना का नाम: 24		इंसुलिन का मुख से दिया जाना			
संक्षिप्त उद्देश्य: मधुमेह रोगी मरीजों की चिकित्सा के लिए मुख इंसुलिन कैपसूल का विकास।					
मूल लागत:	₹ 2.87 करोड़	व्यय:	₹ 2.39 करोड़	लागत अधिधाय	शून्य
परियोजना आरंभ	जून 2004	परियोजना समाप्त	अप्रैल 2012	मूल अवधि	36 माह
				समय अधिधाय	57 माह
पेटेन्ट	1	प्रौद्योगिकी विकसित	नहीं	प्रीमियम:	ला/न
		वाणिज्यिकृत	ला/न	रायल्टी:	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: परियोजना 57 माह के लंबे समय अधिधाय के बाद भी विभिन्न तकनीकी विषयों यथा उत्पाद मानकीकरण की कमी, औषध लदान समस्याएं, सकारात्मक चिकित्सीय प्रतिक्रिया की कमी आदि के कारण वांछित सूचीकरण विकसित नहीं कर सकी। बाद में औद्योगिक भागीदार की परियोजना में इच्छा समाप्त हो गई।					

परियोजना का नाम: 25		औद्योगिक रसायनों का विनिर्माण करने के लिए फीड स्टॉक के रूप में कार्बोहाइड्रेटस का अक्रियाशीलकरण			
संक्षिप्त उद्देश्य: कपड़ा, आटोमोबाइल और अन्य ऐसे उद्योगों के लिए औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण पण्य रसायनों तथा विशेषज्ञता रसायनों के प्रति आर्थिक रूप से व्यवहार्य विधियों तथा प्रक्रियाओं का विकास।					
मूल लागत:	₹ 2.50 करोड़	व्यय:	₹ 2.52 करोड़	लागत अधिधाय	₹ 0.02 करोड़
परियोजना आरंभ	मार्च 2001	परियोजना समाप्त	अप्रैल 2004	मूल अवधि	24 माह
				समय अधिधाय	13 माह
पेटेन्ट	2	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम:	ला/न
		वाणिज्यिकृत	नहीं	रायल्टी:	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: परियोजना के अंतर्गत विभिन्न संघटक परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त किए बिना तकनीकी कारणों के कारण बीच में बंद किए गए थे। प्राप्ति केवल एक संघटक तक सीमित थी जिसे भी वाणिज्यिकृत नहीं किया जा सका था क्योंकि रसायनों में से एक म्यूटजेनिक विशेषताओं वाला होना पाया गया था और वापस लेना पड़ा था।					

पृष्ठ 74 पर जारी

तालिका 21: मॉनिटरिंग/संचालन समितियों की सिफारिशों का अननुपालन

क्र. सं.	परियोजना का नाम (व्यय ₹ करोड़ में)	अननुपालित समिति की सिफारिशें
1.	तार रहित सेंसर नेटवर्क चिपसेट आधारित अल्ट्रा वाइड बैंड (यू.डब्ल्यू.बी.) प्रौद्योगिकी (₹ 4.22 करोड़)	औद्योगिक भागीदार ने आला बाजार यथा उच्च डाटा दरों के साथ विडियो निगरानी में प्रवेश करने के लिए विपणन नीति प्रस्तुत की जो मूल परियोजना कार्य में शामिल नहीं थी। फलस्वरूप एम.सी. ने सिफारिशों की (फरवरी 2008) कि उद्योग भागीदार अन्य उद्योग (माइण्ड्ट्री) का सहयोग लें। तथापि उद्योग भागीदार ने अवसर का उपयोग नहीं किया था। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा यथा संस्तुत (अप्रैल 2009) अपने प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के लिए कंपनी ने सी.ई.एस. 2009 में भाग नहीं लिया था क्योंकि तैयारी पूर्ण नहीं थी।
2.	सीमेंट विनिर्माण में ऊर्जा दक्षता और संसाधन के प्रति उन्नत दानेदार संसाधन (₹ 3.22 करोड़)	एम.सी. ने परियोजना समाप्त करते समय एन.एम.एल. ⁵⁰ को टी.आई.एफ.ए.सी. उड़न राख मिशन और अन्य पणधारी (यों) को शामिल कर सीमेंट उद्योग के परामर्श से पायलट संयंत्र स्तर पर अध्ययन आगे बढ़ाने को आरंभ करने की सिफारिश की (अप्रैल 2006)। लेकिन एन.एम.एल. द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
3	सतह लेपन अनुप्रयोगों के लिए पर्यावरण के लिए सुरक्षित दुर्लभ मिट्टी आधारित रंजकों का डिजाइन तथा विकास (चरण-II) (₹ 2.12 करोड़)	संचालन समिति ने सिफारिश की (दिसंबर 2008) कि सी.एस.आई.आर. गामा सीरियम सलफाइड हेतु विकसित बैंड गैप इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आई.आई.टी. चेन्नई के परामर्श से संभावनाओं का पता लगाए। इस प्रकार सी.एल.आर.आई. को भी आई.आर.ई.एल. के माध्यम से मिश्रित दुर्लभ मिट्टी रंजकों को बढ़ाने का परामर्श दिया था। लेकिन आई.आर.ई.एल. द्वारा बढ़ाने के लिए केवल भूरा रंजक लिया जा सका था और अन्य उत्पाद अभी बढ़ाए जाने थे।

50 राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर (सी.एस.आई.आर. की एक घटक प्रयोगशाला)।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र (जारी)

परियोजना का नाम: 26		श्रेष्ठ अभिव्यंजन प्रणाली का विकास			
संक्षिप्त उद्देश्य: विविध अनुप्रयोगों के लिए प्रोटीन के अभिव्यंजन हेतु भारतीय जैव औषधीय क्षेत्र के लिए देशी अभिव्यंजन प्रणाली का विकास।					
मूल लागत:	₹ 2.16 करोड़	खर्च	₹ 2.55 करोड़	अधिधाय लागत	₹ 0.39 करोड़
परियोजना आरंभ	मार्च 2005	परियोजना समाप्त	सितम्बर 2008	मूल अवधि	36 माह
				समय अधिधाय	6 माह
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम:	ला/न
		वाणिज्यीकृत	नहीं	रायल्टी:	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: अभिव्यंजन प्रणालियाँ विकसित नहीं की जा सकी थी। इसके अलावा स्वामित्व के परिवर्तन और प्रणाली के विकास हेतु प्रयुक्त किए जाने को प्रस्तावित वैदिक संपदा के अधिदेश के कारण दो औद्योगिक भागीदारों ने परियोजना छोड़ दी थी।					

परियोजना का नाम: 27		परिकलनीय जीव विज्ञान 'दर्शी' के लिए पी.सी. आधारित उच्च अंत प्रत्यक्षीकरण प्लेटफार्म			
संक्षिप्त उद्देश्य: औषधीय तथा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जैव सूचना विज्ञान और जैव अनुरूपन सुगम करने और सहायता करने ले किए बाजार (यथा एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत विकसित बायोसुइट, टी.एस.एस. का बायोस्पाइस) में वर्तमान सॉफ्टवेयर पैकेजों की क्षमता और कार्यत्मकता बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर साधन का विकास।					
मूल लागत:	₹ 1.93 करोड़	व्यय:	₹ 1.97 करोड़	लागत अधिधाय	₹ 0.04 करोड़
परियोजना आरंभ	अप्रैल 2003	परियोजना समाप्त	मई 2004	मूल अवधि	13 माह
				समय अधिधाय	--
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम:	शून्य
		वाणिज्यीकृत	हां	रायल्टी:	शून्य
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: विकसित सॉफ्टवेयर औद्योगिक भागीदार द्वारा बांध दिया गया था और सी.एस.आई.आर. का अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्ट्राटेजीन, केलिफोर्निया द्वारा विदेशी उत्पाद के साथ सहब्राण्ड किया गया था जिसने परियोजना अनुबंध की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अस्वीकृति के अपने पहले अधिकार का प्रयोग नहीं किया था। इस प्रकार परियोजना भारत में प्रौद्योगिकीय प्रगति के अपने उद्देश्य में विफल हो गई।					

परियोजना का नाम: 28		समतल पैनल प्रदर्शन साधनों के लिए परिमाण उन्नत द्रव क्रिस्टलों के दो आदेश			
संक्षिप्त उद्देश्य: लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज (एल.सी.डी.) निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी पर आधारित नए प्रोटोटाइप उपकरणों का आरंभ।					
मूल लागत:	₹ 1.40 करोड़	व्यय:	₹ 1.36 करोड़	लागत अधिधाय	शून्य
परियोजना आरंभ	मई 2001	परियोजना समाप्त	जून 2005	मूल अवधि	24 माह
				समय अधिधाय	24 माह
पेटेन्ट	4	प्रौद्योगिकी विकसित	हां	प्रीमियम:	ला/न
		वाणिज्यीकृत	नहीं	रायल्टी:	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: परियोजना इस विचार से समाप्त की गई थी कि परियोजना के अंतर्गत न तो उद्योग भागीदार और न ही आमंत्रित उद्योग प्रतिनिधियों के पास इसे आगे व्यवसायीकृत/विकसित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता थी।					

पृष्ठ 76 पर जारी

(iv) औद्योगिक भागीदारों द्वारा ऋण की चुकौती में चूक

एन.एम.आई.टी.एल.आई. योजना की आई.ओ.पी. परियोजनाओं में प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए 10 बराबर वार्षिक किशतों में तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर औद्योगिक भागीदार को आसान ऋणों का प्रावधान परिकल्पित किया गया। औद्योगिक भागीदारों को ऋण मंजूरी की शर्तों तथा निबंधनों में औद्योगिक भागीदार द्वारा ऋण की चुकौती में विलंब के मामले में विलंब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत मिश्रित मासिक दर पर यौगिक ब्याज लगाने का प्रावधान किया गया। आरंभ में एन.एम.आई.टी.एल.आई. मार्गनिर्देशों में एन.एम.आई.टी.एल.आई. परियोजनाओं के चयन के दौरान परियोजना भागीदार की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारण का प्रावधान था। प्रक्रिया में उद्योग जनित परियोजनाओं के परियोजना प्रस्तावों को औद्योगिक भागीदार का वित्तीय पार्श्वयंत्र और परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकी वित्तपोषण एजेंसियों/वी.सी.एफ./बैंकों को भेजा जाना शामिल था। तदर्थ यह खंड सी.एस.आई.आर. के शासी निकाय द्वारा मार्गनिर्देशों से निकाल दिया गया था (जुलाई 2004)।

लेखापरीक्षा में चयनित 30 परियोजनाओं के संबंध में ₹ 83.02 करोड़ का ऋण 18 कंपनियों को जारी किया गया था जिसमें से नौ परियोजनाओं में ₹ 64.92 करोड़ का मूलधन चुकाना देय था जैसा कि तालिका 22 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ₹ 67.97 करोड़ का ब्याज भी इन परियोजनाओं के अंतर्गत जारी ऋणों के प्रति प्राप्य था।

30 चयनित परियोजनाओं का संक्षिप्त पार्श्वचित्र (जारी)

परियोजना का नाम: 29		इरेथ्रोमाइसिन का क्लेरिथ्रोमाइसिन और अन्य श्रेष्ठ जैविक रूप से सक्रिय अणुओं में माइक्रोजीव वैज्ञानिक परिवर्तन			
संक्षिप्त उद्देश्य: एक वैकल्पिक प्रक्रिया, जो नई पीढ़ी प्रतिजैविकी की खोज के लिए कदमों की घटाई संख्या और निम्नतर लागत के साथ उपज बढ़ाए है, की खोज करना।					
मूल लागत:	₹ 1.21 करोड़	व्यय:	₹ 1.04 करोड़	लागत अधिधाव	शून्य
परियोजना आरंभ	सितम्बर 2002	परियोजना समाप्त	अप्रैल 2004	मूल अवधि	20 माह
				समय अधिधाव	--
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	नहीं	प्रीमियम:	ला/न
		वाणिज्यीकृत	ला/न	रायल्टी:	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: परियोजना 20 माह की परिकल्पित अवधि और अनुमानित लागत का 85 प्रतिशत से अधिक व्यय करने के बाद बंद कर दी गई थी क्योंकि इससे वांछित रूपांतरण से नए स्ट्रेन नहीं मिले।					

परियोजना का नाम: 30		टामीफलू की प्रक्रिया- एवियन फलू के संकट का सामना करने के लिए एक धमाकेदार औषध			
संक्षिप्त उद्देश्य: व्यापारिक रूप से टामीफलू के रूप में ज्ञात औषध 'ओसेल्टामीवीर' के विकास के लिए देशी प्रक्रिया।					
मूल लागत:	₹ 50 लाख	व्यय:	₹ 39.53 ⁵¹ लाख	लागत अधिधाव	शून्य
परियोजना आरंभ	अक्टूबर 2005	परियोजना पूर्ण/समाप्त	अक्टूबर 2007	मूल अवधि	10 माह
				समय अधिधाव	15 माह
पेटेन्ट	0	प्रौद्योगिकी विकसित	नहीं	प्रीमियम:	ला/न
		वाणिज्यीकृत	ला/न	रायल्टी:	ला/न
लेखापरीक्षा टिप्पणियां: परियोजना एन.एम.आई.टी.एल.आई. के परियोजना सूचीकरण मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में संस्वीकृत की गई थी क्योंकि प्रस्ताव न तो संचानल समिति में लिया गया था और न ही उस पर विशेषज्ञ समूह तथा उच्चाधिकार समिति में विचार किया गया था। टामीफलू के विकास की प्रक्रिया पहले ही पेटेन्ट की जा चुकी थी और सी.एस.आई.आर. गैर उल्लंघन वाली प्रक्रिया का विकास करने में असमर्थ था। बर्डफलू संकट समाप्ति के बाद सी.एस.आई.आर. ने परियोजना बंद कर दी।					

51 इसमें से ₹ 37.50 करोड़ की राशि एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत जारी की गई थी।

तालिका 22 : परियोजनाओं की सूची जिनके अंतर्गत निजी भागीदारों को जारी ऋण 31 मार्च 2014 को चूक के अधीन थे।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	औद्योगिक भागीदार का नाम	जारी ऋण राशि	अदा करने की देय तारीख	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज
1	जैवसूचना विज्ञान के लिए बहुमुखी सुवाद्य पीसी आधारित साफ्टवेयर का विकास और बायो सुइट के लाइनक्स कल्स्टर वर्जन का विकास	जलज टेकनालजी बंगलूरू	0.24	अक्टूबर 2005	0.10	0.58
		फ्रंटियर इन्फर्मेंशन टेकनालोजीज लिमिटेड सिकंदरबाद	0.40	अप्रैल 2008	0.14	0.73
2	नवीकरणीय संसाधनों से मूल्यवर्धित पालीमिरिक सामग्री: दुग्धाम्ल और दुग्धाम्ल आधारित पालीमर	गोदावरी शुगर मिल्स, मुंबई	4.85	अप्रैल 2012	4.85	1.36
3	सूरजमुखी और खमीर में एलाइनोलेनिक अम्ल और डोकोसहेक्सानिडिक अम्ल (डीएचए) उत्पन्न करने के लिए रिकांबिनेंट अभिगम	आवेष्ट जेनगरेन टेकनालोजी प्रा.लि. बंगलूरू	3.04	जनवरी 2008	2.73	0.92
4	पी.सी. की जगह एक लागत प्रभावी कार्यालय परिकलन (सोफ्कोम्प) प्लेटफार्म	एनकोर साफ्टवेयर लिमिटेड, बंगलूरू	3.20	नवम्बर 2005	2.56	3.28
5	विश्व रूप से प्रतियोगी 'ट्रिपल प्ले' ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का विकास	डिविनेट एक्सेस टेकनालोजीज लिमिटेड, पुणे	9.39	मार्च 2008	9.39	10.19
6	विशाल श्रेणी अनुप्रयोगों का विकास तथा जानकारी बढ़ाने के लिए सोफ्कोप और मोबिलिस का बाजार बीजारोपण	एनकोर साफ्टवेयर लिमिटेड, बंगलूरू	5.37	मार्च 2007	5.37	3.29
7	अगली पीढ़ी प्लाजमा प्रदर्शन प्रौद्योगिकी 50" हाई डेफिनेशन (एच.डी.) टीवी का विकास	समटेल कलर, गाजियाबाद	20.63	अक्टूबर 2010	20.63	23.18
8	अल्ट्रावाइड बैंड प्रौद्योगिकी पर आधारित सेंसर नेटवर्क चिपसेट का विकास	वर्चुअल वायर टेकनालजी, नई दिल्ली	4.22	अगस्त 2010	4.22	1.13
9	कुषण बांडेड/रिजेड बांडेड आर्गेनिक सेरामेटलीक कुकी एवं एकल/ईधन सिंटरित बटन (तांबा/लोहा आधारित) सेरामीक कुकीज और एनुलर रिंग क्लच डिस्क और सुमेल कवर संयोजनों का डिजाइन तथा विकास	क्लच ऑटो लिमि., फरीदाबाद	14.93	अप्रैल 2012	14.93	23.31
जोड़			66.27		64.92	67.97

तथ्य स्वीकार करते हुए सी.एस.आई.आर. ने बताया (अगस्त 2014) की सभी चूककर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी।

4.1.4 विशेष परियोजनाओं पर आपत्तियां

एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत कार्यनिवित योजनाओं की संवीक्षा में प्रस्ताव स्तर पर परियोजनाओं के अपूर्ण निर्धारण के दृष्टांतों का पता चला जिन्होंने कार्यान्वयन बाद परियोजनाओं के अंतर्गत वांछित परिणामों की प्राप्ति को प्रभावित किया। कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.1.4.1 विनिर्देशन जांच के मानकों के बिना परियोजना की संस्वीकृति

सी.एस.आई.आर. ने तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹ 4.60 करोड़ की अनुमानित लागत पर वर्चुअल वायर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, नई दिल्ली (वी.डब्ल्यू.टी.) को अल्ट्रा वाइड बैंड प्रौद्योगिकी आधारित वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए चिपसेट का विकास नामक परियोजना संस्वीकृत की थी (मार्च 2007)। परियोजना का उद्देश्य निम्न शक्ति और निम्न डाटा दर ताररहित चिपसेट का विकास करना था। प्रौद्योगिकी वर्तमान ताररहित चिपसेटों जिनमें प्रारम्भिक परिसीमित बैंड प्रौद्योगिकी प्रयोग है, द्वारा समान की जा रही हस्तक्षेप और उच्च विद्युत खपत समस्याओं पर विजय पाने के लिए लागत प्रभावी समाधान के रूप में प्रस्तावित की गई थी।

परियोजना तीन चरणों यथा, डिजाइन, विकास और व्यवसायिकरण में कार्यनिवित की जानी थी। यह परिकल्पित किया गया था कि परियोजना के अंत में चिपसेट व्यावसायिक उपयोग हेतु उपलब्ध की जाएगी। चिपसेट से ₹ 300 करोड़ से अधिक प्रत्याशित आय के साथ गृह सुरक्षा तथा थोक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बाजार प्राप्त करने को प्रत्याशित थी। व्यवसायीकरण चरण के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रौद्योगिकी विश्व मानकों के अंदर सम्मिलित की गई थी विकसित उत्पाद के मनकीकरण हेतु, प्रक्रिया में औद्योगिक भागीदार का भी शामिल होना प्रस्तावित था।

सी.एस.आई.आर. ने परियोजना के कार्यन्वयन हेतु फर्म के साथ एक अनुबंध किया (मार्च 2007)। अनुबंध की शर्तों और निबंधनों के अनुसार ₹ 4.60 करोड़ की वित्तीय सहायता अगस्त 2010 से आरंभ कर 10 वार्षिक किश्तों में चुकाई जाने के लिए आसान ऋण के रूप में वितरित की जानी थी। मार्च 2007 और जुलाई 2009 के बीच सी.एस.आई.आर. ने फर्म को ₹ 4.22 करोड़ जारी किए।

परियोजना के दौरान (मई 2008) फर्म ने निम्न डाटा पर चिपसेट के विकास से उच्च डाटा दर चिपसेट तक परियोजना उद्देश्य बढ़ाने का प्रस्ताव किया जिसका औचित्य था कि प्रारम्भिक तारहित संचार कंपनियों के अपनी समस्याओं पर काबू पा लिया था इसलिए प्रस्तावित नई प्रौद्योगिक दीर्घ समय तक लागत प्रतियोगी नहीं थी। तदनुसार, परियोजना की मॉनिटरिंग समिति (एम.सी.) ने लागत बढ़ाए बिना परियोजना उद्देश्य एक जी.बी.पी.एस. डाटा स्थानांतरण दर के साथ कार्यचालन प्रोटोटाइप का विकास और प्रदर्शन जुलाई 2009 से पूर्व तैयार किए जाने तक संशोधित कर दिया (अगस्त 2008)। वी.डब्ल्यू.टी. कार्यचालन प्रोटोटाइप का विकास और प्रदर्शन केवल जुलाई 2010 तक कर सका। परंतु, यह इसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता स्थापित करने में असमर्थ था क्योंकि अल्ट्रा वाइड बैंड प्रौद्योगिकी उत्पादों के मानक अभी अपनाए जाने थे जिसके कारण यह जांच करना कठिन था कि क्या विकसित प्रोटोटाइप विशेष मानकों के अनुरूप था अथवा नहीं।

बाद में एम.सी. बैठक (जुलाई 2010) के दौरान फर्म ने अल्ट्रा वाइड बैंड प्रौद्योगिकी मानकों को अन्य विद्यमान मानकों से बदलने का प्रस्ताव किया। तथापि इन मानकों के अंतर्गत विनिर्देशन प्राप्त करने के लिए आगे कार्य किया जाना अपेक्षित था जिसके लिए वी.डब्ल्यू.टी. आवश्यक विशेषज्ञता नहीं रखता था। इसके, और यह तथ्य कि फर्म व्यावसायिकरण के लिए वित्तीय संसाधन एकल करने में असमर्थ थी के दृष्टिगत ₹ 4.02 करोड़ का व्यय करने के बाद मार्च 2012 में परियोजना बन्द कर दी गई थी। तथापि विकसित प्रौद्योगिकी के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया था (अप्रैल 2012)।

मई 2015 तक प्रौद्योगिकी के मानक अभी विकसित किए जाने थे और उत्पाद का व्यापारिक रूप से लाभ नहीं उठाया गया था। यद्यपि चार पेटेन्ट फाइल किए गए थे परंतु कोई दिया नहीं गया था। इसके अलावा फर्म ₹ 4.22 करोड़ की सम्पूर्ण ऋण राशि चुकाने में विफल हो गई। मार्च 2015 तक फर्म से ₹ 1.13 करोड़ का ब्याज बकाया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सी.एस.आई.आर. परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के समय अवगत था कि प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के मानक उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार सी.एस.आई.आर. ने ऐसे क्षेत्र में परियोजना आरंभ की जहां उत्पाद परीक्षा हेतु मानक उपलब्ध नहीं थे। फलस्वरूप विकसित उत्पाद के सफल विकास की जांच नहीं की जा सकी और इसलिए व्यापारिक रूप से लाभ नहीं लिया जा सका था।

सी.एस.आई.आर. ने ऋण की चुकौती न करने के प्रति भी कार्रवाई करने में विलंब किया और जिससे फर्म को अदेय लाभ दिया गया।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (मई 2015) कि परियोजना आरंभ करने के समय पर क्षेत्र में विकास प्रत्याशित नहीं किए जा सके। सी.एस.आई.आर. का उत्तर इस पृष्ठ भूमि में देखे जाने की आवश्यकता है कि एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं प्रौद्योगिकीय नेतृत्व प्राप्त करने के लिए प्रयासित थीं जो इस मामले में पृष्ठ नहीं किया जा सका था क्योंकि सी.एस.आई.आर. ने ऐसी परियोजना को समर्थन दिया जिसमें उसकी सफलता की जांच के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं थे।

4.1.4.2 परियोजना की जल्दबाजी में संस्वीकृति

सी.एस.आई.आर. ने छह माह की अवधि में ₹ 25.00 लाख के बजट अबंटन से राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पुणे (एन.सी.एल.) द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए “एवियन फ्लू के संकट का सामना करने के लिए टामीफ्लू -एक धमाकेदार औषध की प्रक्रिया” की परियोजना संस्वीकृत की (अक्टूबर 2005)। परियोजना देश में देशव्यापी बर्ड फ्लू की आशंका की पृष्ठभूमि में आरंभ की गई थी। सी.एस.आई.आर. का उद्देश्य बर्ड फ्लू के निदान में प्रयुक्त टामीफ्लू औषध के देशी उत्पादन की प्रक्रिया विकसित करना था ताकि औषध उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए और पर्याप्त मात्रा में संचय हो जाए। चूंकि टामीफ्लू के उत्पादन के लिए पहले ही पेटेंटकृत प्रक्रिया थी इसलिए सी.एस.आई.आर. ने औषध के विकास के लिए गैर उल्लंघन प्रक्रिया विकसित करने के लिए परियोजना आरंभ की। परियोजना निम्नवत पाँच संघटकों के साथ प्रस्तावित थी:

- कुछ अभिज्ञात आरम्भिक सामग्री⁵² का उपयोग कर टामीफ्लू प्रक्रिया का विकास;
- टामीफ्लू के लिए गैर उल्लंघन प्रक्रिया का विकास;
- भारतीय पेड़ स्रोतों से कच्ची सामग्री का विकास;
- कच्ची सामग्री के लिए जैव प्रक्रिया का विकास; और
- नई औषधियों का विकास।

द्वितीय संघटक के आरंभ से समय पर परियोजना के लिए मॉनिटरिंग समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। बाद में एक अन्य सी.एस.आई.आर. प्रयोगशाला, भारतीय रासायनिक औद्योगिक संस्थान हैदराबाद (आई.आई.सी.टी.) को भी ₹ 25.00

⁵² शिकीमिक अम्ल और क्विनिक अम्ल।

लाख के अतिरिक्त आबंटन के साथ भागीदार के रूप में शामिल किया गया था (जनवरी 2006)।

तथापि एन.सी.एल. तथा आई.आई.सी.टी. टामीफ्लू के विकास के लिए गैर उल्लंघन प्रक्रिया का विकास करने में असमर्थ थे। परियोजना ₹ 39.53⁵³ लाख का व्यय करने के बाद बंद कर दी गई थी (अक्टूबर 2007)। यद्यपि यह बताया गया (अक्टूबर 2007) कि कुछ योजनाएं वाणिज्यिक दोहन की संभावना रखती थीं परंतु इस क्षेत्र में आगे कोई कार्य नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया की परियोजना एन.एम.आई.टी.एल.आई. के परियोजना सूचिकरण मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में संस्वीकृत की गई थी क्योंकि परियोजना प्रस्ताव का न तो संचालन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था और न ही विशेषज्ञ समूह तथा एच.पी.सी. में उसपर चर्चा की गई थी। परियोजना की मॉनिटरिंग नहीं हुई थी क्योंकि एम.सी. का गठन भी नहीं किया गया था। इसके अलावा यद्यपि उद्देश्य महामारी की स्थिति में औषध के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना था परंतु परियोजना को मई 2015 तक आगे बढ़ाया नहीं गया था।

सी.एस.आई.आर. ने बताया (जुलाई 2010) कि परियोजना जारी नहीं रखी गई क्योंकि उस समय तक बर्डफ्लू संकट गुजर गया था। सी.एस.आई.आर. ने आगे बताया (फरवरी 2013/मई 2015) कि बर्डफ्लू संकट के संबंध में उभरती आपात स्थिति के कारण परियोजना संस्वीकृति के लिए एन.एम.आई.टी.एल.आई. प्रक्रियाएँ नजरअंदाज कर दी गई थी। यह भी बताया गया कि टामीफ्लू उत्पादन की एक प्रक्रिया परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई थी परंतु सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों को औषध का जेनरिक रूपांतर उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई थी इसलिए मूल विनिर्माता से पैकेज के रूप में विदेश से प्रक्रिया प्राप्त की गई थी और विकसित प्रक्रिया उपयोग नहीं की जा सकी थी।

सी.एस.आई.आर. का उत्तर परियोजना आरंभ करने के समय पर दिए गए औचित्य के संदर्भ में देखा जाता है कि महामारी की स्थितियों में सामना करने के लिए औषध के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भरता विकसित करने की आवश्यकता थी। कार्य बंद करने का निर्णय, क्योंकि तब तक बर्डफ्लू संकट समाप्त हो गया था, इस औचित्य को नगण्य करता है। इसके अलावा सी.एस.आई.आर. परियोजना प्रस्ताव चरण पर पहले ही अवगत था कि भारतीय कंपनियों को औषध के जेनरिक रूपांतर उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त सी.एस.आई.आर. द्वारा विकसित प्रक्रिया का

53 इनमें से ₹37.50 लाख एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत जारी की गई थी।

वाणिज्यिकरण संभव नहीं था क्योंकि यह गैर उल्लंघन प्रक्रिया विकसित करने में समर्थ नहीं हुआ था।

इस प्रकार, सी.एस.आई.आर. ने तकनीकी तथा आर्थिक संभाव्यता और मॉनिटरिंग तन्त्र आदि के लिए परियोजना प्रस्ताव की आरंभिक अपेक्षित छानबीन बिना परियोजना के कार्यान्वयन का अविचारित निर्णय लिया। आखिरकार बर्डफ्लू महामारी समाप्ति के बाद परियोजना बंद कर दी गई थी और इस क्षेत्र में आगे कोई कार्य नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 39.53 लाख का निष्फल व्यय हुआ। बीमारी की आशंका की स्थिति में आत्मनिर्भर होने का प्रयोजन भी विफल हो गया था।

4.1.4.3 विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए प्रयोक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण निष्फल व्यय

एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और अनुमोदन के मार्गनिर्देश में विशेषज्ञ समूह (चैंपियन समूह) गठित करने का प्रावधान किया गया जो संगत क्षेत्र में तीन से चार विशेषज्ञों से बनेगी और उनमें कम से कम एक परियोजना को औद्योगिक परिदृश्य प्रदान करने के लिए उद्योग से होगा।

सी.एस.आई.आर. ने एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत दो वर्षों की अवधि के लिए ₹ 1.40 करोड़ की कुल लागत पर 'समाल पैनेल प्रदर्शन उपकरणों के लिए परिमाण उन्नत द्रव क्रिस्टल के दो आदेश' नामक एक परियोजना संस्वीकृत की (मई 2001)।

परियोजना के उद्देश्य निम्नवत थे:

- उन्नत प्रदर्शन विशेषताओं के साथ द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन (एल.सी.डी.) निर्माण करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास;
- इसे लागत प्रभावी बनाने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया का अनुकूलन;
- विकसित संकल्पना की आवश्यकता के उपयुक्त नई सामग्री का संश्लेषण; और
- नई प्रौद्योगिकी पर आधारित नए प्रोटोटाइप उपकरणों का आरंभ।

परियोजना प्रस्ताव में परिकल्पना की गई कि विकसित नई प्रौद्योगिकी भारतीय उद्योग के एल.सी.डी. उपकरणों के क्षेत्र में निर्णायक रूप से स्वयं को स्थापित करने में समर्थ करेगी।

परियोजना लिक्विड क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र, बंगलूरु (सी.एल.सी.आर.)⁵⁴ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलूरु (बी.ई.एल.) द्वारा कार्यान्वित की जानी थी। तदनुसार,

54 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान।

सी.एस.आई.आर. ने सी.एल.सी.आर. और बी.ई.एल. के साथ एम.ओ.यू. किया (मई 2001)। सी.एस.आई.आर. द्वारा वित्तीय सहायता दोनों कार्यान्वयक एजेंसियों को अनुदान सहायता के रूप में थी।

परियोजना मार्च 2004 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। यद्यपि परियोजना उद्देश्य प्राप्त किए गए थे और प्रोटोटाइप विकसित किया गया था परंतु बी.ई.एल. ने नए उत्पाद के वाणिज्यिक रूप से दोहन में अपनी असमर्थता व्यक्त की। इसलिए एम.सी. ने सिफारिश की (अगस्त 2004) कि प्रोटोटाइप के आगे विकास और इसके वाणिज्यिक दोहन के लिए औद्योगिक भागीदारों की पहचान के लिए परियोजना में नया औद्योगिक/संस्थागत भागीदार शामिल किया जाए। एम.सी. ने जून 2005 तक परियोजना की समयवृद्धि की सिफारिश की।

सी.एस.आई.आर. ने भारतीय उद्योग से एक बैठक आयोजित की (फरवरी 2005) जिसमें तीन कंपनियों के प्रतिनिधियों को परियोजना के अंतर्गत विकसित दो नई प्रौद्योगिकियाँ प्रस्तावित की गई थी और उनके वाणिज्यिक दोहन पर उनकी प्रतिक्रियाएँ मांगी गई थीं।

तथापि यह प्रकट हुआ कि आमंत्रित उद्योगों में से कोई प्रौद्योगिकी लेने को तैयार नहीं था क्योंकि ऐसे प्रोटोटाइप बनाने के लिए उनके पास क्षमता की कमी थी। अन्ततः यह निष्कर्ष निकाला गया (जून 2005) कि परियोजना बंद कर दी जाए और विदेशी पार्टियों की पहचान की जाए जो प्रौद्योगिकी को उत्पादों में परिवर्तित कर सकें। तदनुसार परियोजना ₹ 1.36 करोड़ का व्यय करने के बाद जून 2005 में बंद कर दी गई। परियोजना भारतीय और विदेशी प्रत्येक दो पेटेंट उत्पन्न करने में सक्षम थी। तथापि सी.एस.आई.आर. परियोजना के व्यवसायीकरण में विदेशी भागीदारी प्राप्त करने में असमर्थ था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि परियोजना के लिए गठित चैंपियन समूह में केवल एक सदस्य था जो सी.एल.सी.आर. (भागीदार संस्थान) से परियोजना अन्वेषक था। चैंपियन समूह में उद्योग से कोई विशेषज्ञ शामिल नहीं किया गया था। यह न केवल एन.एम.आई.टी.एल.आई. मार्गनिर्देशों का उल्लंघन था बल्कि यह भी संकेत था कि परियोजना प्रस्ताव का निर्धारण इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार अपर्याप्त था। फलस्वरूप उद्योग की संगति की परियोजना के कार्यान्वयन बाद छानबीन की गई थी और प्रयास अनुत्पादक सिद्ध हुए थे क्योंकि न तो भारतीय और न ही विदेशी उद्योग ने विकसित प्रोटोटाइप के वाणिज्यिक उत्पादन में रूची दिखाई।

इस प्रकार परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता निर्धारित करने में सी.एस.आई.आर. की विफलता के कारण ऐसी स्थिति हो गई जहां विकसित प्रौद्योगिकी के प्रयोक्ता नहीं थे, जिससे परियोजना पर किया गया ₹ 1.36 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

यह स्वीकार करते हुए कि उत्पाद के वाणिज्यिक दोहन के लिए कोई उद्योग उपलब्ध नहीं था, सी.एस.आई.आर. ने बताया (मई 2015) की विकसित उत्पादों का वाणिज्यिकरण सी.एस.आई.आर.-एन.एम.आई.टी.एल.आई. क्षेत्र में नहीं आता है।

उत्तर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है की एन.एम.आई.टी.एल.आई. का उद्देश्य विश्व नेतृत्व विकसित करना था जो प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि विकसित प्रौद्योगिकी के लिए कोई प्रयोक्ता नहीं था।

4.1.5 निष्कर्ष

14 वर्षों (2000-01 से 2013-14) की बिते में नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिक नेतृत्व सूत्रपात (एन.एम.आई.टी.एल.आई.) योजना के अंतर्गत ₹ 630.50 करोड़ के निवेश के बाद भी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् किसी आला क्षेत्र में विश्व नेतृत्व प्राप्त करने में विफल हो गया जैसा कि योजना में परिकल्पित किया गया। लेखापरीक्षा में नमूना जांचित 30 परियोजनाओं में से छह परियोजनाओं में परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त न किए गए थे। यद्यपि 24 परियोजनाओं में कुछ प्रौद्योगिकियां/प्रक्रियाएँ विकसित की गई थीं परंतु वे केवल आठ परियोजनाओं में हस्तांतरित की गई थीं और केवल चार परियोजनाओं अर्थात् नमूना का 13 प्रतिशत, में वाणिज्यिकृत की गई थी। प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण न करने के कारण औद्योगिक भागीदारों का बंद करना, वाणिज्यिक अव्यवहार्यता, बाजार स्थितियों में परिवर्तन और अपूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास थे।

लेखापरीक्षा में आसान ऋणों की वसूली में अल्प मानिटरण देखा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64.92 करोड़ तक भारी बकाया प्राप्यों का संचय हुआ। लेखापरीक्षा में परियोजनाओं के मॉनिटरन में कमियाँ, एन.एम.आई.टी.एल.आई. योजना के मार्गनिर्देशों का अननुपालन और परियोजनाएं पूरी करने में विलंब देखे गए। जैसे एन.एम.आई.टी.एल.आई. के अंतर्गत वैश्विक रूप से प्रतियोगी नई प्रौद्योगिकियों के विकास परिकल्पित किए गए, यह योजना भारतीय उद्योग को कोई राष्ट्रीय और/अथवा अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में विफल हो गई।

4.2 पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नतियों की अनियमित मंजूरी

भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् वैज्ञानिक भर्ती एवं पदोन्नति निर्धारण नियम 2001 में पूर्व प्रभावी पदोन्नति के प्रावधान शामिल थे। परिणामस्वरूप इसकी चार प्रयोगशालाओं, जिनकी नमूना जांच की गई, ने लचीली प्रतिपूरक योजना के अंतर्गत पूर्वव्यापी प्रभाव से 256 वैज्ञानिक पदोन्नत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ का अनियमित लाभ हुआ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों में कार्यरत वैज्ञानिकों की स्वस्थाने पदोन्नति के लिए वर्तमान लचीली प्रतिपूरक योजना (एफ.सी.एस.)⁵⁵ के संशोधन निर्देश जारी किए (नवम्बर 1998)। ये निर्देश वैज्ञानिक और तकनीकी स्टाफ को स्वस्थाने पदोन्नति के निम्नतम निवासी अवधि और निर्धारण प्रक्रिया निर्धारित कर पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप जारी किए गए। एफ.सी.एस. सभी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विभागों के लिए लागू था।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.एस.टी.) ने एस.एण्ड.टी. विभाग के अन्तर्गत आर.एण्ड.डी. स्वायत्त संस्थाओं की कार्यकारी शक्तियां बढ़ाने के दिशानिर्देश जारी करते समय (जनवरी 1999) जोर दिया कि स्वायत्तता बढ़ाने की कवायद जी.एफ.आर. के प्रावधानों और समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अध्याधीन होगी। डी.ओ.पी.टी. ने तारीख जिससे ऐसी पदोन्नतियां दी जानी थीं, पर स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भों के उत्तर में सूचित किया (जुलाई 2002) कि पदोन्नतियों में अपनाए गए सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार एफ.सी.एस. के अन्तर्गत स्वस्थाने पदोन्नतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनुमोदित किए जाने के बाद भविष्य प्रभावी तारीख से प्रभावी होनी चाहिए। बाद में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर डी.ओ.पी.टी. ने एफ.सी.एस. को और संशोधित किया (सितम्बर 2010) और संशोधित वेतनमान तथा निर्धारण प्रक्रियाएं लागू की। तथापि डी.ओ.पी.टी. ने यह स्पष्ट करते हुए कि पदोन्नति पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं की जा सकती है, एफ.सी.एस. के अन्तर्गत पदोन्नति देने की तारीख से संबंधित अपनी पूर्व स्थिति फिर दोहराई (सितम्बर 2012)।

इस प्रकार पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई पदोन्नति नहीं दी जा सकती थी।

⁵⁵ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों में वर्ग क - वैज्ञानिक पद धारक वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों और जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकलापों और सेवाओं में लगे हैं, के लिए एक स्वस्थाने पदोन्नति योजना।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक स्वायत्त निकाय और भारत सरकार अनुदानों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित, ने जनवरी 2001 से प्रभावी अपने निर्धारण और पदोन्नति नियम बनाए और एफ.सी.एस. के आधार पर अपने वैज्ञानिकों की पदोन्नति का प्रावधान किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सी.एस.आई.आर. के निर्धारण और पदोन्नति नियम (खण्ड 7.6.6) में प्रावधान किया गया कि एफ.सी.एस. के अन्तर्गत पदोन्नति के योग्य के रूप में संस्तुत वैज्ञानिक निर्धारण की पात्रता की देय तारीख से पदोन्नत किए जाएंगे। यह प्रावधान डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों का उल्लंघन था जिसमें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट था कि पदोन्नति संबंधित वैज्ञानिक के विधिवत निर्धारण के बाद और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनुमोदित किए जाने के बाद भावी तारीख से प्रभावी होगी। यह जी.एफ.आर. के नियम 209(6)(iv)(क) का भी उल्लंघन था जो कहता है कि सभी अनुदानग्राही संस्थान अथवा संगठन जो अपने आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान के रूप में प्राप्त करते हैं, अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन सामान्यतया इस तरह तैयार करें जो केन्द्र सरकार में समान श्रेणियों के कर्मचारियों को लागू शर्तों व निबंधनों से अधिक न हों।

लेखापरीक्षा में सी.एस.आई.आर. की चार संघटक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों (वर्ग क) की स्वस्थाने पदोन्नतियों के मामलों की नमूना जांच की गई और पाया कि जुलाई 2002 से दिसम्बर 2013 के दौरान पदोन्नति आदेश जारी करने की तारीख से दो माह से आठ वर्षों तक पदोन्नति की प्रभावी तारीख को पूर्व तारीख के द्वारा उन नियमों के अन्तर्गत वैज्ञानिकों को पदोन्नतियां दी गई थी और तदनुसार वेतन और बकायों का भुगतान किया गया था। परिणामस्वरूप तालिका 23 में दर्शाए अनुसार ₹ 4.81 करोड़ का अनियमित लाभ दिया गया।

तालिका 23: पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नत वैज्ञानिकों को प्रदत्त अनियमित लाभ

संस्थान का नाम	पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नत वैज्ञानिकों की संख्या	प्रदत्त अनियमित लाभ (₹ करोड़ में)
केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर	81	1.70
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर	51	1.24
केन्द्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	67	1.06
खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	57	0.81
कुल	256	4.81

इन संस्थानों के अन्य संवर्गों में और सी.एस.आई.आर. की शेष 34 प्रयोगशालाओं/संस्थानों और सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में सभी संवर्गों के लिए इसी तरह की पदोन्नतियां देने की स्पष्ट संभावना है।

केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता (सी.जी.सी.आर.आई.) ने बताया (अक्टूबर 2014) कि एफ.सी.एस. सी.एस.आई.आर. को लागू नहीं था और संस्था के मामले उसके संघ जापन, नियमों और विनियमों तथा उपनियमों के अनुसार विनियमित किए गए थे। सी.जी.सी.आर.आई. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एफ.सी.एस. के अंतर्गत पदोन्नतियां भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अध्याधीन थीं।

मामला सी.एस.आई.आर. और डी.एस.आई.आर. को क्रमशः फरवरी 2015 और मई 2015 में भेजा गया था। जून 2015 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय – V

अंतरिक्ष विभाग

5.1 प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन

भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के नीति ढाँचे में अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और उसके केन्द्रों के कर्मचारियों को विभिन्न पुरस्कार और प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। भारत सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर व्यक्तिगत/समूह निष्पादन के लिए निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रिस) अनुमोदित की। डी.ओ.एस. ने सभी कर्मचारियों के लिए प्रिस लागू की और अन्य विशेष भत्तों को अतिरिक्त रूप से देना जारी रखा परिणामस्वरूप इसके कर्मचारियों को बहुविध लाभ हुए। प्रिस के लिए एक संरचनाबद्ध निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित नहीं किया गया। प्रिस देने में डी.ओ.एस. मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के उदाहरण थे।

5.1.1 प्रस्तावना

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) का मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष सेवाएं बढ़ाने और विस्तार करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां और अंतरिक्ष प्रणालियां विकसित करना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के माध्यम से निष्पादित किया जाता है जो इसके अन्य केन्द्रों/यूनिटों के साथ डी.ओ.एस. की अनुसंधान तथा विकास शाखा है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के नीति ढाँचे में डी.ओ.एस./इसरो और उसके केन्द्रों के वैज्ञानिकों/अभियंताओं, तकनीशियनों और प्रशासनिक कर्मियों को विभिन्न पुरस्कार और प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। ये हैं:

- **निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना** - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (एस.सी.पी.सी.) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित वेतन के अतिरिक्त निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रिस) के रूप में ज्ञात नया निष्पादन आधारित आर्थिक लाभ का आरम्भ अनुमोदित किया (अगस्त 2008)। प्रिस विशिष्ट निष्पादन हेतु विशिष्ट पुरस्कार के सिद्धांत पर आधारित था और विचाराधीन अवधि के दौरान

कर्मचारी के निष्पादन को ध्यान में रखकर देय था। प्रिस उत्तरदायी शासन में संगठन के परिमेय योगदान से भी जुड़ा हुआ था।

प्रिस आरम्भ में डी.ओ.एस. तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में लागू किया जाना था। विस्तृत मार्गनिर्देश नोडल मंत्रालय अर्थात् व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाने थे। बाद में डी.ओ.एस. ने अब तक विभाग के विभिन्न उद्देश्यों की उपलब्धि के आधार पांच वर्षों की अवधि के लिए अपने सभी कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर देय वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत की दर पर विशेष भत्ते के रूप में सितम्बर 2008 से पूर्वप्रभावी रूप से संगठनात्मक प्रोत्साहन लागू करने के द्वारा प्रिस निरूपित किए (दिसम्बर 2008)। इसके अतिरिक्त वेतन बैंड में वेतन जमा ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत दर पर व्यक्तिगत समूह प्रोत्साहन वार्षिक आधार पर देय था। सितम्बर 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान डी.ओ.एस. ने अपने कर्मचारियों को प्रिस के तहत ₹ 560.74 करोड़⁵⁶ की राशि का भुगतान किया।

- **व्यावसायिक अद्यतन भत्ता:** नवीनतम सूचना प्राप्त करने और स्वयं को अद्यतन रखने के लिए वैज्ञानिकों/अभियंताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने ₹ 8,000-13,500 और अधिक वेतन के पूर्व संशोधित वेतनमान में डी.ओ.एस. के सभी वैज्ञानिकों/अभियंताओं को वर्ष 1998-99 से आगे ₹ 5,000 प्रतिवर्ष की दर पर व्यावसायिक अद्यतन भत्ता (पी.यू.ए.) देने का अनुमोदन किया। अक्टूबर 2007 से पी.यू.ए. की मात्रा बढ़ा दी गई और ₹ 14,300 से कम वेतनमान के वैज्ञानिकों के लिए ₹ 10,000; ₹ 14,300 अथवा अधिक से आरम्भ वेतनमान के वैज्ञानिकों के लिए ₹20,000 और ₹ 18,400 से आरम्भ वेतनमान के वैज्ञानिकों को ₹ 30,000 की दर पर श्रेणीकृत रीति में भुगतान किया गया। पी.यू.ए. की मात्रा फरवरी 2013 में और बढ़ाकर ₹ 14,300 से कम के पूर्व संशोधित वेतनमान के वैज्ञानिकों को ₹ 12,500, ₹ 14,300 या अधिक के वेतनमान में ₹ 25,000 तथा ₹ 18,400 या अधिक के वेतनमान में ₹ 37,500 की गई जो जुलाई 2011 से प्रभावी थी। 2006-07 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान डी.ओ.एस. ने अपने वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को पी.यू.ए. के भुगतान के लिए ₹ 69.30 करोड़ का व्यय किया।
- **तदर्थ लांच अभियान भत्ता:** प्रशासनिक श्रेणियों में कर्मचारियों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों (वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को छोड़कर) को प्रोत्साहन

⁵⁶ ₹ 446.62 करोड़ संगठनात्मक प्रोत्साहन के रूप में और ₹ 114.12 करोड़ व्यक्तिगत समूह प्रोत्साहन के रूप में।

देने के उद्देश्य से डी.ओ.एस. ने अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन से ₹ 8,000-13,500 के वेतनमान से नीचे के डी.ओ.एस. के नियमित प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस.एण्ड.टी.) कर्मचारियों को ₹ 3,000 प्रति वर्ष का तदर्थ लांच अभियान भत्ता (ए.एल.सी.ए.) आरम्भ किया (अक्टूबर 2000) जो नवम्बर 2007 में ₹ 5,000 तक बढ़ाया गया था। ए.एल.सी.ए. अप्रैल 2012 से प्रभावी, प्रतिवर्ष ₹ 6,250 तक और बढ़ा दिया गया (मई 2013)। भत्ता भारत की धरती से एक प्रक्षेपण अभियान के पूरा होने पर, एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार, अनुग्रह राशि के रूप में देय था। 2006-07 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान, डी.ओ.एस. ने अपने कर्मचारियों को ए.एल.सी.ए. के भुगतान के लिये ₹ 20.93⁵⁷ करोड़ का व्यय किया ।

- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता-** विभिन्न अभियानों में उनके योगदान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कर्मियों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता की एस.सी.पी.सी. द्वारा सिफारिश (सितम्बर 2008) की गई थी। एस.टी.ए. का भुगतान ₹ 5,000 प्रति वर्ष की दर से किया गया था। इसकी शुरुआत के बाद, एस.एंड.टी. कर्मचारियों को देय ए.एल.सी.ए. 2008-09 के बाद से बंद कर दिया गया । अप्रैल 2013 में, एस.टी.ए. अप्रैल 2012 से प्रभावी, प्रतिवर्ष ₹ 6,250 तक बढ़ा दिया गया । 2008-09 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान, डी.ओ.एस. ने अपने कर्मचारियों को एस.टी.ए. के भुगतान के लिये ₹ 12.35 करोड़ का व्यय किया।
- **अतिरिक्त वेतन वृद्धि-** भारत सरकार ने (अक्टूबर 1998) डी.ओ.एस. के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करने, रखे रहने और उन्हें प्रेरित करने के लिये, ₹ 10,000-325-15,200, ₹ 12,000-375-16,500, ₹ 14,300-400-18,300 और ₹ 16,400-450-20,000 के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पदोन्नति पर, 1 जनवरी 1996 से प्रभावी, दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने को मंजूरी दी। एस.सी.पी.सी. ने (सितम्बर 2008) योग्य वैज्ञानिकों/ इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के समय, अधिकतम चर वेतन वृद्धि छह वेतन वृद्धि तक के अनुदान की सिफारिश की, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित (जनवरी 2009) किया गया ।

⁵⁷ 2006-07 से 2013-14 के दौरान प्रशासनिक कर्मचारियों को ₹ 20.66 करोड़ और 2006-07 से 2007-08 के दौरान एस.एंड.टी. कर्मचारियों को ₹ 27.20 लाख के ए.एल.सी.ए. का भुगतान शामिल हैं । 2008-09 से प्रभावी, एस.एंड.टी. के कर्मचारियों के लिए ए.एल.सी.ए. बंद कर दिया गया और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता का भुगतान शुरू कर दिया गया था।

- **वार्षिक पुरस्कार स्कीम-** भारत सरकार ने (अक्टूबर 2007) वैज्ञानिकों/ इंजीनियरों⁵⁸ के लिए कैरियर के आकर्षण को बढ़ाने के लिए डी.ओ.एस. में वार्षिक पुरस्कार योजना को मंजूरी दी। पुरस्कार के अनुदान के लिए व्यय डी.ओ.एस. की वाणिज्यिक गतिविधियों⁵⁹ के माध्यम से अर्जित की गई राशि की निश्चित प्रतिशत से की जानी थी। 2006-07 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान, डी.ओ.एस. ने अपने वैज्ञानिकों / इंजीनियरों के वार्षिक पुरस्कारों की ओर ₹ 5.89 करोड़ का व्यय किया ।
- **सोने का सिक्का तथा अन्य उपहार-** अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन (दिसम्बर 2008) से चन्द्रयान-1 मिशन (अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया) की सफलता के प्रति उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने स्वायत्त निकायों सहित डी.ओ.एस./इसरो के प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 जनवरी 2008 और 22 अक्टूबर 2008 के बीच सेवा में थे, को अधिकतम ₹ 10,000 मूल्य का उपहार दिया गया था। 2006-07 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान डी.ओ.एस. ने सोने के सिक्कों और उपहारों की खरीद के लिए ₹ 18.57⁶⁰ करोड़ का व्यय किया।

5.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2006 से मार्च 2014 तक डी.ओ.एस. में प्रोत्साहन योजनाओं के निरूपण, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.1.2.1 डी.ओ.एस. में बहुविध प्रोत्साहनों का कार्यान्वयन

एस.सी.पी.सी. रिपोर्ट के कार्यान्वयन के सरकार के अनुमोदन से पूर्व डी.ओ.एस. में स्टाफ की भिन्न श्रेणियों जैसे वैज्ञानिक/इंजीनियर, तकनीकी स्टाफ (वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के अतिरिक्त) और प्रशासनिक स्टाफ के लिए विभिन्न प्रोत्साहन थे। एस.सी.पी.सी. ने अपनी रिपोर्ट में यह कहते हुए कि सामान्य रूप से लागू विशेष भत्तों (संगठनात्मक प्रोत्साहन) का भुगतान समानरूप उच्च निष्पादकों के लिए प्रति-उत्पादक और हतोत्साहक होगा, व्यक्तिगत, दल और संगठनात्मक उपलब्धियों को मिलाकर एक व्यापक प्रोत्साहन योजना की सिफारिश की।

⁵⁸ लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार, प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, युवा वैज्ञानिक योग्यता पुरस्कार और टीम उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं ।

⁵⁹ अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के वितरण से अर्जित किया गया राजस्व ।

⁶⁰ चन्द्रयान मिशन की सफलता के लिए सोने के सिक्कों के वितरण के प्रति ₹ 18 करोड़ और अन्य उपहारों के प्रति ₹ 57 लाख से बनी।

प्रिस की सिफारिश करते समय एस.सी.पी.सी. ने सिफारिश की कि वर्तमान प्रोत्साहन जैसे बोनस (तदर्थ अथवा उत्पादकता से जुड़ी), मानदेय, समयोपरि भत्ता आदि खत्म होंगे। एस.सी.पी.सी. की सिफारिश की भावना सामान्य रूप से लागू प्रोत्साहन योजनाओं को समान निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना से बदलने की थी। तथापि डी.ओ.एस. ने प्रिस लागू करते समय अपनी पूर्ववर्ती सामान्य रूप से लागू प्रोत्साहन योजनाओं जैसे ए.एल.सी.ए. तथा उपहार को जारी रखा।

प्रिस के कार्यान्वयन के पश्चात डी.ओ.एस. ने प्रिस के अंतर्गत संगठनात्मक प्रोत्साहन के रूप में ₹ 446.62 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान अर्थात् प्रिस के लागू होने के बाद ए.एल.सी.ए. के प्रति ₹ 10.08 करोड़ और उपहार योजनाओं के प्रति ₹ 5.37 करोड़ का भुगतान किया। इसके अलावा डी.ओ.एस. ने 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान ₹ 5.08 करोड़ का समयोपरि भत्ता भी जारी किया। प्रिस के अतिरिक्त डी.ओ.एस. की पूर्व योजनाओं का प्रचालन असल में समान उपलब्धियों के लिए बहुविध प्रोत्साहन का भुगतान था।

डी.ओ.एस. ने प्रशासनिक कार्मिकों को ए.एल.सी.ए. का भुगतान यह कहकर उचित ठहराया (जून 2015) कि अंतरिक्ष मिशनों की संख्या बढ़ गई थी परंतु डी.ओ.एस. की कुल जनशक्ति में वृद्धि नहीं हुई थी। डी.ओ.एस. ने यह भी बताया (जून 2015) कि ओ.टी.ए. का भुगतान कार्यालय समय से अधिक समय तक किए गए अतिरिक्त प्रयास के लिए किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.सी.पी.सी. सिफारिशों की भावना सभी कर्मचारियों को लागू प्रोत्साहन योजनाओं को समान निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना से बदलने की थी। यह विशेष रूप से इस तथ्य के मद्दे नजर महत्वपूर्ण है कि डी.ओ.एस. ने एक ही लक्ष्य (चन्द्रयान मिशन) की उपलब्धि के लिए अपने स्टाफ को तीन प्रोत्साहनों, यथा प्रिस, सोने के सिक्के और ए.एल.सी.ए. का भुगतान किया जिसपर प्रतिवेदन के पैरा 5.1.2.4 में विस्तार से चर्चा की गई है। ए.एल.सी.ए. के भुगतान के लिए डी.ओ.एस. के औचित्य को भी इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है कि प्रिस लागू करने के पश्चात ए.एल.सी.ए. की दरें बढ़ाते समय डी.ओ.एस. ने सरकार का अपेक्षित अनुमोदन नहीं लिया था जैसा प्रतिवेदन के पैरा 5.1.2.3 (i) में विस्तार से चर्चा की गई है।

5.1.2.2 निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में डी.ओ.एस. द्वारा निर्मित प्रिस योजना में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

(i) संगठनात्मक प्रोत्साहन का अनियमित निरूपण

एस.सी.पी.सी. रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण से पूर्व डी.ओ.एस. ने संगठनात्मक प्रोत्साहन की समान पद्धति पर डी.ओ.एस. के वैज्ञानिकों/अभियंताओं को विशेष भत्ता देने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने विभाग में लगाए कार्मिकों को एक समान मानने में न्यायसंगत और संतुलित अभिगम रखने के लिए इस प्रस्ताव को एस.सी.पी.सी. को भेजने का परामर्श डी.ओ.एस. को दिया।

तथापि एस.सी.पी.सी. अपनी रिपोर्ट में, जो सरकार द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2008) की गई थी, डी.ओ.एस. द्वारा प्रस्तावित 'सब कर्मचारियों पर लागू' विशेष भत्ता के पक्ष में नहीं था, क्योंकि यह सतत उच्च निष्पादकों के लिए प्रति-उत्पादक और हतोत्साहक होगा। इसलिए एस.सी.पी.सी. ने विभेदक निष्पादन के लिए विभेदक पुरस्कार के सिद्धांत के आधार पर प्रिस की सिफारिश की जो सामान्य आर्थिक प्रोत्साहन के स्वरूप की नहीं होनी चाहिए।

इस विषय पर एस.सी.पी.सी. द्वारा एस.सी.पी.सी. रिपोर्ट के लागू होने से पूर्व अपनी अंतर क्रिया में लिए गए रुख से व्यथित डी.ओ.एस. ने सरकार को एक प्रारूप केबिनेट नोट प्रस्तुत किया (मई/जून 2008)। इस केबिनेट प्रस्ताव पर एम.ओ.एफ. ने राय दी (अक्टूबर 2008) कि डी.ओ.एस. में वैज्ञानिकों/इंजिनियरों को अतिरिक्त प्रोत्साहनों की मंजूरी प्रिस के शीघ्र लागू करने के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना चाहिए जैसा सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।

जब संगठनात्मक प्रोत्साहन के लिए संघ केबिनेट का अनुमोदन सुलभ नहीं था तब डी.ओ.एस. ने प्रिस के अंतर्गत संगठनात्मक प्रोत्साहन सूत्रबद्ध किया और अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन से 1 सितम्बर 2008 से लागू कर दिया। योजना के अंतर्गत अंतरिक्ष आयोग ने 'अब तक' के डी.ओ.एस. के विभिन्न उद्देश्यों को उपलब्धि के आधार पर पांच वर्षों (2008-13) की अवधि के लिए अंतरिक्ष विभाग के सभी कार्मिकों को मासिक आधार पर देय कुल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के 20 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर संगठनात्मक प्रोत्साहन देने का अनुमोदन किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डी.ओ.एस. ने प्रिस लागू करने से पूर्व एम.ओ.एफ. की सहमति प्राप्त नहीं की और अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन से स्वयं ही योजना लागू

कर दी जो अनियमित था। बाद में⁶¹ जब मामला एम.ओ.एफ. की जानकारी में आया (जनवरी 2010) तब उन्होंने भी कहा कि डी.ओ.एस. में संगठनात्मक प्रिस लागू करना एस.सी.पी.सी. की विशेष सिफारिश से उत्पन्न हुआ इसलिए नोडल विभाग अर्थात् व्यय विभाग, एम.ओ.एफ. के परामर्श से डी.ओ.एस. द्वारा मार्गनिर्देश जारी किए जाने थे जो नहीं किया गया। बाद में एम.ओ.एफ. के आदेश पर डी.ओ.एस. ने प्रिस के मार्गनिर्देशों को संशोधित किया और एम.ओ.एफ. के अनुमोदन से उन्हें जारी किया (जुलाई 2010)।

तथापि पूर्व अनुमोदन के अभाव में सितम्बर 2008 से 2009-10 तक डी.ओ.एस. द्वारा अनुसरित संगठनात्मक प्रोत्साहन योजना अनियमित थी। इस अवधि के दौरान डी.ओ.एस. ने प्रिस के कार्यान्वयन पर ₹ 109.12 करोड़ का व्यय किया।

डी.ओ.एस. ने बताया (जून 2015) कि अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन से प्रिस का आरम्भ आयोग की शक्तियों के अंदर आता था जिसके पास संसद द्वारा अनुमोदित बजटीय प्रावधानों के अंदर डी.ओ.एस. का कार्य करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रिस एक नई योजना थी जिसे आरम्भ किए जाने से पहले सरकार/एम.ओ.एफ. का अनुमोदन अपेक्षित था।

(ii) प्रिस की निगरानी और मूल्यांकन के तंत्र की कमी

एस.सी.पी.सी. रिपोर्ट के अनुसार प्रिस उत्तरदायी शासन के लिए संबंधित संगठन के परिमेय योगदान से जुड़ा था। प्रिस प्रणाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस.) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) की सहायता से लागू की जानी थी। इसकी गहन संचार और कर्मचारियों के प्रशिक्षण द्वारा सहायता की जानी थी। मंत्रालय/विभाग से आरम्भ कर और व्यक्तिगत स्तर तक व्यवस्थित को प्रपाती कम कर बहुविध स्तरों पर उद्देश्यों तथा प्रदेशों के बारे में स्पष्टता संरचित प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की जानी थी। सूचना एवं निगरानी चैनलों, कार्य कार्यकलापों और प्रदेशों (कार्य विवरण और निष्पादन संकेतक), प्रतिनिधित्व एवं जबावदेही चार्ट और कार्य प्रक्रिया प्रवाह/सरकारी कार्य कार्यविधियों की स्पष्टता को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रिस के भुगतान की आवधिकता कार्य प्रक्रियाओं और निष्पादन माप और निर्धारण की बारम्बारता से जोड़ा जाना था। मंत्रालय/विभाग/अन्य कार्यालयों के अंदर स्पष्ट व्यक्तिगत और/अथवा समूह (संगठनात्मक) लक्ष्य प्रिस चक्र के आरम्भ में निर्धारित और सभी अंतर्ग्रस्त पार्टियों को सूचित किए जाने की आवश्यकता थी। प्रिस तभी दिया जाना था जब चक्र (सामान्यतया एक साल) के अंत में व्यक्ति या समूह

⁶¹ डी.ओ.एस. ने प्रिस के भुगतान हेतु वर्ष 2009-10 के लिए बजट बढ़ाने की मांग की और मामला एम.ओ.एफ. को भेजा।

द्वारा लक्षित निष्पादन स्तरों को पार कर लिया गया हो। पी.एम.एस. तथा एम.आई.एस. द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की सीमा को दर्शाना था।

प्रिस के अंतर्गत डी.ओ.एस. द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा समीक्षा में पता चला कि निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का संरचित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र डी.ओ.एस. द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, जैसे कि

- पी.एम.एस. और एम.आई.एस. यथा परिकल्पित गठित नहीं किए गए थे।
- उद्देश्यों, कार्यकलापों और प्रदेषों को निर्धारित करने और सूचित करने की कोई संरचित प्रक्रिया नहीं थी।
- संबंधित अवधि के आरम्भ में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी तथा मूल्यांकन संरचनाओं के अभाव में प्रिस के अंतर्गत परिकल्पित 'विभेदक निष्पादन हेतु विभेदक पुरस्कार' लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था।

डी.ओ.एस. ने बताया (जून 2015) कि उनके अंतरिक्ष मिशनों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिन निगरानी और मूल्यांकन तंत्र था। तथापि उत्तर प्रिस हेतु संरचित निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र के विषय पर मौन था।

(iii) प्रिस पर डी.ओ.एस. मार्गनिर्देशों का उल्लंघन

डी.ओ.एस. ने संगठनात्मक प्रोत्साहन योजनाओं के भुगतान हेतु मार्गनिर्देश जारी किए (फरवरी 2009)। एम.ओ.एफ. के बताए जाने पर (जनवरी 2010) डी.ओ.एस. ने अपने मार्गनिर्देश संशोधित किए और एम.ओ.एफ. के अनुमोदन से उन्हें जारी किया (जुलाई 2010)।

लेखापरीक्षा में इन मार्गनिर्देशों के उल्लंघनों के उदाहरण देखे गए जैसा नीचे चर्चा की गई:

(क) निर्धारण बिना प्रिस का भुगतान

जुलाई 2010 तक प्रिस का मासिक वेतन के साथ समवर्ती रूप से भुगतान किया गया था। जुलाई 2010 के बाद संशोधित मार्गनिर्देशों के आधार पर उसका पूर्ववर्ती छः माह के निष्पादन के आधार पर प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के महीनों में छमाही आधार पर भुगतान किया जाना था। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि 10 डी.ओ.एस. केन्द्रों में 451 मामलों के संबंध में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों, जो

सेवानिवृत्त हो गए थे या रिपोर्ट अवधि के मध्य में डी.ओ.एस. छोड़ गए थे, को छमाही अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना और पूर्ण वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) के माध्यम से उनका निष्पादन निर्धारित किए बिना अंतिम भुगतानों के समय पर ₹ 1.39 करोड़ के प्रिस का भुगतान किया गया था। यह प्रिस मार्गनिर्देशों के प्रतिकूल था।

डी.ओ.एस. ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और बताया (जुलाई 2015) कि कार्मिकों, जो अधिवार्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र आदि के कारण कर्मचारी नहीं रहे, के संबंध में प्रिस के अंतर्गत संगठनात्मक प्रोत्साहन का संवितरण केवल सभी शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को उसके संवितरण के समय पर किया जाएगा।

(ख) गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस की वसूली न करना

जुलाई 2010 के डी.ओ.एस. मार्गनिर्देशों के अनुसार, डी.ओ.एस./इसरो के कर्मचारी वर्ष 2008-09 से गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस (एन.पी.एल.बी.) के भुगतान के पात्र नहीं थे और 2009 के दौरान डी.ओ.एस./इसरो के पात्र कर्मचारियों को पहले ही प्रदत्त 2008-09 का एन.पी.एल.बी. जुलाई 2010 में भुगतान किए जाने वाले संगठनात्मक प्रोत्साहन के भुगतान से वसूल किया जाना था। 2008-09 के लिए एन.पी.एल.बी. के लिए डी.ओ.एस. द्वारा ₹ 71 लाख की राशि का भुगतान किया गया था जो वसूल की जानी थी। यद्यपि डी.ओ.एस. ने बताया (जून 2015) कि बोनस की वसूली के कोई मामले नहीं थे परन्तु उसे अभी उसकी पुष्टि में अपनी विभिन्न यूनिटों से उस आशय का प्रमाणन प्राप्त करना था।

5.1.2.3 तदर्थ प्रक्षेपण अभियान भत्ता में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में ए.एल.सी.ए. के भुगतान में अनियमितताएं देखी गईं जिन पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) सरकारी अनुमोदन बिना ए.एल.सी.ए. में वृद्धि

डी.ओ.एस. ने ए.एल.सी.ए. की राशि ₹ 3,000 से बढ़ाकर ₹ 5,000 की (नवम्बर 2007) और आगे ₹ 6,250 तक बढ़ा दी (अप्रैल 2012) और 2006-07 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को ₹ 20.93 करोड़ का भुगतान किया। तथापि डी.ओ.एस. ने ए.एल.सी.ए. की दरों में वृद्धि के लिए अंतरिक्ष आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। इसलिए 2006-07 से 2013-14 के दौरान प्रशासनिक स्टाफ को ए.एल.सी.ए. के भुगतान के लिए किया गया ₹ 20.66 करोड़ और

2006-07 से 2007-08⁶² तक एस.एण्ड.टी. स्टाफ को ₹ 27.20 लाख का व्यय अनियमित था।

डी.ओ.एस. ने उत्तर दिया (जून 2015) कि ए.एल.सी.ए. आरम्भ में सितम्बर 1999 में ₹ 5,000 प्रतिवर्ष के लिए अनुमोदित किया गया था परन्तु विभाग ने 1999-2000 से 2005-06 की अवधि के दौरान केवल ₹ 3,000 प्रतिवर्ष संस्वीकृत किया, जो 2006-07 और आगे ₹ 5,000 प्रतिवर्ष की आरम्भिक अनुमोदित राशि तक बढ़ाया गया था।

डी.ओ.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष आयोग ने अपनी 95वीं बैठक (अक्टूबर 2000) में केवल ₹ 3,000 प्रतिवर्ष के ए.एल.सी.ए. के भुगतान का निर्देश दिया था। बाद में डी.ओ.एस. ने ₹ 5,000 तक (नवम्बर 2007) और आगे ₹ 6,250 (अप्रैल 2012) तक बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष आयोग का अनुमोदन नहीं लिया था।

(ii) अपात्र कार्मिकों को ए.एल.सी.ए. का भुगतान

डी.ओ.एस. परिसरों और उसकी यूनिटों की सुरक्षा की देखभाल केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) द्वारा की गई थी। इसलिए सी.आई.एस.एफ. के सुरक्षा कार्मिक डी.ओ.एस. के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा, डी.ओ.एस. की एक यूनिट ने अपने परिसरों पर कार्यरत सी.आई.एस.एफ. कर्मचारियों को ए.एल.सी.ए. के प्रति ₹ 18.27 लाख की राशि का भुगतान किया। क्योंकि ए.एल.सी.ए. केवल डी.ओ.एस. और उसकी यूनिटों के कर्मचारियों के लिए अनुमोदित की गई थी, इसलिए सी.आई.एस.एफ. स्टाफ को ए.एल.सी.ए. का भुगतान अनियमित था।

डी.ओ.एस. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (जून 2015)।

5.1.2.4 इसरो/डी.ओ.एस. कर्मचारियों को उपहारों/सोने के सिक्कों की अनियमित भेंट

अंतरिक्ष आयोग ने चन्द्रयान 1 मिशन (अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया) की सफलता के प्रति उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने स्वायत्त निकायों सहित डी.ओ.एस./इसरो के प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 10,000 से अनाधिक मूल्य का उपहार प्रस्तुत करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया (दिसम्बर 2008)। डी.ओ.एस. ने सोने के सिक्कों और अन्य उपहारों जैसे घड़ियों की खरीद और वितरण के प्रति 2006-07 से 2013-14 (मार्च 2014 तक प्रिस के कार्यान्वयन के बाद ₹ 5.37 करोड़) की अवधि के दौरान ₹ 18.57 करोड़ का व्यय किया।

⁶² एस एण्ड टी स्टाफ को एस.टी.ए. देने के लिए एस.सी.पी.सी. सिफारिश के अनुमोदन के बाद ए.एल.सी.ए. 2008-09 से बंद कर दिया गया था और एस.टी.ए. से बदल दिया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जबकि डी.ओ.एस. ने अपनी अन्य प्रोत्साहन योजनाएं जैसे पी.यू.ए. और वार्षिक पुरस्कार योजनाएं भारत सरकार के अनुमोदन से लागू की, परन्तु उपहार योजना अंतरिक्ष आयोग के ही अनुमोदन से उसे लागू किया।

उसके अलावा, विभाग द्वारा निर्धारित संगठनात्मक प्रोत्साहन/प्रिस देने के लक्ष्यों/उद्देश्यों में से एक चन्द्रयान मिशन की प्राप्ति था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि तीन प्रोत्साहन यथा प्रिस, सोने का सिक्का और ए.एल.सी.ए. एक ही लक्ष्य की प्राप्ति/निष्पादन के लिए कर्मचारियों को दिए/वितरित किए गए थे।

डी.ओ.एस. ने बताया (जून 2015) कि सभी कर्मचारियों को उपहार देने को अंतरिक्ष आयोग ने अनुमोदन दिया था क्योंकि चंद्रयान मिशन डी.ओ.एस. के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो कि सभी कर्मचारियों के सतत प्रयासों के कारण थी।

डी.ओ.एस. के उत्तर को इस संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि तीन प्रोत्साहन जैसे प्रिस, ए.एल.सी.ए. और सोने के सिक्के एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और भारत सरकार के अनुमोदन के बिना कर्मचारियों को वितरित/दिए गए थे।

5.1.3 निष्कर्ष

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (एस.सी.पी.सी.) रिपोर्ट लागू करने के लिए सरकार के अनुमोदन से पूर्व, अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) की स्टाफ की भिन्न श्रेणियों के लिए तदर्थ लांच अभियान भत्ता (ए.एल.सी.ए.), व्यवसायिक अद्यतन भत्ता, पुरस्कार और उपहार जैसे विभिन्न प्रोत्साहन थे। एस.सी.पी.सी. ने अपनी रिपोर्ट में सब कर्मचारियों को लागू विशेष प्रोत्साहनों को हतोत्साहित करने के द्वारा, व्यक्तिगत, दल और संगठनात्मक उपलब्धियों को मिलाकर एक व्यापक प्रोत्साहन योजना की सिफारिश की। जब डी.ओ.एस. ने निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रिस) लागू किया तब इन्होंने प्रिस के अतिरिक्त अन्य विशेष भत्ते जैसे ए.एल.सी.ए., उपहार और ओवरटाइम भत्ता, इन प्रोत्साहनों के प्रति ₹ 22.41 करोड़ (मार्च 2014 तक) व्यय करने के द्वारा जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप समान उपलब्धियों के लिए बहुविध प्रोत्साहन देना हुआ।

डी.ओ.एस. ने संवीक्षा और अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना प्रिस लागू किया। प्रिस के मानीटरन और मूल्यांकन हेतु एस.सी.पी.सी. द्वारा परिकल्पित संरचित तंत्र डी.ओ.एस. द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में प्रिस और अन्य प्रोत्साहनों जैसे ए.एल.सी.ए., और अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के अनियमित भुगतान के उदाहरण देखे गए।

5.2 सेवा कर का अनियमित भुगतान

मास्टर कंट्रोल फेसिलिटि, हासन ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं की लागत पर सेवा कर के प्रति जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.33 करोड़ का भुगतान किया, जो नियमों के अंतर्गत अपेक्षित नहीं था। इसमें से ₹ 44.68 लाख का प्रतिदाय लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद निश्चित किया गया। शेष ₹ 88.05 लाख की राशि जब्त हो गई क्योंकि यह कालबाधित हो गई।

सेवाकर अधिनियम⁶³ की धारा 65 बी के खण्ड 44 के अंतर्गत 'सेवा' किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए की गई प्रतिफल के लिए किसी कार्यकलाप के रूप में परिभाषित है और घोषित सेवा शामिल करती है। सेवाकर अधिनियम की धारा 65 घ (क) के अनुसार, कारोबार स्वत्वों को दी गई सहायता सेवाओं के अतिरिक्त, सरकार द्वारा दी गई सेवाएं, सेवाओं की ऋणात्मक सूची अर्थात् सेवाएं जिनपर कर नहीं लगता है, में शामिल की गई हैं। 1 जुलाई 2012 से प्रभावी, सेवाओं के कराधान-केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक शिक्षा गाइड का पैरा 2.4.11 आगे स्पष्ट करता है कि केन्द्र सरकार के एक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के दूसरे विभाग को दी गई सेवा कर योग्य नहीं होगी क्योंकि यह स्वसेवा होगी।

मास्टर कंट्रोल फेसिलिटि, हासन (एम.सी.एफ.) अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) के अधीन एक यूनिट है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)⁶⁴ के सभी जिओस्टेशनरी उपग्रहों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है। एम.सी.एफ. के परिसरों की सुरक्षा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक यूनिट द्वारा परिनियोजित स्टाफ के संबंध में वेतन और भत्तों, छुट्टी वेतन अंशदान, पेंशन अंशदान आदि के भुगतान के प्रति प्रदान की जाती है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एम.सी.एफ. ने सी.आई.एस.एफ. द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं की लागत पर जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.33 करोड़ के सेवाकर का भुगतान किया, जो अपेक्षित नहीं था क्योंकि सी.आई.एस.एफ. और एम.सी.एफ. दोनों केन्द्र सरकार के संगठन हैं। एम.सी.एफ. द्वारा किए गए सेवाकर भुगतान के ब्यौरे *परिशिष्ट XVIII* में दिए गए हैं।

⁶³ वित्त अधिनियम 1994 का अध्याय VI।

⁶⁴ इसरो डी.ओ.एस. का अनुसंधान संगठन है।

लेखापरीक्षा में आगे सत्यापन किया गया कि डी.ओ.एस. की अन्य यूनिटों नामतः बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय और इसरो उपग्रह केन्द्र (आई.एस.ए.सी.) में सी.आई.एस.एफ. द्वारा दी गई समान सेवाओं के लिए किसी सेवाकर का भुगतान नहीं किया गया था। आई.एस.ए.सी. द्वारा किए गए संदर्भ (सितंबर 2012) के उत्तर में सेवा कर आयुक्तालय बेंगलुरु ने स्पष्ट किया (जनवरी 2013) कि अभिन्न व्यक्तियों के बीच हुआ सेवा कार्यकलाप स्वसेवा होने पर कर योग्य नहीं होगा।

इसलिए जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि के लिए सी.आई.एस.एफ. द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं के लिए सेवाकर के प्रति एम.सी.एफ. द्वारा ₹ 1.33 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

मामला सबसे पहले लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 2014 में उठाया गया था। उसके बाद सी.आई.एस.एफ. यूनिट, हासन ने ₹ 1.33 करोड़ की राशि के प्रतिदाय के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, हासन (सी.बी.ई.सी.) को एक दावा प्रस्तुत (नवम्बर 2014) किया। सी.बी.ई.सी. ने ₹ 44.68 लाख की राशि का प्रतिदाय संस्वीकृत (मार्च 2015) किया और केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1994⁶⁵ की धारा 11(ख) के अंतर्गत समयसीमा के आधार पर ₹ 88.05 लाख की शेष राशि अस्वीकृत कर दी।

इस प्रकार, ₹ 1.33 करोड़ प्रदत्त सेवाकर की अनियमित राशि में से ₹ 44.68 लाख का प्रतिदाय लेखापरीक्षा के बताए जाने पर निश्चित किया गया और ₹ 88.05 लाख की शेष राशि जब्त हो गई।

डी.ओ.एस. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि मामले में विभिन्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा व्यासीय रूप से विपरीत विचार व्यक्त किए गए थे, क्योंकि सेवाकर की मांग अक्टूबर 2014 में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहिरकोटा⁶⁶ को भेजी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास पहले ही मिसाल उपलब्ध थी, क्योंकि आई.एस.ए.सी. ने काफी पहले सितम्बर 2012 में सेवाकर अधिकारियों को एक संदर्भ किया था और जनवरी 2013 में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था।

⁶⁵ वित्त अधिनियम 1994 की धारा 83 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 की धारा 11(ख) कहती है कि सेवाकर के प्रतिदाय का आवेदन कर के भुगतान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर किया जाए।

⁶⁶ इसरो की एक यूनिट।

5.3 विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र-पूर्व, कोलकाता ने विद्युत प्रभारों के भुगतान के प्रति ₹ 55.37 लाख का परिहार्य व्यय किया।

भारते के संविधान के अनुच्छेद 287 के अनुसार, भारत सरकार किसी राज्य से उपमुक्त और खरीदी विद्युत पर कर भुगतान करने से मुक्त है। भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलूरु ने पाँच वर्षों के लिए, क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र-पूर्व⁶⁷, कोलकाता (आर.आर.एस.सी.-ई.) के कार्यालय परिसर के लिए अधिकतम 550 केवीए विद्युत की आपूर्ति हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल.) के साथ एक अनुबंध किया (अप्रैल 2010)। डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. की टैरिफ नीति के अनुसार, करार माँग से कम विद्युत खपत के लिए, वास्तविक माँग अथवा करार माँग के 85 प्रतिशत की निम्नतम माँग अर्थात् 468 केवीए, जो भी अधिक थी, के प्रभारों का भुगतान करना था। विद्युत कनेक्शन मार्च 2011 से आरम्भ हुआ था और आर.आर.एस.सी.-ई. ने अप्रैल 2011 में कार्यालय भवन का अधिकार लिया था।

मार्च 2011 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के आर.आर.एस.सी.-ई. के विद्युत बिलों की संवीक्षा से पता चला कि आर.आर.एस.सी.-ई. ने विद्युत बिलों में डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल द्वारा उदग्रहीत विद्युत शुल्क के प्रति ₹ 23.23 लाख की राशि का भुगतान किया, यद्यपि यह उससे मुक्त था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.23 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि मार्च 2011 से अक्टूबर 2014 तक की अवधि के दौरान आर.आर.एस.सी.-ई. द्वारा विद्युत की वास्तविक खपत 68 केवीए से 366 केवीए के बीच थी (12 से 67 प्रतिशत) जो 468 केवीए (85 प्रतिशत) प्रतिमाह की निम्नतम बिल माँग से काफी कम थी। फलस्वरूप, आर.आर.एस.सी.-ई. ने 468 केवीए प्रति माह की निम्नतम बिल माँग के लिए माँग प्रभारों का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप आर.आर.एस.सी.-ई. द्वारा वास्तव में उपभोग न की गई विद्युत के प्रति ₹ 25.59 लाख की राशि का परिहार्य भुगतान किया। इससे आर.आर.एस.सी.-ई. की विद्युत आवश्यकताओं का दोषपूर्ण निर्धारण भी देखा गया।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा प्रकार का उपभोक्ता होने पर, आर.आर.एस.सी.-ई. ने अप्रैल 2011 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के

⁶⁷ राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार की एक यूनिट।

लिए वाणिज्यिक टैरिफ दरों पर विद्युत प्रभारों का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.55 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

इस प्रकार आर.आर.एस.सी.-ई. ने विद्युत प्रभारों के भुगतान के प्रति ₹ 55.37 लाख का परिहार्य अधिक व्यय किया।

यह मामला पहले मार्च 2013 में आर.आर.एस.सी.-ई. की जानकारी में लाया गया था और अप्रैल 2015 में डी.ओ.एस. को भेजा गया था। आर.आर.एस.सी.-ई. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (नवम्बर 2014) और बताया कि उन्होंने डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. के साथ व्यक्तिगत विचार विमर्श और लिखित पत्र व्यवहारों के माध्यम से राशि के समाधान के लिए वास्तविक प्रयास किए थे। तथापि, अधिक भुगतान का समायोजन जनवरी 2015 तक अभी किया जाना था। डी.ओ.एस. का उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।



अध्याय – VI

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

6.1 निष्क्रिय वेबसाइट के कारण निष्फल व्यय


₹ 2.27 करोड़ की लागत पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विकसित कन्टेंट मैनेज्ड वेबसाइट फरवरी 2012 से निष्क्रिय रही, परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

भारतीय मौसम विज्ञान (आई.एम.डी.) के समुद्र विकास विभाग और विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ मिलने के बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) के पुनर्गठन के परवर्ती एम.ओ.ई.एस. ने प्रयोक्ता अनुकूल रीति से वातावरण, मौसम स्थितियों, मौसम पूर्वानुमान, कृषि संबंधी परामर्श, खगोलीय सूचना, जलवायु डाटा, आदि पर वास्तविक समय डाटा प्रदान करने के उद्देश्य से ताकि आई.एम.डी. की वेबसाइट को अधिक उपयोगी और दक्ष बनाया जा सके, एम.ओ.ई.एस. और आई.एम.डी. के लिए कन्टेंट मैनेज्ड वेबसाइट विकसित करने की योजना बनाई (नवम्बर 2006)। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टी.सी.एस.), हैदराबाद का परियोजना हेतु चयन किया गया था (दिसम्बर 2007) क्योंकि फर्म ने भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना केन्द्र, हैदराबाद (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.), एम.ओ.ई.एस. के अधीन एक स्वायत्त निकाय, के लिए समान वेबसाइट पूर्व में विकसित की थी (2002-03)।

एम.ओ.ई.एस. ने एम.ओ.ई.एस./आई.एम.डी. की वेबसाइट का विकास आरम्भ करने के लिए आई.एन.सी.ओ.आई.एस. को निर्देश दिया (नवम्बर 2007)। तदनुसार, आई.एन.सी.ओ.आई.एस. ने नौ किशतों में भुगतान किए जाने के लिए करों सहित ₹ 1.10 करोड़ की लागत पर एम.ओ.ई.एस./आई.एम.डी. की वेबसाइट पर कन्टेंट के डिजाइन, विकास, प्रतिष्ठापन, होस्टिंग और अनुरक्षण के लिए टी.सी.एस. के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किया (मई 2008)। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रणालियाँ आई.एन.सी.ओ.आई.एस. द्वारा प्रदान की जानी थीं। परियोजना अनुबंध हस्ताक्षर करने की तारीख से 33 सप्ताह के अन्दर अर्थात् जनवरी 2009 तक पूर्ण की जानी थी। टी.सी.एस. को स्वीकृति परीक्षण के समापन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए वारंटी, प्रचालन और अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करनी थीं।

वेबसाइट नामतः www.mausam.gov.in का स्वीकृति परीक्षण आई.एम.डी. द्वारा किया गया था (अगस्त 2010) और सहमत प्रणाली आवश्यकता विनिर्देशनों (एस.आर.एस.) के संबंध में माड्यूल में देखे गए नौ मामलों के समाधान के अध्यक्षीन पास घोषित की गई। टी.सी.एस. ने नौ में से पांच मामलों का समाधान किया और अतिरिक्त लागत पर परिवर्तन अनुरोध के रूप में शेष मामलों को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया। टी.सी.एस. ने आई.एन.सी.ओ.एस. को यह भी सूचित किया कि नई वेबसाइट के लिए उसकी सहायता मार्च 2011 तक और उसके बाद अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध होगी। आई.एन.सी.ओ.आई.एस. के अनुरोध पर टी.सी.एस. ने वारंटी सहायता अप्रैल 2012 तक बढ़ा दी।

तथापि, यद्यपि आई.एम.डी./एम.ओ.ई.एस. को स्रोत कोड, पासवर्ड आदि प्राप्त हो गए (जुलाई 2011) परन्तु वेबसाइट में समस्याएं जारी थीं और यह फरवरी 2012 से निष्क्रिय रहा। वेबसाइट में लम्बित मामलों को सुधारने और वारंटी शर्तों से संबंधित मामला दूर नहीं हो सका था और पत्राचार के अधीन रहा।



जून 2015 में वेबसाइट की स्थिति

एम.ओ.ई.एस. ने परियोजना के अधीन आई.एन.सी.ओ.आई.एस. को ₹ 2.53 करोड़ की पूर्ण राशि जारी कर दी (2007-08 से 2010-11) जिसमें से प्रणालियों की खरीद के प्रति ₹ 1.17 करोड़ और टी.सी.एस. को भुगतान के रूप में ₹ 1.10 करोड़ सहित ₹ 2.27 करोड़ का खर्च किया गया था।

लेखापरीक्षा में वेबसाइट में लम्बित मामलों तथा सहमत वारंटी शर्तों को सुलझाने के मामले पर एम.ओ.ई.एस. और आई.एन.सी.ओ.आई.एस. के बीच समन्वय की कमी देखी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार टी.सी.एस. को वेबसाइट की स्वीकृति की तारीख

से तीन वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् अगस्त 2013 तक प्रणालियों और सॉफ्टवेयर को वारंटी सहायता प्रदान करनी थी। तथापि वारंटी केवल अप्रैल 2012 तक बढ़ाई गई थी और न तो एम.ओ.ई.एस. ने और न ही आई.एन.सी.ओ.आई.एस. ने अनुबंध की वास्तविक शर्तों को लागू करने के लिए टी.सी.एस. को राजी किया। वास्तव में, आई.एन.सी.ओ.आई.एस. परियोजना से संबंधित लम्बित रहे मामलों के बावजूद अप्रैल 2012 के बाद परियोजना से बाहर हो गया।

यह आगे देखा गया कि वेबसाइट विकास के लिए खरीदे हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का भी आई.एम.डी./एम.ओ.ई.एस. द्वारा अनुरक्षण (अगस्त 2013) नहीं किया गया था और वातानुकूलित पर्यावरण की अनुपलब्धता और वेबसाइट तथा हार्डवेयर का अनुरक्षण करने में आई.एम.डी./एम.ओ.ई.एस. द्वारा प्रणालियों के परिचालन किए जाने तक वेबसाइट को पुनःपरिनियोजित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। मई 2015 तक वेबसाइट निष्क्रिय रही परिणामस्वरूप प्रणालियों की खरीद और इनके विकास पर किया गया ₹ 2.27 करोड़ का खर्च निष्फल हो गया।

एम.ओ.ई.एस. ने स्वीकार किया (मई 2015) कि नई वेबसाइट निष्क्रिय थी और बताया कि मामलों को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे थे। एम.ओ.ई.एस. ने आगे बताया कि टी.सी.एस. को देय अंतिम किश्त अभी भी लम्बित थी। तथापि आई.एन.सी.ओ.आई.एस. और टी.सी.एस. के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार ₹ 1.10 करोड़ की करार राशि का टी.सी.एस. को पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार वेबसाइट की प्रभावी सुपुर्दगी का समन्वय करने और प्रणालियों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया क्योंकि वेबसाइट तीन वर्षों से अधिक से लगातार अप्रचालित है।

6.2 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा मौसम विज्ञान-संबंधी वेधशालाओं की स्थापना एवं रखरखाव

मौसम संबंधी विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के संग्रह के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा स्थापित वेधशालाओं का रखरखाव अपर्याप्त था। जनशक्ति की कमी के साथ-साथ इसका परिणाम वेधशालाओं के निष्क्रिय रहने, वेधशालाओं की निर्धारित निरीक्षणों में खामियां दोषपूर्ण उपकरणों की गैर-सुधार, केंद्र के अधीन क्षेत्रों का अपर्याप्त भौगोलिक कवरेज और मौसम संबंधी आंकड़ों के संग्रह में कमी के रूप में हुआ।

6.2.1 परिचय

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) के अधीन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा तथा मौसम विज्ञान, भूकम्प विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। आई.एम.डी. के उद्देश्य मौसम संबंधी प्रेक्षण करना और कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, अपतट तेल की खोज, आदि जैसे मौसम के प्रति संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम उपयोग के लिए मौसम संबंधी वर्तमान और पूर्वानुमान जानकारी प्रदान करना; और उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात, नोर्वेस्टर्स, धूल भरी तूफान, भारी वर्षा और हिमपात, ठंड एवं गर्म लहरों आदि की तरह गंभीर मौसम घटना जो जीवन और संपत्ति के विनाश का कारण बन सकते हैं, के खिलाफ चेतावनी देना है।

विभिन्न मौसम संबंधी आंकड़ों⁶⁸ को विभिन्न वेधशालाओं के माध्यम से एकत्र किया जाता है और डाटा प्रोसेसिंग एवं पूर्वानुमान केन्द्रों पर संसाधित किया जाता है जिसके बाद उसे अंतिम उपयोगकर्ताओं को भेज दिया जाता है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, कोलकाता (क्षे.मौ.वि.कें.) आई.एम.डी. के अंतर्गत छह⁶⁹ क्षेत्रीय केन्द्रों में से एक है। यह बिहार, झारखंड, ओड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित मौसम विज्ञान संबंधी सूचना के लिए नोडल कार्यालय है। इसके प्रमुख उप महानिदेशक होते हैं।

⁶⁸ सतही एवं ऊपरी वायु आंकड़ा, उपग्रह आंकड़ा, जल-मौसम विज्ञान आंकड़ा, कृषि-मौसम विज्ञान आंकड़ा, विकिरण, ओज़ोन, विद्युत क्षमता के ग्रेडिएंट प्रदूषण, अंटार्कटिका सतही एवं विकिरण आंकड़ा तथा भूकंप विज्ञान संबंधी आंकड़ा।

⁶⁹ क्षे.मौ.वि.कें. को चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर एवं नई दिल्ली में स्थापित किया गया है।

क्षे.मौ.वि.कें. ने भूतल, ऊपरी वायु, जल-मौसम विज्ञानी, कृषि मौसम विज्ञानी, भूकंप विज्ञानी एवं विकिरणीय आंकड़ों के समूह हेतु 1,643 वेधशालाओं की स्थापना की है। वेधशालाओं की संख्या तालिका 25 में दी गई है।

तालिका 25: क्षे.मौ.वि.कें. द्वारा स्थापित वेधशालाओं का विवरण

वेधशालाओं का स्वरूप	प्रसारित आंकड़ों के प्रकार	संख्या
भूतल वेधशालाएं	भूतल आंकड़ा	81
भारतीय वायु सेना स्टेशन	भूतल आंकड़ा	11
कृषि मौसम विज्ञान वेधशालाएं*	कृषि मौसम विज्ञानी आंकड़ा	8
जल मौसम विज्ञान वेधशालाएं	जल मौसम विज्ञानी आंकड़ा	1,119
पायलट गुब्बारा वेधशालाएं	ऊपरी वायु आंकड़ा	11
रेडियो सॉडे/रेडियो विंड	ऊपरी वायु आंकड़ा	6
विकिरणीय वेधशालाएं	विकिरणीय आंकड़ा	6
भूकंप विज्ञानी वेधशालाएं	भूकंप विज्ञानी आंकड़ा	8
स्वचालित मौसम केंद्र	भूतल आंकड़ा	113
स्वचालित वर्षा मापक	जल मौसम विज्ञानी आंकड़ा	275
विंड फ्राइडिंग रेडार	भूतल आंकड़ा	1
स्टोर्म डिटेक्शन रेडार	भूतल आंकड़ा	2
डॉप्लर मौसम रेडार (एस-बैंड)	भूतल आंकड़ा	2
कुल		1,643

*यद्यपि कृषि मौसम विज्ञानी वेधशालाओं की स्थापना क्षे.मौ.वि.कें. के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत की गई है, परंतु उसे सीधे आई.एम.डी., पुणे द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

2010-11 से 2013-14 के दौरान क्षे.मौ.वि.कें. द्वारा बजट आवंटन एवं किया गया वास्तविक व्यय तालिका 26 में दिया गया है।

तालिका 26: 2010-11 से 2013-14 तक क्षे.मौ.वि.कें. का आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन			वास्तविक व्यय		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
2010-11	3.06	31.50	34.56	3.05	31.09	34.14
2011-12	2.81	30.02	32.83	2.81	30.01	32.82
2012-13	3.50	31.30	34.80	3.54	31.26	34.80
2013-14	4.14	33.66	37.80	4.02	32.25	36.27

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय का लगभग 89 से 91 प्रतिशत गैर योजना व्यय पर खर्च किया गया था।

6.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान क्षे.मौ.वि.कें. द्वारा मौसम विज्ञान वेधशालाओं की स्थापना एवं रखरखाव एवं आई.एम.डी. के मौसम विज्ञान संबंधी कार्यकलापों पर इसके प्रभाव की सीमा की जांच करने की दृष्टि के साथ लेखापरीक्षा किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

6.2.2.1 वैज्ञानिक कर्मचारियों की कमी

विगत चार वर्षों (2010-14) के दौरान क्षे.मौ.वि.कें. में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल तालिका 27 में दिया गया है।

तालिका 27: क्षे.मौ.वि.कें. में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

वर्ष	स्वीकृत बल			कार्यरत बल					
	वैज्ञानिक	तकनीकी	प्रशासनिक	वैज्ञानिक	प्रतिशत की कमी	तकनीकी	प्रतिशत की कमी	प्रशासनिक	प्रतिशत की कमी
2010-11	657	237	197	447	32	186	22	122	38
2011-12	657	237	197	419	36	179	24	118	40
2012-13	531	221	180	372	30	156	29	103	43
2013-14	531	221	179	353	34	137	38	105	41

वर्ष 2012-13 से स्वीकृत बल में कटौती, अगरतला स्थित मौसम विज्ञानी वेधशालाएं, जो पहले क्षे.मौ.वि.कें. के अधीन थीं, का हस्तांतरण क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, गुवाहाटी के प्रशासनिक नियंत्रण में हो जाने के कारण हुई।

क्षे.मौ.वि.कें. के वैज्ञानिक एवं तकनीकी जनशक्ति को प्रेक्षण करने, निरीक्षण, एवं उपकरणों का रखरखाव, आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, वैज्ञानिक आंकड़ों को प्रोसेस करना तथा उसे विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों तक संप्रेषित करने का कार्य सौंपा गया था। तालिका 27 से यह देखा जा सकता है कि चार वर्षों के प्रत्येक वर्ष में स्वीकृत बल के 22 से 38 प्रतिशत की सीमा तक वैज्ञानिक/तकनीकी जनशक्ति की काफी कमी थी। क्षे.मौ.वि.कें. ने 2013-14 के दौरान 19 वैज्ञानिक सहायकों (वै.स.) की भर्ती की। तथापि, अतिरिक्त भर्तियों से जनशक्ति को बढ़ाने में सहायता नहीं हुई, क्योंकि रिक्ति 2012-13 में 30 प्रतिशत से 2013-14 में 34 प्रतिशत तक बढ़ गई

थी। क्षे.मौ.वि.कें. ने अन्य वैज्ञानिक/तकनीकी संश्रेणी में वैज्ञानिक कर्मचारियों की भर्ती की कार्रवाई नहीं की। वैज्ञानिक एवं तकनीकी जनशक्ति की कमी ने क्षे.मौ.वि.कें. के कार्यकलापों को बुरी तरह प्रभावित किया, जैसा कि परवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है।

क्षे.मौ.वि.कें. ने बताया (अगस्त 2013) कि मौजूदा वैज्ञानिक कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य करने के लिए भी बाध्य किया गया जिससे वैज्ञानिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। एम.ओ.ई.एस. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार (जून 2015) किया।

6.2.2.2 भूतल वेधशालाएं

भूतल वेधशालाओं, जो मानवयुक्त वेधशालाएं हैं, में मौसम विज्ञान के मापदण्डों को मापा जाता है। प्रेक्षण करने के अलावा, इन वेधशालाओं के कार्यों में मौसम विज्ञानी आंकड़ों, वर्षा विश्लेषण, स्वयं रिकॉर्डिंग उपकरणों, तालिका आंकड़ा सारणीकरण कार्य, मौसम विज्ञानी आंकड़ों की अदला-बदली, एकत्रित स्वचालित मौसम केंद्र के आंकड़ों आदि के सत्यापन की संवीक्षा शामिल है। भूतल वेधशालाएं, किए जाने वाले मापन के स्वरूप एवं बारम्बारता, दोनों 'विभागीय' एवं 'अंशकालिक' वेधशालाएं हो सकती हैं तथा विभागीय कर्मचारियों या अंशकालिक कर्मचारियों द्वारा मानवयुक्त होने के अनुसार विभागीय वेधशालाएं न सिर्फ प्रेक्षण करती हैं बल्कि मौसम विज्ञानी आंकड़ों, वर्षा विश्लेषण, सेल्फ रिकॉर्डिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, तालिका आंकड़ा सारणीकरण कार्य, मौसम विज्ञानी आंकड़ों की अदला-बदली, एकत्रित स्वचालित मौसम केंद्र के आंकड़ों आदि के सत्यापन की संवीक्षा भी करती हैं। अंशकालिक प्रेक्षक समय-समय पर विभागीय विशेषज्ञ कर्मियों द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं।

(i) भूतल वेधशालाओं का अपर्याप्त वितरण

आई.एम.डी. के मानक संक्षिप्त प्रलेख के अनुसार, भूतल वेधशाला, जहां तक संभव हो, प्रत्येक जिला में स्थित होना चाहिए था। क्षे.मौ.वि.कें. के क्षेत्राधिकार के अधीन छह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 119 जिलों में से 81 मानवयुक्त भूतल वेधशालाएं ('विभागीय' एवं 'अंशकालिक' वेधशालाएं सहित) 63 जिलों में स्थापित की गई थी। दिसंबर 2014 तक वेधशालाओं का क्षेत्रवार विवरण तालिका 28 में दिया गया है।

तालिका 28: दिसंबर 2014 तक क्रियाशील वेधशालाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राज्य यू.टी. में जिलों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	स्थापित वेधशालाओं की संख्या	आच्छादित जिलों की संख्या	आच्छादित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	आच्छादित यू.टी. राज्य का प्रतिशत	निष्क्रिय वेधशालाओं की संख्या	क्रियाशील वेधशालाओं की संख्या	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	बिहार	38	94,793	14	13	40,699	43	3	11	32,849
2	झारखंड	24	95,617	8	7	44,254	46	3	5	29,843
3	ओड़ीशा	30	1.56 लाख	22	19	1.09 लाख	70	0	22	1.09 लाख
4	सिक्किम	4	7,096	5	3	5,930	84	0	5	5,930
5	पश्चिम बंगाल	20	88,752	26	18	82,229	93	3	23	75,153
6	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	8,249	6	3	8,249	100	0	6	8,249
	कुल	119	4.51 लाख	81	63	2.90 लाख	64.30	9	72	2.61 लाख

तालिका 28 से यह देखा जा सकता है कि:

- क्षे.मौ.वि.के. कोलकाता के नियंत्रण के अंतर्गत पाँच राज्यों तथा एक यू.टी. के कुल 119 जिलों में से मात्र 53 प्रतिशत आच्छादन दर्शाते हुए, सिर्फ 63 जिले भूतल वेधशालाओं द्वारा आच्छादित थे।
- 4.51 लाख वर्ग कि.मी. के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 2.90 लाख वर्ग कि.मी. का क्षेत्र आच्छादित था। इसलिए, छह राज्यों/यू.टी. के कुल क्षेत्रफल का 36 प्रतिशत अर्थात् 1.61 लाख वर्ग कि.मी. का क्षेत्र, मौसम विज्ञान संबंधी मापदण्डों के मापन हेतु आच्छादित नहीं था।
- नौ वेधशालाएं निष्क्रिय थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये वेधशालाएं दो से 34 वर्षों (2015) तक की लंबी अवधि से निष्क्रिय थीं। इन वेधशालाओं के गैर-प्रचालन के लिए बताया गया कारण प्रेक्षकों की अनुपलब्धता था। इन निष्क्रिय वेधशालाओं की स्थिति तालिका 29 में दी गई है।

तालिका 29: निष्क्रिय वेधशालाओं की स्थिति

क्र. सं.	वेधशालाओं के नाम	अवधि जिससे निष्क्रिय
1	दरभंगा, बिहार	2008
2	जमुई, बिहार	1981
3	आरा, बिहार	1999
4	हजारीबाग, झारखंड	उपलब्ध नहीं
5	दुमका, झारखंड	उपलब्ध नहीं
6	धनबाद, झारखंड	1996
7	सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल	2006
8	बगाती, पश्चिम बंगाल	2012
9	कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल	2013

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर, किसी भी राज्य में क्रियाशील वेधशालाओं का 100 प्रतिशत आच्छादन नहीं था। झारखंड एवं बिहार में क्रियाशील भूतल वेधशालाओं का आच्छादन न्यूनतम था, जो क्रमशः 31 एवं 35 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप इन दो राज्यों में 1.28 लाख वर्ग कि.मी. के बड़े क्षेत्रफल पर मौसम विज्ञानी प्रेक्षण दर्ज नहीं किया गया।

राज्यों में स्थापित विभागीय एवं 'अंशकालिक' वेधशालाओं की संख्या का विवरण **परिशिष्ट XIX** में दिया गया है।

एम.ओ.ई.एस. ने बताया (जून 2015) कि स्वचालित मौसम स्टेशन (ए.डब्ल्यू.एस.) द्वारा आच्छादित नहीं किए गए क्षेत्रों को ए.डब्ल्यू.एस. के परिणामी योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा।

(ii) 'विभागीय' एवं 'अंशकालिक' वेधशालाओं के बीच वितरण


पैरा 6.2.2.2 में उल्लेखित भूतल वेधशालाओं को छह वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि तालिका 30 में दर्शाया गया है।

तालिका 30: वेधशालाओं का वर्गीकरण एवं निर्धारित आवंटित कार्य

वर्गीकरण	उप वर्गीकरण	निर्धारित आवंटित कार्य	स्थापित वेधशालाओं की संख्या
श्रेणी I	उप वर्गीकरण नहीं	विभागीय कर्मचारियों से मानवयुक्त प्रधान जलवायवीय स्टेशन, तीन से आठ संक्षिप्त प्रेक्षण कर रहे थे और एक दिन में संक्षिप्त प्रेक्षणों के कम से कम दो सेट संप्रेषण कर रहे थे। इसके अलावा, ऐसे स्टेशन कम से कम तीन मौसम संबंधी मापदंडों अर्थात् दबाव, तापमान, वायु और वर्षा की रिकॉर्डिंग के लिए न्यूनतम तीन ऑटो ग्राफिक उपकरणों से लैस थे।	20
श्रेणी II	(ए), (बी), (सी) एवं (डी)	ये साधारण जलवायवीय स्टेशन हैं जिस पर चरम तापमान और वर्षा की रीडिंग सहित प्रेक्षण तय समय पर किए जाते हैं। II (ए) एवं II (बी) को प्रतिदिन के प्रेक्षण कम से कम दो सेट संप्रेषण करना था। II (सी) को प्रतिदिन कम से कम दो सेट प्रेक्षण करना था और एक सेट प्रेक्षण संप्रेषित करना था एवं II (डी) को प्रतिदिन कम से कम दो सेट प्रेक्षण करना था और मासिक पंजी के माध्यम से उसे रिपोर्ट करना था। श्रेणी II (ए) विभागीय कर्मचारी से मानवयुक्त एवं श्रेणी II (बी) से II (डी) अंशकालिक कर्मचारियों से मानवयुक्त था।	II(ए)- 9 II(बी)- 43 II(सी)- 1
श्रेणी III	(ए) एवं (बी)	III (ए) को प्रतिदिन सिर्फ एक सेट प्रेक्षण और संप्रेषित करना था। एवं III (बी) को प्रतिदिन सिर्फ एक सेट प्रेक्षण करना था एवं उसे सिर्फ मासिक पंजी के माध्यम से रिपोर्ट करना था।	0
श्रेणी IV	(ए) एवं (बी)	IV (a) को प्रतिदिन दो सेट प्रेक्षण करना था (दबाव को छोड़कर) तथा उसे मासिक पंजी के माध्यम से रिपोर्ट करना था एवं IV (बी) को प्रतिदिन एक सेट प्रेक्षण करना था (दबाव को छोड़कर) तथा उसे मासिक पंजी के माध्यम से रिपोर्ट करना था।	IV (ए)- 3 IV (बी)- 1
श्रेणी V		वर्षा स्टेशन एवं अंशकालिक प्रेक्षकों से मानवयुक्त हैं।	
श्रेणी VI	(ए), (बी) एवं (सी)	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जलवायवीय स्टेशनों, जो श्रेणी I से IV द्वारा कवर नहीं हैं। ये वेधशालाएं किसी विशेष आवश्यकता के लिए एक विशिष्ट तत्व या तत्वों के प्रेक्षण लिए स्थापित किए गए हैं।	0
वर्गीकरण अनुपलब्ध			4 ⁷⁰
कुल			81

⁷⁰ हीराकुड (ओड़ीसा), आसनसोल (पश्चिम बंगाल) में स्थापित दो 'विभागीय' वेधशालाओं तथा सोनपुर, दरिगबारी (ओड़ीसा) में स्थापित दो 'अंशकालिक' वेधशालाओं का वर्गीकरण उपलब्ध नहीं था।

सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप प्राकृतिक जोखिम (भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात) प्रवण वाले क्षेत्र हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन राज्यों/यू.टी. क्षेत्रों को ज्यादातर 'अंशकालिक' वेधशालाओं से कवर किया गया था। सिक्किम राज्य के एक जिले में दो विभागीय (श्रेणी I) वेधशालाएं तथा तीन जिलों में तीन 'अंशकालिक' (श्रेणी IV (ए)) वेधशालाएं थीं। इस प्रकार, सिक्किम में, प्रधान जलवायवीय स्टेशन, राज्य के क्षेत्रफल का केवल 13 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिर्फ एक ही जिले में स्थापित किए गए थे। श्रेणी IV (ए) वेधशाला वाले दो जिलों से एकत्रित आंकड़ों को सिर्फ मासिक पंजी के माध्यम से संप्रेषित करना आवश्यक था।



सिक्किम में वेधशालाओं का वितरण



अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में वेधशालाओं का वितरण

ए.डब्ल्यू.एस. भविष्य की योजनाओं में स्थापित किया जाएगा।

(iii) 'अंशकालिक' वेधशालाओं लिए समझौता ज्ञापन का गैर-निष्पादन

मौसम की भविष्यवाणी और जलवायवीय प्रयोजनों के लिए संक्षिप्त प्रेक्षण⁷¹ का सटीक एवं सही और समय पर रिकॉर्डिंग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए क्षे.मौ.वि.के. को सहकारी एजेंसी (सी.ए.) के रूप में परिभाषित सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/स्वायत एजेंसी/संगठन/संस्थान की सहायता से अंशकालिक वेधशालाओं का स्थापना करना था। प्रत्येक अंशकालिक वेधशालाओं हेतु किए जाने वाली गतिविधियों का स्पष्ट उल्लेख

⁷¹ आमतौर पर तीन और छः घंटे के अंतर पर समय-समय पर किया गया एक सतह मौसम प्रेक्षण।

करते हुए तथा नियम और शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप क्षे.मौ.वि.कें./आईएमडी और सीए के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि क्षे.मौ.वि.कें. के अधीन 49 'अंशकालिक' वेधशालाओं की स्थापना की गई थी, फिर भी किसी भी वेधशाला से संबंधित कोई समझौता ज्ञापन अभिलेख में नहीं मिला। समझौता ज्ञापन के अभाव में मॉडेल समझौता ज्ञापन में निर्धारित गतिविधियां नहीं की गईं। गतिविधियों का विवरण तालिका 31 में दिया गया है।

तालिका 31: समझौता ज्ञापन में निहित नियम एवं शर्तों के निष्पादन की स्थिति

समझौता ज्ञापन में शामिल किए जाने वाले प्रमुख नियम एवं शर्तें	लेखापरीक्षा टिप्पणी
सी.ए. को बिना किसी चूक के प्रतिदिन 08.30 घंटे एवं 17.30 घंटे पर उनके कर्मचारियों के माध्यम से दो संक्षिप्त प्रेक्षण के रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करनी थी।	क्षे.मौ.वि.कें. में 'अंशकालिक' वेधशालाओं से प्रतिदिन दो बार वास्तविक समय आंकड़ा की प्राप्ति के कोई अभिलेख नहीं थे।
सी.ए. को तकनीकी कर्मचारियों/शिक्षकों के बीच से एक प्रेक्षक, विशेषतः विज्ञान का एक स्नातक, नियुक्त करना था।	40 चालू 'अंशकालिक' वेधशालाओं में से 34 वेधशालाओं में प्रेक्षकों के पास मैट्रिक से नीचे, कला/वाणिज्य में स्नातक तथा कला स्नातकोत्तर आदि से नीचे की योग्यता थी। 87 प्रतिशत प्रेक्षकों के पास विज्ञान में अकादमिक पृष्ठभूमि नहीं थी।
क्षे.मौ.वि.कें./आई.एम.डी. के निरीक्षण पधाधिकारी को कार्य के प्रत्येक चीज में प्रेक्षकों को पूर्णतया प्रशिक्षण देना था।	क्षे.मौ.वि.कें./आई.एम.डी. के निरीक्षण पधाधिकारी द्वारा प्रेक्षकों को कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
सी.ए. को वेधशाला बाड़ों में स्थापित उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था करना भी आवश्यक था।	किसी भी वेधशाला में रूटीन एवं निवारक रखरखाव सहित कोई रखरखाव नहीं हुआ था। यह सिर्फ निरीक्षण के समय किया गया था।

एम.ओ.ई.एस. ने स्वीकार (जून 2015) किया कि समझौता पत्र की प्रतियां उपलब्ध नहीं थीं। प्रेक्षकों की योग्यता एवं उनके प्रशिक्षण के संबंध में एम.ओ.ई.एस. ने कहा कि निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रेक्षक पाना मुश्किल था, लेकिन विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रेक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि, पहले के एक उत्तर (अगस्त 2013) में क्षे.मौ.वि.कें. ने स्वीकार किया था कि 'अंशकालिक' वेधशालाओं के प्रेक्षकों को कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षणों को दर्ज करने के संबंध में क्षे.मौ.वि.कें. ने आगे कहा कि मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े फोन पर वास्तविक समय पर प्राप्त किए जा रहे थे।

वेधशालाओं के रखरखाव के संबंध में क्षे.मौ.वि.कें. ने कहा कि निरीक्षण दौरे⁷² के दौरान रखरखाव का कार्य किया गया था।

क्षे.मौ.वि.कें. के उत्तर से पता चलता है कि मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों का कोई अभिलेख नहीं रखा जा रहा था तथा रखरखाव के कार्य क्षे.मौ.वि.कें./आई.एम.डी. द्वारा किए गए थे न कि सी.ए. द्वारा।

6.2.2.3 स्वचालित मौसम स्टेशन

स्वचालित मौसम स्टेशन (ए.डब्ल्यू.एस.) एक मानव रहित मौसम विज्ञान स्टेशन है जिससे प्रेक्षण किया जाता है एवं स्वतः उपग्रह के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) के तहत समग्र मौसम संबंधी अनुप्रयोग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, हर घंटे का मौसम संबंधी आंकड़ों, जो चक्रवात चेतावनी, बाढ़ की चेतावनी और बर्फ सर्वेक्षण के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के संग्रह के लिए देश भर में भूमि आधारित ए.डब्ल्यू.एस. स्थापित और चालू किया गया। क्योंकि ये मानव रहित मौसम केंद्र हैं, इसलिए इन वेधशालाओं की सुरक्षा एक गंभीर पहलू है।

स्वचालित मौसम केन्द्रों का खराब रखरखाव

क्षे.मौ.वि.कें. ने 2006-2015 की अवधि के दौरान अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत छह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 113 ए.डब्ल्यू.एस. स्थापित किया था। ए.डब्ल्यू.एस. के रखरखाव और मरम्मत के प्रयोजन के लिए, आई.एम.डी. ने क्षे.मौ.वि.कें. को क्षेत्रीय उपकरण रखरखाव केंद्र (आर.आई.एम.सी.) स्थापित करने के लिए (अगस्त 2010) अनुदेश दिया। प्रत्येक आर.आई.एम.सी. को संबंधित राज्य उपकरण रखरखाव केंद्र (एस.आई.एम.सी.) तथा क्षेत्र रखरखाव इकाइयों (एफ.एम.यू.) के कार्य का पर्यवेक्षण करना था। आर.आई.एम.सी. के कार्य में केंद्र के उपकरणों की निगरानी, इसका संचालन और डेटा का संचरण, गुणवत्ता की निगरानी एस.आई.एम.सी. एवं एफ.एम.यू. के समन्वय से निवारक रखरखाव/उपकरणों की मरम्मत, समग्र रखरखाव और सभी प्रकार के उपकरणों आदि की मरम्मत शामिल थी।

रखरखाव एवं मरम्मत कार्य को व्यापक रूप से दो समूहों, अर्थात् निवारक रखरखाव एवं सुधारात्मक रखरखाव में वर्गीकृत किया गया था। केंद्र पर दोष से कोई ताल्लुक न रहते हुए भी निवारक रखरखाव का निरीक्षण चार माह में एक बार किया जाना था, जबकि दोषों को दूर करने, दोषपूर्ण कल-पुर्जों को बदलने आदि हेतु, निवारक रखरखाव

⁷² निवारक रखरखाव का निरीक्षण आई.एम.डी. के क्षेत्रीय उपकरण रखरखाव केंद्र द्वारा चार महीने में एक बार किया जाना था।

मार्गदर्शन के अतिरिक्त, एस.आई.एम.सी.एस. द्वारा सुधारात्मक रखरखाव करना आवश्यक था।

यद्यपि क्षे.मौ.वि.के. ने बताया कि आर.आई.एम.सी. नवंबर 2011 में स्थापित किया गया था, परंतु उसने एस.आई.एम.सी./एफ़.एम.यू. की स्थापना का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में आर.आई.एम.सी./आर.एम.सी. के अंतर्गत एस.आई.एम.सी. एवं एफ़.एम.यू. की मौजूदगी का सत्यापन नहीं किया जा सका।

आर.आई.एम.सी./आर.एम.सी. द्वारा 2013-15 के दौरान ए.डब्ल्यू.एस. के निवारक रखरखाव की स्थिति तालिका 32 में दिया गया है।

तालिका 32: ए.डब्ल्यू.एस. के निवारक रखरखाव की स्थिति

राज्य/यू.टी. का नाम	स्थापित ए.डब्ल्यू.एस. की संख्या	किए जाने वाले निरीक्षण की संख्या	वास्तविक तौर पर किए गए निरीक्षण की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशतमें)
बिहार	28	224	27	197	88
पश्चिम बंगाल	27	216	71	145	67
ओडीशा	37	296	11	285	96
सिक्किम	4	32	9	23	72
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	8	0	8	100
झारखंड	16	128	0	128	100
कुल	113	904	118	786	87

उपरोक्त तालिका 32 से यह देखा जा सकता है कि

- समग्र रूप से आर.आई.एम.सी./आर.एम.सी. द्वारा ए.डब्ल्यू.एस. के निवारक रखरखाव में 87 प्रतिशत की कमी थी।
- झारखण्ड एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई निवारक रखरखाव का कार्य नहीं किया गया था।

क्षे.मौ.वि.के. ने बताया (मई 2013) कि 92 ए.डब्ल्यू.एस. वार्षिक रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत थे और इसीलिए निरीक्षण नहीं किए गए। क्षे.मौ.वि.के. का उत्तर विश्वासप्रद नहीं था क्योंकि ए.एम.सी. के माध्यम से अन्य एजेंसियों द्वारा ए.डब्ल्यू.एस. के मरम्मत और रखरखाव का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। लेखापरीक्षा ने बिहार में ए.डब्ल्यू.एस. के रखरखाव से संबंधित 11 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा पश्चिम बंगाल से

संबंधित 13 निरीक्षण प्रतिवेदनों की परीक्षण जांच के आधार पर संवीक्षा की गई और यह पाया कि:

बिहार

- प्रतिवेदनों में किए गए निरीक्षण (निवारक/सुधारात्मक) के प्रकार का संकेत नहीं दिया गया। निरीक्षण का कोई प्रारूप नहीं था तथा प्रतिवेदनों पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।
- सभी 11 ए.डब्ल्यू.एस. में, ए.डब्ल्यू.एस. के सौर पैनल एवं बैटरी का या तो चोरी हो जाना या गुम हो जाना बताया गया। तीन ए.डब्ल्यू.एस. में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) एवं दबाव सेंसर्स भी चोरी/गुम हो जाना बताया गया था। क्षे.मौ.वि.कें. पास खरीद की तिथि एवं गुम उपकरण की लागत उपलब्ध नहीं था। छह प्रतिवेदनों में, ए.डब्ल्यू.एस. के बाड़ों को लंबी घासों से घिरा हुआ बताया गया, लोहे के एंगल में जंग तथा घेराबंदी और वायु संवेदक का केबल टूटा हुआ पाया गया, जो दर्शाता है कि सामान्य रखरखाव खराब था।

पश्चिम बंगाल

- पाँच प्रतिवेदनों में, निवारक/सुधारात्मक निरीक्षण की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं था। किसी भी प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी नहीं ली गई थी।
- फरवरी 2013 एवं फरवरी 2015 के बीच किए गए ए.डब्ल्यू.एस. के निरीक्षण के दौरान, आठ ए.डब्ल्यू.एस. जिसे अगस्त 2006 एवं जुलाई 2011 के बीच स्थापित किया गया था, दोषपूर्ण उपकरणों के कारण निष्क्रिय पाये गए। मई 2015 तक ए.डब्ल्यू.एस. को सुचारू करने तथा उपकरणों की मरम्मत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।



ए.डब्ल्यू.एस. राइदीघी-बेकार उपकरणों के कारण निष्क्रिय



ए.डब्ल्यू.एस. काकद्वीप – बेकार उपकरणों के कारण निष्क्रिय



इस प्रकार, ए.डब्ल्यू.एस. के नियमित रखरखाव हेतु एक निर्धारित तंत्र के बावजूद, क्षे.मौ.वि.कें. द्वारा उसका खराब तरीके से रखरखाव किया गया।

यह स्वीकार करते हुए कि ए.डब्ल्यू.एस. का रखरखाव नहीं किया गया, एम.ओ.ई.एस. ने कहा (जून 2015) कि यह कर्मचारी की कमी और कल-पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हुआ था। एम.ओ.ई.एस. ने यह भी कहा कि कर्मचारी की कमी की वजह से निरीक्षण संभव नहीं थे। हालांकि, उसने यह आश्चस्त किया कि ए.डब्ल्यू.एस. का रखरखाव किया जाएगा।

6.2.2.4 पायलट गुब्बारा वेधशालाएं

पायलट गुब्बारा वेधशालाएं (पी.बी.ओ.) वास्तविक समय आधार पर ऊपरी हवाओं के बारे में सूचना रिकॉर्ड तथा रिपोर्ट करती हैं। पीबीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना न सिर्फ पूर्वानुमान के प्रायोजन के लिए, बल्कि हवाई जहाज उड़ाने हेतु पायलट के लिए भी महत्वपूर्ण है।

आधारभूत संरचना के अभाव में अपर्याप्त आंकड़ा संग्रह

क्षे.मौ.वि.कें. के नियंत्रणाधीन 11 स्थानों⁷³ पर 11 पी.बी.ओ. हैं। इनमें से पश्चिम बंगाल तथा ओड़ीशा में तीन वेधशालाओं⁷⁴ का लेखापरीक्षा में दौरा किया गया। यह पाया गया कि यद्यपि ऊपरी वायु उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए आई.एम.डी. द्वारा जारी किया गया कोई निर्धारित अनुदेश नहीं था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ.)⁷⁵ ने मौसम विज्ञान संबंधी उपकरणों एवं प्रेक्षण की विधि पर एक सूचना पुस्तक जारी (2008) किया। लेखापरीक्षा में सूचना पुस्तक में दिये गए सबसे बढ़िया कार्य प्रणालियों में से कुछ के साथ पी.बी.ओ. के प्रदर्शन की तुलना की गई। निष्कर्षों की चर्चा तालिका 33 में की गई है।

⁷³ पश्चिम बंगाल में डम-डम एवं बांकुड़ा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर, सिक्किम में गंगटोक, ओड़ीशा में झारसुगुड़ा, बालासोर, भुवनेश्वर तथा गोपालपुर, झारखंड में जमशेदपुर, एवं बिहार में गया तथा भागलपुर।

⁷⁴ दमदम, बांकुड़ा तथा बालासोर में पी.बी.ओ.।

⁷⁵ विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यू.एम.ओ.) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ संस्था है, जिसका भारत एक सदस्य है। डब्ल्यू.एम.ओ. के मुख्य उद्देश्यों में से एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत मानकों के अनुसार मौसम, जलवायु एवं जल पर आंकड़ा एवं सूचना तैयार करने में इसके सदस्यों की गतिविधियों का समन्वय करना है। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के हर एक सत्र में स्वीकार किए गए तकनीकी विनियामक डब्ल्यू.एम.ओ. सदस्यों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए मौसम विज्ञान संबंधी कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि बनाते हैं।

तालिका 33: पायलट गुब्बारा वेधशालाओं का प्रदर्शन

उत्तम कार्य प्रणाली की कसौटी	पी.बी.ओ. दमदम, प.बं.	पी.बी.ओ. बांकुरा, प.बं.	पी.बी.ओ. बालासोर, ओड़ीशा
ऊपरी वायु जलवायवीय आंकड़ा लेने के लिए एक दिन में दो बार क्रमशः 0600 घंटे तथा 1800 घंटे पर नियमित उड़ान आवश्यक था।	गुब्बारों, हाइड्रोजन गैस आदि के अभाव के कारण अप्रैल 2009 से अप्रैल 2012 के दौरान 184 दिनों के लिए कोई पायलट गुब्बारा नहीं छोड़ा गया था।	उचित आकार के गुब्बारों, लालटेन, गैस की गैर-आपूर्ति तथा वृक्षों के अवरोधों के कारण 2009-14 के दौरान 533 दिनों के लिए कोई पायलट गुब्बारा नहीं छोड़ा गया।	गुब्बारों, हाइड्रोजन गैस आदि के अभाव के कारण अप्रैल 2009-13 के दौरान 338 दिनों के लिए कोई पायलट गुब्बारा नहीं छोड़ा गया था।
उपकरण के समुचित उपयोग और आंकड़ों की व्याख्या हेतु आई.एम.डी. को प्रत्येक ऊपरी-वायु स्टेशन के लिए उचित अनुदेश पुस्तिका जारी करनी थी।	कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं की गई थी।		
उड़ान पूर्व तैयारियों हेतु जब तक आवश्यक नहीं था तब तक सभी गुब्बारों को उनके मूल पैकिंग में रखा जाना चाहिए था। जहां कहीं संभव हो गुब्बारा को 15 एवं 25 डिग्री सेल्सियस के बीच एक कमरे में रखा जाना था।	गुब्बारे 25-30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक गैर-एसी कमरे में रखे गए थे।	गुब्बारों को 10 से 44 डिग्री सेल्सियस के अलग-अलग तापमान पर एक कमरे में रखा गया था।	गुब्बारे 10-46 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कार्यालय के स्टोर रूम में थे।
क्षे.मौ.वि.कें. द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाना था तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित पी.बी.ओ. को रिपोर्ट भेजनी थी।	2008-15 के दौरान चार निरीक्षण किए गए थे। अनुवर्ती कार्रवाई के लिए रिपोर्टों को पी.बी.ओ. को नहीं भेजा गया था।	2008-15 के दौरान छह निरीक्षण किए गए थे। अनुवर्ती कार्रवाई के लिए रिपोर्टों को पी.बी.ओ. को नहीं भेजा गया था।	2008-15 के दौरान प्रत्येक वर्ष निरीक्षण किए गए थे। अनुवर्ती कार्रवाई के लिए रिपोर्टों को पी.बी.ओ. को नहीं भेजा गया था।

इस प्रकार, लंबी अवधि के लिए तीन पी.बी.ओ. में उड़ान आयोजित नहीं किया गया, जो यह दर्शाता है कि ऊपरी वायु का रीडिंग नहीं लिया गया था। पी.बी.ओ. में उपकरणों का रखरखाव और भंडारण भी लापरवाह था और अनुचित भंडारण की

स्थिति के कारण गुब्बारों की इष्टतम परिणाम प्रदान नहीं करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पी.बी.ओ., बांकुरा ने स्वीकार किया (दिसंबर 2014) कि उपरोक्त अवधि के दौरान अनियमित उड़ान की वजह से मौसम विज्ञान संबंधी कार्य बाधित हुआ था। एम.ओ.ई.एस. ने बताया (जून 2015) कि उड़ान के अभाव का मुख्य कारण खराब मौसम की स्थिति तथा हाइड्रोजन गैस की अनुपलब्धता थी। गुब्बारों के भंडारण के संबंध में, एम.ओ.ई.एस. ने कहा कि भारत में उनके भंडारण के लिए उचित हालात बनाए रखना संभव नहीं था। उसने आगे कहा कि कर्मचारी की कमी के कारण निर्धारित निरीक्षण नहीं किए जा सके।

एम.ओ.ई.एस. के उत्तर में हाइड्रोजन गैस की खरीद में उसके सामने आई बाधाओं का वर्णन नहीं किया गया। गुब्बारों की कमी के बारे में उत्तर को इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना है कि निर्धारित आवश्यकताएं आम भंडारण की थीं जिसमें किसी विशेष ढांचे की आवश्यकता नहीं थीं।

6.2.2.5 जल-मौसम विज्ञान वेधशालाएं

विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ नियंत्रण उत्पादों की योजना के लिए बुनियादी जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों अर्थात् वर्षा, तापमान, नमी और हवा के संग्रह हेतु, आई.एम.डी./आर.एम.सी. ने उत्तरी नदियों के हिमालयी जलग्रहण और अन्य जलग्रहण जहां बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की योजना बनाई और क्रियान्वित की जा रही थी, में जल-मौसम विज्ञान वेधशालाओं की स्थापना किया की। ये वेधशालाएं अंशकालिक कर्मचारियों से मानवयुक्त हैं और मुख्यतः अवक्षेपण आंकड़ों को दर्ज करती हैं तथा बांधों, रेलवे और सड़क पुलों के निर्माण, हिमालयी नदियों में बर्फ के पिघलने का मूल्यांकन एवं पानी का संतुलन तथा हिमनदीय अध्ययन में उपयोग हेतु बाढ़ का पूर्वानुमान, नदी बेसिन का अध्ययन एवं वर्षा के आंकड़ों का संकलन करती हैं। वेधशालाओं की संख्या विशिष्ट परियोजना की जरूरतों पर निर्भर करता है। अन्य संगठन की ओर से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए स्थापित वेधशालाओं पर व्यय की वसूली प्रायोजन एजेंसी से की जाती है।

(i) निष्क्रिय वेधशालाएं

दिसंबर 2014 तक क्षे.मौ.वि.के. के अंतर्गत 1,119 जल-मौसम विज्ञान वेधशालाएँ थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 215 (19 प्रतिशत) वेधशालाएँ कार्यात्मक नहीं थीं। इनमें से 105 बेकार यंत्र की वजह से गैर-कार्यात्मक थे और 41 वेधशालाओं के पास आवश्यक उपकरण नहीं थे। क्षे.मौ.वि.के. के अभिलेख में इन बेकार उपकरणों की

लागत नहीं मिली थी। शेष 69 निष्क्रिय वेधशालाओं से संबंधित कारण अभिलेख में नहीं थे।

एम.ओ.ई.एस. ने बताया (जून 2015) कि राज्य के प्राधिकारी आवश्यकता के अनुसार तथा समय पर निष्क्रिय वेधशालाओं को पुनर्जीवित करने/फिर से खोलने के क्षे.मौ.वि.के. निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। हालांकि, एम.ओ.ई.एस. द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई, अगर कोई, को सूचित नहीं किया गया था।

(ii) बाढ़ मौसम विज्ञान कार्यालयों की अपर्याप्त संख्या

जल-मौसम विज्ञान वेधशालाओं के अंतर्गत क्षे.मौ.वि.के. ने वर्षा आंकड़ा एकत्रित करने, बाढ़ का पूर्वानुमान एवं नदी बेसिन का अध्ययन करने, औसत वार्षिक वर्षापात की गणना करने, मॉनसून के दौरान बारिश का पूर्वानुमान करने, भारी बारिश की चेतावनी करने, नदी के जलग्रहणवार संख्यात्मक वर्षापात आदि का पूर्वानुमान करने के उद्देश्य से जल ग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ मौसम विज्ञान कार्यालयों (एफ.एम.ओ.) की स्थापना की है। क्षे.मौ.वि.के. के अंतर्गत चार एफ.एम.ओ. हैं जो, पश्चिम बंगाल में असनसोल एवं जलपाईगुड़ी, बिहार में पटना, और ओड़ीशा में भुवनेश्वर में स्थित हैं। ये एफ.एम.ओ. अपना विश्लेषण तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओड़ीशा एवं सिक्किम में 155 'अंशकालिक' वेधशालाओं से वर्षापात आंकड़ा एकत्रित करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में छह बारहमासी नदियां⁷⁶ हैं, फिर भी इन नदी जलग्रहण क्षेत्रों में कोई एफ.एम.ओ. स्थापित नहीं किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप, इस संघ शासित प्रदेश के विभिन्न द्वीपों से जलग्रहण क्षेत्रवार वर्षापात आंकड़े संग्रह नहीं किए गए। इसके अलावा सिक्किम राज्य के दो जिलों में सिर्फ तीन वेधशालाएं स्थापित की गई थीं, जबकि तीस्ता नदी एवं इसकी प्रमुख उप-नदी रंगीत लगभग पूरे राज्य की लंबाई भर में बहती है।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा ओड़ीशा राज्यों के काफी क्षेत्र कवर नहीं किए गए थे।

इन क्षेत्रों के आच्छादन का अभाव यह दर्शाता है कि बारिश, वार्षिक वर्षापात, के साथ-साथ मॉनसून के दौरान बारिश का पूर्वानुमान, भारी बारिश की चेतावनी, आदि का डेटाबेस अधूरा था।

एम.ओ.ई.एस. ने कहा (जून 2015) कि हर एक एफ.एम.ओ. तथा नदी के जलग्रहण

⁷⁶ कालपोंग, एलेक्जेंडरा, अमृत कौर, डेन्स, गलथिया, एवं डोगमरा।

क्षेत्र के लिए वेधशालाओं की संख्या विशेषज्ञों द्वारा सुनिश्चित की गई थी। हालांकि, उसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में वेधशालाओं की गैर मौजूदगी तथा सिक्किम, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं ओडीशा में अनुमोदित स्थापित की गई वेधशालाओं का आधार उपलब्ध नहीं कराया।

6.2.2.6 विकिरण वेधशालाएं

क्षे.मौ.वि.के. के अंतर्गत बिहार में पटना, झारखण्ड में रांची, ओडीशा में भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, सिक्किम में टाडोंग तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित छह विकिरण वेधशालाएं हैं।

कोलकाता विमान पत्तन पर विकिरण वेधशालाओं के निष्क्रिय यंत्र

लेखापरीक्षा में विकिरण वेधशाला, कोलकाता विमान पत्तन में रखे गए अभिलेखों का परीक्षण जांच किया गया। कोलकाता विमान पत्तन में स्थित विकिरण विभाग डेटा लॉगर के माध्यम से, 10 मिनट के अंतराल पर विकिरण के पाँच मापदण्डों⁷⁷ का प्रेक्षण करता है तथा पुणे में स्थित विकिरण मुख्यालय में भेजता है।

आई.एम.डी. के निर्देशों (जून 1999) के अनुसार वर्ष में एक बार प्रत्येक वेधशाला का निरीक्षण किया जाना था। हरेक वेधशाला को नियमित आधार पर एक प्रचालन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2008-14 की अवधि के दौरान वेधशाला का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि छह उपकरण⁷⁸ नवंबर 2009/जून 2012 से खराब थे, जिसके कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा था। 2008-13 की अवधि के दौरान, विकिरण वेधशाला ने चार प्रचालन स्थित रिपोर्ट प्रस्तुत किए। तथापि, खराब उपकरणों के मरम्मत करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में विकिरण वेधशाला, कोलकाता में उपकरणों के रखरखाव की तुलना कमीशन फॉर इन्स्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ ओब्जर्वेटरीज़⁷⁹ (सी.आई.एम.ओ.) द्वारा प्रसारित अंतर्राष्ट्रीय बेहतर कार्यप्रणाली के साथ की गई। सी.आई.एम.ओ. दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामंजस्य तथा परीक्षण गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के स्वाभाविक तत्व हैं। किसी मौसम विज्ञान सेंसर या प्रणाली द्वारा उत्पादित मापन की वैधता एवं

⁷⁷ (i) बिखरे सौर विकिरण (ii) भूमंडलीय सौर विकिरण (iii) स्थलज सौर विकिरण (iv) प्रत्यक्ष सौर विकिरण तथा (v) यू.वी.ए. सौर विकिरण।

⁷⁸ पाइरोजियोमीटर, रेडियोमीटर, पाइरहेलियोमीटर, डिफ्रैशियल पाइरेनोमीटर, डेटालॉगर, एवं स्काई रेडियामीटर।

⁷⁹ उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपकरणों की अनुकूलता एवं प्रेक्षण की विधियों को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को सुगम बनाने के लिए कमीशन फॉर इन्स्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ ओब्जर्वेटरीज़ (सी.आई.एम.ओ.) विश्व मौसम विज्ञान संगठन का एक अंग है।

प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ सामंजस्य का संमिश्रण, प्रयोगशाला परीक्षण, तथा कार्यात्मक परीक्षण जरूरी होता है। हालांकि, विकिरण वेधशाला, कोलकाता विमान पतन के उपकरणों का सामंजस्य चार से 10 वर्ष पहले किया गया था।

एम.ओ.ई.एस. ने टिप्पणी को स्वीकार किया (जून 2015) तथा बताया कि लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुपालन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

6.2.2.7 रेडियोसॉडें/रेडियोविंड वेधशालाएं

विकिरण वेधशालाओं के अतिरिक्त, मुक्त वायुमंडल में सतह से 20 कि.मी. या अधिक की ऊंचाई तक की अवरक्त विकिरण प्रवाह का लम्बवत वितरण तथा विकिरण कूलिंग को गुब्बारा जनित रेडियोमीटरसॉडें⁸⁰ के माध्यम से मापा जाता है। आंकड़े को सहज एवं सुरक्षित उड़ान के लिए हवाई जहाज के पायलट को दे दिया जाता है।

अपर्याप्त आंकड़ों का संग्रह एवं प्रसार

कोलकाता विमान पतन पर क्षे.मौ.वि.कें. द्वारा संचालित रेडियोसॉडें/रेडियोविंड (आर.एस./आर.डब्ल्यू.) वेधशालाओं के अभिलेखों की संवीक्षा लेखापरीक्षा में की गई। आर.एस./आर.डब्ल्यू. वेधशालाओं को प्रभावशाली आंकड़ा संग्रह करने के लिए दो आर.एस./आर.डब्ल्यू. उड़ान के माध्यम से एक दिन में दो बार रीडिंग लेना आवश्यक है। हालांकि, 2009-14 की अवधि के दौरान, वेधशाला द्वारा सिर्फ एक उड़ान का आंकड़ा लिया गया जिसका परिणाम अपर्याप्त आंकड़ा संग्रह के रूप में हुआ। आर.एस./आर.डब्ल्यू. वेधशालाओं के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन उपकरण तीन से पाँच वर्ष से अधिक से बेकार थे। खराब उपकरणों को ठीक करने/बदलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार, आर.एस./आर.डब्ल्यू. वेधशाला में उपकरणों के अनुचित रखरखाव के कारण वेधशाला द्वारा प्रेक्षण की आवृत्ति से समझौता किया गया था।

एम.ओ.ई.एस. ने बताया (जून 2015) कि नियमित प्रेक्षणों के लिए पर्याप्त आरएस/आरडब्ल्यू उपकरण उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

⁸⁰ अवरक्त विकिरण को मापने का एक यंत्र, जो आकाश में छोड़े जाने वाले गुब्बारों से संबद्ध होता है।

6.2.3 निष्कर्ष

क्षे.मौ.वि.कें. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी की कमी का सामना कर रहा था, जिससे इसका वैज्ञानिक कार्य प्रभावित हुआ। 2013-14 तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग में क्रमशः 34 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत की कमी थी। क्षे.मौ.वि.कें. मानवशक्ति की कमी के कारण नई वेधशाला स्थापित करने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप, बड़े भौगोलिक क्षेत्र कवरेज से छूटे रह गए।

क्षे.मौ.वि.कें. द्वारा स्थापित 81 भूतल वेधशालाओं में से नौ, प्रेक्षकों की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय थें। वेधशालाओं में उपकरणों की अपर्याप्त देखभाल हुई थी। निर्धारित निरीक्षण नहीं किए गए। उन वेधशालाओं में जहां निरीक्षण किए गए, प्रतिवेदित स्थिति पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। स्वचालित मौसम केन्द्रों में घटिया निवारक रखरखाव था। चोरी एवं खराब उपकरणों की सूचना भी थी, जिसे क्षे.मौ.वि.कें. द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। पायलट गुब्बारा वेधशालाओं को गुब्बारों के उड़ान के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना मुहैया नहीं कराया गया था। इस प्रकार, उपरी हवाओं के आंकड़ों की सावधिकता में लंबा अंतराल था। बड़ी नदियों वाले राज्यों जैसे कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडीशा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बाढ़ मौसम विज्ञान वेधशालाओं का पर्याप्त कवरेज नहीं था।

अध्याय – VII

पर्यावरण और वन मंत्रालय

7.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 का कार्यान्वयन

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में उत्पन्न/संसाधित किए जा रहे ई-अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण और ऐसे आंकड़ों के संग्रहण और संकलन के लिए राज्य एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय नहीं किया। बोर्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्मित और देश में आयातित खतरनाक पदार्थों के उपयोग की कमी के लिए तंत्र लागू करने में भी विफल रहा।

7.1.1 प्रस्तावना

ई-अपशिष्ट सम्पूर्ण अथवा आंशिक अथवा उनके विनिर्मित और मरम्मत प्रक्रिया से अस्वीकृत विद्युतीय और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ई.ई.ई.) के रूप में परिभाषित किया जाता है जो फेंके जाने के लिए अभिप्रेत है। ई-अपशिष्ट में आर्थिक लाभ की उपयोगी सामग्री जैसे प्लास्टिक, लोहा, एल्यूमिनियम, ताँबा, चाँदी, सोना और प्लैटीनम, आदि शामिल होते हैं।



ई-अपशिष्ट

इसमें भारी धातुएं जैसे शीशा, क्रोमियम, पारा, कैडमियम, आदि और अन्य जहरीले पदार्थ भी शामिल होते हैं जो स्वास्थ्य जोखिमों और पर्यावरण को हानि का कारण बन सकते हैं। यद्यपि देश में ई-अपशिष्ट की कोई व्यापक सूची नहीं है परन्तु यह अनुमान किया गया है कि वार्षिक ई-अपशिष्ट उत्पादन, 2012 में, आठ लाख टन होगा।

ऐसे उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ ई.ई.ई. की अप्रचलन की उच्च दरों से अपशिष्ट से उपयोग सामग्री की प्राप्ति हेतु ई-अपशिष्ट के पुनः चक्रण की आवश्यकता होगी। इसलिए अपशिष्ट में मौजूद खतरनाक पदार्थों के कारण प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीति में ई-अपशिष्ट का संग्रहण और पुनः चक्रण/संसाधन किए जाने की आवश्यकता है।



ई-अपशिष्ट

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) भारत सरकार ने देश में (मई 2011) ई-अपशिष्ट को विनियमित और निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 (नियम) बनाए जो अन्यथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम का कारण बनकर अवैज्ञानिक विधियों

का उपयोग कर असंगठित क्षेत्र में पुनः चक्रित किए जा रहे थे। ये नियम 1 मई 2012 से प्रभावी हुए और प्रत्येक उत्पादक⁸¹, थोक उपभोक्ता जो नियमों की अनुसूची-1 में यथा निर्दिष्ट ई.ई.ई. अथवा संघटकों के विनिर्माण, बिक्री, खरीद और संसाधन में शामिल थे, ई-अपशिष्ट के संग्रह केन्द्र⁸², विघटक⁸³ और पुनः चक्रण⁸⁴ करने वाले पर लागू थे।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली (सी.पी.सी.बी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) के अधीन एक स्वायत्त निकाय, नियमों के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निर्देश तैयार करने और ई.ई.ई. में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी में की गई प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी था। नियमों की अनुसूची III में यथा उल्लिखित सी.पी.सी.बी. के कर्तव्य निम्नवत हैं:

- (i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी.) के साथ समन्वय
- (ii) ई-अपशिष्ट के पर्यावरण के दृष्टि से मजबूत प्रबन्धन के लिए मार्गनिर्देश तैयार करना
- (iii) ई-अपशिष्ट उत्पादन और संसाधन का निर्धारण करना
- (iv) ई-अपशिष्ट के संसाधन और पुनः चक्रण हेतु मानकों और विनिर्देशनों की सिफारिश करना
- (v) ई-अपशिष्ट के आंकड़ों का दस्तावेजीकरण, संकलन और सी.पी.सी.बी. की वेबसाइटों पर अपलोड करना
- (vi) प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना

⁸¹ कोई व्यक्ति जो अपने स्वयं के ब्रांड के अन्तर्गत ई.ई.ई. का विनिर्माण करता है और बिक्री का प्रस्ताव करता है, अन्य विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित संयोजित ई.ई.ई. बिक्री का प्रस्ताव करता है, अथवा आयतित ई.ई.ई. बिक्री करने का प्रस्ताव करता है।

⁸² ई-अपशिष्ट संग्रहीत करने के लिए स्थापित एक केन्द्र।

⁸³ प्रयुक्त ई.ई.ई. को उसके संघटकों में तोड़ने में लगा कोई व्यक्ति/पंजीकृत समिति/नामित एजेंसी/कम्पनी/संघ।

⁸⁴ कोई व्यक्ति जो प्रयुक्त ई.ई.ई. अथवा संयोजनों अथवा उनके संघटकों के पुनः चक्रण अथवा पुनः संसाधन में लगा है।

- (vii) मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- (viii) इन नियमों के अधीन मंत्रालय द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य
- (ix) ई.ई.ई. के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी से संबंधित प्रावधानों को प्रवर्तित करना
- (x) खतरनाक पदार्थ कम करने के लिए आई.टी. उद्योग के लिए पहल
- (xi) ई.ई.ई. के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी के अनुपालन हेतु लक्ष्य निर्धारित करना
- (xii) ग्रीन डिजाइन/उत्पादों के लिए प्रोत्साहन और प्रमाणन

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी.सी.सी.)/शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 का संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों (नगर समिति/परिषद/निगम) में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियामक एजेंसियों के रूप में उत्तरदायित्व दिया गया था।

2011-12 से 2013-14 के दौरान नियमों की अनुसूची III में यथा सूचीबद्ध सी.पी.सी.बी. को निर्दिष्ट कर्तव्यों के संबंध में नियमों के कार्यान्वयन की मात्रा की जांच करने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी। सी.पी.सी.बी. के कर्तव्यों के अनुसार लेखापरीक्षा निष्कर्ष संगठित किए गए हैं और अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.1.2.1 एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. के साथ समन्वय

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 की अनुसूची III के अन्तर्गत राज्यों/यू.टी. के एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से कर्तव्यों जैसे ई-अपशिष्ट का सूचीकरण, प्राधिकरण⁸⁵ देना और नवीकरण, ई-अपशिष्ट के पुनः चक्रणों का पंजीकरण, प्राधिकरण और पंजीकरण शर्तों के अनुपालन की निगरानी, प्राधिकरण हेतु लगाई गई शर्तों पर सूचना अनुरक्षित करना, ई-अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से मजबूत पुनः चक्रण प्रोत्साहित करने तथा एम.ओ.ई.एफ. द्वारा दिया गया कोई अन्य कर्तव्य निभाने की अपेक्षा की गई थी। सी.पी.सी.बी. इन नियमों के कार्यान्वयन हेतु एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से समन्वय के लिए उत्तरदायी था।

⁸⁵ ई-अपशिष्ट नियमों के अधीन दी गई ई-अपशिष्ट के प्रहस्तन, संग्रहण, प्राप्ति, भण्डारण, परिवहन, विघटन, पुनः चक्रण, संसाधन और निपटान की अनुमति।

तदनुसार, एस.पी.सी.बी. से ई-अपशिष्ट के उत्पादकों की सूची जिन्होंने प्राधिकरण हेतु आवेदन किया, उत्पादकों को जारी प्राधिकरणों की संख्या, संग्रहण केन्द्रों को जारी प्राधिकरणों की संख्या, उनकी क्षमता और सम्पर्क ब्यौरों के साथ विघटकों/पुनः चक्रणों की सूची, ई-अपशिष्ट के उत्पादन और इनकी समापन अनुसूची की सूची की स्थिति, नियमों के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुख्य विषय, इन विषयों के समाधान हेतु सुझाव और नियमों के उल्लंघन, यदि कोई हो, के समाधान के लिए की गई कार्रवाई पर संक्षिप्त टिप्पणी की मांग की गई (फरवरी 2013/जुलाई 2014/मार्च 2015)।

7 मई 2015 तक 11 राज्यों/यू.टी. में 128 उत्पादकों, 17 राज्यों/यू.टी. में 113 संग्रहण केन्द्रों और 12 राज्यों में 143 विघटकों/पुनः चक्रणों को संबंधित एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. द्वारा प्राधिकरण दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी.पी.सी.बी. ने केवल फरवरी 2013 में, अर्थात् नियमों के प्रभावी होने के आठ माह बाद उपर उल्लिखित मूल डाटा एकत्र करने की कार्रवाई आरम्भ की। उसके बाद उन्होंने जुलाई 2014 और मार्च 2015 में आवर्ती रूप से एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. के साथ मामला उठाया जिसने देश में ई-अपशिष्ट से सम्बन्धित मूल डाटा संग्रहीत करने के लिए सी.पी.सी.बी. द्वारा दीर्घकालीन कार्रवाई की कमी दर्शाई।

एम.ओ.ई.एफ. ने यह स्वीकार करते हुए कि एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी, कहा (जुलाई 2015) कि संसदीय प्रश्नों का उत्तर देते हुए अन्य राज्यों ने प्रतिवेदित किया था कि उनके पास प्राधिकृत निर्माता, संग्रहण केन्द्र तथा विघटन/पुनः चक्रण की सुविधा नहीं थी।

यह उत्तर दर्शाता है कि सी.पी.सी.बी. का एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. के साथ समन्वय अप्रभावी था।

7.1.2.2 ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रबन्धन के लिए मार्ग निर्देश तैयार करना

नियमों के अन्तर्गत, सी.पी.सी.बी. को ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रबन्धन के लिए मार्गनिर्देश तैयार करने थे। सी.पी.सी.बी. ने विभिन्न पणधारियों पर यथा लागू नियमों के क्षेत्र का वर्णन कर ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देश तैयार किए (जून 2012)।

7.1.2.3 ई-अपशिष्ट उत्पादन और संसाधन का निर्धारण

सी.पी.सी.बी. के नियमों के अनुसूची III के अन्तर्गत कर्तव्यों के अनुसार “ई-अपशिष्ट उत्पादन और संसाधन का निर्धारण करना” अपेक्षित था। सी.पी.सी.बी. द्वारा 2005 के सर्वेक्षण के आधार पर, यह अनुमानित किया गया कि देश में 1.47 लाख टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न किया जा रहा था, जो 2012 तक आठ लाख टन तक बढ़ सकता था। तथापि, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय⁸⁶ द्वारा प्रकाशित (2014) एक अध्ययन के अनुसार 2014 में भारत में उत्पादित ई-अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 16.41 लाख टन थी। इसके अलावा 10 राज्यों (महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश और पंजाब) ने भारत में उत्पन्न कुल अपशिष्ट का 70 प्रतिशत उत्पन्न किया (सी.पी.सी.बी. के ई-अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रबन्धन के लिए मार्ग निर्देशों 2008 के अनुसार)।

तथापि, सी.पी.सी.बी. ने 2005 के बाद भारत में ई-अपशिष्ट उत्पादन और संसाधन का कोई स्वतन्त्र निर्धारण नहीं किया था। यह एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से सूचना मांग रहा था (फरवरी 2013/जुलाई 2014/मार्च 2015)। 34 एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. में से, केवल 18 निकायों ने विषम रीति में अपनी वार्षिक रिपोर्टें भेजी, जिनमें आंशिक रूप से सूचना शामिल की गई थी। तथापि, जैसा पैरा 7.1.2.1 में उल्लेख किया गया, सी.पी.सी.बी. ने उपरोक्त सूचना भेजने के लिए उनसे लगातार अनुसरण नहीं किया।

मार्च 2015 तक, सी.पी.सी.बी. ने सम्बन्धित सी.पी.सी.बी./पी.सी.सी. द्वारा किए गए अध्ययनों (2005 से 2013) के आधार पर आठ⁸⁷ राज्यों/यू.टी. के संबंध में ई-अपशिष्ट के उत्पादन और तीन⁸⁸ राज्यों के कुछ शहरों में ई-अपशिष्ट उत्पादन पर सीमित सूचना पर अनुमान लगाए थे। तथापि उच्च ई-अपशिष्ट उत्पादक राज्यों जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक तथा गुजरात के संबंध में ई-अपशिष्ट उत्पादन की अद्यतन सूचना नहीं थी।

इसके अलावा, एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों में शामिल डाटा से पता चला कि 2012-13 के दौरान 11 राज्यों/यू.टी. ने 6,524 मिट्रिक टन ई-अपशिष्ट संग्रहीत किया और 2013-14 के दौरान 14 राज्यों/यू.टी. ने 1.21 लाख मिट्रिक टन ई-अपशिष्ट एकत्रित किया। इन राज्यों द्वारा उत्पादित ई-अपशिष्ट की मात्रा पर पूर्ण सूचना के अभाव में संग्रहण किए जा रहे ई-अपशिष्ट की मात्रा पर टिप्पणी करना लेखापरीक्षा के लिए सम्भव नहीं था।

⁸⁶ संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय-इंस्टीट्यूट फॉर दी एडवांस्ड स्टडी आफ सस्टेनेबिलिटी द्वारा वैश्विक ई-अपशिष्ट निगरानी 2014।

⁸⁷ असम, चण्डीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, पडुचेरी, और पंजाब।

⁸⁸ मध्य प्रदेश, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल।

इस प्रकार, सी.पी.सी.बी. देश में उत्पादित तथा संग्रहीत ई-अपशिष्ट की मात्रा से अनभिज्ञ था और फलस्वरूप नियमों के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले ई-अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यकलापों का क्षेत्र और मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया था।

एम.ओ.ई.एफ. ने (जुलाई 2015) में बताया की ई-अपशिष्ट की उत्सर्जन को मापना एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. का उत्तरदायित्व था तथा सी.पी.सी.बी. का अधिदेश केवल एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से प्राप्त सूचना को संकलित करना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. ई-अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उत्तरदायी थे जबकि सी.पी.सी.बी. को नियमानुसार ई-अपशिष्ट उत्सर्जन का निर्धारण करना था। सी.पी.सी.बी. ने न तो एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से यह सूचना एकत्र करने की दीर्घावधि कार्रवाई की और न ही इसके अभाव में स्वतन्त्र निर्धारण करने पर विचार किया। यह तथ्य शेष रहा कि ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रभावी होने के तीन वर्ष बाद भी सी.पी.सी.बी. के पास देश में उत्पन्न तथा संसाधित किए जा रहे ई-अपशिष्ट की मात्रा पर सूचना अपर्याप्त थी।

7.1.2.4 ई-अपशिष्ट संसाधन तथा पुनः चक्रण करने के लिए मानकों तथा विनिर्देशनों की सिफारिश करना

नियमों की अनुसूची III में सूचीबद्ध कर्तव्यों के अनुसार सी.पी.सी.बी. को ई-अपशिष्ट संसाधन और पुनः चक्रण करने के लिए मानकों तथा विनिर्देशनों की सिफारिश करना अपेक्षित था। सी.पी.सी.बी. ने ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा प्रहस्तन) नियम, 2011 के कार्यान्वयन के मार्ग निर्देश प्रकाशित किए (जून 2012) जिनमें संग्रहण केन्द्र, विघटन और पुनः चक्रण सुविधाओं की नियामक और सुरक्षा आवश्यकताओं का वर्णन किया गया था।

7.1.2.5 ई-अपशिष्ट पर डाटा का दस्तावेजीकरण, संकलन और सी.पी.सी.बी. की वेबसाइट पर अपलोड करना

नियमों की अनुसूची III में सी.पी.सी.बी. के कर्तव्यों की सूची के अन्तर्गत, सी.पी.सी.बी. को ई-अपशिष्ट पर डाटा का दस्तावेजीकरण तथा संकलन तैयार करना था और उसे सी.पी.सी.बी. की वेबसाइट पर अपलोड करना था। सी.पी.सी.बी. केवल एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से प्राप्त पुनः चक्रणों और विघटकों के सूची अपलोड कर सका।

7.1.2.6 प्रशिक्षण तथा जानकारी कार्यक्रम आयोजित करना

सी.पी.सी.बी. से नियमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा जानकारी कार्यक्रम आयोजित करने के अपेक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा में देखा कि ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा प्रहस्तन) नियम, 2011 के कार्यान्वयन से तीन वर्षों के दौरान, सी.पी.सी.बी. द्वारा नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। वास्तव में, नियमों के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले विषयों के संबंध में सी.पी.सी.बी. को एक प्रतिक्रिया (नवम्बर 2014) में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.पी.सी.बी.) ने स्वीकार किया था कि ई-अपशिष्ट के संसाधन के संबंध में विभिन्न पणधारियों के बीच जानकारी/समन्वय की कमी थी।

सी.पी.सी.बी. ने उत्तर दिया (मई 2015) कि उन्होंने फरवरी 2012 तथा मई 2012 में दो राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की थीं। एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (जुलाई 2015) कि सी.पी.सी.बी. ने मई 2014 में सी.पी.सी.बी./एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. के अधिकारियों के लिए ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। एम.ओ.ई.एफ. ने आगे यह बताया कि नियमों में प्रत्येक वर्ष में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है।

तथ्य यह शेष रहा कि नियमों के प्रावधानों के बारे में विभिन्न पणधारियों को शिक्षित करने के लिए कोई प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। कार्यशालाएं नियमों के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित मार्गनिर्देशों पर चर्चा करने के लिए सी.पी.सी.बी. द्वारा इन्हें जारी करने से पूर्व आयोजित की गई थीं।

7.1.2.7 मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम 15 (1) के अनुसार सभी एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में नियमों के फार्म 5 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक सी.पी.सी.बी. को उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। ई-अपशिष्ट नियमों के नियम 15 (2) के अनुसार सी.पी.सी.बी. को ई-अपशिष्ट के प्रबन्धन पर संकलित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी और प्रत्येक वर्ष 30 दिसम्बर से पूर्व अपनी सिफारिशों के साथ एम.ओ.ई.एफ. को इसे भेजना था।

यद्यपि, नियम मई 2011 में घोषित किए गए थे परन्तु सी.पी.सी.बी. ने सभी एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. के साथ मामला पहली बार केवल जुलाई 2014 में उठाया और वर्ष 2012 तथा 2013 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की मांग की। यह देखा गया कि केवल 15 एस.पी.सी.बी. और तीन पी.सी.सी. ने संयुक्त रूप में वर्ष 2012-13 और

2013-14 की वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। यह भी देखा गया कि राज्य नियमों में यथा निर्धारित प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक वार्षिक रिपोर्टें नहीं बना रहे थे और केवल सी.पी.सी.बी. द्वारा कहे जाने के बाद 2012-13 और 2013-14 की वार्षिक रिपोर्टें तैयार की थीं।

सी.पी.सी.बी. ने भी 2012-13 और 2013-14 के लिए एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. द्वारा भेजी गई रिपोर्टों की विषय वस्तु संकलित कर केवल फरवरी 2015 में मंत्रालय को संकलित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह भी देखा गया कि सी.पी.सी.बी. की वार्षिक रिपोर्ट किसी विश्लेषण अथवा सिफारिश के बिना थी। वार्षिक रिपोर्टों में प्रस्तुत डाटा के आधार पर सी.पी.सी.बी. अथवा एम.ओ.ई.एफ. द्वारा आगे कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

आगे यह भी देखा गया कि वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र संग्रहीत ई-अपशिष्ट के श्रेणी वार ब्यौरों पर रिपोर्ट करने की एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से अपेक्षा करता है। तथापि, संग्रहीत ई-अपशिष्ट के उत्पाद वार मात्रा आंध्रप्रदेश (2012-13), असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़ और दिल्ली द्वारा नहीं भेजी गई थी।

इस प्रकार, सभी एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. तथा सी.पी.सी.बी. द्वारा वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से ई-अपशिष्ट से संबंधित डाटा एकत्रित करने का तन्त्र अप्रभावी था।

इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट के लिए संबंधित एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. द्वारा भेजे फार्म 5⁸⁹ में केवल संग्रहण से संबंधित सूचना शामिल थी और ई-अपशिष्ट के उत्पादन के बारे में नहीं।

7.1.2.8 ई.ई.ई. के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कटौती से संबंधित प्रावधानों का प्रवर्तन

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 का नियम 13 अनुबद्ध करता है कि ई.ई.ई. का प्रत्येक उत्पादक सुनिश्चित करेगा कि नए ई.ई.ई. में खतरनाक पदार्थ शामिल न हों और इन पदार्थों को अधिकतम सान्द्रता मात्राएं⁹⁰ भी निर्धारित करता है। नियम में यह भी अनुबद्ध किया गया कि बाजार में नए ई.ई.ई. का आयात अथवा सत्यापन केवल उन्हीं को अनुमत होगा जो इन प्रावधानों के पालनकर्ता थे। विनिर्मित अथवा आयातित ई.ई.ई. में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी नियमों के आरम्भ

⁸⁹ सी.पी.सी.बी. को एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का फार्म।

⁹⁰ शीशा, पारा, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, पाली-ब्रोमीनेटेड बाई फिनाइल्स अथवा पाली-ब्रोमीनेटेड डाईफिनाइल ईथर के लिए समरूप पदार्थों में भार से 0.1 प्रतिशत और केडियम के लिए समरूप पदार्थों में भार से 0.01 प्रतिशत।

की तारीख से दो वर्षों की अवधि के अन्दर अर्थात् 1 मई 2014 तक प्राप्त की जानी थी। सी.पी.सी.बी. को आर.ओ.एच.एस. के प्रावधान लागू करने का उत्तरदायित्व दिया गया था।

सी.पी.सी.बी. ने नियमों के कार्यान्वयन हेतु अपने मार्गनिर्देशों में इन प्रावधानों को शामिल किया (जून 2012) और स्वनियमन मॉडल⁹¹ आधार पर आर.ओ.एच.एस. प्रवर्तन पर एक कार्यान्वयन ढांचा आरम्भ किया (मार्च 2014)। चूंकि आर.ओ.एच.एस. के अनुपालन के सत्यापन को खतरनाक पदार्थों की जाने के लिए अलग अव-संरचना की आवश्यकता हुई और सी.पी.सी.बी. में उपलब्ध प्रयोगशाला अवसंरचना आर.ओ.एच.एस. अनुपालन के अन्तर्गत ई.ई.ई. नमूनों की जांच करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए सी.पी.सी.बी. ने तीन वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी पदार्थ केन्द्र, हैदराबाद (सी-मेट)⁹² के साथ एक एम.ओ.यू. करने का प्रस्ताव किया। सी-मेट के साथ एम.ओ.यू. सहित ढाँचे का नवम्बर 2014 में एम.ओ.ई.एफ. द्वारा अनुमोदन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सी.पी.सी.बी. ने केवल मार्च 2014 में, तारीख जिस तक आर.ओ.एच.एस. मानक प्राप्त किए जाने थे, से दो माह पूर्व कार्यान्वयन ढांचा विकसित करने की प्रक्रिया आरम्भ की। मई 2015 तक, सी.पी.सी.बी. ने सी-मेट के साथ एम.ओ.यू. नहीं किया था और अब आर.ओ.एच.एस. विनियमन लागू करने के लिए ई.ई.ई. के परीक्षक हेतु ढांचा विकसित करने की प्रक्रिया में था। फलस्वरूप, खतरनाक पदार्थों का यादृच्छिक सत्यापन सी.पी.सी.बी. द्वारा किया नहीं जा सका था। प्रस्तावित स्वनियमन मॉडल अभी भी प्रवर्तित किया जाना था।

एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (जुलाई 2015) की आर.ओ.एच.एस. का कार्यान्वयन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी तथा नमूना व विश्लेषण के लिए सुविधा निर्माण करने में समय लगेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित ढांचा, जिसमें सी.एम.ई.टी. के साथ एम.ओ.यू. शामिल था, सक्रिय चरण पर था।

यह तथ्य शेष रहता है कि सी.पी.सी.बी. इस ढाँचे को लागू नहीं कर सका और आर.ओ.एच.एस. की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं कर सका, जो कि नियमानुसार मई 2014 तक किया जाना था।

⁹¹ स्वविनियमन मॉडल खतरनाक पदार्थों की कमी का प्राथमिक उत्तरदायित्व उत्पादकों पर डालता था और उत्पादकों की केन्द्रीय रजिस्ट्री का विकास, आर.ओ.एच.एस. अनुपालन पर उत्पादकों द्वारा स्व घोषणा तन्त्र, उत्पादकों द्वारा बाजार में प्रस्तुत किए जा रहे विभिन्न ई.ई.ई. पर डाटावेज केवल आर.ओ.एच.एस. का यादृच्छिक सत्यापन सी.पी.सी.बी. द्वारा किया जाना था, जैसे प्रावधान शामिल किए गए।

⁹² इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त समिति।

7.1.2.9 खतरनाक पदार्थ कम करने के लिए आई.टी. उद्योग के लिए पहलें

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 की अनुसूची III में कर्तव्यों की अन्तर्गत, सी.पी.सी.बी. से खतरनाक पदार्थ कम करने के लिए आई.टी. उद्योग के लिए पहले विकसित करना भी अपेक्षित था। तथापि, सी.पी.सी.बी. ने मई 2015 तक खतरनाक पदार्थ कम करने के लिए आई.टी. उद्योग के लिए कोई पहल विकसित नहीं की थी।

7.1.2.10 ई.ई.ई. के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी के अनुपालन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना

नियमों के अन्तर्गत निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार, सी.पी.सी.बी. को ई.ई.ई. के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थ के उपयोग में कमी के अनुपालन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने थे। तथापि, जैसा ऊपर पैरा 7.1.2.8 में उल्लेख किया गया है, सी.पी.सी.बी. ने मार्च 2014 में आर.ओ.एच.एस. के प्रावधान लागू करने के लिए एक ढांचा विकसित करने की कार्रवाई आरम्भ की। मई 2015 तक सी.पी.सी.बी. ने आर.ओ.एच.एस. के अनुपालन के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे।

एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (जुलाई 2015) कि खतरनाक पदार्थों के सम्बन्ध में सी.पी.सी.बी. के कर्तव्य में, ई.ई.ई. में खतरनाक पदार्थों के सांद्रण की स्वीकृत मात्रा का निर्धारण तथा किसी दोषी निर्माता के आर.ओ.एच.एस. पालक बनने हेतु समय निर्धारण करना था। इसे अनुपालन उपलब्धि हेतु लक्ष्य निर्धारण या अनुपालन के निगरानी से बराबरी नहीं की जानी चाहिए।

उत्तर को तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना है कि सी.पी.सी.बी., ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के तहत ऐसे लक्ष्यों के निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व से न्यासित है।

7.1.2.11 ग्रीन डिजाइन/उत्पादों के लिए प्रोत्साहन और प्रमाणन

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के प्रावधान के अन्तर्गत सी.पी.सी.बी. को ग्रीन डिजाइन/उत्पादों के लिए प्रोत्साहन और प्रमाणन विकसित करना अपेक्षित था। तथापि, मई 2015 तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

7.1.2.12 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का कार्यान्वयन न करना

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) के अन्तर्गत, ई.ई.ई. के उत्पादक का इसकी समाप्ति के बाद ऐसे उपकरण का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व होगा। इस प्रकार ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के अनुसार उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए उन्हें उपभोक्ताओं द्वारा फेंके जाने के बाद भी उत्तरदायी थे और ई-अपशिष्ट संग्रहीत, ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अच्छे प्रबन्धन में आने वाले लागतों को पूरा करने के लिए एक प्रणाली को वित्तपोषित और व्यवस्थित करना अपेक्षित था।

सी.पी.सी.बी. को उत्पाद के कार्यकाल और प्रकार, उपयोग और खपत प्रतिरूप और अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के कार्यान्वयन के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहले दो वर्षों के दौरान प्राप्त अनुपालन के स्तर को भी ध्यान में रखकर ई.पी.आर. अनुपालन की निगरानी के प्रयोजन हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के विषय की जांच करने के लिए एक समिति गठित करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में देखा कि कथित समिति मई 2015 तक, अर्थात् नियम प्रभावी होने से तीन वर्ष बाद भी गठित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप ई.ई.ई. के उत्पादकों के ई.पी.आर. उत्तरदायित्वों के अनुपालन की निगरानी करने का तन्त्र विकसित नहीं किया जा सका।

एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (जुलाई 2015) की निर्माताओं के कम अनुपालन के कारण, नियमों को संशोधन करने का निर्णय किया गया जिसके कारण समिति का गठन नहीं किया जा सका। जुलाई 2015 तक संशोधनो का अनुमोदन प्रतिक्षित था।

7.1.3. ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 का संशोधन

एम.ओ.ई.एफ. ने ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न पणधारियों⁹³ के साथ बैठकें आयोजित की (जुलाई 2013/दिसम्बर 2013)। यह देखा गया कि उत्पादकों और थोक उपभोक्ताओं द्वारा नियमों का अनुपालन संतोषजनक नहीं था क्योंकि कई एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से उत्पाद का प्राधिकरण, विघटकों तथा पुनः चक्रणों के प्राधिकरण और पंजीकरण प्राप्त करने के लिए गए समय, नियमों के अन्तर्गत अपनी बाध्यताएं पूरी करने में उत्पादकों तथा थोक उपभोक्ताओं की असमर्थता आदि में समस्याएं हुई थीं। इस विषयों

⁹³ एस.पी.सी.बी., पी.सी.सी., सम्बन्धित विभाग/मंत्रालय, उद्योग संघ, आदि।

का संज्ञान लेकर एम.ओ.ई.एफ. ने (दिसम्बर 2013) नियमों के क्षेत्र के अंदर माइक्रो एवं लघु उपक्रमों को शामिल करने, सी.पी.सी.बी. द्वारा उत्पादकों के लिए एकल प्राधिकरण, यदि प्राधिकरण प्रक्रिया में एक से अधिक राज्य शामिल हों, संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए उत्पादकों का अधिक उत्तरदायित्व, आदि जैसे परिवर्तनों की मांग कर नियमों का प्रारूप संशोधन तैयार करने का सी.पी.सी.बी. को निर्देश दिया। सी.पी.सी.बी. ने मंत्रालय के नियमों में संशोधन का प्रारूप प्रस्तुत किया (मार्च 2014) जिसका अनुमोदन जुलाई 2015 तक प्रतीक्षित था।

7.1.4. निष्कर्ष

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 देश में उत्पादित ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से मजबूत पुनः चक्रण के प्राथमिक उद्देश्य से अधिसूचित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि नियमों की अधिसूचना से तीन वर्षों के बाद तक नियमों के विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन का तन्त्र स्थापित नहीं था। नियमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी होकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने देश में उत्पादित ई-अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण नहीं किया था। यह उत्पादक संग्रहण केन्द्रों, प्रत्येक राज्य में प्राधिकृत विघटकों तथा पुनः चक्रणों की संख्या से सम्बन्धित डाटा के संग्रहण और संकलन के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करने में असमर्थ था जो अपूर्ण रही। उपलब्ध डाटा से भी, सी.पी.सी.बी. आगे की कार्रवाई करने अथवा नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित सिफारिशें प्रस्तुत करने में विफल रहा।

सी.पी.सी.बी. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में खतरनाक पदार्थों की जांच करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना की अनुपलब्धता के कारण उत्पादकों द्वारा ई.ई.ई. में ऐसे पदार्थों की कटौती का अनुपालन सुनिश्चित करने में असमर्थ था। फलस्वरूप, सी.पी.सी.बी. न तो आर.ओ.एच.एस. प्राप्त करने के लिए आई.टी. उद्योग के लिए उपक्रमण विकसित कर सका और न ही ग्रीन डिजाइन/उत्पादों के लिए उपक्रमण/प्रमाणन स्पष्ट कर सका। ई.ई.ई. उत्पादकों के ई.सी.आर. उत्तरदायित्व अनुपालन की निगरानी करने का कोई तन्त्र भी सी.पी.सी.बी. ने प्रस्तुत नहीं किया था। सी.पी.सी.बी. ई-अपशिष्ट प्रबन्धन एवं प्रहस्तन के लिए विभिन्न पणधारियों के लिए प्रशिक्षण और जन समूह जानकारी कार्यक्रमों की पर्याप्त संख्या आयोजित करने में भी विफल रहा।

इस प्रकार ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि देश में ई-अपशिष्ट का उत्पादन और संसाधन नियंत्रित किया गया है और ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के लागू होने के बावजूद पर्यावरण जोखिम कम हुए हैं।

7.2 सीवेज उपचार की पायलट परियोजनाओं के समापन में असामान्य विलम्ब

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चार स्थानों पर सीवेज के उपचार हेतु प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक योजना आरम्भ की। स्वीकृति के चार वर्षों से अधिक के बाद और ₹8.22 करोड़ का व्यय करने के बावजूद योजना, समन्वय और निगरानी की कमी के कारण चार स्थानों में से किसी पर भी सीवेज उपचार आरम्भ नहीं हो सका।

7.2.1 पृष्ठभूमि

शहरी क्षेत्रों में सीवेज की उत्पत्ति और इसका निपटान एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत में वर्ग I और वर्ग II शहर सब मिलकर 38,255 एम.एल.डी.⁹⁴ सीवेज उत्पन्न करते हैं किंतु शोधन सुविधा केवल 11,787 एम.एल.डी. के लिए उपलब्ध है। जिससे उपचार में 26,468 एम.एल.डी. (69 प्रतिशत) की कमी रह जाती है। घरेलू सीवेज बायोकेमीकल आक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.)⁹⁵, हानिकारक बैक्टीरिया, भारी धातुएं और अन्य जहरीले रसायन के रूप में प्रदूषण होता है। नदियों में आंशिक रूप से उपचारित सीवेज का विसर्जन जल प्रदूषण करता है और परिणामतः स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को संकट में डालता है। अनुपचारित सीवेज निपटान की नदियों की जल गुणवत्ता बिगाड़ने के मुख्य कारण के रूप में पहचान की गई है। और यह नदियों के कुल जल प्रदूषण के 75-80 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। यद्यपि, पुनः उपयोग करने अथवा प्राकृतिक पर्यावरण में इसे बहाने से पूर्व अपशिष्ट जल उपचारित करना स्थानीय निकायों की ओर से अनिवार्य है, परन्तु अधिकांश शहरों में पर्याप्त सीवेज उपचार सुविधाएं नहीं हैं, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को जोखिम में डालते हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), नदियों के जल की गुणवत्ता को मॉनीटर करता है। प्रचलित स्थिति के मद्देनजर और सीवेज प्रदूषण की मात्रा को ध्यान में रखकर सी.पी.सी.बी. ने विभिन्न शहरों में खुले नालों में सीवेज के उपचार हेतु यथास्थान जैव उपचारीकरण प्रौद्योगिकी को लागू करने का प्रस्ताव किया। यथास्थान सीवेज का उपचार का उद्देश्य नदियों/झीलों में इसे बहाने से पूर्व खुले नाले में सीवेज उपचारित करना था। प्रक्रिया में कोई दुर्गन्ध जारी किये बिना अपशिष्ट तोड़ने के लिए लाभकारी बैक्टीरिया के एक समूह का उपयोग कर खुले नालों में सीवेज का उपचार शामिल था। प्रौद्योगिकी को सरल और लागत प्रभावी व नालों में प्रमुख परिवर्तन

⁹⁴ मिलियन लिटर प्रतिदिन।

⁹⁵ अवशिष्ट अपघटित करने में सीवेज में उपस्थित माइक्रो जीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा। बी.ओ.डी. जल प्रदूषण की मात्रा का एक मापक है।

उपचार सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त भूमि, स्थान, विद्युत अथवा कुशल जन शक्ति की अपेक्षा न करने वाली माना गया था। प्रक्रिया अपेक्षित उपचार सुविधाएं प्रदान किये जाने तक उपाय के रूप में प्रस्तुत की गयी थी।

तदनुसार, सी.पी.सी.बी. ने दिल्ली अथवा किसी अन्य स्थान में नालों में अपशिष्ट जल (सीवेज) के यथास्थान उपचार पर अनुसन्धान एवं विकास (आर एंड डी) सह प्रदर्शन/ पायलट परियोजना को पूरा करने हेतु 'रुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की (अप्रैल 2010)। आकृष्ट फर्मों से परियोजना के लिए अपनी पसंद का नाला/ स्थान बताने को कहा गया था एम.ओ.इ.एफ. में एक बैठक (अगस्त 2010) के दौरान यह निर्णय किया गया कि यथास्थान सीवेज उपचार को एन.जी.आर.बी.ए.⁹⁶ परियोजना के रूप में गंगा नदी में गिरने वाले नालों पर प्रदर्शित किया जाए। आरम्भ में, सात फर्मों ने उत्तर दिए और उनके प्रस्ताव एन.जी.आर.बी.ए. योजना के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु विचार करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी), एम.ओ.इ.एफ. को भेजे गए (अक्टूबर 2010)। एम.ओ.इ.एफ. ने सी.पी.सी.बी. से प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी, वित्तीय और कार्यान्वयन पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया (दिसम्बर 2010)।

इसी बीच, सात फर्मों में से दो को एम.ओ.इ.एफ. द्वारा समान परियोजनाएँ⁹⁷ सौंपी गई थीं (दिसम्बर 2010) और एक अन्य फर्म ने इस आधार पर अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया उसके द्वारा प्रस्तावित नाला कोलकाता मेट्रो की चालू निर्माण परियोजना के कारण उपयुक्त नहीं रहा। एम.ओ.इ.एफ. द्वारा गठित समिति ने उसकी अनुसंधान सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) द्वारा विचार करने के लिए एन.जी.आर.बी.ए. के समक्ष शेष चार प्रस्तावों⁹⁸ को प्रस्तुत करने की सिफारिश की (जनवरी 2011)। एन.जी.आर.बी.ए. ने सम्बंधित राज्य सरकारों के सहयोग से इन चार परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सिफारिश की (फरवरी 2011) और निर्णय लिया कि जैव उपचारिकरण प्रौद्योगिकी के अनुसंधान पहलुओं पर सी.पी.सी.बी. द्वारा एक समेकित प्रस्ताव बनाया जाए। सी.पी.सी.बी. ने आर.ए.सी., एन.जी.आर.बी.ए. के विचार हेतु एन.आर.सी.डी. को एक समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 2011)।

सी.पी.सी.बी. से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर और समिति द्वारा समीक्षा के बाद एम.ओ.इ.एफ. ने सम्बंधित फर्मों द्वारा जैव उपचारिकरण के माध्यम से सीवेज के

⁹⁶ राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण।

⁹⁷ दुर्गन्ध नियंत्रण के सन्दर्भ में सीवेज (अपशिष्ट जल) का स्वस्थान संसाधन।

⁹⁸ बुड्ढा नाला, लुधियाना; बाकरगंज नाला, पटना; मोरी गेट नाला, इलाहाबाद; और सिटी ड्रेन, फर्रुखाबाद में जैव उपचारिकरण के माध्यम से सीवेज का स्वसाधन संसाधन।

यथास्थान उपचार के प्रदर्शन के लिए ₹ 19.84 करोड़ की लागत पर एन.जी.आर.बी.ए./ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी) के अंतर्गत चार प्रदर्शन/पायलट परियोजनाएं संस्वीकृत (अप्रैल 2011) की जैसा तालिका 34 में विवरण दिया गया है।

तालिका 34 : जैव-उपाचरिकरण के माध्यम से सीवेज के यथास्थान उपचार के प्रदर्शन हेतु एम.ओ.ई.एफ. द्वारा संस्वीकृत प्रदर्शन परियोजनाएं

क्रम सं.	स्थान	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	परियोजना कार्यान्वयक एजेंसी	फर्मों द्वारा प्रदर्शित की जा रही प्रौद्योगिकियों का संक्षिप्त विवरण
1	बूढ़ा नाला, लुधियाना	15.28	ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, पुणे	परियोजना ग्रीन ब्रिज प्रौद्योगिकी ⁹⁹ पर आधारित थी जो बालू और बजरी के साथ हरे पौधों की जड़ प्रणालियों के संयोजन में जैविक रूप से पैदा हुए सेलुलोजिक/फाईब्रस पदार्थ की निस्पादन शक्ति का उपयोग करती है।
2	बकरगंज नाला, पटना	2.24	यू एस एनवायरन प्रा. लि., दिल्ली	परियोजना इको बायो ब्लॉक (ई.बी.बी.) पर आधारित थी। ई.बी.बी. ज्वालामुखी शैल, सीमेंट और लाभकारी बैक्टीरिया का बना होता है। ब्लॉक नाले की तली में डाले जाते हैं।
3	मोरी गेट नाला, इलाहाबाद	1.38	अमृत क्लीन वाटर टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., गुडगाँव	परियोजना एमटेक ¹⁰⁰ प्रौद्योगिकी पर आधारित थी जिसमें जीवाणु समूहों की जैव वृद्धि शामिल होती है।
4	सिटी ड्रेन, फर्रुखाबाद	0.94	क्लोवर ऑर्गेनिक लि., देहरादून	परियोजना सीवेज उपचार की बायो मिमिक्री तकनीक ¹⁰¹ पर आधारित थी।

ये सभी परियोजनाएं संस्वीकृत की गयीं और सम्बंधित फर्मों द्वारा कार्य आदेश स्वीकार किये गए और ये एक वर्ष के अन्दर कार्यान्वित की जानी थी। परियोजनाओं के प्रचालन के एक वर्ष बाद प्रचालन तथा अनुरक्षण (ओ.एण्ड.एम.) लागते सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जानी थी।

⁹⁹ इस बायोलॉजिक पुल में सभी तैरने योग्य और निलंबित ठोस रोके जाते हैं और बहते पानी का गंदलापन पर्याप्त रूप से कम किया जाता है। बढ़ते हरे पौधे भारी धातुओं सहित घुलनशील पदार्थों को सोखने में सहायता करते हैं। पाँच ग्रीन पुलों के बीच चार उपचार कक्ष होते हैं जो क्रियाशील किए जाते हैं और गर्त में सूक्ष्म जीवों से उपचार किया जाता है। उपचार प्रक्रिया और बढ़ाने के लिए किनारों पर पौधों और चट्टान जो नाले के आसपास के क्षेत्र में रिसाव भूमिगत जल के संदूषण का ख्याल रखता है।

¹⁰⁰ एमटेक प्रौद्योगिकी में निम्न ऑक्सीजन स्तर में कार्य करने और अपशिष्ट जल में जैविक पदार्थों का निम्नीकरण बढ़ने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले वायुजीवी और वैकल्पिक बैक्टीरिया के मिश्रण का उपयोग करके जैव वृद्धि की जाती है।

¹⁰¹ प्रौद्योगिकी स्व स्वच्छता और बायो मिमिक्री संकल्पना के आधार पर जैव वृद्धि पर कार्य करती है। जल के बहाव कोकिण्वित कीचड़ गोला, बजरी और काठकोयला को जाल के साथ इस्तेमाल उपचार किया जाता है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सी.पी.सी.बी. को नोडल एजेंसी बनाया गया। इसे फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पाक्षिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करनी थी। इसे सम्बंधित राज्य सरकार की सहभागिता और ओ. एण्ड एम. लागतों के प्रति वचनबद्धता भी करनी थी।

एम.ओ.ई.एफ. ने परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए एम.ओ.ई.एफ. के अधिकारियों के अतिरिक्त डी.बी.टी.¹⁰², एम.ओ.यू.डी.¹⁰³, हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से बनी एक समिति का भी गठन किया (मई 2011)। समिति के प्रथम बैठक में निगरानी की बारम्बारता तय की जानी थी।

7.2.2. लेखापरीक्षा क्षेत्र

लेखापरीक्षा में सी.पी.सी.बी. और एम.ओ.ई.एफ. में इन चार परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बंधित अभिलेखों की जांच की गयी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देखी गयी कमियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

7.2.2.1 बूढ़ा नाला, लुधियाना में प्रदर्शन परियोजना

सी.पी.सी.बी. ने एक वर्ष की अवधि के लिए 15.28 करोड़ रु. की लागत पर ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को बूढ़ा नाला, लुधियाना पर परियोजना के निष्पादन हेतु कार्य आदेश जारी किया (मई 2011)। निधियां ₹ 3.82 करोड़ की चार बराबर किशतों में जारी की जानी थी। प्रत्येक किशत केवल कथित राशि के लिए फर्म से बैंक गारंटी प्राप्त होने के बाद ही जारी की जानी थी।

कार्य में कार्यस्थल पर पाँच ग्रीन पुलों का निर्माण और पुलों के बीच स्थित उपचार कक्षों में माइक्रोबियल डोजिंग प्रदान करना शामिल था। नाला क्षेत्रों के चारों ओर अपशिष्ट जल के रिसाव से बचाने के लिए किनारों पर वृक्षारोपण और चट्टानें लगाई जानी थी।



बूढ़ा नाला, लुधियाना

यद्यपि फर्म ने कथित शर्तों और निबंधनों के साथ कार्य आदेश स्वीकार किया था (मई 2011) परन्तु सी.पी.सी.बी. ने एम.ओ.ई.एफ. को सूचित किया (नवंबर 2011) कि फर्म ने अनुरोध किया था (मई 2011) कि निधियां प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जायें और इसलिए फर्म द्वारा कोई बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित नहीं थी। एम.ओ.ई.एफ. इस आशय पर शर्तों तथा निबंधनों को संशोधित करने को सहमत हो

¹⁰² जैव प्रौद्योगिकी विभाग।

¹⁰³ शहरी विकास मंत्रालय।

गया (दिसंबर 2011/मार्च 2012) कि फर्म कार्य के 25 प्रतिशत तक का व्यय करेगी और फिर सी.पी.सी.बी. से प्रतिपूर्ति का दावा करेगी। तदनुसार, सी.पी.सी.बी. ने संशोधित कार्य आदेश जारी किया (अप्रैल 2012)। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना की शर्तों तथा निबंधनों में फर्म द्वारा कार्य आरम्भ न करने/कार्य के असाधारण विलम्ब के लिए शास्तिक प्रावधान नहीं थे।

यद्यपि, सी.पी.सी.बी. को राज्य सरकारों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना अपेक्षित था परन्तु फर्म ने कार्य आदेश दिए जाने के 15 माह बीत जाने के बाद, अगस्त 2012 में, राज्य सरकार प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। पड़ोसी राज्य से शिलाखंडो जैसी सामग्री खरीदने में कठिनाई और पहले पुल में तकनीकी समस्याओं के कारण ग्रीन पुलों के निर्माण में और विलम्ब हुआ।

फर्म ने सी.पी.सी.बी. को ₹ 4.12 करोड़ के भुगतान के लिए अपना पहला दावा प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2012)। सी.पी.सी.बी. ने लगभग छह माह के विलम्ब के बाद ₹ 3.20 करोड़ की राशि जारी की (जुलाई 2013)। फर्म द्वारा प्रस्तुत (दिसम्बर 2013) ₹ 4.63 करोड़ के दूसरे बिल के प्रति सी.पी.सी.बी. ने फरवरी 2014 में (₹ 58 लाख), नवम्बर 2014 (₹ एक करोड़) और दिसंबर 2014 (₹ 2.82 करोड़) में तीन किश्तों में ₹ 4.40 करोड़ जारी किए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्य आदेश जारी होने के ढाई वर्ष से अधिक के बाद दिसंबर 2013 तक, पांच पुलों में से सिर्फ तीन पूर्ण हुए थे। तथापि, फर्म ने चौथे पुल के सम्बन्ध में कार्य आदेश जारी होने के चार वर्ष से अधिक समय लिया और जून 2015 में विलम्बित रूप से पूर्ण किया। पाँचवां और अंतिम ग्रीन पुल अभी भी अपूर्ण था (जून 2015) सी.पी.सी.बी. ने यह सुनिश्चित न करके कि कार्य सौंपने के पूर्व आवश्यक निर्बाधन प्राप्त कर लिए गए हैं, परियोजना का समय से कार्यान्वयन सुगम नहीं किया था। इसके अलावा सी.पी.सी.बी. ने पहले और दूसरे चालू बिल के संबंध में फर्म के भुगतान के दावे के सत्यापन और जारी करने में क्रमशः लगभग छह माह और एक वर्ष का समय लिया। एम.ओ.ई.एफ. से निधियां प्राप्त न होने के कारण सी.पी.सी.बी. ने दूसरे बिल के प्रति ₹ 22.83 लाख की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जिससे परियोजना में और देरी हुई।

यद्यपि सी.पी.सी.बी. को फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्टों के माध्यम से परियोजना की निगरानी करनी थी, परन्तु लेखापरीक्षा ने देखा कि फर्म से प्रगति रिपोर्टें अनियमित रूप से प्राप्त हुई थी। तथापि, फर्म ने जनवरी 2015 से जून 2015 तक रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की थी। सी.पी.सी.बी. प्रगति रिपोर्टों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि परियोजना की प्रगति की निगरानी हेतु एम.ओ.ई.एफ. द्वारा गठित समिति परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान

एक भी बैठक करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, एम.ओ.ई.एफ. द्वारा भी निगरानी नहीं की गयी।

इस प्रकार, यद्यपि प्रदर्शन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु स्थान की पहचान राज्य सरकार की सहभागिता से की गई थी, समय पर आवश्यक निर्बाधन प्राप्त करने में विफलता, प्रक्रियात्मक विलम्ब, निर्माण न करने/कार्य में असाधारण विलम्ब के लिए दण्डात्मक प्रावधान की कमी, भुगतानों में विलम्ब और सी.पी.सी.बी./एम.ओ.ई.एफ. द्वारा निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में जून 2015 तक चार वर्षों से अधिक का असाधारण विलम्ब हुआ।

एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (जून 2015) कि परियोजना में देरी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने में विलम्ब और प्रशासनिक कारणों के कारण हुई उन्होंने भुगतान में एक वर्ष का विलम्ब भी स्वीकार किया। उन्होंने यह भी बताया कि कार्य केवल अपेक्षित एन.ओ.सी. और ओ.एण्ड.एम. लागत के लिए राज्य से वचनबद्धता प्राप्त करने के बाद सौंपा गया था।

तथापि, यह तथ्य शेष रहा कि अनापत्ति प्रमाणपत्र के बाद की प्राप्ति भी परियोजना (अगस्त 2012) असाधारण विलम्ब हुआ था।

7.2.2.2 बाकरगंज नाला, पटना में प्रदर्शन परियोजना

सी.पी.सी.बी. ने ₹ 2.24 करोड़ की लागत पर बाकरगंज नाला, पटना में प्रदर्शन परियोजना पूरा करने निर्माण के लिए यू.एस. एनवायरन, दिल्ली को कार्य आदेश जारी किया (मई 2011)। ₹ 56 लाख की चार बराबर किश्तों में निधियां जारी की जानी थी। प्रत्येक किश्त कथित राशि के लिए फर्म से बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद जारी की जानी थी। फर्म ने कार्य आदेश स्वीकार कर लिया (मई 2011) और एक वर्ष के लिए वैध ₹ 56 लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत की।

सी.पी.सी.बी. ने कार्य सौंपने के सात माह बाद जनवरी 2012 में परियोजना की ओ. एण्ड एम. लागतें वहन करने के लिए राज्य सरकार से वचनबद्धता प्राप्त की। बाद में सी.पी.सी.बी. ने फर्म को ₹ 56 लाख की पहली किश्त जारी की (दिसंबर 2012)। फर्म ने एक और वर्ष के लिए बैंक गारंटी की वैधता का नवीकरण किया (अक्टूबर 2012)।



बाकरगंज, पटना

तथापि फर्म राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में असमर्थ रही और सहायता के लिए सी.पी.सी.बी. से अनुरोध किया। सी.पी.सी.बी. के हस्तक्षेप से राज्य

सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र अन्ततः प्राप्त हो गया था (नवम्बर 2013) परन्तु तब तक बैंक गारंटी की वैधता फिर समाप्त हो गयी। दिसंबर 2014 तक, फर्म द्वारा न तो बैंक गारंटी का नवीकरण किया गया था और न ही कार्य आरम्भ किया गया था। सी.पी.सी.बी. ने परियोजना कार्य आरम्भ कराने के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की थी।

इस प्रकार, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होने के बावजूद, सी.पी.सी.बी. कार्य सौंपने से पूर्व आवश्यक निर्बाधन प्राप्त करके परियोजना का समय से कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सका था। इसके बजाय, सी.पी.सी.बी. ने निर्बाधनों की उपलब्धता के बिना फर्म को कार्य आदेश दिए तथा ₹ 56 लाख की पहली किश्त जारी कर दी। इसके अलावा सी.पी.सी.बी. परियोजना के लिए राशि जारी में उचित सावधानी बरतने में भी विफल रही। दूसरे अवसर पर, बैंक गारंटी की समाप्ति के बाद सी.पी.सी.बी. ने इसका नवीकरण कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। फलस्वरूप किसी प्रतिभूति बिना ₹ 56 लाख दिसंबर 2012 से फर्म के पास थे और उस पर ₹ 5.60 लाख के ब्याज (जनवरी 2013 से जून 2015 तक) की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि फर्म द्वारा कार्य के कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब न करने के लिए परियोजना की शर्तों और नियमों में कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं थे।

सी.पी.सी.बी. और एम.ओ.ई.एफ. द्वारा परियोजना की कोई निगरानी नहीं की गयी। सी.पी.सी.बी. ने सुनिश्चित नहीं किया कि फर्म नियमित रूप से पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सी.पी.सी.बी. द्वारा पहली प्रगति रिपोर्ट फरवरी 2014 में प्राप्त की गई। इसके अलावा, जैसा पैरा 7.2.2.1 में उल्लिखित है, परियोजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए एम.ओ.ई.एफ. द्वारा गठित समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

एम.ओ.ई.एफ. ने मार्च 2015 तक फर्म द्वारा कार्य आरम्भ न करने से सम्बंधित तथ्य स्वीकार कर लिया (जून 2015)। तथापि, उन्होंने सूचित किया कि फर्म द्वारा कार्यस्थल साफ करने का कार्य आरम्भ कर लिया गया है, जैसा अप्रैल 2015 की पहली पाक्षिक रिपोर्ट में सूचित किया गया था।

7.2.2.3 इलाहाबाद तथा फर्रुखाबाद में प्रदर्शन परियोजनाएं

परियोजना संकल्पना के अनुसार, सी.पी.सी.बी. को एक वर्ष के लिए जैव उपचारीकरण संयंत्रों की प्रचालन तथा अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) लागतें वहन करनी थी, जिसके बाद सम्बंधित राज्य सरकारों को उन्हें वहन करना था। एम.ओ.ई.एफ. द्वारा

सी.पी.सी.बी. को जारी प्रशासनिक अनुमोदन की शर्तों के अनुसार सी.पी.सी.बी. को राज्य सरकारों की सहभागिता और ओ. एण्ड एम. लागतों के सम्बन्ध में उनकी वचनबद्धता सुनिश्चित करनी थी। तदनुसार, परियोजना की समीक्षा करने के लिए एम.ओ.ई.एफ. द्वारा आयोजित (अगस्त 2011) एक बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि सी.पी.सी.बी., परियोजना के प्रचालन के एक वर्ष बाद ओ एण्ड एम लागतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार से वचनबद्धता प्राप्त करेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहा (दिसंबर 2011) कि मोरी गेट, इलाहाबाद (₹ 1.38 करोड़) और सिटी ड्रेन, फर्रुखाबाद (₹ 61 लाख) पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की ओ एण्ड एम लागतें अधिक थी और स्थानों के परिवर्तन का सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश जल निगम के सुझावों के आधार पर सी.पी.सी.बी. ने प्रचालन के एक वर्ष बाद ओ. एण्ड एम. लागतें वहन करने पर उनकी वचनबद्धता की मांग कर उत्तर प्रदेश सरकार को क्रमशः ₹ 2.03 करोड़ और ₹ 1.12 करोड़ की पूंजीगत लागत के मोवैया नाला, इलाहाबाद और टोकाघाट नाला, फर्रुखाबाद के सम्बन्ध में नवीन परियोजना प्रस्ताव भेजे। नए स्थानों की प्रस्तावित वार्षिक ओ. एण्ड एम. लागतें क्रमशः ₹ 2.03 करोड़ और ₹ 69 लाख थी। तथापि, राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर परियोजनाएं आरम्भ नहीं की जा सकी ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो एम.ओ.ई.एफ. और न ही सी.पी.सी.बी. परियोजना की संस्वीकृति से पूर्व परियोजनाओं की ओ. एण्ड एम. लागतें वहन करने के लिए राज्य सरकार से वचनबद्धता प्राप्त कर सके, जिसने त्रुटिपूर्ण योजना को दर्शाया। परिणामस्वरूप, प्रदर्शन परियोजना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्थापित नहीं की जा सकी ।

एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (जून 2015) कि परियोजना की अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं स्थानीय स्थिति के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो सकती हैं, जो पूर्व योजना के माध्यम से पूर्णतया परिकल्पित नहीं की जा सकती हैं और ओ. एण्ड एम. लागतें वहन करने के लिए राज्य सरकार से वचनबद्धता प्राप्त न होने के कारण दोनों स्थानों पर परियोजना आरम्भ नहीं की जा सकी। सी.पी.सी.बी. ने आगे उल्लेख किया कि राज्य सरकार भी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए सहमत नहीं हुई।


यह तथ्य शेष रहा कि राज्य सरकार से निश्चित वचनबद्धता प्राप्त करने से पूर्व ही परियोजनाएं संस्वीकृत कर दी और फर्मों को सौंप दी गई थी।

7.2.3. निष्कर्ष

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) प्रदर्शन परियोजनाओं की उचित प्रकार योजना बनाने में विफल हो गया क्योंकि इसने कार्यान्वयक एजेंसियों को कार्य सौंपने से पूर्व सम्बंधित राज्य सरकारों की वचनबद्धताएं सुनिश्चित नहीं की। परिणामस्वरूप, परियोजनाएं तीन स्थानों पर आरम्भ नहीं की जा सकी और चौथे पर बुरी तरह विलंबित हो गई। सी.पी.सी.बी. कार्य की प्रगति के साथ निधियां जारी करने में समन्वय करने में भी विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एक निजी फर्म के पास ₹ 56 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ। सी.पी.सी.बी. और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) दोनों द्वारा परियोजनाओं की निगरानी दोषपूर्ण थी। एम.ओ.ई.एफ. द्वारा गठित निगरानी समिति की एक बार भी बैठक नहीं हुई थी।

इस प्रकार सीवेज उपचार के लिए प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित करने और उसके द्वारा परिणामी पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने का उद्देश्य संस्वीकृति के चार वर्षों से अधिक और ₹ 8.22 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सका।


नई दिल्ली
दिनांक: 14 अगस्त 2015



(गुरवीन सिद्ध)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 17 अगस्त 2015



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट



परिशिष्ट - I (पैराग्राफ 1.2 के संदर्भ में)

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का संक्षिप्त परिचय

1. परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)

परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय विद्युत प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग और बुनियादी अनुसंधान के विकास में लगा हुआ है। विभाग नाभिकीय ऊर्जा/अनुसंधान रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन अन्वेषण, परमाणु खनिज के खनन और प्रसंस्करण, भारी पानी, परमाणु ईंधन निर्माण, ईंधन पुनर्प्रसंस्करण और परमाणु कचरा प्रबंधन के उत्पादन को शामिल करते हुए नाभिकीय ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने में जुटा हुआ है। यह अपने संस्थानों के माध्यम से बुनियादी विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का भी समर्थन करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹ 13,437.26 करोड़ था। परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियाँ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारी पानी बोर्ड, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।

2. अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)

अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज करते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहन हेतु देश के कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। अंतरिक्ष विभाग और उसकी घटक इकाईयां राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों की योजना बनाने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, प्रक्षेपण वाहन, ध्वनि करने वाले रॉकेट और संबद्ध भू-प्रणालियों के विकास शामिल हैं। यह दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और विकास अनुप्रयोगों की जरूरत के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) कार्यक्रम संचालित करता है। अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से संबंधित मामलों को भी देखता है। वर्ष 2013-14 के दौरान अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹ 5,168.95 करोड़ था। अंतरिक्ष विभाग की गतिविधियाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, नेशनल रिमोट संवेदन केन्द्र, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।

3. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) अच्छी तरह से एकीकृत कार्यक्रम के माध्यम से मानसून और अन्य मौसम/जलवायु मापदंडों, सागर की स्थिति, भूकंप, सुनामी और पृथ्वी प्रणाली से संबंधित अन्य घटनाओं की भविष्यवाणी में बेहतरीन सेवाओं को देश को प्रदान करने के लिए अधिदिष्ट है।

एम.ओ.ई.एस. सागर के संसाधनों (सजीव और निर्जीव) की खोज और दोहन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भी संबंधित है, और अंटार्कटिक/आर्कटिक और दक्षिणी महासागर अनुसंधान के लिए एक नोडल भूमिका निभाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान एम.ओ.ई.एस. द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,248.15 करोड़ था। एम.ओ.ई.एस. की गतिविधियों को भारतीय मौसम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र, आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों की योजना बनाने, बढ़ावा देने, समन्वय और योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में वनस्पति, प्राणी, वन और वन्य जीव का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम और वनीकरण एवं अवक्रमित क्षेत्रों का पुनर्जनन आदि शामिल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रदूषण की रोकथाम और कमी में भी लगा हुआ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण उन्मुख कार्यक्रमों में देश का नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2013-14 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय ₹ 2,158.80 करोड़ था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गतिविधियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वानिकी अनुसंधान एवं भारतीय शिक्षा परिषद, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

5. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)

एम.एन.आर.ई. का व्यापक उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना और तैनात करना है। एम.एन.आर.ई. जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन के पूरक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (जैव, पवन, पनबिजली, सौर, ज्वार और भूतापीय) के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। मंत्रालय का लक्ष्य अनुसंधान, डिजाइन, विकास, निर्माण की सुविधा प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, सामग्री, उपकरणों उप प्रणालियों, उत्पादों और सेवाओं का विकास करना तथा परिवहन, पोर्टेबल और स्थिर अनुप्रयोगों के लिए इन ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों की तैनाती ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में करना है। वर्ष 2013-14 के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,633.52 करोड़ था। एम.एन.आर.ई. की गतिविधियों को सौर ऊर्जा केंद्र, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में निम्नलिखित तीन विभाग हैं।

6.1 जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.)

डी.बी.टी. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, प्रदर्शनों के माध्यम से देश में जैव प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग में प्रमुख क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग के लिए ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए अधिदिष्ट है। विभाग विश्वविद्यालय और उद्योग के पारस्परिक विचार-विमर्श, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और जैव सुरक्षा दिशा-निर्देश बनाने और कोशिका आधारित टीकों के निर्माण और प्रयोग में लगा हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान डी.बी.टी. द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,291.32 करोड़ था। डी.बी.टी. की गतिविधियाँ प्रतिरक्षा विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान, कोशिका विज्ञान राष्ट्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

6.2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गतिविधियों का आयोजन करने, समन्वय करने और उसको बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए अपने अनुसंधान संस्थानों या प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण स्वयं करने या आर्थिक रूप से प्रायोजित करने, अनुसंधान डिजाइन और विकास और अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक संघों और निकायों की सहायता के लिए जिम्मेदार रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹ 2,610.22 करोड़ था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियाँ प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, रमन अनुसंधान संस्थान, बोस संस्थान, भारतीय विज्ञान विकास संघ, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

6.3 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)

डी.एस.आई.आर. का प्राथमिक प्रयास उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और उच्च व्यावसायिक क्षमता के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास के लिए छोटे/मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक वृहत अंश का समर्थन करना है। विभाग प्रयोगशाला में अनुसंधान एवं विकास के व्यावसायीकरण के माध्यम से समग्र निर्यात में प्रौद्योगिकी, गहन निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने, औद्योगिक परामर्श और प्रौद्योगिकी प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत बनाने के लिए देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच एक कड़ी भी स्थापित

करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान डी.एस.आई.आर. द्वारा किया गया व्यय ₹ 3,159.54 करोड़ था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, डी.एस.आई.आर. द्वारा वित्त पोषित एक प्रमुख स्वायत्त निकाय है, जिसमें राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएँ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, आदि के जैसी 39 प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। ये शोध प्रयोगशालाएँ वांतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि और दवा, ऊर्जा, खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, धातु, खनिज, आदि के क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करती हैं।

7. जल संसाधन मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.)

जल संसाधन मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और नियमन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और कार्यक्रमों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई और भू-जल संसाधनों के विकास सहित जल संसाधन के क्षेत्र में समग्र योजना, नीति निर्माण, समन्वय और मार्गदर्शन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय राज्यों के बीच नदी जल वितरण और नदियों के जल पर पड़ोसी देशों के साथ वार्ता के संबंधी विवादों में मध्यस्थता और सरलीकरण में शामिल है। जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन और समर्थन भी प्रदान करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,094.71 करोड़ था। जल संसाधन मंत्रालय अंतर्राज्यीय नदियों में बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान की तैयारी के लिए केंद्रीय नेटवर्क के संचालन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भू-जल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है।

परिशिष्ट - II (पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई अनुपालन लेखापरीक्षा से लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
2011-12 की 16	5.1	एक जलयान के नवीनीकरण पर बेकार खर्च	एम.ओ.ई.एस.
	13.1	सॉफ्टवेयर उपयोग न होने के कारण निष्फल व्यय	एम.एन.आर.ई.
	15.2	कचरे के सुरक्षित निपटान के माध्यम से बिजली के उत्पादन की परियोजनाओं का कमजोर कार्यान्वयन	डी.एस.आई.आर.
	15.3	एक परियोजना के उद्देश्यों की अप्राप्ति	
	19.1	एक लाइनेक ट्यूब के विकास पर निष्क्रिय निवेश	डी.ओ.एस.
	19.2	विद्युत शुल्क और उपकर का परिहार्य भुगतान	
2012-13 की 4	पृथक एकल	देवास के साथ संकर उपग्रह डिजिटल मल्टीमीडिया प्रसारण सेवा समझौते पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	डी.ओ.एस.
2012-13 की 13	10.1	₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	डी.ए.ई.
	11.1	मांग शुल्क का परिहार्य व्यय	डी.ओ.एस.
2013 की 21	पृथक एकल	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भारत में प्रतिपूरक वनरोपण पर प्रतिवेदन	एम.ओ.ई.एफ.
2013 की 22	2.1	समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर अग्राह्य व्यय	डी.ए.ई.
	2.2	स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी	
	3.1	एडुसैट उपयोगिता कार्यक्रम	डी.ओ.एस.
	3.2	भारतीय प्रशासन समन्वित कक्षीय स्लॉट में एक विदेशी उपग्रह की पार्किंग	
	3.3	माल के विलम्बित बीमा एवं असुरक्षित परिवहन के कारण घाटा	
	4.1	जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	डी.एस.आई.आर.
	4.2	निष्फल व्यय	
	5.1	कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय	डी.एस.टी.
5.2	परिवहन भत्ते का अग्राह्य भुगतान		

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
	6.1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरंतर गैर प्राधिकृत पदों का बारम्बार सृजन तथा उन्नयन	एम.ओ.ई.एफ.
	7.1	फरक्का बैराज एवं इसकी सहायकियों की देखरेख	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.
	8.1	पेंशन योजना की अनियमित शुरुआत तथा धनराशि का परिवर्तन	एम.ओ.ई.एस.
2014 की 22	पृथक एकल	अंतरिक्ष विभाग द्वारा डी.टी.एच. सेवा हेतु उपग्रह क्षमता के प्रबंधन पर प्रतिवेदन	डी.ओ.एस.
2014 की 27	2.1	उपकरण का अनुपयोग	डी.ए.ई
	3.1	विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान	डी.एस.टी.
	3.2	उपकरणों को प्रतिष्ठान न करना	
	4.1	एस.आर.ई.-2 मिशन की प्राप्ति में असाधारण विलम्ब	
	4.2	उपग्रह क्षमता के आबंटन में हानि	डी.ओ.एस.
	4.3	गलत ठेका प्रबंधन के कारण परिहार्य व्यय	
	4.4	घटकों के क्रय में निष्फल व्यय	
	5.1	राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना	
	5.2	ग्रेच्युटी का अनियमित भुगतान	एम.ओ.ई.एस.
	6.1	जीव विविधता के समन्वेषण, पहचान और निगरानी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की गतिविधियाँ	एम.ओ.ई.एफ.
	6.2	राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थापित करने में असाधारण विलम्ब	
	6.3	कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय	
	6.4	नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना	

परिशिष्ट - III (पैराग्राफ 1.7 के संदर्भ में)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2013-14 में जारी अनुदान की राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग		
1.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	28.69
2.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	43.10
3.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुंबई	45.23
4.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुंबई	519.80
5.	टाटा स्मारक केंद्र, मुंबई	356.93
6.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर	642.16
7.	भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	24.00
8.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	220.00
9.	साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता	95.93
जैव प्रौद्योगिकी विभाग		
10.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव	0.50
11.	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	23.00
12.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पूणे	26.00
13.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली	47.15
14.	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, त्रिवेंद्रम	23.50
15.	डी.एन.ए. अंगुलिदाब एवं नैदानिक केंद्र, हैदराबाद	34.00
16.	जैव-संसाधन तथा सतत विकास संस्थान, इम्फाल	21.09
17.	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	22.10
18.	ट्रांस्लेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	37.00
19.	यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदाबाद	41.40
20.	राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और जैव प्रसंस्करण इकाई, मोहाली	20.10
21.	स्टेम सेल अनुसंधान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बंगलूरु	55.00
22.	राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, कल्याणी	42.00
23.	राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	18.00

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2013-14 में जारी अनुदान की राशि
24.	नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केन्द्र, मोहाली	7.00
25.	अन्तर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली	13.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
26.	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल	23.00
27.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	26.48
28.	भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	4.30
29.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	21.50
30.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	10.22
31.	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, नई दिल्ली	0.10
32.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	8.16
33.	विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली	13.60
34.	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून	36.18
35.	आगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	12.07
36.	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई	25.16
37.	रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलूरु	33.00
38.	कोमल तत्व अनुसंधान केन्द्र, बंगलूरु	5.60
39.	अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु विज्ञान एवं उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	47.83
40.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलूरु	50.77
41.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलूरु	12.54
42.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलूरु	55.00
43.	बसु संस्थान, कोलकाता	80.77
44.	भारतीय विज्ञान विकास संघ, कोलकाता	58.09
45.	एस.एन.बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता	29.20
46.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्थान, कोलकाता	7.04
47.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी	15.96
48.	राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	9.49
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
49.	परामर्श विकास केन्द्र, नई दिल्ली	**

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2013-14 में जारी अनुदान की राशि
अंतरिक्ष विभाग		
50.	उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, शिलांग	15.23
51.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम	75.00
52.	राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुपति	15.00
53.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	90.00
54.	अर्ध संचालक प्रयोगशाला, चंडीगढ़	68.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		
55.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	177.80
56.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे	193.11
57.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सेवा केंद्र, हैदराबाद	68.19
58.	राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा	200.54
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		
59.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	68.90
60.	गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा	14.00
61.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	12.34
62.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	142.91
63.	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलूरु	7.51
64.	पदमजा नायडू हिमालय प्राणीविज्ञान पार्क, दार्जिलिंग	**
65.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद	**
66.	ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	**
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
67.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, चेन्नई*	14.00
68.	सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, कपूरथला	8.00
कुल		4,163.27

* लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 20 के अंतर्गत की जाती है, तथापि लेखापरीक्षा एक अध्यारोपित प्रकृति की है।

** जानकारी उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट - IV (पैराग्राफ 1.8 के संदर्भ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है	मार्च 2014 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
परमाणु ऊर्जा विभाग	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	3	1.64
	99-2000	7	16.56
	2000-01	6	14.24
	2001-02	2	2.60
	2002-03	1	0.80
	2003-04	4	4.50
	2004-05	10	122.07
	2005-06	13	13.46
	2006-07	46	101.25
	2007-08	39	262.72
	2008-09	24	68.45
	2009-10	34	458.49
	2010-11	45	570.58
	2011-12	170	972.32
2012-13	204	1,418.48	
कुल		616	4,038.17
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	विवरण उपलब्ध नहीं		
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	विवरण उपलब्ध नहीं		
अंतरिक्ष विभाग	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है	मार्च 2014 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05
	1986-87	5	1.30
	1987-88	2	4.88
	1989-90	2	0.07
	1993-94	1	0.10
	1998-99	1	0.20
	99-2000	2	1.30
	2000-01	3	34.87
	2001-02	5	60.91
	2002-03	11	162.75
	2003-04	15	198.48
	2004-05	13	218.74
	2005-06	23	101.61
	2006-07	16	25.88
	2007-08	13	40.30
	2008-09	12	134.20
	2009-10	36	150.80
	2010-11	25	78.68
	2011-12	28	79.07
	2012-13	54	433.62
	कुल	281	1,730.10
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1983-84	9	0.72
	1984-85	16	12.62
	1985-86	12	4.58
	1986-87	11	7.31
	1987-88	24	16.99
	1988-89	32	85.84
	1989-90	47	22.65
	1990-91	30	78.70
	1991-92	3	0.38
	1992-93	12	177.12
	1993-94	6	59.57

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है	मार्च 2014 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1994-95	8	35.51
	1995-96	24	114.57
	1996-97	30	37.23
	1997-98	32	140.66
	1998-99	22	217.40
	99-2000	24	528.30
	2000-01	16	54.60
	2001-02	10	12.59
	2002-03	8	10.40
	2003-04	37	57.52
	2004-05	24	459.20
	2005-06	31	217.15
	2006-07	20	443.55
	2007-08	58	618.50
	2008-09	40	864.51
	2009-10	36	217.95
	2010-11	128	683.92
	2011-12	81	1,185.37
	कुल	831	6,365.41
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6,531.00
	1988-89	359	2,543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1,439.00
	1992-93	216	736.00
	1993-94	64	74.18
	1994-95	78	160.61

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है	मार्च 2014 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1995-96	78	170.88
	1996-97	278	1,002.24
	1997-98	149	541.37
	1998-99	298	702.59
	99-2000	277	663.53
	2000-01	311	768.24
	2001-02	333	961.75
	2002-03	299	850.25
	2003-04	349	1,223.02
	2004-05	343	1,388.46
	2005-06	270	1,380.06
	2006-07	258	1,675.93
	2007-08	266	2,322.21
	2008-09	221	1,749.33
	2009-10	92	831.02
	2010-11	118	15,149.86
	2011-12	183	5,295.86
	कुल	6,278	49,830.13
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2005-06	1	3.34
	2006-07	1	2.00
	2007-08	8	27.56
	2008-09	13	263.14
	2009-10	41	799.56
	2010-11	92	2,544.69
	2011-12	178	12,763.24
	2012-13	520	60,733.63
	कुल	854	77,137.16
जल संसाधन मंत्रालय	1986-87	3	12.50
	1987-88	1	4.04
	1988-89	2	4.23
	1989-90	1	0.50
	1990-91	3	7.17
	1991-92	3	6.56

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है	मार्च 2014 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	2000-01	1	3.34
	2001-02	2	40.00
	2006-07	5	36.53
	2007-08	12	81.28
	2008-09	46	738.57
	2009-10	46	359.85
	2010-11	69	585.59
	2011-12	47	399.92
	2012-13	16	782.68
	कुल	257	3,062.76
	कुल योग	9,117	1,42,163.73

परिशिष्ट V (पैराग्राफ 1.9 के संदर्भ में)

विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	लेखों का काल	सरकारी पूँजी	औसत पूँजी	थोक परिसम्पत्तियाँ	अद्यतन अवमूल्यन	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूँजी पर कुल वापसी का प्रतिशत	टिप्पणी
1.	परमाणु ईंधन परिसर	2013-14					उपलब्ध नहीं				
2.	भारी जल बोर्ड	2013-14	18,00,816.29	14,01,395.42	35,521.15	1,27,609.66	(-) 43,644.80	1,11,971.49	68,326.69	4.88	आंकड़े अनंतिम हैं

परिशिष्ट - VI (पैराग्राफ 1.10 के संदर्भ में)

वर्ष 2013-14 के दौरान अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताएं के कारण									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ करना		एक्स-ग्रेशिया अदायगी	
	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	-	-	-	-	22	12.03	-	-	-	-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	शून्य									
अंतरिक्ष विभाग	-	-	-	-	7	0.37	20	465.36	-	-
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	शून्य									
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	शून्य									
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	शून्य									
जल संसाधन मंत्रालय	-	-	-	-	34	0.81	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	63	13.21	20	465.36	-	-

परिशिष्ट - VII (पैराग्राफ 1.12 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2014 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की मार्च 2015 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जो मंत्रालयों/विभागों से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग				
1.	2012-13 की 13	10.1	₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	28
2.	2013 की 22	2.2	स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी	15
3.	2014 की 27	2.1	उपकरण का अनुप्रयोग	1
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
4.	2014 की 27	3.1	विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान	1
5.	2014 की 27	3.2	उपकरणों का प्रतिष्ठापन न करना	1
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
6.	2013 की 22	4.1	जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	15
अंतरिक्ष विभाग				
7.	2014 की 22	पृथक एकल	अंतरिक्ष विभाग द्वारा डी.टी.एच. सेवा हेतु उपग्रह क्षमता के प्रबंधन पर प्रतिवेदन	1
8.	2014 की 27	4.3	गलत ठेका प्रबंधन के कारण परिहार्य व्यय	1

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
9.	2014 की 27	5.1	राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना	1
10.	2014 की 27	5.2	ग्रेट्युटी का अनियमित भुगतान	1
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
11.	2013 की 21	पृथक एकल	भारत में प्रतिपूरक वन रोपण	15
12.	2013 की 22	6.1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गैर प्राधिकृत पदों का बारम्बार सृजन तथा उन्नयन	15
13.	2014 की 27	6.2	राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थापित करने में असाधारण विलम्ब	1
14.	2014 की 27	6.4	नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना	1

परिशिष्ट - VIII (पैराग्राफ 1.12 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2014 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी की मार्च 2015 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जिन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दे चुका हैं, परन्तु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग				
1.	1999 की 5	2.4	निष्क्रिय उपकरण	4
2.	2001 की 5	5.4	निष्फल व्यय (संख्या 5.19 से 5.22)	23
3.	2001 की 5	5.5	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली (संख्या 5.23 से 5.25)	17
4.	2002 की 5	9.1	उपेक्षा के कारण परिहार्य व्यय	17
5.	2008-09 की सी.ए.-16	2.5	विश्वस्तरीय गामा किरण वेधशाला की गैर स्थापना	3
6.	2008 की 19 (पी.ए.)	पृथक एकल	भारी पानी संयंत्रक के ईंधन का प्रबंधन (नाभिकीय ईंधन चक्र का अग्रभाग)	5
7.	2010-11 की पी.ए.-13	पृथक एकल	भंडारों की प्राप्ति व वस्तुसूची प्रबंधन	1
8.	2013 की 22	2.1	समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर अग्राह्य व्यय	4
जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
9.	2003 की 5	3.1	डी.बी.टी. की समीक्षा	136
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
10.	2007 की पी.ए.-13	5.3	डी.एस.टी. में आंतरिक नियंत्रण	7
11.	2008-09 की सी.ए.-16	5.2	वेतनमानों का चयनात्मक लागू करने से अधिक व्यय	4

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
12.	2013 की 22	5.1	कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय	4
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
13.	1996 की 6	5.2	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की समीक्षा	14
14.	1996 की 6	5.8	उपभोग नहीं हुई विद्युत के लिए अतिरिक्त व्यय	7
15.	1998 की 5	2.4	दोषपूर्ण समझौते की वजह से हानि	23
16.	1999 की 5	4.4	दोषपूर्ण डिजाइन के कारण अतिरिक्त व्यय	12
17.	2001 की 5	3.2	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान	26
18.	2005 की 5	6.1	निष्फल व्यय	95
19	2005 की 5	10.2	किण्वन प्रणाली की गैर-स्थापना	12
20.	2007 की टी.ए.-2	13.1	सेवाकर की गैर वसूली	18
21.	2008-09 की सी.ए.-16	4.1	परियोजना की अल्प समाप्ति पर निजी कम्पनियों से बकाया राशि की गैर वसूली	57
22.	2008-09 की सी.ए.-16	4.2	लेखापरीक्षा के उदाहरण पर बकाया राशि की वसूली	44
23.	2008-09 की सी.ए.-16	4.5	केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, कैराईकुडी द्वारा बैट्टीयों/सैलों की प्रौद्योगिकी का विकास तथा उनका वाणिज्यिककरण	1
24.	2013 की 29	पृथक एकल	दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेटवर्क परियोजनाओं पर प्रतिवेदन	2

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
अंतरिक्ष विभाग				
25.	2006 की 9(पी.ए.)	5	गैर-कर प्राप्तियाँ	9
26.	2013 की 22	3.1	एडुसैट उपयोगिता कार्यक्रम	10
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
27.	2007 की 2 (टी.ए.)	5.1	निष्फल व्यय	28
28.	2008 की सी.ए.-3	7.1	लेखाकरण एवं कार्मिक प्रबंधन गतिविधियों के आधुनिकीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	26
29.	2008-09 की सी.ए.-16	7.1	बिना मांग के आवासीय मकानों एवं छात्रावास इकाईयों का निर्माण	7
30.	2013 की 22	8.1	पेंशन योजना की अनियमित शुरुआत तथा धनराशि का परिवर्तन	7
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
31.	2001 की 3बी	1.0	जल प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण विधि का क्रियान्वयन	19
32.	2002 की 5	3.1	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की समीक्षा	1
33.	2008-09 की सीए-16	6.2	परिवहन भत्ते का अस्वीकार्य भुगतान	35

परिशिष्ट IX (पैराग्राफ 2.1.2.2 (ii) के संदर्भ में)

खरीदी मामले जिनमें पूर्ति हेतु उच्च पूर्वकाल लिया गया

(क) मॉड प्रयोगशाला क्षेत्रीय भंडार

क्रम संख्या	माल रसीद संख्या	क्षेत्रीय रसीद	माल क्षेत्रीय रसीद	प्राप्ति पूर्ती दिनांक	क्षेत्रीय रसीद	पूर्व काल
1	6565/07	07/4588	27 नवम्बर 2007	17 सितम्बर 2010		1,025
2	08/7442	08/4384	17 दिसम्बर 2008	16 नवम्बर 2010		699
3	09/862	09/774	06 मई 2009	03 मार्च 2011		666
4	09/886	09/770	06 मई 2009	10 नवम्बर 2010		553
5	09/186	09/325	20 अप्रैल 2009	21 जून 2010		427
6	09/2162	09/1561	22 जून 2009	25 जून 2010		368
7	09/4231	09/2831	27 अगस्त 2009	28 अगस्त 2010		366
8	09/2591	09/1937	07 जुलाई 2009	01 जुलाई 2010		359
9	09/5935	09/3754	27 अक्टूबर 2009	09 अक्टूबर 2010		347
10	09/6076	09/3798	28 अक्टूबर 2009	09 अक्टूबर 2010		346
11	09/1910	09/1549	19 जून 2009	26 अप्रैल 2010		311
12	10/519	10/424	27 अप्रैल 2010	04 मार्च 2011		311
				कुल पूर्व काल		5,778

(ख) क्षेत्रीय भंडार प्राप्ति

क्रम संख्या	माल रसीद संख्या	क्रय आदेश संख्या	प्राप्ति रसीद संख्या	प्राप्ति रसीद पूर्ती दिनांक	पूर्व काल
1	8676/09	6609/FE	21 जनवरी 2010	10 दिसम्बर 2010	323
2	6773/09	6618	19 नवम्बर 2009	25 अक्टूबर 2010	340
3	7883/09	190874	29 दिसम्बर 2009	10 दिसम्बर 2010	346
4	1989/09	6908	15 जून 2009	16 अगस्त 2010	427
5	4636/09	192161	07 सितम्बर 2009	31 जनवरी 2011	511
6	6254/08	5968	06 नवम्बर 2008	27 जुलाई 2010	628
7	6255/08	5988	06 नवम्बर 2008	27 जुलाई 2010	628
8	6816/08	6374	24 नवम्बर 2008	17 जनवरी 2011	784
9	3100/08	186477/FE	18 जुलाई 2008	15 दिसम्बर 2010	880
10	162/06	4467	10 अप्रैल 2006	27 जुलाई 2010	1,569
11	5633/05	4467	04 अक्टूबर 2005	27 जुलाई 2010	1,757
12	620/05	4467	26 अप्रैल 2005	27 जुलाई 2010	1,918
				कुल पूर्व काल	10,111

(ग) वाशी जोनल भंडार

क्रम संख्या	माल रसीद संख्या	क्रय आदेश संख्या	प्राप्ति रसीद संख्या	माल रसीद दिनांक	प्राप्ति रसीद पूर्ति दिनांक	पूर्व काल
1	4636/09	192161	133954	07-सितम्बर-2009	1-फरवरी-2011	512
2	4913/09	6705	134225	16-सितम्बर-2009	30-जून-2010	287
3	6736/09	6705	136008	19-नवम्बर-2009	30-जून-2010	223
4	6773/09	6618	136044	19-नवम्बर-2009	26-अक्टूबर-2010	341
5	7883/09	190874	137278	29-दिसम्बर-2009	16-दिसम्बर-2010	352
6	8365/09	9611	137752	12-जनवरी-2010	3-जून-2010	142
7	8676/09	6609/FE	138057	21-जनवरी-2010	16-दिसम्बर-2010	329
8	8777/09	193391	138156	27-जनवरी-2010	21-जुलाई-2010	175
9	9396/09	6923	138774	15-फरवरी-2010	28-मई-2010	102
10	9466/09	7037	138842	17-फरवरी-2010	1-मई-2010	73
11	9673/09	6883	139049	24-फरवरी-2010	8-जून-2010	104
12	10006/09	7071	139377	5-मार्च-2010	8-जून-2010	95
13	10032/09	6867	139403	8-मार्च-2010	17-अप्रैल-2010	40
14	10104/09	194859	139474	9-मार्च-2010	1-मई-2010	53
15	10106/09	6911	139476	9-मार्च-2010	8-जून-2010	91
16	10259/09	7015	139628	15-मार्च-2010	28-अगस्त-2010	166
					कुल पूर्वकाल	3,085

परिशिष्ट X (पैराग्राफ 2.1.2.3 (ii) के संदर्भ में)

प्रदर्शन संबंधित प्रोत्साहन योजना - समूह हेतु भारी जल बोर्ड के आकलन रिपोर्ट में विलम्बित परियोजनाओं को पुरस्कृत अंक का विवरण

क्रमांक	समूह	परियोजनाओं का नाम	पूरा होने की अनुसूचित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	देरी (माह में)	पुरस्कृत अंक
2009-10 हेतु आकलन						
1.	एच.डब्ल्यू.बी.	एच.डब्ल्यू.पी. (तालचेर) में वी.एस.पी.पी. सुविधा की स्थापना	मार्च 2007	जून 2009	27	3
2.		एच.डब्ल्यू.पी. (बड़ौदा) में उचित अनुपात टी.बी.पी. उत्पादन सुविधा की स्थापना	दिसम्बर 2008	मार्च 2011 तक चल रही थी	27	3
3.		एच.डब्ल्यू.पी. (मानगुरु) में संवर्धित बोरान के उत्पादन हेतु आयन क्रोमैटोग्राफी की स्थापना	दिसम्बर 2008	2009-10 को समाप्त	15	3
4.		आर.सी.एफ., चेम्बूर में फास्फोरिक एसिड से यूरैनियम निकालने हेतु तकनीकी प्रदर्शन संयंत्र (टी.डी.पी.)	जनवरी 2007, सितम्बर 2008 के रूप में पुनरीक्षित	मार्च 2010 के अंत में	18	9
5.		भारी जल साफ-सफाई सुविधा (एच.ई.डब्ल्यू.ए.सी.)	अगस्त 2005, अक्टूबर 2006 के रूप में पुनरीक्षित	मार्च 2010 को पूर्ण नहीं	41	6
कुल						24

क्रमांक	समूह	परियोजनाओं का नाम	पूरा होने की अनुसूचित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	देरी (माह में)	पुरस्कृत अंक
2010-11 हेतु आकलन						
6.	एच.डब्ल्यू.पी., मानगुरु (समूह-1)	संपर्क कार्यालय तथा अतिथि गृह का हैदराबाद में निर्माण	जुलाई 2010	मई 2011	10	1
		एच.डब्ल्यू.पी. (एम.) कॉलनी में 153 "डी-टाइप" क्वाटर का निर्माण	दिसम्बर 2009	जून 2010	6	1
		एच.डब्ल्यू.पी. (एम.) कॉलनी में 50 क्षमता अपार्टमेंट तथा 30 "ई-टाइप" क्वाटर का निर्माण	दिसम्बर 2009	सितम्बर 2011	21	1
7.	एच.डब्ल्यू.पी., कोटा (समूह-2)	सौर ऊर्जा आधारित भाप उत्पादन प्रणाली	जुलाई 2008	मार्च 2011 को चल रहा था।	32	1
		200 लीटर क्षमता वाले 2000 D20 ड्रमों हेतु भंडारण शेड	जनवरी 2010	मार्च 2011 को चल रहा था।	14	1
		डी.सी.एस. हेतु जल उपचार संयंत्र	दिसम्बर 2009	मार्च 2011 को चल रहा था।	15	1
8.	एच.डब्ल्यू.पी., बड़ौदा (समूह-3)	ट्राई बूटाइल फास्फेट संयंत्र का प्रवर्तन	जनवरी 2009	मार्च 2011 को चल रहा था।	26	20
		ट्राई बूटाइल फास्फेट का उत्पादन		मार्च 2011 को चल रहा था।		

क्रमांक	समूह	परियोजनाओं का नाम	पूरा होने की अनुसूचित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	देरी (माह में)	पुरस्कृत अंक
		हाइड्रोजन जल विनिमय उत्प्रेरक सुविधा परीक्षण	दिसम्बर 2008 को नमूने का पहला सेट तथा फरवरी 2009 को एच.पी. उत्प्रेरक परीक्षण इकाई	मार्च 2011 को चल रहा था।	25	4
9.	एच.डब्ल्यू.पी., तालचेर (समूह-5)	वी.एस.पी.पी. प्रवर्तन	मार्च 2007	सितम्बर 2010	42	8
		आई.ई.टी.पी. प्रवर्तन, परीक्षण संचालन तथा कार्यविधि	अप्रैल 2008	अप्रैल 2010	24	6
		सी.ई.आर. मैकेनिकल का पूर्ण होना तथा प्रवर्तन	अगस्त 2009	नवम्बर 2010	15	3
10.	एच.डब्ल्यू.पी., मुम्बई (समूह-6)	भारी जल साफ-सफाई सुविधा (एच.ई.डब्ल्यू.ए.सी.) का विकास कार्य	अक्टूबर 2006	मार्च 2011 को चल रहा था।	53	4
		एच.डब्ल्यू.पी., मानुगुऊ में सूखा राख संकलन, पृथक्करण तथा भंडारण सुविधा	दिसम्बर 2008	मार्च 2011 को चल रहा था।	27	4
		एच.डब्ल्यू.पी., मानुगुऊ में भाप टरबाईन जरनेटर	जनवरी 2009	मार्च 2011 को चल रहा था।	26	4
		एच.डब्ल्यू.पी., मानुगुऊ में आवासीय कॉलनी	दिसम्बर 2009	मार्च 2011 को चल रहा था।	15	3
		हैदराबाद में संपर्क कार्यालय तथा अतिथिगृह	जुलाई 2010	मार्च 2011 को चल रहा था।	8	11
कुल						73

परिशिष्ट XI (पैराग्राफ 2.1.2.4 (iii) के संदर्भ में)

निर्माण एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय में 2010-11 के दौरान प्रदर्शन के गलत आकलन के मामले

क्र.सं.	कार्य का नाम	लक्ष्य	प्रतिवेदित उपलब्धि	पुरस्कृत अंक	टिप्पणी
योजना तथा डिजाइन समूह					
1.	एच.बी.एन.आई./बी.ए.आर.सी. के प्रशिक्षुओं हेतु हॉस्टल का निर्माण - चरण-I				
	मुख्य इमारत Ph-I का निर्माण	मुख्य कार्य जारी किए जाने थे।	मुख्य कार्य चरण-I, कार्य आदेश जारी किए गए।	4.5	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य कार्य फेज-I हेतु कार्य आदेश अप्रैल 2012 में जारी किया गया, परंतु इसका 2010-11 में जारी होना दर्शाया गया। वैधानिक आदेश आंशिक रूप से प्राप्त किए गए तथा इस प्रकार लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए। आई.ओ.डी. हेतु आवेदन 2009-10 में पूरा हुआ। इस प्रकार आकलन गलत था।
		वैधानिक आदेश प्राप्त किए जाने थे।	वैधानिक आदेश आंशिक रूप से प्राप्त किए गए।		
		संरचनात्मक डिजाइन 5वीं मंजिल तक पूरा किया जाना था।	संरचनात्मक डिजाइन पूरा किया गया।		
	इमारत के चरण-II का निर्माण	डिजाइन तथा आकलन पूरा करना था।	डिजाइन, आकलन पूरा हुआ।		
		अस्वीकृति की सूचना हेतु आवेदन बनाया जाना था।	अस्वीकृति की सूचना हेतु आवेदन बनाया गया।		
2.	राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर - कार्य				
	जटनी में मुख्य परिसर का निर्माण	मुख्य परिसर के टेंडर को अंतिम रूप दिया जाना था, डिजाइन, ड्राइंग का पुनरीक्षण/जाँच किया जाना था। कार्य आदेश जारी किए जाने थे।	मुख्य परिसर टेंडर को अंतिम रूप दिया गया, डिजाइन, ड्राइंग का पुनरीक्षण/जाँच पूरी की गई। डी.ए.ई. से कार्य आदेश जारी होने का अनुमोदन प्रतीक्षित था।	5.75	कार्य आदेश वास्तव में जुलाई 2011 में जारी किए गए। इस प्रकार आकलन गलत था।

3. चर ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, कोलकाता का निर्माण			
चिकित्सा साइक्लोट्रॉन	डिजाइन/ड्राइंग का कार्य प्रगति के साथ पुनरीक्षण	डिजाइन/ड्राइंग का कार्य प्रगति के साथ पुनरीक्षण	<p>17</p> <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा साइक्लोट्रॉन तथा इसकी अधीनस्थ इमारत का निर्माण पहले ही बुरी तरह देरी से चल रहा था, क्योंकि इसे 2009 में पूरा किया जाना था। डिजाइन को अंतिम रूप देने हेतु लक्ष्य सौंपा गया, जो कि प्राथमिक कार्य है। 'टेंडर हेतु डिजाइन तथा ड्राइंग का लक्ष्य पूरा किया जाना तथा अनुमानित बनाया जाना' पूरी तरह पूरा होना दर्शाया गया। लेकिन सुरक्षा गेट टेंडर प्रक्रिया तथा अग्नि स्थल टेंडर प्रक्रिया को अक्टूबर 2011 तथा अगस्त 2011 में अंतिम रूप दिया गया। रिट्रोफिटिंग योजना पर रिपोर्ट जून 2011 में ए.ई.आर.बी. को प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए आकलन गलत था।
(रेडियोधर्मी आयन बीम) सुविधा इमारत	रेडियोधर्मी आयन बीम इमारत टेंडर को अंतिम रूप दिया जाना था। डिजाइन/ड्राइंग पूरा किया जाना था।	रेडियोधर्मी आयन बीम इमारत टेंडर को अंतिम रूप दिया गया। डिजाइन/ड्राइंग पूरा किया गया।	
सुरक्षा गेट, अणुनेट इमारत, राष्ट्रीय ज्ञान केन्द्र, फायर स्टेशन, जोड़ने वाली गलियारा	टेंडर हेतु डिजाइन तथा ड्राइंग पूरा किया जाना था। अनुमान बनाया जाना था।	टेंडर उद्देश्य हेतु डिजाइन तथा ड्राइंग पूरा किया गया। अनुमानित बनाया गया।	
कम्प्यूटर तथा सूचना इमारत	टेंडर हेतु डिजाइन तथा ड्राइंग पूरा किया जाना था। अनुमान पूरा किया जाना था। टेंडर कार्रवाई की जानी थी।	टेंडर हेतु डिजाइन तथा ड्राइंग पूर्ण की गई। अनुमान पूर्ण की गई। टेंडर कार्रवाई की गई।	
अभियांत्रिकी हॉल, संरचनात्मक इमारत, ए.डी.एस.एस. इमारत	टेंडर हेतु डिजाइन/ड्राइंग पूरा किया जाना था।	डिजाइन/ड्राइंग टेंडर हेतु पूरा किया गया।	
सुपर संचालन साइक्लोट्रॉन इमारत का रिट्रोफिटिंग	ए.ई.आर.बी. को रिट्रोफिटिंग योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जानी थी।	अनुमोदन हेतु रिट्रोफिटिंग योजना ए.ई.आर.बी. को प्रस्तुत की गई।	
कुल अंक			

निष्पादन समूह					
1.	अणुशक्ति नगर में सम्मेलन केन्द्र कॉम्प्लेक्स का निर्माण	मुख्य कार्य का 22% पूरा किया जाना था।	मुख्य कार्य का 24% पूरा किया गया।	15	मुख्य कार्य का केवल 15 प्रतिशत पूरा किया गया।
2.	एच.बी.एन.आई./ बी.ए.आर.सी. के प्रशिक्षुओं हेतु हॉस्टल का निर्माण मुख्य इमारत Ph-I	10%	5%	3	लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया
3.	अणुशक्ति नगर में सी.आई.एस.एफ. हेतु क्वाटर का निर्माण				
	उपस्टेशन का निर्माण तथा विकास कार्य	100%	100%	6	उपस्टेशन का निर्माण पहले ही देरी से हो रहा था क्योंकि इसे फरवरी 2010 तक पूरा किया जाना था। मुख्य भवन के निर्माण कार्य का केवल 8 प्रतिशत ही पूरा हुआ था।
	मुख्य इमारत का निर्माण	10%	10%		
4.	अणुशक्ति में जलीय तथा एथलीट सुविधाएँ				
	विकास कार्य	100%	85%	3.75	केवल 70 प्रतिशत (विकास कार्य) तथा 60 प्रतिशत (शोधन कार्य) पूरा हुआ
	शोधन कार्य	95%	70%		
5.	विविध कार्य				
	ड्राइवेल निर्माण	60%	10%	3.50	<ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए विभिन्न समूहों को सौंपी गई गतिविधियों के अनुसार, डिजाइन तथा टेंडर प्रक्रिया योजना समूह द्वारा की जानी थी न कि निष्पादन समूह द्वारा। कैनेडियन बंगलों के संबंध में कोई भी प्रगति दर्ज नहीं की गई।
	अग्निशमन पम्पिंग प्रणाली	10% / टेंडर कार्य को अंतिम रूप दिया जाना था।	3% / टेंडर बुलाए गए		
	कैनेडियन बंगलो	80%	80%		
	बी.ए.आर.सी. में बी.आर.आई.टी. हेतु मोलिब्डेनम सुविधा	भू-तकनीकी जाँच पूरी की जानी थी।	भू-तकनीकी जाँच पूरी की गई		
6.	बी.आर.आई.टी., वाशी में विकिरण तकनीकी परियोजनाओं हेतु एकीकृत सुविधा				
	सिविल कार्य	100%	100%	6	<ul style="list-style-type: none"> सिविल कार्य दिसम्बर 2007 में पुरस्कृत किया गया तथा अप्रैल 2009 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था। विद्युतीय
	विद्युतीय कार्य	100%	100%		
	ई.ओ.टी. क्रेन-1	80%	80%		
	ई.ओ.टी. क्रेन-2	50%	50%		

	एच.वी.ए.सी. कार्य	50%	50%		कार्य दिसम्बर 2009 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था। कार्य पहले ही देरी से हो रहा था। <ul style="list-style-type: none"> ई.ओ.टी. क्रेन का निर्माण तथा प्रवर्तन होना जनवरी 2011 तक अपेक्षित था। 2010-11 हेतु लक्ष्य नीचे की तरफ तय किए गए।
7.	राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर - कार्य				
	उपस्टेशन इमारत	100%	100%	16.5	<ul style="list-style-type: none"> अगस्त 2009 में उपस्टेशन के निर्माण का कार्य पुरस्कृत किया गया जिसे मई 2010 में पूरा किया जाना अपेक्षित था। क्वार्टर तथा गर्ल्स हॉस्टल को मार्च 2010 तक पूरा किया जाना था। उपस्टेशन हेतु विद्युतीय कार्य को दिसम्बर 2010 तक पूरा किया जाना था। सभी कार्य पहले ही देरी से चल रही थे। डाइनिंग सुविधा का केवल 90% ही पूरा हुआ। मुख्य परिसर के निर्माण हेतु लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।
	V-E क्वार्टर तथा गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण	100%	100%		
	डाइनिंग सुविधा	100%	100%		
	उप-स्टेशन उपकरण	100%	100%		
	जटनी में मुख्य परिसर का निर्माण	5%	टेंडर को अंतिम रूप दिया गया, कार्य आदेश जारी करने हेतु डी.ए.ई. का अनुमोदन प्रतीक्षित था।		
8.	चर ऊर्जा साइक्लोट्रान केन्द्र हेतु निर्माण				
	चिकित्सा साइक्लोट्रान केन्द्र	35%	40%	4.5	<ul style="list-style-type: none"> मेडिकल साइक्लोट्रान का निर्माण जून 2009 में पूरा किया जाना अपेक्षित था। कार्य में देरी हुई तथा लक्ष्य का केवल 35 प्रतिशत तय किया गया। आर.आई.बी. सुविधा इमारत का केवल 3% पूरा हुआ। कम्प्यूटर तथा सूचना इमारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।
	रेडियोधर्मी आयन बीम सुविधा इमारत	50%	50%		
	कम्प्यूटर तथा सूचना इमारत	30%	टेंडर प्रक्रिया में है		
कुल				58.25	

अभियांत्रिकी सेवा विभाग					
1.	नियमित शिकायतों पर ध्यान देना	92%	92%	7	लक्ष्य तय करने हेतु विचार किए गए 12 वार्षिक रखरखाव मरम्मत कार्य में से, लेखापरीक्षा ने छः अनुबंधों का परीक्षण किया तथा पाया कि कोई भी कार्य नियत समय में पूरा नहीं हुआ।
2.	लीकेज रोकना (टैरेस, अंतिम दीवार, ऊपरी मंजिल तथा शाफ्ट लीकेज)	65% से 90%	65% से 90%	5	वाटर प्रूफ कार्य के 11 मामलों को लक्ष्य तय करने हेतु ध्यान में रखा गया था, लेखापरीक्षा ने छः वाटर प्रूफ कार्यों की जाँच की तथा पाया कि कोई भी कार्य नियत समय में पूरा नहीं हुआ।
3.	संरचनात्मक मरम्मत तथा बाह्य पुताई	9% से 100%	4% से 100%	9	संरचनात्मक मरम्मत तथा बाह्य पुताई के 12 मामलों को लक्ष्य तय करने हेतु ध्यान में रखा गया था, केवल एक ही नियत समय में पूरा हुआ।
4.	बुनियादी सुविधाओं का विकास	70% से 100%	85% से 100%	6	तीन संरचनात्मक कार्यों को लक्ष्य तय करने हेतु ध्यान में रखा गया, तीनों में से कोई नियत समय में पूरा नहीं हुआ।
5.	कॉस्मेटिक रखरखाव	85%	85%	4.5	लक्ष्य तय करने हेतु ध्यान में रखे गए छः कॉस्मेटिक रखरखाव कार्यों में से कोई भी नियत समय में पूरे नहीं हुए।
6.	दैनिक शिकायतों पर ध्यान देना	100%	100%	7.5	दैनिक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए वास्तव में कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया।
7.	बाह्य विद्युतीय सेवाओं का रखरखाव	10% से 100%	10% से 100%	6.5	57 लघु कार्य/नवीकरणीय कार्य जो लक्ष्य तय करने हेतु ध्यान में रखे गए, उनमें पर उजागर हुआ कि कोई भी कार्य नियत समय में पूरा नहीं हुआ।

2015 का प्रतिवेदन संख्या 30

8.	स्वचालन तथा अभिगम नियंत्रण का काम	10% से 100%	से	10% से 100%	2	स्वचालन तथा अभिगम नियंत्रण कार्यो के चार मामलों को लक्ष्य तय करने हेतु ध्यान में लाया गया। दो मामलों की जाँच परीक्षण में उजागर हुआ कि कार्य के पूरा होने में दो वर्ष से भी अधिक की देरी हुई।
9.	सेवाओं का उन्नतिकरण	10% से 100%	से	10% से 100%	18.5	मरम्मत नवीकरण तथा अपग्रेडेशन के 34 कार्यो को लक्ष्य तय करने में ध्यान में रखा गया, 17 मामलों की जाँच करने पर यह पाया गया कि कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ।
कुल					66	

परिशिष्ट XII (पैराग्राफ 3.1.2 के संदर्भ में)

लेखापरीक्षा में जाँच की गई औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 परियोजनाओं के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना संस्वीकृति की तारीख	समापन की संस्वीकृत तारीख (बढ़ाई गई तारीख)	परियोजना लागत	डी.एस.टी. हिस्सा (ऋण)	जारी ऋण	परियोजना स्थिति पूर्ण/रोकी गई
1.	भारत सीरम्स एण्ड वैक्सीन्स लिमिटेड, मुम्बई	रीकम्बीनेंट चाइनीज हैमस्टर ओवरी (सी.एच.ओ.) सेल लाइन में व्यक्त मोनोक्लोनल इम्यूनाग्लोबुलिन (एम.टी.आई.जी.) की वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य सम प्रक्रिया का विकास	मार्च 2006	मार्च 2009 (मार्च 2011)	20.03	10.00	7.07	रोकी गई
2.	बिगटेक प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरू	उच्च उत्पादक रीकम्बीनेंट मानव इन्सूलिन स्ट्रेन एवं प्रक्रिया का विकास जिसके कारण वाणिज्यिकीकरण	दिसम्बर 2006	दिसम्बर 2008 (दिसम्बर 2009)	3.87	1.92	1.92	पूर्ण
3.	बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड, हैदराबाद	डेंगू वायरस संक्रमण के विरुद्ध डेन 1, डेन2, डेन3, और डेन4 के 30 डिलीसन म्यूटेंट और केमरिक निर्माण के उपयोग द्वारा टेद्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन का विकास	मार्च 2015	मार्च 2007 (मार्च 2008)	13.77	4.75	4.75	पूर्ण

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना संस्वीकृति की तारीख	समापन की संस्वीकृत तारीख (बढ़ाई गई तारीख)	परियोजना लागत	डी.एस.टी. हिस्सा (ऋण)	जारी ऋण	परियोजना स्थिति पूर्ण/रोकी गई
4.	केडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद	अगनाथी कैंसर के लिए रोगोपचारक वैक्सीन का विकास	अक्टूबर 2007	अक्टूबर 2009	14.05	7.02	7.02	पूर्ण
5.	केडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद	नई पीढ़ी रोगोपचारक और रोग निरोधी हेपेटाइटिस बी-वैक्सीन का विकास	मार्च 2006	मार्च 2007	3.20	1.50	1.50	पूर्ण
6.	केमबायोटेक रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	अण्डरकैप्रोनिल पायरोफास्फेट सिंथेस के श्रेष्ठ अवरोधकों की खोज तथा विकास	मई 2007	मई 2010 (मार्च 2011)	22.03	11.00	11.00	पूर्ण
7.	इण्डीजिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड हैदाराबाद	पूरी न हुई चिकित्सा और बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों से प्राप्त प्राकृतिक आणुविक संयोजनों (एन.एम.सी.) आधारित नव परिवर्तनकारी सुरक्षित और प्रभावी औषधियों के विकास और सुपुर्दगी के लिए चरण-सी के माध्यम से प्राथमिकीकृत औषध अभ्यर्थियों का चिकित्सीय विकास	अक्टूबर 2007	अक्टूबर 2008	24.95	14.95	14.95	पूर्ण

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना संस्वीकृति की तारीख	समापन की संस्वीकृत तारीख (बढ़ाई गई तारीख)	परियोजना लागत	डी.एस.टी. हिस्सा (ऋण)	जारी ऋण	परियोजना स्थिति पूर्ण/रोकी गई
8.	इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलीकूलर मेडीसिन, कोलकाता	एच.आई.वी. (सिनर्जी परियोजना) के जिन साइलेंसिंग के लिए आर.एन.ए.आई. अभिगम	मार्च 2006	मार्च 2009	24.50	10.00	12.25	पूर्ण
9.	मेडीक्लोन प्राइवेट चेन्नई	रेबीज रोधी मोनोक्लोनल एंटीबाडी (एम.ए.बी.) काकटेल और रेबीज वायरस खोज के लिए इम्यूनोडाइग्नोस्टिक एम.ए.बी. का विकास और विनिर्माण	मार्च 2008	मार्च 2011	18.81	11.27	10.22	पूर्ण
10.	प्रोम्ड प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	व्ययसायीकरण स्तर तक औषध लाने के द्वारा मोतियाबिंद के प्रभावी निवारण और निदान में प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन लागू करने के लिए मोतियाबिंद रोधी आई ड्राप के निरूपण विकास, स्थायित्व अध्ययन, पूर्व नैदानिक और नैदानिक अध्ययन	मार्च 2005	मार्च 2008	10.84	5.00	4.00	पूर्ण
11.	स्ट्राइडस एक्रो लैब लिमिटेड, बंगलूरु (मै. मेडीजीन)	हृदय वाहिका बीमारी के निदान के लिए श्रेष्ठ रीकम्बिनेंट स्टाफिलोकिन्सस का विकास	दिसम्बर 2006	दिसम्बर 2009	8.19	4.08	0.89	रोकी गई

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना संस्वीकृति की तारीख	समापन की संस्वीकृत तारीख (बढ़ाई गई तारीख)	परियोजना लागत	डी.एस.टी. हिस्सा (ऋण)	जारी ऋण	परियोजना स्थिति पूर्ण/रोकी गई
12.	रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, गुड़गांव	पुरानी फेफड़ों अवरोधक सम्बन्धित बीमारी के लिए श्रेष्ठ मस्कारिनिक रिसेप्टर एंटागानिस्ट	अगस्त 2006	अगस्त 2009	12.30	6.15	4.70	रोकी गई
13.	रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, गुड़गांव	पुरानी फेफड़ों अवरोधक सम्बन्धित बीमारी के लिए श्रेष्ठ फॉस्फोडॉइस्टरएज-4बी रोधी	जुलाई 2007	जुलाई 2010	12.30	6.15	4.95	रोकी गई
14.	थर्टीन हर्ब्स एण्ड क्योर, नई दिल्ली	एच.आई.वी./एड्स के लिए देशी प्रतिरक्षक हर्बल फार्मूलेशन पी-ज्योति अमृतम का विकास	मार्च 2008	मार्च 2010	3.41	1.70	1.11	पूर्ण
15.	सुर्देशन बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद	हाइड्रान्टाइन्स और कार्बोमोलास एंजाइम क्लोन्ड ई-कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रोफिनाइल ग्लाइसिन (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन	मार्च 2006	मार्च 2009	3.93	1.96	1.96	पूर्ण
16.	ए.बी.एल. बायोटेकनालाजीज लिमिटेड, चेन्नई	सी.ओ.एक्स.-2 अबरोधन और नैदानिक में सी-फाइकोसियानिन	फरवरी 2006	फरवरी 2009 (फरवरी 2010)	8.29	4.00	4.00	पूर्ण
17.	प्रोमड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	काला मोतिया रोधी हर्बल आइ ड्रॉप का निरूपण, विकास, स्थिरता अध्ययन, पूर्व नैदानिक और नैदानिक अध्ययन	मार्च 2007	मार्च 2010	8.08	4.02	2.05	पूर्ण

क्रम सं.	उद्योग भागीदार का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना संस्वीकृति की तारीख	समापन की संस्वीकृत तारीख (बढ़ाई गई तारीख)	परियोजना लागत	डी.एस.टी. हिस्सा (ऋण)	जारी ऋण	परियोजना स्थिति पूर्ण/रोकी गई
18.	सेलमैक्स फार्मा लिमिटेड, अलीगढ़	वाणिज्यिक रूप से क्षम रीकम्बीनेंट उत्पाद और नैदानिक कीटों का विकास	जनवरी 2008	जनवरी 2011	8.74	4.34	2.00	पूर्ण
19.	माइक्रोटेस्ट इन्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरू	एच.आई.वी./एड्स में औषध प्रभावोत्पादकता मानीटरन में लागत प्रभावी वायरल लोड एस्से और इसके वाणिज्यिक अनुप्रयोग का विकास	दिसम्बर 2005	दिसम्बर 2007 (दिसम्बर 2008)	2.37	1.18	1.18	पूर्ण
जोड़					223.66	113.24	95.27	

परिशिष्ट XIII (पैराग्राफ 3.1.2.4 (ii) के संदर्भ में)

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित परियोजनाओं में बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	उद्योग भागीदार का नाम	बकाया यूसी की संख्या	राशि	में जारी राशि	से लम्बित यूसी	अगस्त 2014 को विलम्ब (महीने)
1.	उच्च उत्पादक रीकम्बीनेंट मानव इन्सूलिन स्ट्रेन एवं प्रक्रिया का विकास जिसके कारण वाणिज्यिकीकरण हो	बिगटेक प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु	2	0.98	दिसम्बर 2006 अगस्त 2008	जनवरी 2008 अगस्त 2009	80 माह 61 माह
2.	डेंगू वायरस संक्रमणों चार के विरुद्ध डेन1, डेन2, डेन3, और डेन4 के 30 डिलीसन म्यूटेंट और केमरिक निर्माण के उपयोग द्वारा टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन का विकास	बायोलाजीकल ई. लिमिटेड, बंगलूरु	2	4.75	अप्रैल 2005 अप्रैल 2006	अप्रैल 2006 अप्रैल 2007	111 माह 89 माह
3.	अण्डरकैप्रीनिल फायरोफास्फेट सिंथेस के श्रेष्ठ अवरोधकों की खोज तथा विकास	केमबायोटेक रिसर्च इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	1	3.38	मार्च 2010	मार्च 2011	42 माह
4.	एच.आई.वी/एड्स में औषध प्रभावोत्पादकता मानीटरन में लागत प्रभावी वायरल लोड एसाय और उसके वाणिज्यिक अनुप्रयोग का विकास	माइक्रोटेस्ट इन्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरु	1	0.28	अप्रैल 2008	अप्रैल 2009	65 माह

क्रम सं.	परियोजना का नाम	उद्योग भागीदार का नाम	बकाया यूसी की संख्या	राशि	में जारी राशि	से लम्बित यूसी	अगस्त 2014 को विलम्ब (महीने)
5.	काला मोतिया रोधी हर्बल आई ड्रॉप का निरूपण, विकास, स्थिरता अध्ययन, पूर्व नैदानिक और नैदानिक अध्ययन	प्रोमेड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	2	1.31	अप्रैल 2007 नवम्बर 2009	अप्रैल 2008 नवम्बर 2010	77 माह 45 माह
6.	हाइड्रान्टोइन्स और कार्बोमोलास एंजाइम क्लोन्ड ई-कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रोफिनाइल ग्लाइसिन (पी.एच.पी.जी.) का विकास	सुदर्शन बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद	1	0.39	दिसम्बर 2008	दिसम्बर 2009	57 माह
	जोड़		09	11.09			

परिशिष्ट XIV (पैराग्राफ 3.1.2.5 के संदर्भ में)

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यन्वित परियोजनाओं की परियोजना की निगरानी समिति की बैठकों के ब्यौरे

क्रम सं.	उद्योग का नाम	भागीदार	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि (बढाई गई)	अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित एम.सी. बैठक की बारम्बारता	आयोजित की जाने वाली पी.एम.सी. बैठकों की संख्या	आयोजित पी.एम.सी. बैठकों की संख्या	अवधि जिसके दौरान बैठक न करने के कारण पी.एम.सी. द्वारा मॉनीटरन नहीं किया गया था
1.	ए.बी.एल. बायोटेकनालाजीज लिमिटेड, चेन्नई		सी.ओ.एक्स.-2 अवरोधन और नैदानिक में सी-फाइकोसियानिन	48 माह फरवरी 2006 से फरवरी 2009 (फरवरी 2010)	वार्षिक	4	2	12 महीने मार्च 2009 से फरवरी 2010
2.	भारत एण्ड वैकसीन्स लिमिटेड, मुम्बई		रीकम्बीनेंट चाइनीज हैमस्टर ओवरी (सी.एच.ओ.) सेल लाइन में व्यस्त मोनोकलोनल टिटेनस इम्यूनाग्लोबुलिन (एम.टी.आई.जी.) की वाणिज्यिक रूप से क्षम प्रक्रिया का विकास	60 माह मार्च 2006 से मार्च 2009 (मार्च 2011)	वार्षिक	5	1	51 महीने जुलाई 2007 से मार्च 2011
3.	बिगटेक लिमिटेड, बंगलूरू		उच्च उत्पादक रीकम्बीनेंट मानव इन्सूलिन स्ट्रेन एवं प्रक्रिया का विकास जिसके कारण वाणिज्यिकरण हुआ	36 माह दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2008 (दिसम्बर 2009)	वार्षिक	3	1	45 महीने जून 2008 से दिसम्बर 2009

क्रम सं.	उद्योग का नाम	भागिदार	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि (बढ़ाई गई)	अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित एम.सी. बैठक की बारम्बारता	आयोजित की जाने वाली पी.एम.सी. बैठक की संख्या	आयोजित पी.एम.सी. बैठकों की संख्या	अवधि जिसके दौरान बैठक न करने के कारण पी.एम.सी. द्वारा मॉनीटरन नहीं किया गया था
4.	बायोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद	ई. बायोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद	डेंगू वायरस संक्रमण के विरुद्ध डेन1, डेन2, डेन3 और डेन4 के 30 डिलीसन म्यूटेंट और केमरिक निर्माण के उपयोग द्वारा टेद्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन का विकास	36 माह मार्च 2005 से मार्च 2007 (मार्च 2008)	द्विवार्षिक	6	2*	9 महीने जुलाई 2007 से मार्च 2008
5.	कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद		अगनाशयी कैंसर के लिए रोगोपचारक वैक्सीन का विकास	24 माह अक्टूबर 2007 से अक्टूबर 2009	वार्षिक	2	1	12 महीने नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2009
6.	कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद		नई पीढ़ी रोगोपचारक और रोगनिरोधी हेपेटाइटिस बी-वैक्सीन का विकास	12 माह मार्च 2006 से मार्च 2007	द्विवार्षिक	2	1	5 महीने नवम्बर 2006 से मार्च 2007
7.	सेलमैक्स लिमिटेड	फार्मा	वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य रीकम्बिनेंट उत्पाद और नैदानिक किटों का विकास	36 माह जनवरी 2008 से जनवरी 2011	द्विवार्षिक	6	1	25 महीने दिसम्बर 2008 जनवरी 2011

क्रम सं.	उद्योग का नाम	भागिदार	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि (बढ़ाई गई)	अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित एम.सी. बैठक की बारम्बारता	आयोजित की जाने वाली पी.एम.सी. बैठक की संख्या	आयोजित पी.एम.सी. बैठकों की संख्या	अवधि जिसके दौरान बैठक न करने के कारण पी.एम.सी. द्वारा मॉनीटरन नहीं किया गया था
8.	केम्बायोटेक रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड		अण्डरकैप्रीनिल पायरोफास्फेट सिंथेस के श्रेष्ठ अवरोधकों का विकास	47 माह मई 2007 से मई 2010 (मार्च 2011)	वार्षिक	4	2*	14 महीने फरवरी 2010 से मार्च 2011
9.	इण्डीजिन फार्मास्यूटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद		पूरी न हुई चिकित्सा और बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों से प्राप्त प्राकृतिक आणुविक संयोजनों (एन.एम.सी.) आधारित नव परिवर्तनकारी सुरक्षित और प्रभावी औषधियों के विकास और सुपुर्दगी के लिए चरण सी के माध्यम से प्राथमिकीकृत औषध अभ्यर्थियों का चिकित्सीय विकास	12 माह अक्टूबर 2007 से अक्टूबर 2008	द्विवार्षिक	2	1	5 महीने जून 2008 से अक्टूबर 2008
10.	इन्सटीट्यूट आफ मोलीकुलर मेडीसिन, कोलकाता		एच.आई.वी. (सिनर्जी परियोजना) के जीन साइलेंसिंग के लिए आर.एन.ए.आई. अभिगम	36 माह मार्च 2006 से मार्च 2009	वार्षिक	3	2	6 महीने अक्टूबर 2008 से मार्च 2009

क्रम सं.	उद्योग का नाम	भागीदार	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि (बढ़ाई गई)	अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित एम.सी. बैठक की बारम्बारता	आयोजित की जाने वाली पी.एम.सी. बैठको की संख्या	आयोजित पी.एम.सी. बैठकों की संख्या	अवधि जिसके दौरान बैठक न करने के कारण पी.एम.सी. द्वारा मॉनीटरन नहीं किया गया था
11.	मेडीक्लोन बायोटेक लिमिटेड चन्नई		रेबीज रोधी मोनोक्लोनल एंटीबीडी (एम.ए.बी.) काकटेल और रेबीज वायरस खोज के लिए डाइग्नोस्टोस्टिक एम.ए.बी. का विकास और विनिर्माण	36 माह मार्च 2008 से मार्च 2011	वार्षिक	3	1	17 महीने नवम्बर 2009 से मार्च 2011
12.	माइक्रोटैस्ट इन्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूरू		एच.आई.वी./एड्स में औषध प्रभावोत्पादकता मानीटरन में लागत प्रभावी वायरल लोड एसाय और इसके वाणिज्यिक अनुप्रयोग का विकास	36 माह दिसम्बर 2005 से दिसम्बर 2007 (दिसम्बर 2008)	द्विवार्षिक	6	1	11 महीने नवम्बर 2009 से मार्च 2011
13.	प्रोमड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली		व्यवसायीकरण स्तर तक औषध लाने के द्वारा मोतियाबिंद के प्रभावी निवारण और निदान में प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन लागू करने के लिए मोतियाबिंद रोधी आई ड्रॉप के निरूपण, विकास, स्थायित्व अध्ययन, पूर्व नैदानिक और नैदानिक अध्ययन	36 माह मार्च 2005 से मार्च 2008	द्विवार्षिक	6	2*	8 महीने अगस्त 2007 से मार्च 2008
14.	प्रोमड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली		काला मोतिया रोधी हर्बल आई ड्रॉप का निरूपण, विकास, स्थिरता अध्ययन, पूर्व नैदानिक और नैदानिक अध्ययन	36 माह मार्च 2007 से मार्च 2010	द्विवार्षिक	3	1	6 महीने अक्टूबर 2009 से मार्च 2010

क्रम सं.	उद्योग का नाम	भागिदार	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि (बढ़ाई गई)	अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित एम.सी. बैठक की बारम्बारता	आयोजित की जाने वाली पी.एम.सी. बैठक की संख्या	आयोजित पी.एम.सी. बैठकों की संख्या	अवधि जिसके दौरान बैठक न करने के कारण पी.एम.सी. द्वारा मॉनीटरन नहीं किया गया था
15.	स्ट्राइडस लिमिटेड, बंगलूरु (मेडेग्ने)	एक्रोलैब	हृदयवाहिक बीमारी के निदान के लिए श्रेष्ठ रीकम्बिनेंट स्टाफिलोकिनास का विकास	36 माह दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2009	वार्षिक	3	1	18 महीने जुलाई 2008 से दिसम्बर 2009
16.	सुदर्शन लिमिटेड, हैदराबाद	बायोटेक	हाइड्रान्टोइस और कार्बोमोलास एंजाइम क्लोन्ड ई-कोली का उपयोग कर पैरा हाइड्रोफिनाइल ग्लाइसिन (पी.एच.पी.जी.) का उत्पादन	36 माह मार्च 2006 से मार्च 2009	वार्षिक	6	2	5 महीने नवम्बर 2008 से मार्च 2009
17.	थर्टीन हर्ब्स क्योर, नई दिल्ली	एण्ड	एच.आई.वी./एड्स के लिए देशी प्रतिरक्षक हर्बल फार्मूलेशन पी-ज्योति अमृतम का विकास	24 माह मार्च 2008 से मार्च 2009	वार्षिक	2	0	24 महीने मार्च 2008 से मार्च 2010
18.	रैनवैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, गुडगांव	रैनवैक्सी	पुरानी फेफड़ों अवरोधक सम्बन्धित बीमारी के लिए श्रेष्ठ मस्कारिनिक रीसेप्टर एंटागॉनिस्ट	36 माह अगस्त 2006 से अगस्त 2009	वार्षिक	3	2	7 महीने फरवरी 2009 से अगस्त 2009
19.	रैनवैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, गुडगांव	रैनवैक्सी	पुरानी फेफड़ा अवरोधक सम्बन्धित बीमारी के लिए श्रेष्ठ फास्फोडाइस्ट्राएस-4बी रोधी	36 माह जुलाई 2007 से जुलाई 2010	वार्षिक	3	1	17 महीने मार्च 2009 से जुलाई 2010

*पी.एम.सी. का गठन दूसरी बैठक में बदला गया था।

परिशिष्ट XV (देखें पैराग्राफ 4.1.2)

नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिक नेतृत्व सूत्रपात योजना के अंतर्गत वर्षवार निर्गमों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जारी निधियाँ	संस्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या
2000-01	32.45	9
2001-02	28.91	8
2002-03	13.55	8
2003-04	48.22	7
2004-05	56.36	5
2005-06	38.74	5
2006-07	80.13	8
2007-08	56.94	7
2008-09	52.24	शून्य
2009-10	54.19	3
2010-11	53.95	5
2011-12	38.37	शून्य
2013-14	30.44	1
जोड़	630.50	73

परिशिष्ट XVI (देखें पैराग्राफ 4.1.3.5 (i))

नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिक नेतृत्व सूत्रपात योजना के अंतर्गत निगरानी / संचालन समितियों की बैठको की बारंबारता में कमी

क्रम संख्या	परियोजना शीर्षक	मानीटरन समिति बैठको की संख्या.		कमी की प्रतिशतता	संचालन समिति बैठको की संख्या		कमी की प्रतिशतता
		अनुसूचित	वास्तविक		अनुसूचित	वास्तविक	
1	अगली पीढ़ी प्लाज्मा डिसप्ले प्रौद्योगिकी और 50 इंच हाई डेफिनिशन (एच.डी.) टीवी प्रोटोटाइप का विकास	5	4	20	9	7	22
2	कुशन बांडेड आर्गेनिक सिरेमिक क्लच डिस्क का डिजाइन एवं विकास	7	6	14	14	11	21
3	जैव सूचना विज्ञान के लिए बहुमुखी सुबाह्य पी.सी. आधारित सॉफ्टवेयर	6	6	शून्य	12	7	42
	और बायोसुइट के लाइनक्स क्लस्टर रूपान्तर का विकास	2	2	शून्य			
4	चमड़ा क्षेत्र में रासायनिक प्रक्रिया बदलने के लिए जैव प्रौद्योगिकी (चरण II)	12	6	50	24	10	58
5	वैश्विक प्रतियोगी ट्रिपल प्ले ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का विकास	5	6	शून्य	6	6	शून्य
6	नवकरणीय संसाधनों से मूल्यवर्धित पालीमेरिक सामग्री: दुग्धाम्ल और दुग्धाम्ल आधारित पॉलीमेट (चरण II)	13	13	शून्य	25	16	36
7	पी.सी. की जगह लागत प्रभावी कार्यालय परिकल्पना (सोफकोम्प) प्लेटफार्म	4	4	शून्य	एस.सी. का गठन नहीं	एस.सी. का गठन नहीं	100

क्रम संख्या	परियोजना शीर्षक	मानीटरन समिति बैठको की संख्या.		कमी की प्रतिशतता	संचालन समिति बैठको की संख्या		कमी की प्रतिशतता
8	विशाल श्रेणी अनुप्रयोगो का विकास करने तथा जानकारी बढ़ाने के लिए सोफकोम्प और मोबिलिस का बाजार बीजारोपण	3	3	शून्य	एस.सी. का गठन नहीं	एस.सी. का गठन नहीं	100
9	आटोमेटिक उद्योग में ट्रिबोलोजिकल अनुप्रयोगो के लिए नैनों सामग्री लेयन और उन्नत मिश्रण	8	6	25	16	9	44
10	क्षारो का क्रियाशीलकरण	6	6	शून्य	12	8	33
11	चयनित चिकित्सा रोपणों का विकास	14	10	29	28	13	54
12	5 एवं 25 के.डब्ल्यू. विकेंद्रीकृत पावर पैक	6	6	शून्य	13	10	23
13	श्रेष्ठ फंगस नाशको का विकास	7	5	29	14	8	43
14	सुअभीजात औद्योगिक रसायनों के अल्काईलेशन/एसीलेशन/नाईट्रेशन हाइड्रोकार्बनों का पूर्ण सुधार और पेट्रोलियम इंधनों से सल्फर हटाने (<50पी.पी.एम.) के लिए नैनो सामग्री उत्प्रेरक और संबंध प्रक्रिया प्रौद्योगिकी	8	6	25	16	9	44
15	500 के.डब्ल्यू. के निम्न लागत क्षितिज धुरी पवन टर्बाइन का विकास	13	9	31	27	12	56
16	लुग्दी और कागज के विशेष संदर्भ में पेड़ प्रजातियों के सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकीय अभिगम	7	4	43	15	10	33
17	उन्नत दानेदार संसाधन और संसाधन सुरक्षण के माध्यम से सीमेंट विनिर्माण में उत्पादकता बढ़ाई गई	8	7	13	16	11	31
18	एस्टरोसाईटोमस के चिकित्सीय परिणाम से जीन संकेतो का सहसम्बन्ध और संभावित चिकित्सीय लक्ष्यों की पहचान करने के लिए प्रत्याशित अध्ययन	10	8	20	20	14	30

2015 का प्रतिवेदन संख्या 30

क्रम संख्या	परियोजना शीर्षक	मानीटरन बैठको की संख्या.	समिति	कमी की प्रतिशतता	संचालन बैठको की संख्या	समिति	कमी की प्रतिशतता
19	अल्ट्रा वाइडबैंड प्रयोगिकी पर आधारित ताररहित सेंसर नेटवर्क चिपसेट	6	6	शून्य	6	9	शून्य
20	सतह लेपन हेतु पर्यावरण रूप से सुरक्षित दुर्लभ मिट्टी आधारित रंजक (चरण II)	3	3	शून्य	6	3	50
21	कृषि अपाशिष्टों से जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक पर आधारित सेलूलोज ईस्टर	6	6	शून्य	11	9	18
22	आखों की बीमारी के लिए श्रेष्ठ आणविक नैदानिको और निम्न दृष्टि बढ़ाने के उपकरण	6	6	शून्य	13	9	31
23	सूरजमुखी तथा खमीर में लाइनोलीनिक अम्ल और डॉकोसहेकसोनिक अम्ल (डी.एच.ए.) उत्पादन करने के लिए रिकम्बिनेंट अभिगम	8	7	13	16	12	25
24	इंसुलिन मुख से दिया जाना	16	9	44	28	10	64
25	सुअभिजात औद्योगिक रसायन के विनिर्माण के लिए फीड स्टॉक के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का अक्रियाशीलकरण	6	5	17	12	7	42
26	श्रेष्ठ अभीव्यंजन प्रणाली	7	6	14	14	4	71
27	परिकलनीय जीव विज्ञान के लिए एक पी.सी. आधारित उच्च-अन्त 3 डी मानसदर्शन प्लेटफार्म - 'दर्शी'	4	3	25	एस.सी. गठित नहीं	एस.सी. गठित नहीं	100
28	समतल पैनल प्रदर्शन उपकरणों के लिए परिणाम उन्नत द्रव पारदर्शको के दो आदेश	8	5	38	16	9	44
29	एरीथ्रोमाइसिन का क्लेरिथ्रोमाइसिन में सूक्ष्म जैवकीय परिवर्तन और अन्य श्रेष्ठ जैव वैज्ञानिक रूप से सक्रिय अणु	3	3	शून्य	6	5	17

क्रम संख्या	परियोजना शीर्षक	मानीटरन समिति बैठको की संख्या.	कमी की प्रतिशतता	संचालन समिति बैठको की संख्या	कमी की प्रतिशतता
30	टामीफ्लू के लिए प्रक्रिया: एवियन फ्लू के संकट का सामना करने के लिए एक धमाकेदार औषध	कम समय के कारण एम.सी. गठित नहीं	100	कम समय के कारण एस.सी. गठित नहीं हैं	100

परिशिष्ट XVII (देखें पैराग्राफ 4.1.3.5 (ii))

नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना के अंतर्गत परियोजनाओं में समय अधिदान के ब्योरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के आरंभ की तारीख	समापन की निर्धारित तारीख	समापन की वास्तविक तारीख	समय लंघन (महीनों में)
1	अगली पीढ़ी प्लाज्मा डिसप्ले प्रौद्योगिकी और 50 इंच हाई डेफिनिशन (एच.डी.) टीवी प्रोटोटाइप का विकास	मार्च 2007	सितम्बर 2009	मार्च 2010	6
2	कुशन बांडेड आर्गेनिक सिरेमिक क्लच डिस्क का डिजाइन एवं विकास	मार्च 2008	मार्च 2011	सितम्बर 2011	6
3	जैव सूचना विज्ञान के लिए बहुमुखी सुबाह्य पी.सी. आधारित सॉफ्टवेयर और बायोसुइट के लाइनक्स क्लस्टर रूपान्तर का विकास	मार्च 2002	मार्च 2004	मार्च 2005	12
4	चमड़ा क्षेत्र में रासायनिक प्रक्रिया बदलने के लिए जैव प्रौद्योगिकी (चरण II)	जनवरी 2006	जनवरी 2009	जनवरी 2012	36
5	वैश्विक प्रतियोगी ट्रिपल प्ले ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का विकास	मार्च 2005	सितम्बर 2006	सितम्बर 2007	12
6	नवकरणीय संसाधनों से मूल्यवर्धित पालीमेरिक सामग्री: दुग्धाम्ल और दुग्धाम्ल आधारित पॉलीमेट (चरण II)	मार्च 2007	मार्च 2010	अगस्त 2012	32
7	पी.सी. की जगह लागत प्रभावी कार्यालय परिकलन (सोफकोम्प) प्लेटफार्म	अप्रैल 2003	मार्च 2004	मई 2005	14
8	विशाल श्रेणी अनुप्रयोगों का विकास करने तथा जानकारी बढ़ाने के लिए सोफकोम्प और मोबिलिस का बाजार बीजारोपण	दिसम्बर 2005	सितम्बर 2006	दिसम्बर 2007	15
9	आटोमेटिक उद्योग में ट्रिबोलोजिकल अनुप्रयोगों के लिए नैनो सामग्री लेयन और उन्नत मिश्रण	अप्रैल 2003	मार्च 2006	मार्च 2007	12
10	क्षारों का क्रियाशीलकरण	अप्रैल 2003	मार्च 2005	नवम्बर 2006	20
11	चयनित चिकित्सा रोपणों का विकास	जून 2005	मई 2008	मई 2012	48
12	5 एवं 25 के.डब्ल्यू. विकेंद्रीकृत पावर पैक	मार्च 2001	मार्च 2003	जून 2004	15
13	श्रेष्ठ फंगसनाशकों का विकास	अक्टूबर 2004	सितम्बर 2007	मार्च 2008	6

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के आरंभ की तारीख	समापन की निर्धारित तारीख	समापन की वास्तविक तारीख	समय लंघन (महीनों में)
14	सुअभीज्ञात औद्योगिक रसायनों के अल्काईलेशन/एसीलेशन/नाईट्रेशन हाइड्रोकार्बनों का पूर्ण सुधार और पेट्रोलियम इंधनों से सल्फर हटाने (<50पीपीएम) के लिए नैनो सामग्री उत्प्रेरक और संबंध प्रक्रिया प्रौद्योगिकी	मार्च 2001	मार्च 2003	जून 2006	39
15	500 के.डब्ल्यू. के निम्न लागत क्षितिज धुरी पवन टर्बाइन का विकास	मार्च 2004	मार्च 2006	दिसम्बर 2010	57
16	लुग्दी और कागज के विशेष संदर्भ में पेड़ प्रजातियों के सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकीय अभिगम	अक्टूबर 2004	सितम्बर 2006	मार्च 2008	18
17	उन्नत दानेदार संसाधन और संसाधन संरक्षण के माध्यम से सीमेंट विनिर्माण में उत्पादकता बढ़ाई गई	मार्च 2002	मार्च 2005	मार्च 2006	12
18	एस्ट्रोसाईटोमस के चिकित्सीय परिणाम से जीन संकेतो का सहसम्बन्ध और संभावित चिकित्सीय लक्ष्यों की पहचान करने के लिए प्रत्याशित अध्ययन	जनवरी 2006	दिसंबर 2009	मार्च 2011	15
19	अल्ट्रा वाइडबैंड प्रौद्योगिकी पर आधारित ताररहित सेंसर नेटवर्क चिपसेट	मार्च 2007	मार्च 2010	जून 2013	39
20	सतह लेपन हेतु पर्यावरण रूप से सुरक्षित दुर्लभ मिट्टी आधारित रंजक (चरण-II)	मार्च 2005	मार्च 2008	दिसंबर 2008	9
21	कृषि अपाशिष्टों से जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक पर आधारित सेलूलोज ईस्टर	मार्च 2002 मार्च 2005	मार्च 2004 मार्च 2007	दिसंबर 2004 मार्च 2008	9+12= 21
22	आखों की बीमारी के लिए श्रेष्ठ आणविक नैदानिको और निम्न दृष्टि बढ़ाने के उपकरण सूरजमुखी तथा खमीर में लाइनोलीनिक अम्ल और डॉकोसाहेकसोनिक अम्ल (डी.एच.ए.) उत्पादन करने के लिए रिकम्बीनेंट अभिगम	अप्रैल 2003	मार्च 2005	अप्रैल 2007	24
23	इंसुलिन मुख से दिया जाना	अप्रैल 2003	मार्च 2006	जुलाई 2007	16
24	सुअभिज्ञात औद्योगिक रसायन के विनिर्माण के लिए फीड स्टाक के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का अक्रियाशीलकरण	जुलाई 04	जुलाई 2007	अप्रैल 2012	57
25	श्रेष्ठ अभीव्यंजन प्रणाली	मार्च 2001	मार्च 2003	अप्रैल 2004	13

2015 का प्रतिवेदन संख्या 30

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के आरंभ की तारीख	समापन की निर्धारित तारीख	समापन की वास्तविक तारीख	समय लंघन (महीनों में)
26	परिकलनीय जीव विज्ञान - 'दर्शी' के लिए एक पी.सी. आधारित उच्च अन्त 3डी मानसदर्शन प्लेटफार्म	मार्च 2005	मार्च 2008	सितंबर 2008	6
27	समतल पैनल प्रदर्शन उपकरणों के लिए परिणाम उन्नत द्रव पारदर्शको के दो आदेश	अप्रैल 2003	मई 2004	मई 2004	शून्य
28	एरीथ्रोमाइसिन का क्लेरिथ्रोमाइसिन में सूक्ष्म जैवकीय परिवर्तन और अन्य श्रेष्ठ जैव वैज्ञानिक रूप से सक्रिय अणु	मई 2001	जून 2003	जून 2005	24
29	टामीफ्लू के लिए प्रक्रिया: एवियन फ्लू के संकट का सामना करने के लिए एक धमाकेदार औषध	सितंबर 2002	अप्रैल 2004	अप्रैल 2004	शून्य
30	अगली पीढ़ी प्लाज्मा डिसप्ले प्रौद्योगिकी और 50 इंच हाई डेफीनिशन (एच.डी.) टीवी प्रोटोटाइप का विकास	अक्टूबर 2005	जुलाई 2006	अक्टूबर 2007	13

परिशिष्ट XVIII (पैराग्राफ 5.2 के संदर्भ में)

मास्टर कंट्रोल फेसिलिटि, हासन द्वारा सेवा कर भुगतान का विवरण

महीनों के लिए सेवा कर का भुगतान	भुगतान का वाउचर संख्या तथा दिनांक	वेतन एवं भत्ते	अवकाश वेतन अंशदान	पेंशन अंशदान	एन.पी.एस.	अन्य भुगतान कोई हो	राशि अगर लागत	सी.आई.एस.एफ. सेवा का कुल लागत	सेवा कुल लागत पर देय	कर
जुलाई 2012	VO714/14.08.12	37,94,968	2,28,135	1,29,827	56,398			42,09,328	5,20,273	
अगस्त 2012	VO120883/13.09.12	38,09,106	2,45,155	1,29,272	51,287			42,34,820	5,23,424	
सितम्बर 2012	VO121059/16.10.12	34,32,838	2,52,936	1,35,697	57,164			38,78,635	4,79,399	
अक्टूबर 2012	VO121261/20.11.12	44,37,558	3,06,124	1,32,322	56,313			49,32,317	6,09,634	
नवम्बर 2012	VO1417/17.12.12	39,58,757	2,49,299	1,30,223	57,087			43,95,366	5,43,267	
दिसम्बर 2012	VO1596/15.01.13	33,48,727	2,46,541	1,25,219	59,002			37,79,489	4,67,145	
जनवरी 2013	VO1764/14.02.13	32,94,677	2,63,095	1,26,966	57,152			37,41,890	4,62,498	
फरवरी 2013	VO1944/12.03.13	40,35,232	2,23,259	1,21,853	59,383			44,39,727	5,48,750	
मार्च 2013	VO0090/16.04.13	40,13,748	2,45,786	1,26,301	58,565			44,44,400	5,49,328	
अप्रैल 2013	VO0260/15.05.13	35,83,534	2,67,938	1,23,751	57,948			40,33,171	4,98,500	
मई 2013	VO130465/13.06.13	38,73,994	2,52,444	1,15,236	57,996			42,99,670	5,31,439	
जून 2013	VO648/15.07.13	34,84,684	2,38,983	1,20,985	62,519			39,07,171	4,82,926	
जुलाई 2013	VO130852/13.08.13	44,62,437	2,95,238	1,35,951	64,479			49,58,105	6,12,822	
जुलाई 2013	VO793/02.08.13	-	-	-	-	1,26,681*		1,26,681	15,658	
जुलाई 2013	VO798/02.08.13	-	-	-	-	7,56,230#		7,56,230	93,470	
अगस्त 2013	VO131114/17.09.13	38,60,961	2,62,374	1,37,026	65,303			43,25,664	5,34,652	
सितम्बर 2013	VO1320/17.10.13	36,61,959	3,08,378	1,40,496	66,429			41,70,262	5,15,444	

महीनों के लिए सेवा कर का भुगतान	भुगतान का वाउचर संख्या तथा दिनांक	वेतन एवं भत्ते	अवकाश वेतन अंशदान	पेंशन अंशदान	एन.पी.एस.	अन्य भुगतान कोई हो	राशि	सी.आई.एस.एफ. सेवा का कुल लागत	सेवा (@12.36%) कुल लागत पर देय	कर
अक्टूबर 2013	VO1486/14.11.13	60,81,121	3,05,851	1,43,334	71,557			66,01,863	8,15,990	
नवम्बर 2013	VO13167/11.12.13	38,23,472	3,02,778	1,38,617	69,593			43,34,460	5,35,739	
दिसम्बर 2013	VO1906/20.01.14	37,27,040	3,14,746	1,37,180	68,919			42,47,885	5,25,039	
जनवरी 2014	VO2076/12.02.14	49,07,063	2,83,206	1,36,851	66,842			53,93,962	6,66,694	
फरवरी 2014	VO2267/14.03.14	32,42,503	2,89,554	1,36,990	67,976			37,37,023	4,61,896	
मार्च 2014	VO094/10.04.14	35,64,398	2,63,960	1,35,553	65,008			46,28,919	4,97,974	
अप्रैल 2014	VO140317/12.05.14	56,90,800	3,09,669	1,34,539	69,907			62,04,915	7,66,928	
मई 2014	VO487/10.06.14	36,05,135	2,36,330	78,908	68,192			39,88,565	4,92,987	
जून 2014	VO140701/11.07.14	36,96,142	3,18,458	1,28,526	67,418			42,10,544	5,20,423	
कुल		4,58,60,594	31,88,304	14,48,020	7,47,144			10,73,81,062	1,32,72,299	

* वर्ष 2012-13 हेतु असलहों की लागत का भुगतान; # वर्ष 2012-13 हेतु कपड़ों और उपकरण को लागत का भुगतान

परिशिष्ट XIX (पैराग्राफ 6.2.2.2 (i) के संदर्भ में)

मई 2015 तक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, कोलकाता में 'विभागीय' एवं 'अंशकालिक' वेधशालाओं की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/यू.टी. का नाम	राज्य/यू.टी. में जिलों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	'विभागीय' वेधशालाओं की संख्या	'अंशकालिक' वेधशालाओं की संख्या	कुल वेधशालाओं की संख्या	कुल आच्छादित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	आच्छादन का प्रतिशत	निष्क्रिय वेधशालाओं की संख्या
1	बिहार	38	94,793	4	10	14	40,699	43	3
2	झारखंड	24	95,617	3	5	8	44,254	46	3
3	ओड़ीशा	30	1.56 लाख	10	12	22	1.09 लाख	70	0
4	सिक्किम	4	7,096	2	3	5	5,930	84	0
5	पश्चिम बंगाल	20	88,752	12	14	26	82,229	93	3
6	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	8,249	1	5	6	8,249	100	0
	कुल	118	4.51 लाख	32	49	81	2.90 लाख	64.30	9

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
वेबसाइट : www.cag.gov.in